दशम माला, खण्ड 33, अंक 2

मंगलवार, 26 जुलाई, 1994
4 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

26 जुलाई, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (1)	10	417	317
"	(1) नीचे से 3	सदस्य	सक्षम
9	15	(अनुवाद)	(हिन्दी)
12	2	(अनुवाद) शब्द का लोप कीजिये ।	
299	17	(पंसुकुरा)	पंसकुरा

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 33 ग्यारहवां सत्र, 1994 / 1916 (शाक)

अंक 2 मंगलवार, 26 जुलाई, 1994 / 4 श्रावण, 1916 (शाक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख :		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*** तारांकित प्रश्न संख्या :**	21 से 23 और 25	2-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*** तारांकित प्रश्न संख्या :**	24 और 26 से 40	26-45
अतारांकित प्रश्न संख्या :	224 से 279, 281 से 315, 417 से 448	45-274
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मजनूं का टीला स्थित गुरुद्वारा परिसर के ढांचे को पहुंचाई गई क्षति के बारे में		277-279
सभा पटल पर रखे गए पत्र		287-289
विधेयकों पर अनुमति		289
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति		
ग्यारहवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**		289
कार्य मंत्रणा समिति		
इकतालीसवां प्रतिवेदन - **स्वीकृत**		289
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) छात्राओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर कम करने हेतु एक सदस्य नीति बनाने की आवश्यकता		290
श्री पी.पी. कालियापेरूमल		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में हैल्थ गाइडों को 290

और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री मानकू राम सोढ़ी

(तीन) उड़ीसा को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 291

शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. कृपासिन्धु भोई

(चार) नकदी फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के 291

कार्यान्वयन हेतु केरल सरकार द्वारा लगाई जाने वाली

50 प्रतिशत कार्य पूंजी की शर्त को हटाने की आवश्यकता

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन

(पांच) उत्तर प्रदेश में मेरठ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ 292

स्थापित करने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह

(छः) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र को स्वायत्त पर्वतीय 292

परिषद का दर्जा देने और इसके समग्र विकास के लिए

अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री रामविलास पासवान

(सात) आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य में बुनकरों की शिकायतें 293

दूर करने हेतु और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने

की आवश्यकता

श्री डी. वेंकटेश्वर राव

(आठ) कृषि की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रसार करने 293

के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई कस्बे में एक केन्द्रीय

संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक

प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक		293-311
विचार के लिए प्रस्ताव		
	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	293-295
	श्रीमती सरोज दुबे	296-299
	श्रीमती गीता मुखर्जी	299-300
	डा. जी. एल. कनोजिया	300-303
	श्री राजागोपाल नायडू रामासामी	303-305
	श्री कमला मिश्र मधुकर	305-306
	प्रो. रासा सिंह रावत	306-308
	श्री पवन सिंह घाटोवार	308-311
खंड 2 से 34 और 1		311-316
यथासंशोधित, पारित करने हेतु प्रस्ताव		
	श्री पवन सिंह घाटोवार	
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक		316-318
विचार के लिए प्रस्ताव		
	श्री गुलाम नबी आजाद	316-318
	श्री वी. धनंजय कुमार	318-321
	प्रो. के.वी. थामस	322-324
	श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	324-329
	श्री मोहन सिंह (देवरिया)	329-331
	श्री लोकनाथ चौधरी	331-333
	श्री ई. अहमद	333-337
	श्री ए. चार्ल्स	337-342
	श्री शंकर सिंह वाघेला	342-347

लोक सभा

मंगलवार, 26 जुलाई, 1994/ 4 श्रावण 1916 (शाक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करते हुए अत्यधिक दुःख हो रहा कि हमारे भूतपूर्व सहयोगी, श्री जगन्नाथ मिश्र, जो 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे, का निधन हो गया। वह बिहार के मधुबनी संसदीय निर्वाचित क्षेत्र के प्रतिनिधि थे।

वह व्यवसाय से एक शिक्षक थे तथा समाज सुधार से संबंधित पुस्तकें पढ़ने तथा राजनीति और बागवानी में उनकी विशेष रूचि थी। वह एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी थे तथा उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थानों चिकित्सालयो और ग्रंथालयों की भी स्थापना की।

उन्होंने सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री जगन्नाथ मिश्र का निधन 24 जुलाई, 1994 को 73 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ।

हम अपने इस मित्र के देहांत पर गहरा शोक प्रकट करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार कों अपनी श्रद्धांजलि देने में सदस्य मेरा साथ देंगे।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्य कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे।

11.02 म.पू.

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.04 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

|अनुवाद|

पर्यटन सर्किट

*** 21. श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने आठ पर्यटन सर्किटों का संचालन गैर-सरकारी एजेन्सियों को देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने देश की और विदेशी कम्पनियों को इन सर्किटों को चलाने का अवसर देने के लिए विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्युत्तर में कितनी रूचि दिखाई गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित पर्यटक केन्द्रों पर ''पैलेस-आन-व्हील्स'' जैसी रेल सेवाएं शुरू की जाएं :

(1) दिल्ली-जयपुर-आगरा-ग्वालियर-झांसी (खजुराहो)-वाराणसी लखनऊ-दिल्ली

(2) बम्बई-औरंगाबाद (अजन्ता/एलोरा)-नान्देड़-सिकन्दराबाद-हैदराबाद-पुणे-बम्बई।

(3) कलकत्ता-गया (राजगिर/नालन्दा)-वाराणसी (सारनाथ)-गोरखपुर (लुम्बिनी)/कुशीनगर) भुवनेश्वर-पुरी-कलकत्ता।

(4) गोवा (मड़गांव)-मंगलौर-मैसूर (बेल्लूर-हालीबिड)-होस्पेट (हाम्पी)-बांवलौट-गोवा (मड़गांव)।

(5) बंगलौर-मैसूर-मद्रास-कोडाईकनाल रोड-कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम-कोचीन-मट्टपलायम (ऊटी)-बंगलौर।

(6) दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-जेसलमेर-सवाईमाधोपुर-भरतपुर-आगरा-दिल्ली।

(7) दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-अहमदाबाद-वेरावाल-पालियाना-दिल्ली।

(8) मद्रास-पाँडिचेरी-नागौर-कराईमल/वेलाँकिनी-त्रिचिरापल्ली-मदुरई-रामेश्वरम-तंजौर-चिदम्बरम-मद्रास।

जबकि क्रमांक एक से पांच तक सूचीबद्ध यात्री गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन, और प्रबन्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, क्रमांक छः से आठ तक शेष सूचीबद्ध सरकिटों पर राजस्थान, गुजरात

और तमिलनाडु के पर्यटक विकास निगमों के सहयोग से पर्यटक रेल सेवाएं चलाने का निर्णय किया गया है। पर्यटक रेल के आधारभूत ढांचे में निवेश आकर्षित करने के लिए 25 जुलाई 1994 तक अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। योजना के प्रारम्भ में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं समझता हूँ, कि सर्किट रेलवे के क्षेत्र में निजी, विदेशी तथा घरेलू कम्पनियों को अनुमति प्रदान करने का सरकार का निर्णय, रेलवे के कुछ कार्यक्रमों का निजीकरण किए जाने की दिशा में, सरकार के बहुत कार्यक्रमों का एक भाग है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे कार्यकरण के और कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिसका निजीकरण किया जा रहा है अथवा जिसे निजी निवेश और निजी प्रबंध को सौंपने पर विचार किया जा रहा है ? क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जान सकता हूँ कि सरकारी उपक्रम के रूप में रेल विभाग के शेष कार्य कौन-कौन से होंगे अथवा क्या वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में रेलवे को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं और सभी शक्तियां निजी कम्पनियों को सौंपने जा रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, प्रश्न थोड़ा मुख्य प्रश्न से हटकर पूछा जा रहा है। फिर भी रेलवे का पूर्ण रूप से निजीकरण करने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नयी आर्थिक नीति के अंतर्गत आठ पर्यटन सर्किटों का चयन किया गया है जिनमें से तीन सर्किटों पर रेलवे द्वारा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से तीन राज्यों राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में परिचालन किया जा रहा है। जहाँ तक अन्य पांच सर्किटों का संबंध है तो हम ने उनके संबंध में निजी निविदाताओं से निविदा मंगवायी है। इसकी अंतिम तारीख 25 जुलाई थी तथा कल ही 23 निविदायें प्राप्त हुई हैं। इनका मूल्यांकन करने के बाद सबसे ऊँची निविदा देने वाले को इसका कार्यभार सौंपा जाएगा। ऐसा केवल पर्यटन को बढ़ावा देने और इसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन रेलवे का पूर्ण रूप से निजीकरण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह सार्वजनिक क्षेत्र का ही उपक्रम रहेगा।

श्री चित्त बसु : विश्वस्तर पर आमंत्रित की गई निविदाओं में स्वामित्व, विपणन और प्रबंधन का उल्लेख किया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि इस स्वामित्व की परिधि क्या है ? क्या रेलगाड़ियाँ कम्पनी के स्वामित्व में होंगी, रेल पथ कम्पनियों के स्वामित्व में होंगे और रेल प्रशासन के अन्य तामझाम का क्या होगा। उनका स्वामित्व किसके पास होगा ? इसके साथ-साथ कर निर्धारण और राजस्व के बंटवारे का भी प्रश्न है। यदि इसे निजी प्रबंधकों को सौंप दिया जाता है तो कर निर्धारण का क्या आधार होगा तथा सरकार और निजी कम्पनियों के बीच राजस्व के बंटवारे का आधार क्या होगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : निजी कम्पनियों को बीस करोड़ की लागत पर रेलगाड़ियों का स्वामित्व दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक इसके परिचालन और दुलाई का संबंध है तो इंजन, कर्मी दल और ग्राऊंड स्टाफ, सभी की देखभाल रेलवे द्वारा ही की जाएगी। चूंकि, उनकी देखभाल रेलवे द्वारा की जाएगी इसलिए कम्पनी इसके रख-रखाव, ढुलाई और इन सभी चीजों के लिए प्रति चक्कर 10 से 12 लाख रूपये देगी। लेकिन इसका स्वामित्व निजी कम्पनियों के पास होगा और जिसके लिए उन्हें लगभग 20 करोड़ रुपये देने होंगे। इन रेलगाड़ी में 21 डिब्बे होंगे। जिसमें अन्य चीजों के अलावा 13 वातानुकूलित शयनयान, दो वातानुकूलित भोजनालय तथा दो विद्युत कार होंगे। इसलिए, इसमें 21 डब्बे होंगे। इसकी लागत 20 करोड़ रुपये होती है। जिसे कम्पनी द्वारा

बहन किया जाएगा।

जहाँ तक प्रतिफल का संबंध हैं तो जो कम्पनी 15 प्रतिशत का प्रस्ताव देगी उसका प्रस्ताव स्वीकार होगा।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पैलेस ऑन व्हील्स हिन्दुस्तान के प्रमुख तीर्थ स्थानों में शुरू करने की बात कही गई है। इसमें एक सैक्टर कलकत्ता-गया, राजगीर-नालन्दा का भी जिक्र किया गया है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन गया से राजगीर तक कोई रेलवे लाइन नहीं है। बुद्धिस्ट तीर्थ-स्थानों के लिए जापान सरकार ने भी पैसे दिए है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, पैलेस ऑन व्हील्स गया से राजगीर तक लाने के लिए रेलवे लाइन बनानी पड़ेगी, इस सिलसिले में सरकार क्या सोचती है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, माननीय सदस्य मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि वह उसी क्षेत्र और उसी निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं। यदि गया और राजगीर के बीच कोई रेल पथ नहीं है तो इसका प्रबंध किया जाना चाहिए क्योंकि यह उन सर्किटों में से एक है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, तीन वर्ष पूर्व मीटर गेज पर पैलेस ऑन व्हील्स प्रारम्भ किया गया था। लेकिन आमान परिवर्तन के बाद उस पैलेस ऑन व्हील्स का क्या हुआ ?

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इन आठ परिपथों को प्रारम्भ करने से पूर्व इनकी आर्थिक लाभप्रदता का अध्ययन किया गया था और क्या यात्री सेवाओं के संबंध में भी कोई बाधाएं या कठिनाइयां सामने आएंगी।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, समय का इस प्रकार समायोजन किया गया है कि जिससे यात्री सेवाओं में कोई बाधा नहीं आए। यह पर्यटक गाड़ी है तथा यह भ्रमण एक सप्ताह का है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बाद 'पैलेस आन व्हील' रेलगाड़ी का क्या होगा। 'पैलेस आन व्हील' का उपयोग गुजरात पर्यटन विकास निगम के सहयोग से एक परिपथ पर किया जाएगा तथा वह परिपथ है - दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-अहमदाबाद-वीरावल-पालीताना-दिल्ली। इस प्रकार उस रेल का उपयोग किया जाएगा। यह भी मीटर गेज सेक्शन है।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप टूरिज़्म मिनिस्टर थे तो आप लोगों ने बहुत मुश्किल से पैलेस ऑन व्हील्स को फुल्ली एयर-कंडीशन किया था, इस आशा और विश्वास के साथ पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान को ही नहीं भारत को एक नयी दृष्टि टूरिज़्म के संबंध में देगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि 40-45 प्रतिशत टूरिस्ट राजस्थान में विजिट करते हैं उनमें से काफी टूरिस्ट पैलेस ऑन व्हील्स की वजह से भी आते हैं। नये चेप्टर के अनुसार कहीं पर ब्रोडगेज है, कहीं पर मीटर गेज है। राजस्थान को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की गई है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि जहां राजस्थान का साउथ भाग, जो आपने अभी कहा कि दिल्ली, उदयपुर और उसके बाद में वह गुजरात की तरफ मुड़ जायेगा तो क्या उससे टूरिस्ट सेटिसफाइड

हो सकेंगे। आज उसका रूट जयपुर से लेकर अजमेर, उदयपुर, जोधपुर होते हुए और फिर आगरा की तरफ आना है ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं ?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहती हूं कि मीटर गेज और ब्रोड गेज की गलती से या उसकी कमी के कारण, क्योंकि साउथ राजस्थान ब्रोड गेज के अंतर्गत अभी तक नहीं आया है इसलिये मैंने इस प्रश्न को बार-बार यहां उठाया है। प्राइवेट कम्पनियां जो आना भी चाहती हैं वे इस कारण से नहीं आ रही हैं कि संपूर्ण राजस्थान ब्रोड गेज और मीटर गेज के झगड़े में पड़ा हुआ है। इस संबंध में मंत्रालय क्या कर रहा है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, लाइन बदलने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इस मार्ग का कुछ भाग अब तक बड़ी लाइन में बदल दिया गया है। कुछ समय पश्चात् शेष हिस्सा भी परिवर्तित कर दिया जाएगा।

जहां तक माननीय सदस्य का रेल के आगरा, दिल्ली, जयपुर और जैसलमेर आने के बारे में प्रश्न का सम्बन्ध है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। यह राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से किया जा रहा है। इसके स्थान पर एक 'पैलेस आन व्हील' जैसी ही पर्यटन रेल गाड़ी का विकास किया जा रहा है तथा इस मार्ग को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा।

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि यद्यपि निविदाएं आमंत्रित की गई हैं परन्तु रेल मार्ग संबंधी बुनियादी सुविधाएं अर्थात् प्लेट फार्मों, पटरियों, सफाई, समय-सारिणी तथा कार्यकुशलता के बारे में क्या स्थिति है ? यही नहीं, सुरक्षा तथा रेलवे की अन्य सभी वर्तमान समस्याओं के बारे में क्या स्थिति है ? आपने केवल इस पर्यटन रेल के लिए ही निविदाएं आमंत्रित की हैं अथवा आधारभूत ढांचे के लिए भी ? यहां आपने बताया है कि आपने पर्यटन रेल अवसरंचना में निवेश हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं। क्या पर्यटक रेल अवसंरचना रेलों की नियमित अवसंरचना से भिन्न है ? यदि ऐसा है तो वह अवसंरचना क्या है ?

मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि क्या आपने पूरे भारत में रेल यात्रियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है ? देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोगों ने रेल के दर्शन भी नहीं किए हैं। परन्तु आपको उनकी चिन्ता नहीं है। आपको केवल पर्यटकों की ही चिन्ता है तथा इसके लिए आप बाहर से करोड़ों रुपए आमंत्रित कर रहे हैं। आप पर्यटन विभाग से भी खर्चा करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार क्या आपने आम रेल यात्री की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है ? उसे कुछ नहीं मिल पा रहा है।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, सरकार का यह सतत प्रयास है कि पूरे देश में यात्रियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। तथापि, यह योजना मुख्यतः पर्यटकों से संबंधित है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि जब विदेशी पर्यटक आते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। पर्यटन विभाग द्वारा एक कार्ययोजना बनाई गई है कि वर्ष 1996-97 तक पचास लाख पर्यटक होंगे जो हमें लगभग 14,000 से 18,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्रदान करेंगे। सरकार का यह उद्देश्य नहीं है कि हम सभी जगह केवल पर्यटकों को ही सुविधा प्रदान करें। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि देश में यात्रियों को सभी आवश्यक एवं संभव सुख-सुविधा प्रदान की जाए।

जहां तक आधारभूत ढांचे का संबंध है, जो कुछ भी विद्यमान है - स्टेशन तथा ग्राऊंड स्टाफ - प्रचालकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि को उद्योग का दर्जा देना

*** 22. श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को उद्योग का दर्जा देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है ;

(ग) इससे किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा ;

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ङ) तक : सरकार द्वारा तैयार किए गए कृषि नीति संकल्प के मसौदे में उद्योग के समान, कृषि क्षेत्र में व्यापार तथा निवेश हेतु सकारात्मक वातावरण निर्मित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य प्रभावी व्यवस्था करके उद्योगों को मिल रहे लाभ कृषि क्षेत्र को भी दिलाना है। इससे कृषि के विकास के लिए कृषकों के स्वयं के निवेश और प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल आर्थिक वातावरण तैयार होगा, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। उक्त संकल्प 14.5.1993 को सदन में रखा गया था।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने पर कृषि से होने वाली आय में वृद्धि पर क्या आयकर लगाया जाएगा ? यदि हां तो अन्य औद्योगिक आयपर लगने वाले कर की तुलना में उसकी दर क्या होगी ? क्या कृषि से होने वाली आय पर लगने वाली कर की दर औद्योगिक आय पर लगने वाली कर के समान होगी। कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने पर इससे होने वाले उत्पादन और आय में कितनी वृद्धि होगी और कृषि को आप उद्योग का दर्जा कब तक प्रदान करने वाले हैं ?

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष माहदेव, एग्रीकल्चर पालिसी रेजोल्यूशन में इस बात को स्पष्ट किया गया है, इस रेजोल्यूशन को संसद के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है, मैं इसमें से उद्धृत करना चाहता हूं -

[अनुवाद]

"परन्तु यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कृषकों को सरकार के नियंत्रण तथा कर-वसूली तंत्र के दायरे में न रखा जाये। साथ ही किसानों को विहित नगरपालिका सीमाओं के भीतर उनकी कृषि भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण होने की स्थिति में पूंजी अभिलाभ कर की अदायगी से छूट दी जायेगी।"

[हिन्दी]

यह रेजोल्यूशन में कहा गया है और मैं चाहता हूं कि इसमें आप समय दें, ताकि इस पर चर्चा हो सके और माननीय सदस्यों की शंकाएं दूर हो सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सीधा सा प्रश्न है कि क्या आप कृषि से होने वाली आय पर कर लगाने जा रहे हैं।

श्री अरविन्द नेताम : जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सुविधाएं आप कृषि क्षेत्र को देने जा रही हैं, उनका ब्यौरा क्या है और बाढ़, सूखा आदि दैविक आपदाओं की वजह से ऐसे क्षेत्रों के किसानों को बैंक ऋण आदि प्राप्त करने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंत्रालय क्या कोई विशेष योजना बना रहा है, ताकि किसानों की कठिनाइयां दूर हो सकें।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, इस मसविदे पर चर्चा के बाद एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि इस योजना को कार्यान्वित किया जा सके। जहां तक प्राकृतिक आपदाओं का सवाल है तो कृषि बीमा योजना के अंतरगत इसको कवर किया जाता है।

श्री अरविंद त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने के बाद कौन से लाभ मिलेंगे और जो अभी मिल रहे हैं तो उससे ज्यादा मिलनेवाले हैं क्या ? उनका ब्यौरा क्या-क्या है तो मैं यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृषि को उद्योग का दर्जा दे रहे हैं क्या और क्या सुविधाएं दे रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह विवाद वर्षों से चल रहा है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए या नहीं ? फिर कहा जा रहा है कि उद्योग का दर्जा तो नहीं देंगे मगर उद्योग की सारी सुविधाएं कृषि को प्राप्त होंगी। कृषि को लाभ क्या मिलेगा, यह प्रश्न पूछा गया है। आज मंत्री महोदय को टूक जवाब देना चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : हमेशा दो टूक जवाब होता है, कच्ची बात नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : उनका सवाल यह है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है क्या ? आपका कहना है कि उद्योग में जो सहूलियतें दी जाती हैं, वह दी जा रही हैं। उद्योग का दर्जा देंगे तो इन्कम टैक्स उसके

साथ आयेगा।

श्री बलराम जाखड़ : यह प्रश्न काफी दिनों से चल रहा है। फरवरी 1990 में सबसे पहले एडवाईजरी कमेटी बनाई गई। 1990 के जून और जुलाई में उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि इसको आधार बनाओ। अब कृषि की नीति अध्यक्ष महोदय की इजाजत से सदन में रखी गई है और अध्यक्ष महोदय ने वह रिपोर्ट स्थाई समिति को दे दी है और स्थाई समिति ने वापिस हमारे पास भेज दी है। अध्यक्ष महोदय, से विनति करूंगा कि उस रिपोर्ट पर डिसकशन हो जाए तो उसमें सारी समस्याओं का समाधान आ जाएगा कि किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से नहीं होगा। यह प्रश्न बहुत लंबा है, अगर आप कहें तो सारा का सारा जवाब सदन के पटल पर रख सकता हूं। जो सुविधाएं देना चाहते हैं तो वह मैं पढ़कर बताता हूं :

[अनुवाद]

(एक) औद्योगिक क्षेत्र की तरह कृषि क्षेत्र में भी धन की व्यवस्था करने वाली विशिष्ट संस्थायें होनी चाहिए ;

(दो) कृषि क्षेत्र को राष्ट्रीय आय में उसके योगदान के समुचित अनुपात तथा उचित मात्रा में ऋण सुलभ कराया जाना चाहिए ;

(तीन) कृषि क्षेत्र में धन लगाने तथा ऋण देने के मानक उद्योग क्षेत्र की तरह उदार होने चाहिए ;

(चार) कृषि के आधुनिक उपकरणों एवं साधनों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ;

(पांच) कृषि क्षेत्र के लिये धन की व्यवस्था के मानक यथार्थपरक होने चाहिए ;

(छह) कृषि क्षेत्र को विपणन वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए ;

(सात) कृषि क्षेत्र की ऋण संबंधी अपेक्षाएं आवश्यकता पर आधारित हों तथा उन्हें पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए ;

(आठ) केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर पूरी तरह कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिएं ;

(नौ) किसानों को पासबुक अथवा कार्ड प्रणाली द्वारा शीघ्रता से ऋण प्रदान किया जाना चाहिए ;

(दस) फार्म-क्षेत्र को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

चूंकि किसान के पास कम जमीन है तो उसको भी हिसाब से देखें तो उनको बैंक को ले लेना चाहिए, ये सारी बातें उसमें रखी गई हैं विद दी प्रोविजो क्योंकि किसान की जमीन पर हर प्रांत में हमेशा से सीलिंग लगी हुई हैं। उसके पश्चात् ऐसी कोई समस्या नहीं है कि उसके पास ज्यादा जमीन है। अगर उसको टैक्स कलैक्टर के हाथ में सौंप देते हैं तो वह खेत में कैसे काम करेगा चूंकि टैक्स कलैक्टर के पास चक्कर लगाएगा इसलिए उसको सारे टैक्स सिस्टम से अलग किया गया है। कैपिटल गेन की बात आई थी तो यह फैसला हुआ कि गवर्मेंट जमीन एक्वायर करती है। अगर अपनी मर्जी से नहीं बेचता तो गेन के लिए नहीं बचता। उसके बाप-दादा की

जमीन चली आ रही है इसलिए उस पर केपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसका भी समाधान किया गया है। ये सारी समस्यायें इसमें सुलझाने का प्रयास किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को केवल सीधे-सीधे प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : आप जितना भी अलाऊ करना चाहें, बता दें। इसके साथ-साथ जहां हम कृषि नीति ला रहे हैं वहीं उद्योग नीति भी केन्द्र ने पास की है और हर राज्य अपनी-अपनी उद्योग नीति बनाते हैं और उसमें सहायता देते हैं। जैसे ऋण देते हैं, ब्याज छोड़ते हैं, सेल्स टैक्स छोड़ते हैं। कभी-कभी गड़बड़ हो जाये तो उद्योग को तो नुकसान हो सकता है, व्यापारी को नहीं होता, क्योंकि वह बी.आई.एफ.आर. में आ जाता है। ये सारी चीजें देखकर हमने इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है।

[अनुवाद]

श्री रवि राय : अच्छा हुआ कि मंत्री महोदय ने गिनाया कि क्या-क्या फायदे होने वाले हैं। आपने ऋण के बारे में बताया। मुझे भय है कि

[अनुवाद]

मंत्री जो कहते हैं कहीं वित्त मंत्रालय ठीक से उल्टा काम न करे। मेरा कहना यह है कि नरसिंमम कमेटी की रिपोर्ट के चलते प्रायरटी सेक्टर में लैडिंग 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर रहे हैं। उसके बारे में आपको क्या कहना है ? इसके अलावा जो सीमांत किसान हैं और खेतीहर मजदूर हैं जिनका मार्केट में सरप्लस नहीं रहता है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने के बाद उनको क्या फायदा होने वाला है ?

अध्यक्ष महोदय : स्टोरेज हैं, मार्केटिंग हैं, फाइनेंस हैं, बहुत सारी बातें हैं।

श्री बलराम जाखड़ : जहां तक क्रेडिट का सवाल है और छोटे किसानों की बात है उनके लिए स्माल एग्रो बिजनस कांसोर्टियस बनाया गया है। उसके आधार पर उनको इकट्ठा करके उनको नया जीवन प्रदान करने की कोशिश की जायेगी। जो टाइनी सेक्टर में चीजें मिलती हैं वे भी उनको मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है।

[अनुवाद]

उन्हें इनमें सुधार करना चाहिए। उनके उप-उत्पाद परिवर्तित मूल्यवाले होने चाहिये। हम यही करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

इसीलिए मैं चाहता हूं कि उनका काम किया जाये और वे सारी सुविधायें उनको दी जायें जिससे उनको माल भी मिले, पैसा भी मिले। आपने पैसे की बात कही, इन गये सालों में हमने 24 हजार करोड़ रुपया दिया है।

श्री रवि राय : सरकार का फैसला है कि अभी तक जो प्रायरटी सेक्टर है किसानों और गरीब लोगों के लिए, उनको जो ऋण देना था वह 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री बलराम जाखड़ : जिस तरीके से सारा पैसा दिया जाता है उसके मुतल्लिक 17 प्रतिशत हमें मिलता है और 36 प्रतिशत उद्योग को जाता है। मैं चाहता हूं कि हमको बराबर का हिस्सा आना चाहिए, क्योंकि हम 1/3 हैं।

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से इसका प्रयोजन यही प्रतीत होता है कि उद्योग क्षेत्र को मिल रहे लाभ कृषि क्षेत्र को भी दिये जायेंगे। मैं एक विशिष्ट बात पूछना चाहता हूँ। पजांब राज्य में, जिसका कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, इस समय 4 लाख ट्रैक्टर हैं यदि वहां किसी किसान को ट्रैक्टर खरीदना हो तो उसे आठ एकड़ भूमि बैंक में गिरवी रखनी पड़ती है। अतः क्या मंत्री महोदय इस बात पर समुचित ध्यान देंगे ताकि जब कभी किसी किसान को कृषि उपकरण खरीदना हो तो उसे अपनी लाखों की भूमि को गिरवी न रखना पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न स्पष्ट कर दिया है। कृपया बैठ जाइये।

श्री बलराम जाखड़ : हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, कृषि नीति के साथ आगे जाकर कितना लेबर इम्प्लाय होने वाला है, क्या उसके बारे में कोई पालिसी बनी है ? इसके अलावा जो नई उद्योग नीति है उसके चलते बहुत सारी लेबर रिलीज हो रही है जो नेचुरल सरप्लस इंक्रीज हो रहा है लेबर में उसको भी कृषि में स्वीकार करना होगा। जो लेबर निजीकरण और औद्योगिकरण की वजह से रिलीज हो रही है।

[अनुवाद]

वे नई नई तकनीक ला रहे हैं।

[हिन्दी]

इससे लेबर एम्पलायमेंट इंडस्ट्री में कम होने वाला है तो हमारी जो कमेटी इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट को देख रही हैं, इसके सामने यह बात आयी है कि

[अनुवाद]

उद्योग क्षेत्र को यह आशा है कि फालतू श्रमिक कृषि क्षेत्र में खपा दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि जहां तक कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को खपाने का सवाल है उस संबंध में क्या स्थिति रहेगी। क्या उन्होंने कोई योजना बनाई है ? क्या इस संबंध में उनकी कोई संदर्शी योजना है और वे कृषि क्षेत्र में कितने श्रमिकों को खपाने जा रहे हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : यह जिम्मेदारी हमारी नहीं हैं

अध्यक्ष महोदय : गहन कृषि कार्यकलापों में और अधिक श्रमिक खपाये जा सकेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : सत्तर प्रतिशत जनता अभी भी कृषि पर निर्भर करती है, भूमि तो उतनी ही है। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। विकसित देशों में केवल 3-4 प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं।

भूमि इतना दबाव सहन नहीं कर सकती। हमें इसे कम करना होगा। हमें फिर उद्योग की ओर मुड़ना होगा। सवाल उन्हें खपाने का नहीं है। हमें कृषि हेतु नए सिरे से औद्योगिक आधार तैयार करना पड़ेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैंने उस समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया था जिसके सभापति श्री भानुप्रताप सिंह थे। इस समिति को विशेष रूप से यह सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया था कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाये अथवा नहीं। उस समिति ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की थी कि कृषि क्षेत्र को वे सब सुविधाएं दी जायें जो उद्योग को दी जा रही हैं। समिति ने इसे उद्योग का दर्जा देने पर जोर नहीं दिया था।

मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ कि इस समिति की सिफारिशों तथा उसके सुझावों को कृषि नीति में शामिल करने पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : उत्तर अस्पष्ट है, मैंने इसीलिये यह पूछा है। क्या समिति के सुझावों को राष्ट्रीय कृषि नीति जिसे उस समय तक तैयार नहीं किया गया था में शामिल कर लिया गया है ? सरकार द्वारा 14.5.93 को रखी गई प्रारूप कृषि नीति में समिति के सभी सुझाव शामिल नहीं किये गये हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री सभा में इस संबंध में स्पष्ट वक्तव्य देंगे ? क्या सरकार ने सभी सुझावों की जांच कर ली है और उसके क्या प्रभाव होंगे। सरकार इसमें कतना पूंजीनिवेश करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : कृषि के लिये आठवीं योजना में 22,000 करोड़ रुपये रखे गये हैं। सिंचाई के लिये यह राशि 32000 करोड़ रुपये हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र के लिये आपने 115,000 करोड़ और संचार तथा टेलीफोन के लिये 60000 करोड़ रुपये नियत किये हैं। यदि यही रवैया जारी रहा तो आप कृषि का विकास कैसे करेंगे ? यही मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आप हमारे हित की रक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इससे यह प्रश्न निकलता है आप अपना प्रश्न स्पष्ट करें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : सरकार ने विद्युत और संचार हेतु अधिक धनराशि आबंटित की है और कृषि तथा सिंचाई क्षेत्रों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया है, यदि ऐसा है तो सरकार कृषि का विकास कैसे कर सकती है ? इस दिशा में ठोस कार्यवाही करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री उत्तर दे सकती हैं तो उन्हें ऐसा करने दीजिये। मेरे विचार से यह प्रासंगिक नहीं है। पर यदि वह आग्रह कर रहे हैं तो आप जवाब दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने के साथ-साथ आठवीं योजना में कृषि और इससे सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए परिव्यय में प्रचुर वृद्धि की गई है। कृषि और इससे सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए कुल परिव्यय, जो सातवीं योजना में 12,793 करोड़ रुपये था, आठवीं योजना के दौरान 76 प्रतिशत बढ़ाकर 22,467 करोड़ रुपये कर दिया गया है, यही मैंने कहा है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने पर किसानों को सुविधायें देने के बारे में चर्चा की है लेकिन सवाल केवल सुविधायें देने का नहीं है। सवाल यह है कि उद्योगों में जिस तरह के सामान बनाये जाते हैं या उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान का जिस तरह से मूल्यांकन किया जाता है। उसी तरह का मूल्यांकन क्या कृषि के क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का होगा ? इसके साथ ही लगा हुआ सवाल यह है कि जिस तरह से उद्योगों की स्थापना उसकी सुविधाजनक स्थानों को देखकर होती है उसी तरह क्या गंगा के बीच का मैदान जो दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी, कृपया अपने विशिष्ट प्रश्न पर आइये।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कृषि को उद्योग का दर्जा देने के नाम पर वहां कृषि का औद्योगिक विकास हो पाएगा ?

श्री बलराम जाखड़ : यही तो किया जा रहा है। मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूं। . . . **(व्यवधान)**

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : कृषि को उद्योग का दर्जा देने के बाद क्या किसानों को उद्योग की तरह रजिस्टर रखना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि उद्योग जैसी सुविधा दे रहे हैं, दर्जा नहीं दे रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : रजिस्टर रखेगें तो अनाज नहीं दे पाएंगे।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : सुविधा देने जा रहे हैं तो क्या खाद और बीज की सुविधा होगी ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि कौन लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, प्रारूप कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है। और यदि ऐसा है तो क्या विदेशी निवेश . . . .

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने यह नहीं कहा कि वह कृषि को उद्योग का दर्जा दे रही है। अब इससे यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि . . . **(व्यवधान)**.

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कई सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। मेरे विचार से हमारे पास चर्चा के लिए समय होना चाहिए। हम ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐग्रीकल्चर पालिसी रिसोल्यूशन पर आप बहस करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जब प्रश्न भी उत्तर में आ रहे हैं तो बहस में क्या होगा ?

श्री बलराम जाखड़ : आप बहस करा दें तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेशावर पात्र : महोदय, आपने मुझे पहले ही अनुमति दे रखी है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, श्री सुधीर गिरि को अपना प्रश्न पूरा करने दें।

श्री सुधीर गिरि : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उद्योगों को दी गई सुविधाएं कृषि को भी दी जाएंगी। यदि ऐसा है तो क्या कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा। यदि हाँ तो मेरा प्रश्न है कि क्या इस कदम से भूमि सुधार उपायों पर प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या भूमि सुधार कानून की कठोरता में कमी लायी जायेगी। वे जानना चाहते हैं कि भूमि सीमा या भूमिधारण कानून की कठोरता में कमी आयेगी।

श्री बलराम जाखड़ : उनकी कठोरता कम नहीं की जायेगी।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : प्रारूप कृषि नीति संकल्प एक वर्ष पूर्व 14 मई, 1993 को संसद में पुरःस्थापित किया गया था, सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रारूप कृषि नीति संकल्प का उद्देश्य कृषि के लिए उद्योगों की तरह व्यापार और निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार करना है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां तो कृषि विभाग ने इस संबंध में क्या मूल्यांकन किया है ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं सूचना दे दूंगा।

वृक्षारोपण

*** 23. श्री हरिन पाठक :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कोई कमी हुई हो, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) वर्ष 1994-95 के लिए राज्य-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष वानिकी और वृक्षारोपण कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा और यदि इसमें कोई कमी आई हो तो इसके कारण, उपचारात्मक उपाय तथा 1994-95 के लिए वानिकी हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के राज्यवार वानिकी के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा तालिका एक में दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्य/केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत धन राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में वानिकी और वृक्षारोपण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि पर, वानिकी के लिए क्षेत्रों के आधार पर और निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पौध वितरण के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 1991-92 और 1992-93 में लक्ष्यों की उपलब्धियों वर्ष 1992-93 में पौध वितरण को छोड़कर सामान्यतः 95 प्रतिशत से ऊपर थी क्योंकि 1993-94 में यह 85 प्रतिशत थी। वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्धियों के आंकड़े अस्थाई हैं। अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन की निगरानी वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा की जाती है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, वानिकीकरण के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का स्तर तय किया जाता है।

(घ) वर्ष 1994-95 के लिए वानिकीकरण और वृक्षारोपण के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा अनुबंध दो में दिया गया है।

अनुबन्ध – I

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सोलहवें बिन्दु के अंतर्गत (वानिकीकरण और वृक्षारोपण) राज्यवार उपलब्धियों और लक्ष्यों को दिखाने वाला विवरण

क्षेत्र हेक्टेयर में

बीज वितरण लाखों में

		1991-92				1992-93				1993-94			
क्रम संख्या	राज्य का नाम/ संघीय क्षेत्र	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
		बीज वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि वन भूमि सहित)	बीज वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि वन भूमि सहित)	बीज वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि वन भूमि सहित)	बीज वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि वन भूमि सहित)	बीज वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि वन भूमि सहित)	बीज वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि वन भूमि सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1600.00	30000.00	1775.91	56590.00	1850.00	63450.00	1102.63	47453.00	1950.00	70000.00	917.19	34530.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	10000.00	7.92	7860.00	5.00	7200.00	5.00	7200.00	5.00	7500.00	5.00	7500.00
3.	असम	100.00	42000.00	8.68	19458.00	25.00	25000.00	11.80	22486.60	30.00	27500.00	20.76	18144.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	700.00	5000.00	837.00	46333.00	600.00	48000.00	180.00	20357.00	750.00	50000.00	190.03**	45855.39**
5.	गोवा	50.00	1200.00	22.57	1466.65	25.00	1500.00	27.23	1722.00	30.00	1800.00	33.46	1854.00
6.	गुजरात	2400.00	73000.00	2511.86	63480.00	2500.00	70000.00	2281.46	64847.00*	1500.00	68000.00	1631.76	85277.00
7.	हरियाणा	300.00	45000.00	271.38	31551.00	300.00	37050.00	300.00	34826.00	300.00	37500.00	231.81	33823.00
8.	हिमाचल प्रदेश	130.00	57300.00	32.70	35784.00	90.00	32500.00	88.59	31280.00	75.00	35000.00	33.19	32395.00
9.	जम्मू व कश्मीर	150.00	10000.00	75.00	15170.61	50.00	20000.00	64.83	17010.85*	60.00	20000.00	42.01	15928.20
10.	कर्नाटक	960.00	50000.00	437.17	34705.54	555.00	38500.00	374.38	36479.97	450.00	42500.00	274.19	46429.36
11.	केरल	250.00	41000.00	137.38	11593.96	160.00	25000.00	173.79	17342.70*	300.00	15000.00	136.61*	3127.69**
12.	मध्य प्रदेश	690.00	95000.00	614.60	103151.00	600.00	110000.00	600.12	121394.19	400.00	125000.00	439.00	125187.19
13.	महाराष्ट्र	1730.00	123000.00	1101.61	151255.86	1150.00	163000.00	824.97	153621.38*	1200.00	180000.00	1067.48	100062.17
14.	मणिपुर	25.00	13000.00	13.04	8363.00	25.00	9000.00	22.46	8600.00	30.00	9500.00	22.00	6928.00**
15.	मेघालय	350.00	18000.00	75.00	18991.00	125.00	18000.00	26.58	5148.00	125.00	19000.00	54.88	11604.00
16.	मिज़ोरम	100.00	11000.00	60.23	11447.00	10.00	12000.00	5.86	14000.00	10.00	14000.00	16.31	16750.00
17.	नागालैंड	50.00	11000.00	109.19	7450.00	110.00	5850.00	20.10	4700.00	120.00	7500.00	38.00	2797.00 दिस., 93
18.	उड़ीसा	500.00	37000.00	428.52	58389.80	500.00	60000.00	425.42	74134.85	550.00	75000.00	390.00	70819.00
19.	पंजाब	150.00	13000.00	151.29	16987.00	70.00	17000.00	85.90	19360.00	80.00	18000.00	51.78	17800.00
20.	राजस्थान	350.00	87500.00	330.59	85050.00	350.00	65000.00	405.13	66729.00	400.00	65000.00	453.34	67238.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	सिक्किम	50.00	8090.00	6.00	6163.29	15.00	8000.00	9.50	8665.38	18.00	8500.00	10.85	8484.82
22.	तमिलनाडु	800.00	54108.00	1013.84	68144.00	875.00	65000.00	1037.36	113553.10	1000.00	1,14,000.00	1124.32	66016.51
23.	त्रिपुरा	50.00	11000.00	27.68	14074.16	50.00	16000.00	37.05	15253.00	50.00	17700.00	28.14	8601.54
24.	उत्तर प्रदेश	3400.00	90000.00	3192.47	89565.11	3390.00	90000.00	3468.29	100139.26*	3200.00	85000.00	2929.00	87723.24
25.	पश्चिम बंगाल	850.00	45000.00	846.00	47540.00	1000.00	50000.00	802.00	50000.00	800.00	45000.00	800.00*	38200.00*
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.00	3600.00	5.23	2842.00	5.00	3200.00	5.33	3200.00	5.00	3300.00	5.00	3488.67
27.	चंडीगढ़	6.00	300.00	0.04	300.00	0.00	400.00	0.28	430.20	0.00	500.00	0.05	8.00 जून, 93
28.	दादरा और नगर हवेली	20.00	1000.00	3.00	120.00	10.00	1000.00	7.90	518.00	12.00	1100.00	12.02	894.60 अगस्त, 93
29.	दमन और दीव	1.00	708.00	0.54	117.00	1.00	100.00	1.14	83.34	1.00	150.00	0.94	62.00**
30.	दिल्ली	50.00	1500.00	44.89	1632.40	50.00	2000.00	41.60	1512.70	50.00	2000.00	43.51	1740.40
31.	लक्षद्वीप	5.00	100.00	2.95	50.00	3.00	50.00	3.36	50.00	4.00	50.00	4.27	54.20
32.	पांडिचेरी	4.00	100.00	10.61	88.72	1.00	200.00	10.81	128.00	4.00	200.00	0.60	126.53
कुल जोड़		15000.00	1050000.00	14194.81	1015714.10	14500.00	1064000.00	12450.87	1062225.52	13509.00	1165300.00	11007.54**	975451.51**

* अस्थाई

** संशोधित

अनुबंध - II

1994-95 के 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16(क) और (ख) वानिकी और पौधारोपण के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	बीज वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र सार्वजनिक भूमि वन भूमि सहित
1.	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1950.00	70000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	8232.00
3.	असम	25.00	25000.00
4.	बिहार	750.00	50000.00
5.	गोवा	35.00	1900.00
6.	गुजरात	1650.00	75000.00
7.	हरियाणा	250.00	40000.00
8.	हिमाचल प्रदेश	70.00	35000.00
9.	जम्मू व कश्मीर	70.00	22000.00
10.	कर्नाटक	450.00	48000.00
11.	केरल	300.00	16000.00
12.	मध्य प्रदेश	450.00	135000.00
13.	महाराष्ट्र	1250.00	190000.00
14.	मणिपुर	30.00	10000.00
15.	मेघालय	75.00	20000.00
16.	मिजोरम	20.00	18000.00
17.	नागालैंड	75.00	7500.00
18.	उड़ीसा	550.00	83000.00
19.	पंजाब	85.00	20000.00
20.	राजस्थान	450.00	72000.00

1	2	3	4
21.	सिक्किम	20.00	9200.00
22.	तमिलनाडु	1000.00	120000.00
23.	त्रिपुरा	45.00	15000.00
24.	उत्तर प्रदेश	3500.00	92000.00
25.	पश्चिम बंगाल	850.00	50000.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.00	3700.00
27.	चंडीगढ़	0.00	550.00
28.	दादरा और नगर हवेली	14.50	1000.00
29.	दमन और दीव	1.00	150.00
30.	दिल्ली	55.00	2200.00
31.	लक्षद्वीप	4.10	60.00
32.	पाँडिचेरी	4.00	200.00
	कुल जोड़ .	14140.60	1240692.00

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, अभी पिछले 15-20 मिनट में हमने यही चर्चा की कि कृषि का सीधा संबंध देश की आर्थिक नीति से है, कृषि का सीधा संबंध वर्षा के साथ है और वर्षा का सीधा संबंध वनों के साथ है। देश में जितने ज्यादा वन होंगे उतनी ही ज्यादा बारिश होगी तथा कृषि की प्रगति होगी मगर कई हमारे प्रदेश और इलाके ऐसे हैं जहां सालों तक बारिश नहीं होती, वहां वनीकरण का कार्यक्रम चलता है। विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात का कच्छ विस्तार एरिया ऐसा है जहां सालों तक बारिश नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप वहां डेजर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कच्छ के इलाके के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है, ज्यादा धन आबंटित करने पर विचार कर रही है ताकि विशेष योजना के जरिये वहां ज्यादा से ज्यादा वनीकरण का कार्य किया जा सके ?

श्री कमल नाथ : यह बात सही है कि वनों का सीधा संबंध जल और बारिश से है। जहां तक कच्छ के इलाके का प्रश्न है, वनीकरण का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का है और यदि राज्य सरकार कोई ऐसी योजना बनाये, खासकर कच्छ के एरिया के लिये, तो केन्द्रीय सरकार के पास जब कोई ऐसी योजना आयेगी तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, जितना वनीकरण का महत्व है उतना ही महत्व हमारी जो वन सम्पदा है,

फौरैस्ट असैट्स हैं, उनको बचाने का भी है। आजकल हमारे फौरैस्ट असैट्स पर आक्रमण हो रहा है और कई वनों पर कुछ तत्वों का कब्जा है जिसके परिणामस्वरूप हमारी बहुत सारी वन सम्पदा नष्ट होती जा रही है, उसको बेचा जाता है, चंदन की लकड़ी तक को बेचा जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी वन सम्पदा को प्रिजर्व करने के लिये, आजकल उस पर जो आक्रमण हो रहे हैं, उनसे वन सम्पदा को बचाने के लिये, कोई विशेष योजना बनायी जायेगी क्योंकि अगर राज्य सरकार वनों की रक्षा के काम में असफल रहती है तो क्या केन्द्र की ओर से कोई विशेष योजना बनायी जायेगी और जो लोग वन सम्पदा को नष्ट करते हुये पकड़े जाते हैं क्या उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कमल नाथ : इस समय जो कानून हमारे देश में फौरैस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, 1980 मौजूद है, उसमें किसी अमैंडमैंट की आवश्यकता नहीं है परन्तु इंडियन फौरैस्ट एक्ट के संबंध में दूसरे मंत्रालयों, दूसरे विभागों और राज्य सरकारों के साथ विचार किया जा रहा है कि उसमें क्या परिवर्तन किये जायें। पिछले कई सालों से इस बारे में चर्चा हो रही है। मुझे उम्मीद है कि कुछ महीनों में इसका फैसला हो जायेगा ताकि मैं इस सदन के सामने . .

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : उस चर्चा का विषय भी तो बता दीजिये, मंत्री जी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको मुख्य अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना है, न कि अनुपूरक प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न का।

श्री कमल नाथ : अनुपूरक प्रश्न यह था कि क्या कोई संशोधन है या कोई नया कानून है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पुरःस्थापन के संबंध में उत्तर न दें।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : जहां तक फौरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट का संबंध है, उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है परन्तु जहां तक इंडियन फौरैस्ट एक्ट का प्रश्न है, पिछले कई सालों से उस पर राज्य सरकारों से चर्चा हो रही है कि उनके सुझाव क्या हैं तथा अन्य विभागों से भी हो रही है ताकि उसमें और ज्यादा मजबूती लाई जा सके। इससे मुझे उम्मीद है कि जो कमी है, वह पूरी हो जायेगी।

श्री अर्जुन सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे मूल प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। हमने स्पष्ट पूछा था कि लक्ष्यों की प्राप्ति और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और यदि कोई कमी है तो उसके लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं। उत्तर में जो चार्ट दिया गया है, उससे लगता है कि 1991-92 में उपलब्धियां 95 प्रतिशत रहीं जबकि 1992-93 में वे घटकर 85 प्रतिशत रह गयीं। मंत्री जी को उपलब्धियों के बारे में कहना चाहिये था परन्तु वे घाटे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुधार हो रहा है। कहीं भी इन्होंने स्पष्टरूप से यह नहीं बताया है कि हमने क्या कदम उठाए हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपसे स्पष्टरूप से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार वनसम्पदा और वृक्षारोपण के लिए जो धन राज्य सरकारों को देती है, क्या कभी उस धनराशि की समीक्षा करती है कि उसने ठीक ढंग से खर्च की या नहीं या माननीय मंत्री इस बात

को जानने का प्रयास करते हैं कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं ? क्या इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि मैंने जबाव नहीं दिया। इन्होंने पिछले तीन साल के आंकड़े अपने प्रश्न में पूछे हैं और उसमें क्या कमी हुई है उसके कारण पूछे हैं। वह कमी हुई होती, तो उसका उत्तर होता। सर, जो मैंने अपने उत्तर में कहा है।

श्री अर्जुन सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, इनका अस्पष्ट उत्तर है, वह देख लें। ये खुद पढ़े-लिखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय इनके उत्तर की एक लाइन पढ़ना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज ऐसा नहीं होता है। आप बैठ जाइए।

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, क्या राज्य सरकारों से चर्चा होती है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार के वन सचिव, उनके चीफ प्रिंसीपल कंजर्वेटर के साथ और राज्य सरकार के वन राज्य मंत्रियों के साथ साल भर में एक दफा चर्चा होती है और वन मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाता है उसमें उनके सुझावों पर विचार किया जाता है।

प्रो. प्रेम धूमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिए हैं, उनमें जो टारगैट रखे गए थे लक्ष्य और उपलब्धियों के, अगर इनका सारा टोटल उस हिसाब से देखा जाए, तो जितने वर्षों से हम वन महोत्सव मना रहे हैं उसके अनुसार सारे भारतवर्ष की भूमि पर एक चप्पा भी ऐसा नहीं बचेगा जहां दरख्त न हों। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप उपलब्धि केवलमात्र पौधे लगाने को मानते हैं या उस पौधे की सरवाइवल को ? इसलिए मंत्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या आप कोई ऐसा सिस्टम अपनाना चाहते हैं या कोई ऐसी योजना बनाना चाहते हैं जिसके अंन्तर्गत यह देखा जा सके कि जो पौधे लगाए जाएं, उनको लगातार 10 वर्ष तक हमे देखते रहें कि वे बच पाए हैं या नहीं ? यदि ऐसा होगा, तभी हम वनीकरण की ओर बढ़ पाएंगे और इन वन महोत्सवों को सफल बना पाएंगे। अतः क्या मंत्री महोदय, प्रदेश सरकारों को कोई ऐसे निर्देश देंगे क्योंकि मंत्री महोदय हर बात को प्रदेशों के ऊपर ही डाल देते हैं।

श्री सूर्यनारायण यादव : सर, यह बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी यही सोच रहा था कि इसी प्रकार का सवाल करूं।

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की शक-शंका से कुछ सहमत हूं। इसीलिए तीन साल पहले हमने राज्य सरकारों से कहा था कि जो ये आंकड़े भेजे जाते हैं, ये इस प्रकार से हजारों, लाखों के तौर पर न भेजे जाएं बल्कि हर ग्राम पंचायत में क्या और कितना वनीकरण होता है, उसके आंकड़े बनाकर भेजे जाएं, ताकि मैं माननीय सदस्यों को भी यह सूचना दे सकूं।

अब हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि हर जिले की एक-एक ब्लाक में एक-एक लोकेशन योजना के माध्यम से किस नर्सरी से पौधे आए और कितना वनीकरण हुआ। ये आंकड़े मंगवाकर मैंने पार्लियामेंट की लायब्रेरी में पिछले साल रखे। क्योंकि सबको यह शक-शंका रहती है कि ये आंकड़े सिर्फ फाइलों में ही होते हैं जमीन पर इतने पौधे नहीं लगते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बात की जानकारी करने के लिए हमने 10 प्रतिशत जिले चुनकर इस पर इंडिपेंडेंट जांच करवाई और मैं माननीय सदस्य को यह सूचना आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने मंडी जिले को चुना था। मंडी जिले की जो इंडिपेंडेंट जांच हुई उसमें सरवाइवल रेट 78.34 प्रतिशत पाया गया। तो इस प्रकार करीब 45 जिले अपने देश में हैं जहां इंडिपेंडेंट जांच हमने करवाई और उसके आधार पर ग्राम पंचायत के हिसाब से आंकड़े हमने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखे हैं।

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय , माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि वनरोपण का लक्ष्य धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सार्वभौमिक पर्यावरण सुविधा की कार्यकारणी परिषद द्वारा हाल ही में लिए गए इस आशय के निर्णय को देखते हुए कि सार्वभौमिक पर्यावरण सुविधा के अंतर्गत वित्त पोषण की सुविधा वन कटाई और मरूस्थलीकरण क्षेत्र सहित भूउर्वरता ह्रास के क्षेत्र में भी उपलब्ध कराई जाएगी,क्या सरकार वनरोपण कार्यक्रम को बडे पैमाने पर और समयबद्ध चरणों में आगे बढाएगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मरूस्थल रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत उस कृषि भूमि , विशेषकर असम में,को भी पुनः खेती योग्य बनाएगी जो बार-बार आने वाली बाढ के कारण भारी मात्रा में जमा हुए रेत के परिणाम स्वरूप स्थायी रूप से अर्धमरूस्थल में परिवर्तित हो गई है।

श्री कमल नाथ : यह सही है कि वनरोपण का कार्य उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करता है।और गत वर्षों में धनराशि में वृद्धी हुई है। पर हमारे देश में लगभग 3 करोड हेक्टेयर वन भूमि पर वन नहीं है। देश भर में फैली इस 3 करोड हेक्टेयर वन भूमि पर वनरोपण का कार्य एक बहुत बडा कार्य है। वर्तमान वन ह्रास से यह कार्य और भी बढ रहा है। अतः हमें सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखना होगा । आवश्यकता बहुत बडी धनराशि की है। गत तीन वर्षों में धनराशि में काफी वृद्धी हुई है। उदाहरण के लिए 1990-91 में राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल धनराशि का आबंटन 575 करोड रुपये था। जबकि 1993-94 में अनन्तिम रुप से यह राशि 901 करोड रुपये निर्धारित की गई है । धनराशि की कमी एक बाधा है। दूसरी ओर, कार्बन अवशोषक के रूप में वनों पर विश्व का ध्यान केन्द्रित है इसलिए सार्वभौमिक पर्यावरण सुविधा द्वारा जीव विविधता संरक्षण के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी तथा वन मौसम परिवर्तन सम्मेलन कार्बन अवशोषण की दिशा में कार्य करेगा और इस प्रकार आशा है कि पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सकेगी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि गत तीन वर्षों के दौरान वानिकी के क्षेत्र में धनागम में काफी वृद्धी हुई है। आशा है कि इन पांच वर्षों में हम जितना कार्य करेंगे वह पहली से छठी योजना तक हुए कुल कार्य से भी कहीं अधिक होगा।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग का उतर क्या है ?

श्री कमल नाथ : मरूस्थलीकरण के बारे में अभी हाल ही में छह सप्ताह पहले एक सन्धि को अंतिम रूप दिया गया है। इस सन्धि में सह व्यवस्था की गई है कि मरूस्थलीकरण के संबंध में भी अब सार्वभौमिक पर्यावरण सुविधा से धनराशि प्राप्त होगी । और आशा है कि हमारे देश के भीतर प्राथमिकता के आधार पर इन धनराशियों को उक्त क्षेत्रों के लिए नियत किया जाएगा।।

नारियल का मूल्य

*25. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के मूल्य और मांग में भारी कमी आई है ;

(ख) यदि हां , तो इसके फलस्वरूप नारियल उत्पादकों को विशेष रूप से केरल में पिल्दे एक वर्ष के दौरान अनुमानतः कितनी हानि हुई है ;

(ग) 1994 में खोपरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने के बाद कितनी मात्रा में खोपरा खरीदा गया है ; और

(घ)नारियल के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) चालू वर्ष के दौरान नारियल कीमतें गिरी हैं। यह सूचित किया गया है कि उपभोक्ता नारियल तेल को छोडकर दूसरे सस्ते खाने के तेलों की तरफ अधिक ध्यान दे रहे हैं।

(ख) क्योंकि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति लागू की जा रही है इसलिए उत्पादकों के हानि का प्रश्न ही नहीं उठता। वर्ष 1994 के मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसे स्तर पर पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है जो उत्पादकों को पर्याप्त लाभ सुमिश्चित करता है।

(ग)1994 के मौसम के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषणा के बाद मूल्य समर्थन नीति के कार्यान्वयन के अन्तर्गत 18-7-1994 तक नाफेड द्वारा कुल 47,753 टन नारियल खरीदा गया था यह खरीद अभी भी चल रही है।

(घ) कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए नाफेड को निर्देश दिए गए हैं कि वह मूल्य समर्थन नीति का कार्यान्वयन और अधिक प्रभावी ढंग से करे । नाफेड ने पहले से ही विभिन्न बाजारों से काफी मात्रा में नारियल खरीद लिया है।

नारियल के विपणन में जो खामियां है उनको कम करने के लिए सरकार ने बाजारों को नियंत्रित करने के कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, सभी मुख्य नारियल उत्पादक राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों में नियंत्रित बाजारों में समुचित नीलामी सुविधायें और सुखाने की तथा भंडारण सुविधाए उपलब्ध कराई जा रही हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन :ऐसा कहा जाता है कि उत्पादकों को नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता है

क्योंकि राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणान संघ नारियल गरी की खरीद करता है । हुआ यह है कि इस कमी वाले मौसम में भी नारियल का मूल्य केवल 2500 रुपये प्रति हजार नारियल है गत मौसम के इस समय में नारियल का मूल्य 4000 रुपये प्रति हजार नारियल था । मूल्यों में तेज़ी से गिरावट आई है जबकि खाद और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धी हो गई है कि किसान मुश्किल में पड़ गए हैं।नारियल को बेचना काफी मुश्किल है क्योंकि खरीददार नहीं हैं । नारियल की दो-तीन फसलें किसानों के पास बची पड़ी हैं। इसका क्या उपचार है ? वास्तव में अपेक्षित खरीद नहीं की जा रही है और मूल्य भी अत्यधिक कम है । जब तक मूल्यों में वृद्धि नहीं होती नारियल की कीमत नहीं बढ़ेगी । इस क्षेत्र में तेल और दूसरी चीजों का प्रयोग करके कोई विविधीकरण कार्यक्रम भी होना चाहिए । क्या सरकार ने इस संबंध में और कोई कार्य किया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड) : सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत हम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग इस सम्बंध में काफी चर्चा करने के पश्चात् ये मूल्य निर्धारित करता है । इस बार हमने न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 200 रुपये की वृद्धि की है। इस प्रयोजन के लिए हमने 'नेफेड' के माध्यम से अब तक लगभग 50,000 मीट्रिक टन की खरीद की है। दूसरे मैं जानता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उस मूल्य से कम हो गए हैं । लेकिन सरकार ने इसे 2000 रुपये से अधिक किया है। तीसरे, राज्यों तथा वाणिज्य मंत्रालय से सिफारिश की गई है कि नारियल के खराब होने से पहले उसका निर्यात किया जाए। वर्तमान में विशेष लाइसेंस प्रणाली लागू है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाए क्योंकि इसका कोई दूसरा उत्पाद नहीं है।उद्योग भी इसका कम प्रयोग कर रहा है। इसका यही कारण है और इसीलिये नारियल की खरीद की जा रही है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि इसे मौसमी फसल माना जाए क्योंकि मुख्य मौसम में इसका उत्पादन काफी बढ़ जाता है । यदि यह मौसमी फसल घोषित कर दी जाती है तो उसका काफी लाभ होगा और उत्पादकों को भी काफी फायदा होगा। इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री बलराम जाखड : मूल्य निर्धारित करते समय हमने सभी पहलूओं पर विचार किया है । जब मूल्य निर्धारित किये जाते हैं तो सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। जैसा कि मैंने सभा में अनेक बार कहा है कि मूल्य निर्धारित करते समय प्रत्येक पहलु पर विचार किया जाता है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : परन्तु इससे उत्पादकों को अधिक लाभ नहीं हुआ है ।

श्री बलराम जाखड़: परन्तु हमने तो ऐसा करके उत्पादकों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : मुझे अपने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर से खुशी है कि 'नारियल गिरी के विपणन में खामियों को न्यूनतम करने के लिये प्रयास शुरू किए गए हैं। परन्तु भाग (ख) के उत्तर से जैसा कि श्रीमती सुशीला गोपालन ने भी कहा है, मुझे भी निराशा हुई है। यह कहना कि उत्पादकों को कोई हानि नहीं हो रही है, वास्तविकता से बहुत दूर है । केरल सरकार ने इस वर्ष .को नारियल वर्ष घोषित किया है । व्यापक नारियल विकास कार्यक्रम के अधीन अगले तीन वर्षों के दौरान 200 करोड रुपये से भी अधिक का लाभ अर्जित करने की योजना है । पहले केरल नारियल उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य था । मुझे खुशी है कि अब आन्ध्र प्रदेश,

तमिलनाडु तथा उड़ीसा भी बराबरी पर आ गए हैं और नारियल का उत्पादन कर रहें हैं। यद्यपि, नारियल को तिलहनों की सूची में रखा गया है परन्तु हमें इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार इसका केवल एक कारण है कि नारियल को बीज से उत्पादित नहीं माना जाता है बल्कि इसके विपरीत इसे पेड़ से उत्पादित माना जाता है। मेरे प्रश्न का प्रथम भाग यह है कि क्या नारियल को पेड़ से उत्पादित उत्पादों की सूची में रखने की बजाए बीज से उत्पादित उत्पादों की सूची में रखा जायेगा ?

अपने प्रश्न के दूसरे भाग के अंतर्गत मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करूंगा कि नारियल विकास बोर्ड का पिछले 5 वर्षों से कोई पूर्ण रूपेण अध्यक्ष नहीं है तथा भारत सरकार के आयुक्त (बागवानी) इस बोर्ड का कार्य देख रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार नारियल विकास बोर्ड का पूर्णरूपेण अध्यक्ष नियुक्त करेगी ताकि वह सरकार को सभी समस्याओं के बारे में भलीं -भाँति स्थिति स्पष्ट कर सके ।

श्री बलराम जाखड़ : उन्हे प्रत्येक स्थिति में लाभ होता है । मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि इस वर्ष सरकार ने विशेष ध्यान रखा है । मंत्रिमण्डल ने मूल्य 100 रूपये से भी अधिक बढ़ा दिये हैं जो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंषित मूल्य से भी अधिक है क्योंकि हम जानते थे कि ऐसा करने की आवश्यकता है । मैं जानता हूँ कि जब मूल्य स्तर से नीचे गिरते हैं तो पीड़ा होती है। परन्तु जो कुछ भी किया जाता है वह उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने जिस बारे में कहा है, मैं कहूंगा कि दोनों स्थितियों में लाभ प्राप्त होगा। बीज आधारित या पेड़ आधारित होने से कोई अधिक अंतर नहीं पड़ता है । परन्तु हम कुछ और प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात नारियल गिरी बेचने के लिये हमें अन्य माध्यम तलाशने चाहिये ।हमें इससे उप-उत्पाद बनाने चाहिये । हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं । दूसरे, हम अधिक खर्च कर रहे हैं। हम गिरी के विकास के लिये 20 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं।

अध्यक्ष के लिये हमने पहले ही एक उपयुक्त व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर दी है । संबंधित फाइल ए.सी.सी. के पास है। यदि शीघ्र सहमति हो जाती है, तो उक्त नियुक्ति कर दी जाएगी ।

श्री पी. सी. थामस : हम नारियल से कुछ अन्य आवश्यकताएं भी पूरी करने पर बल देते रहे हैं। नारियल का मीठा पानी अति स्वादिष्ट होता है और इसे भली-भान्ति संसाधित करके बेचा जा सकता है । यह* कोका कोला या पेपसी कोला से भी अच्छा हो सकता है

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री पी. सी. थामस : नारियल विकास बोर्ड इस संबंध में कोई उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों को तकनीकी सहसयता देने के लिए नारियल विकास बोर्ड की कुछ योजनाएं हैं। परन्तु जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है,यह बोर्ड बिल्कुल शक्तिहीन है। इसी ढंग से यह कार्य कर रहा है । उक्त बोर्ड में कोई किसान नहीं है, उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने नारियल में पैसा लगाया है। अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में जैसाकि उन्होंने पहले ही कहा है . . . .

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो जायेगा और आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री पी. सी. थामस : क्या माननीय मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे और कोई अनुकूल उत्तर देंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से पूछा गया है और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। हम कृषि आयोग के माध्यम से सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। यह इसी लिये है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

उचित दर की दुकानों को सप्लाई

*** 24. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैसा जमा कराने के बाद भी विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उचित दर की दुकानों पर समय पर गेहूं और अन्य खाद्य वस्तुएं नहीं पहुंचती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) ईस संबंध में केन्द्रीय सरकार को 1994 में आज तक गिनती शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) सरकार ने जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ). भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए मासिक आबंटनों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके नामितों को गेहूं, चावल और चीनी की आपूर्ति करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके नामितों द्वारा अनाज/चीनी का मूल्य जमा कर देने के बाद, भारतीय खाद्य निगम की ओर से अपने डिपुओं से उन्हें स्टॉक निर्मुक्त करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। उचित दर की दुकानों तक खाद्यान्नों का आन्तरिक वितरण करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की होती है।

चावल, गेहूं और चीनी (जहाँ भारतीय खाद्य निगम राज्यों को चीनी की सुपुर्दगी करने के लिए ज़िम्मेदार है) की विलम्ब से सुपुर्दगी/जारी करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए परिचालन सम्बन्धी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की होती है।

प्राकृतिक आपदाएं

***26. श्री लाल बाबू राय :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है जहां चक्रवात, बाढ़, भारी वर्षा तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं प्रायः आती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार कितने व्यक्तियों की जानें गईं और फसल तथा पशुधन का अनुमानतः कितना नुकसान हुआ ;

(घ) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई तथा वस्तुतः कितनी सहायता दी गई ;

(ङ) केन्द्रीय दल/दलों द्वारा इस संबंध में किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया गया ;

(च) इसके उपरान्त क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ; और

(छ) प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने हेतु विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (छ). अध्ययनों और सर्वेक्षणों के आधार पर 4 राज्यों में 13 तटवर्ती जिलों की समुद्री तूफान प्रवण के रूप में, 13 राज्यों के 96 जिलों में 627 ब्लाकों की सूखा प्रवण के रूप में तथा 21 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 40.00 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की बाढ़ प्रवण के रूप में शिनाख्त की गई है।

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों के आधार पर ओलावृष्टि, भारी वर्षा तथा बाढ़ से चालू वर्ष के दौरान अब तक 598 लोगों की जानें गई हैं, 24,000 पशु मारे गए हैं और 5.82 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है।

राहत खर्च के लिए वित्तीय संबंधी मौजूदा स्कीम के अन्तर्गत, राज्य सरकारें आपदा राहत कोष से आबंटित वार्षिक निधि का प्रयोग करके, राहत कार्य करती हैं। आपदा राहत कोष में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 3:1 के अनुपात में होता है। आपदा राहत कोष में से केन्द्र का अंश 4 समान त्रैमासिक किश्तों में दिया जाता है। सभी राज्य सरकारों को वर्तमान वर्ष की पहली और दूसरी किश्तें दे दी गई हैं। गुजरात सरकार के अनुरोध पर आपदा राहत कोष की 31.87 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किश्तें 13.6.1994 को अग्रिम तौर पर दी गई थी। चौथी किश्त भी देने की सिफारिश की गई है। कर्नाटक राज्य सरकार से बाढ़ राहत कार्यों के लिए 25.00 करोड़ रुपए की सहायता के लिए प्राप्त अनुरोध पर आपदा राहत कोष की 5.0625 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त 20.7.1994 को दी गई है। हिमाचल प्रदेश, केरल तथा मध्य प्रदेश को उनकी राज्य सरकारों के अनुरोध पर क्रमशः 3.375 करोड़ रुपए, 5.8125 करोड़ रुपए तथा 6.9375 करोड़ रुपए की आपदा राहत कोष की तीसरी किश्त दिए जाने की सिफारिश की गई है।

वर्ष के दौरान केन्द्रीय दल ने किसी राज्य का दौरा नहीं किया। तथापि, केन्द्रीय मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित राज्यों-गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का दौरा किया है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, बाढ़ की पूर्वसूचना तथा चेतावनी नेटवर्क, तूफान का पता लगाने वाला रैडार तथा नुकसान की चेतावनी देने की प्रणाली शामिल हैं। नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में एकीकृत पनधारा प्रबन्ध, वर्षा

सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना तथा परती भूमि विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें भी सूखे तथा बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद करती है।

नकली बीज और कीटनाशक

* **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को "मार्कफेड" प्रमाणीकरण के अन्तर्गत नकली बीज और कीटनाशक बेचे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को घटिया किस्म के कृषि आदानों की बिक्री रोकने हेतु एक केन्द्रीय तन्त्र की स्थापना करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) बीज और कीटनाशक "मार्कफेड" द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यधीन नहीं है। कर्नाटक राज्य में "मार्कफेड" द्वारा विपणन किए जा रहे मालाथियन 5 प्रतिशत डी पी के 6 सैम्पल गलत ब्रांड के पाये जाने की सूचना मिली है। सभी मामलों में, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) से (ङ) बीजों के गुणवत्ता नियंत्रण और विनियमन के लिए केन्द्रीय बीज समिति और केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के रूप में केन्द्रीय तंत्र पहले से ही मौजूद/कार्यरत है। इसी प्रकार, फरीदाबाद में केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला स्थित है जिसके निरीक्षण कर्मचारीगण गुणवत्ता के सुस्पष्ट परीक्षण में राज्य तंत्र को अपना सहयोग देते हैं और मिलावट करने में लिप्त अपराधियों को पकड़ने में भी सहायता करते हैं तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार उन पर मुकदमा चलाते हैं। उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला अपने उन निरीक्षण कर्मचारीगण सहित कार्यरत है जो निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण और विनियमन में राज्य तंत्र को सहयोग देते हैं। ट्रैक्टर, थ्रैशर आदि जैसे बड़े यंत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बुदनी में बी आई एस तथा केन्द्रीय क्षेत्रीय फार्म यंत्र और प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान जैसे अभिकरण कार्यरत हैं। और छोटे यंत्र की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर की तकनीकी/प्रौद्योगिकी समिति मौजूद है तथा कोई आशंका होने पर बुदनी की केन्द्रीय संस्थान का सहयोग लिया जाता है। कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न वैधानिक प्रावधान अधिनियमित किए गए हैं।

खाद्यान्नों का उत्पादन

*** 28. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की दर में वृद्धि होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का खाद्यान्न-वार कितना-कितना अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वर्ष के अन्त तक कितना-कितना उत्पादन होने की संभावना है ; और

(घ) खाद्यान्न के अधिक उत्पादन के उपयुक्त भंडारण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). कुछ प्रमुख राज्यों से 1993-94 के खाद्यान्न के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1993-94 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में सम्भावित वृद्धि दर 1992-93 के मुकाबले में 1.3 प्रतिशत है जबकि 1991-92 के मुकाबले 1992-93 में यह प्रतिशत 6.9 था।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए विभिन्न खाद्यान्न फसलों के लक्ष्य निम्नलिखित हैं : -

फसलें	लाखों में उत्पादन
चावल	78.5
गेहूं	58.5
मोटे अनाज	36.5
दालें	15.5
कुल खाद्यान्न	189.0

चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे अथवा नहीं, इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत कुछ आगामी महीने में होने वाली वर्षा और मौसम पर निर्भर करता है।

(घ) सरकार द्वारा खाद्यान्न के भण्डारण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

(1) आठवीं योजना के अन्तर्गत 6.62 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण गृह क्षमता का निर्माण करने की योजना है।

(2) प्राप्त हुए खाद्यान्न भंडारण के लिये सम्पूर्ण भारत में बड़ी मात्रा में भण्डार गृहों का किराए पर लिया जाना, जो न केवल बढ़े हुए उत्पादन के कारण बल्कि इसकी मांग भी कम होने के कारण है। भारतीय खाद्य निगम के कब्जे में जो किराए पर लिए गए भण्डार गृह है उनकी क्षमता 95.81 लाख मीट्रिक टन तक है।

(3) बढ़ी हुई खरीद को रखने के लिए कैप (कवर एण्ड टिलन्थ) नामक व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था की गई है। कैप व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान क्षमता 37.96 मीट्रिक टन है।

[हिन्दी]

भूमि की उर्वरता

*** 29. डा. साक्षीजी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के निरन्तर प्रयोग से देश में भूमि की उर्वरता कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत कमी हुई है ;

(ग) क्या भूमि को उर्वरता बढ़ाने के लिए सरकार की खाद आयात करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण भूमि की उर्वरता में किसी प्रकार की कमी होने का कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है।

(ग) और (घ) अन्य देशों से खाद आयात करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्टेडियमों का निर्माण

*** 30. श्री महेश कनोडिया :**

श्री राम कृपाल यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने चालू वर्ष के दौरान अपने-अपने राज्यों में स्टेडियमों का निर्माण करने तथा खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन स्टेडियमों तथा खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जाएगा तथा उन पर कितनी राशि व्यय होगी, और

(घ) प्रत्येक प्राप्त प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) यदि प्रस्ताव योजना के प्रावधानों के अनुरूप पाए गए तो ग्राह्य केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जा सकती है।

विवरण

राज्य का नाम	स्थान	प्रस्तावित संरचना का स्वरूप	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	खाममं जिला	बहु-उद्देशीय स्टेडियम	60.00 रु.	विस्तृत नक्शे हेतु 4.5.94 को पत्र लिखा गया।
	नालगोंडा जिला	इंडोर स्टेडियम	56.50	आवेदन प्रपत्र ठीक तरह से नहीं भरा था, नक्शा पूरा नहीं है, जिमनाजियम हाल का आकार और भारोत्तोलन हाल भी ठीक नहीं है इत्यादि। कमियों के बारे में 4.7.94 को सूचित कर दिया गया।

1	2	3	4	5
	नारसनापेटा श्रीकाकुलम जिला	इंडोर स्टेडियम	40.00	प्रक्रियाधीन
असम	सिल्चर कच्छार जिला	जिला स्तर खेल परिसर	112.22	प्रक्रियाधीन
दिल्ली	नई दिल्ली	आउटडोर स्टेडियम	25.16	प्रक्रियाधीन
गुजरात	राजपीपली भरूच जिला	आउटडोर स्टेडियम	21.29	प्रक्रियाधीन
हरियाणा	सूई भिवानी जिला	आउटडोर स्टेडियम	3.19	प्रक्रियाधीन
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर जिला	इंडोर स्टेडियम	82.50	प्रक्रियाधीन
कर्नाटक	हासपेट बेल्लारी जिला	ताल्लुक स्टेडियम	21.08	प्रायोजक ने हमारी औपचारिक स्वीकृत प्राप्त करने से पहले ही अपना हिस्सा ख़र्च कर दिया। इसके अतिरिक्त सहायता चारदीवारी के लिए मांगी गई जो योजना के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है। अतः राज्य सरकार से 15.7.94 को प्रस्ताव की समीक्षा के लिए कहा गया है।
	हरपन्नाहाली बेलारी जिला	ताल्लुक स्टेडियम	24.45	प्रक्रियाधीन
	बागलकोट बीजापुर जिला	इंडोर स्टेडियम	45.94	प्रक्रियाधीन
	हावेरी, धारवाड़ जिला	ताल्लुका स्टेडियम	35.00	प्रक्रियाधीन
	कारवार, जिला उत्तरी कन्नड़	इंडोर स्टेडियम	106.00	हाल की ऊंचाई उचित नहीं, स्थल नक्शा नहीं भेजा, गैलरी की लागत समाप्त की जानी चाहिए आदि। 5.7.94 को इन कमियों से अवगत कराया गया था।
	हलीयाल, जिला उत्तरी कन्नड़	तालुका स्टेडियम	26.58	प्रक्रियाधीन
केरल	कोचिन, जिला इर्नाकुलम	इन्टरनेशनल स्टेडियम	7227.00	स्पष्टीकरण मई जून में मांगा गया है कि क्या राज्य सरकार जिला स्तरीय खेल परिसर या राज्य स्तरीय प्रशिक्षण परिसर के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करना चाहेगी। राज्य सरकार से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
	कसरगढ़ जिला	ओपन स्टेडियम	13.15	प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है।

1	2	3	4	5
	मीनाछील तालुक जिला कोट्टायन	खेल परिसर	40.00	प्रक्रियाधीन
	कूटमकारा गांव	मिनी स्टेडियम	26.62	प्रक्रियाधीन
महाराष्ट्र	पुणे जिला	इंडोर स्टेडियम	35.00	ड्राइंग/अनुमानों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, हाल का आकार उचित नहीं और सागौन की लकड़ी का फर्श बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। 13.4.94 को कमियों से अवगत करा दिया गया है।
	अराले, जिला सतारा	बहु-उद्देशीय खेल हाल	24.21	भेजे गए नक्शे स्पष्ट नहीं है तथा बहुउद्देशीय हाल का आयाम नहीं दर्शाया गया। स्थल नक्शा भी नहीं भेजा गया। 5.7.94 को कमियों से अवगत करा दिया गया है।
राजस्थान	राजलडेसर, जिला चुरू	आउटडोर स्टेडियम	26.84	प्रक्रियाधीन
	हनुमानगढ़, जिला गंगानगर	आउटडोर स्टेडियम	4.49	प्रक्रियाधीन
	उदयपुर जिला	इंडोर स्टेडियम	14.33	प्रक्रियाधीन
	उदयपुर जिला	इंडोर स्टेडियम	9.90	प्रक्रियाधीन
तमिलनाडु	नागर-कोइल जिला कन्याकुमारी	इंडोर स्टेडियम	16.00	प्रक्रियाधीन
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद जिला	इंडोर स्टेडियम	32.27	प्रक्रियाधीन

[अनुवाद]

वैगनों के क्रयादेश

31. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री सुदर्शन राय चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में स्थित वैगन निर्माण एकक को क्रयादेश देने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या क्रयादेशों के अभाव में ये एकक बंद होने की स्थिति में आ गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के वैगन निर्माण एककों को ऐसे क्रयादेश देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलमंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चार पहियों वाले 7600 वैगनों के आदेश वैगन उद्योग को दे दिये गए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के चार पहियों वाली औद्योगिक इकाइयों को जारी 5217.5 वैगन शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम

***32. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

श्री डी.वेंकटेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''यूनेस्को'' तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में सरकार की सहायता कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत, चालू वर्ष के दौरान, राज्यवार, किन-किन जिलों को शामिल करने का विचार है ;

(ग) क्या यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त राज्य में जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख). बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तपोषित अभिकरणों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, यूरोपियन समुदाय और ब्रिटेन की समुद्रपारीय विकास अभिकरण ने जनपदीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में धन लगाने में दिलचस्पी व्यक्त की है। यूरोपीय समुदाय पहले ही कार्यक्रम के लिए, यूरोपीय संयुक्त संघ की तरफ से 150 मिलियन (लगभग 585.00 करोड़ रुपए) की सहायता देने का वायदा कर चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 260 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता के लिए वार्ता अन्तिम दौर में हैं।

चालू वर्ष के दौरान सात राज्यों में 42 जनपदों उस कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव है। ये जिले हैं :

1.	असम	(1) दारांग (2) धुबरी (3) कारबी-आनंगलोंग (धमोरी गांव)
2.	हरियाणा	(1) हिसार (2) जींद (3) कैथल (4) सिरसा
3.	कर्नाटक	(1) बेलगांव (2) कोलार (3) माण्ड्या (4) रायचूर
4.	केरल	(1) कासरगोड (2) वेनाड (3) मालापुरम
5.	महाराष्ट्र	(1) औरंगाबाद (2) लातूर (3) नांदेड़ (4) उस्मानाबाद (5) परभनी।

6.	मध्य प्रदेश	(1) रायसेन (2) मंदसौर (3) सतना (4) रतलाम (5) टीकमगढ़ (6) गुना (7) पन्ना (8) राजगढ़ (9) घाट (10) राजनादगांव (11) रीवा (12) बेतूल (13) सिहोर (14) छतरपुर (15) सीधी (16) शहडोल (17) रायगढ़ (18) सरगुजा (19) बिलासपुर।
7.	तमिलनाडु	(1) धरमपुरी (2) साउथ आरकाट (3) तिरूवन्नामलाई साम्बूवारया।

(ग) और (घ) इसकी व्याप्ति एवं विस्तार बाहरी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ओ डी ए ने आंध्र प्रदेश के 3 से 5 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसी एक परियोजना चलाने के लिए धन लगाने में रूचि दर्शायी है।

पर्यावरण प्रभाव संबंधी अधिसूचना

***33. श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण प्रभाव के आंकलन के संबंध में इस वर्ष के प्रारम्भ में जारी अधिसूचना में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को इन संशोधनों का अधिसूचना के मूल उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की जानकारी है ;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त संशोधनों के संबंध में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन से परामर्श किया है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संशोधन में निम्न बातें जोड़ी गई हैं ;

(1) छोटे खनिजों का हटाना;

(2) जिन राष्ट्रीय मार्ग परियोजनाओं की पूंजी लागत 50 करोड़ रुपए से कम है; उनको हटाना ;

(3) उन परियोजनाओं को जिनका सम्भवतः कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा, विशेषज्ञ समिति की परिधि के बाहर पर्यावरणीय आकलन की अनुमति देना।

(4) जहां आवश्यक हो वहां जनता की सहभागिता उपलब्ध कराना।

विभिन्न सरकारी विभागों के विचार सम्मिलित करने और समय-सीमा के अन्दर शीघ्र निर्णय लेने के लिए, अधिसूचना की मूल भावना में परिवर्तन किए बिना ही वे संशोधन किए गए थे।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय उद्यानों में अवैध शिकार

***34. श्री राम विलास पासवान :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में निरंतर अवैध शिकार जारी है ;

(ख) 1991 और 1992 की तुलना में इन राष्ट्रीय उद्यानों में 1993 के अंत तक जानवरों की संख्या में कितनी कमी आई है ;

(ग) जानवरों के अवैध शिकार में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या अवैध शिकार को रोकने हेतु किए गए उपायों में कमी का पता लगाने और उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु कोई समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्य सरकारों द्वारा यह बताया गया है कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में चोरी छिपे शिकार के मामले अक्सर होते रहते हैं। फिर भी ऐसे मामलों पर पूरा नियंत्रण रखा जाता है।

(ख) सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में सभी जानवरों की गिनती विशेष क्षेत्रों में वार्षिक न करके 4-5 वर्ष के अंतराल में सांविधिक रूप से की जाती है। तथापि यथासंभव उपलब्ध सूचना राज्य सरकारों से मंगाई जा रही है।

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में चोरी से शिकार करने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था राज्य सरकारें जो अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पड़ने वाले चोरी छिपे शिकार करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पता लगाए गए मामलों में भी नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(घ) और (ङ) चोरी छिपे शिकार को रोकने के लिए किए गए उपायों की समय समय पर समीक्षा की जाती है। इस संबंध में संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चोरी छिपे शिकार को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं : -

1. वन्य जीव अपराधियों को कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया जाता है।

2. चोरी छिपे शिकार विरोधी व्यवस्था और अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

3. तस्करों और चोरी छिपे शिकार करने वालों के संगठित समूहों को समाप्त करने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और सीमा शुल्क पुलिस आदि का सहयोग लिया जाता है। भारत वन्यजीव एवं वनस्पतियों की दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सम्मेलन का सदस्य है जो दुर्लभ वन्य प्रजातियों के व्यापार को विनियमित करता है।

4. चोरी छिपे वन्य जीवों का शिकार करने वाले और तस्करों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार देने की एक योजना शुरू की है।

5. बाघों के चोरी छिपे शिकार को रोकने और नियंत्रण उपायों पर सलाह देने के लिए एक बाघ संकट सेल (टाइगर क्राइसिस सेल) स्थापित किया गया है।

6. वन्य जीवों के इनसे बने उत्पादों की चोरी छिपे शिकार करने तस्करी के रोकने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई गई है।

7. वन्य जीवों के महत्व तथा उनकी आवश्यकता के बारे में जनता को शिक्षित करने और उनमें जागरूकता लाने के लिए समान्चार साधनों की सहायता ली जा रही है।

8. वन्य जीव उत्पादों का पता लगाने के लिए पारसलों और पैकेटों की जांच करने के लिए डाक तथा सीमा शुल्क अधिकारियों से सहयोग लिया गया है।

9. बाघों के अंगों और इससे बनी गई वस्तुओं के गैर-कानूनी व्यापार को नियंत्रित करने और बाघों को बचाने को सुनिश्चित करने के लिए "टाइगर रेंज" देशों की पहली बैठक बुलाई गई है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

***35. कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) तेलहनों संबंधी समेकित नीति के अन्तर्गत खाद्य तेलों/तेलहनों में बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रम शुरू करने के लिए एकीकृत नीति के अन्तर्गत अप्रैल 1989 से बाजार हस्तक्षेप अभिकरण के रूप में एकीकृत नीति के अन्तर्गत अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय दुग्ध उत्पाद विकास बोर्ड को अप्रैल 1989 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया गया था। बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रमों में एन डी डी बी ने 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार 24.2.82 करोड़ रुपए की हानि बताई है। अभी तक सरकार ने 10.56 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति कर दी है। एन डी डी बी ने बताया है कि शेष हानि की प्रतिपूर्ति जब तक नहीं हो जाती, तब तक इसे भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहेगा क्योंकि इसने अपना धन गैर

प्रतिपूर्ति हानि और उस पर देय ब्याज के लिये लगा दिया है। जब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक एन डी डी बी को हानि की आंशिक पूर्ति करने के लिये 20 प्रतिशत को रियायती शुल्क पर 50,000 टन पामोलिन आयात करने की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य

***36. श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 की खरीफ और रबी मौसम के लिए वाणिज्यिक फसलों, तिलहन और दालों सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के वर्तमान समर्थन मूल्यों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या 1994-95 में इन समर्थन मूल्यों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग). 1993-94 की खरीफ और रबी फसलों तथा 1994-95 के खरीफ मौसम की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। 1994-95 मौसम की रबी फसलों के लिए मूल्य नीति सम्बन्धी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। 1994-95 मौसम की खरीफ फसलों के सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(फसल वर्ष के अनुसार)

(रुपए प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
(क)	**खरीफ फसलें**			
1.	धान	सामान्य	310	340
		उत्तम	330	360
		सर्वोत्तम	350	380

1	2	3	4	5
2.	ज्वार	उचित औसत किस्म	260	280
3.	बाजरा	उचित औसत किस्म	260	280
4.	मक्का	उचित औसत किस्म	265	290
5.	रागी	उचित औसत किस्म	260	280
6.	अरहर	उचित औसत किस्म	700	760
7.	मूंग	उचित औसत किस्म	700	760
8.	उड़द	उचित औसत किस्म	700	760
9.	कपास	एफ-414/एच-777	900	1000
		एच-4	1050	1200
10.	मूंगफली (छिलका)	उचित औसत किस्म	800	860
11.	सूरजमुखी बीज	उचित औसत किस्म	850	900
12.	सोयाबीन	काला	525	570
		पीला	580	650
13.	तम्बाकू (रुपए/कि.ग्रा.)	वी.एफ.सी.एफ. 2*	18.00	18.50
		एल.-2 +	20.00	21.00
(ख) **रबी फसलें**				
14.	गेहूं	उचित औसत किस्म	350	
15.	जौ	उचित औसत किस्म	275	
16.	चना	उचित औसत किस्म	640	
17.	तोरिया/सरसों	उचित औसत किस्म	810	
18.	कुसुम	उचित औसत किस्म	760	
(ग) **अन्य फसलें**				
19.	गन्ना **	उचित औसत किस्म	34.50	37.00
20.	जूट	टी.डी.-5 ग्रेड	450	470
21.	तोरिया	उचित औसत किस्म	780	
22.	कोपरा	उचित औसत किस्म	2350 ++	2350 ++
		बाल उचित औसत किस्म	2350 ++	2575 ++

** ये मूल्य उक्त स्तर से ऊपर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम पर 8.5 प्रतिशत की मूलभूत वसूली से सम्बद्ध होते हैं।

* काली मृदा

+ हल्की मृदा

++ कलैण्डर वर्ष 1993 और 1994

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण योजना

*** 37. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्योगों से हो रही पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विश्व बैंक द्वारा इस प्रयोजनार्थ भारत को कितना ऋण दिया जा रहा है तथा इसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि का योगदान दिया जायेगा ; और

(घ) सरकार का किन-किन राज्यों में यह योजना प्रारम्भ करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। औद्योगिक प्रदूषण के कारण होने वाले पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने के लिए सरकार के पास एक कार्य योजना है ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण - I संलग्न है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चरण-1 1997 में पूरी हो जाएगी। परियोजना का दूसरा चरण 1994 से 2001 तक कार्यान्वित किया जाएगा। ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण -II संलग्न है।

विवरण - I

(क) और (ख) उद्योगों से होने वाले पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने के लिए कार्य योजना में शामिल हैं : -

(1) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 अभिनिर्धारित श्रेणियों के सभी यूनिटों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(2) देश में अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का पता लगाना और केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड व सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के परामर्श से कार्य योजनाएं तैयार करना तथा इन कार्य योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करना।

(3) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत न्यूनतम उत्सर्जन और बहिस्राव मानक निर्धारित करना ; उद्योगों द्वारा अनुपालन की निगरानी करना तथा जहां उल्लंघन हो रहा है, वहां उपयुक्त स्तर पर कानूनी कार्रवाई करना ;

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(5) छोटे पैमाने के उद्योगों के समूहों के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना।

(6) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत उद्योगों की प्रमुख प्रदूषण श्रेणियों के लिए पानी की खपत संबंधी मानक अभिसूचित करना।

(7) प्रस्तावित अधिक व्यापक पर्यावरणीय संपरीक्षा के लिए प्रथम कदम के रूप में उद्योगों से एक वार्षिक पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करने को कहना।

विवरण - II

(ग) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चरण-1 के लिए 155.6 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता मिली थी और 108 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिरूप निधियां केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राज्य सरकारों और आई डी बी आई तथा आई सी आई सी आई द्वारा मुहैया की जानी हैं। इस परियोजना को जून, 1991 में कार्यान्वित किया गया और यह 1997 में पूरी हो जाएगी।

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण निवारण परियोजना का दूसरा चरण, जिसको नवम्बर, 1994 से 2001 तक कार्यान्वित किया जाएगा, को विश्व बैंक से 168 मीलियन अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त है और 162 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिरूप निधि केन्द्र सरकार, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राज्य सरकारों और आई डी बी आई और आई सी आई सी आई द्वारा मुहैया की जाएगी।

(घ) विश्व बैंक 1 और 2 परियोजनाओं के तहत एक घटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने के लिए हैं। विश्व बैंक परियोजना चरण-1 के तहत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने का काम हाथ में लिया गया और चरण-2 में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चुना गया है। सहायता का अधिकांश भाग प्रदूषण नियंत्रण/निवारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए देश में औद्योगिक इकाइयों को ऋण के रूप में दिया जाता है।

टिकटों की बिक्री का कार्य गैर-सरकारी पार्टियों को देना

***38. श्री हरि केवल प्रसाद :**

श्री वी.धनंजय कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बड़े रेलवे स्टेशनों के रख-रखाव का कार्य और इससे जुड़े क्रिया कलाप गैर-सरकारी पार्टियों को सौंपने का है ;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश और बिहार में टिकटों की बिक्री का कार्य भी गैर-सरकारी पार्टियों को देने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है ;

(घ) क्या इस कार्य के लिए गैर-सरकारी पार्टियां नियुक्त करने से संबंधित शर्तों और टिकटों पर कमीशन के माध्यम से पारिश्रमिक देने के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ़) : (क) से (ङ). स्टेशनों का बेहतर सौन्दर्यवर्द्धन/अनुरक्षण करने और वाणिज्य विज्ञापन से राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों को सलाह दी गयी है कि स्टेशनों की पहचान की जाए और इच्छुक पार्टियों के साथ ठेके किए जाएं। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं : -

(1) ठेका सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) लाइसेंसधारी को सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्टेशन पर निर्धारित संख्या में वाणिज्यिक विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए एकमात्र अधिकार दिया जाएगा।

(3) लाइसेंसधारी प्लेटफार्म/छत, मुख्य इस्पात, टिकट खिड़की क्षेत्र आदि का रंग-रोगन करके स्टेशन का सौन्दर्यवर्द्धन करेगा।

(4) लाइसेंसधारी रेलों द्वारा यथा निर्धारित एक मुश्त शुल्क का भुगतान करेगा।

(5) लाइसेंसधारी करार की शर्तों को यथोचित और संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए रेलों द्वारा यथा निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप रखेगा।

उत्तर प्रदेश और बिहार में निजी पार्टियों को टिकटों की बिक्री का काम सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं।

[अनुवाद]

आधुनिक बूचड़खाने

***39. श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के विभिन्न भागों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों/अन्य स्रोतों के सहयोग से आधुनिक बूचड़खाने खोलने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश में पशु और मुर्गी फार्मों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से आधुनिक बूचड़खाने स्थापित करने की सरकार की कोई योजना नहीं हैं।

कृषि मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है : -

* देश में स्थित बूचड़खानों के आधुनिकीकरण/सुधार के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना ; और

* निर्यातोन्मुख पशुधन उत्पाद इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी एवं मूलभूत ढांचे के विकास हेतु एक केन्द्रीय सेक्टर योजना।

(ग) और (घ) पशु फार्म एवं मुर्गी फार्म स्थापित करने के लिए परियोजनाओं में विदेशी निवेश हेतु जब कभी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो उन पर गुण-दोष आधार पर विचार किया जाता है।

खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र संबंधी केन्द्र

***40. श्री मोहन रावले :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्तर्गत खेल कूद परियोजना विकास क्षेत्र संबंधी योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अभी तक स्वीकृत किए गए तथा खोले गए केन्द्रों की संख्या कितनी है और ये केन्द्र कहां-कहां हैं ;

(ग) इस योजना से ग्रामीण बच्चों को खेलकूद की कितनी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हुई हैं ;

(घ) क्या 1994-95 में ऐसे कुछ और केन्द्र खोले जाएंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र (एस पी डी ए) योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं : -

(एक) खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच अधिक सहयोग को सुनिश्चित करना।

(दो) स्थानीय और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को (राष्ट्रीय स्तर के समान) अवसर प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्रतिभा छोटी अवस्था में ही छुपी और उपेक्षित न रह जाए।

(तीन) विद्यमान अथवा भविष्य में सृजित की जाने वाली खेलकूद सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाना।

देखा गया है कि बहुत से मामलों में विद्यमान सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(चार) खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र खोलने हेतु पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर खेलकूद के विकास में विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करना।

(पांच) लाभ को सीधे निचले स्तर तक पहुंचाना।

(छह) केन्द्र और राज्य सरकारों की खेलकूद के विकास संबंधी योजनाओं में अधिक एकीकरण। इनको आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अपेक्षा साथ-साथ अथवा एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करना चाहिए। निचले स्तर पर कार्य के दोहराव से भी बचा जाना चाहिए।

(सात) राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता के समान वितरण को सुनिश्चित करना।

(ख) 43 खेलकूद परियोजना विकास क्षेत्र (एस पी डी ए) केन्द्र मंजूर किए गए हैं जिसमें से 34 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन 43 केन्द्रों के स्थान नीचे दिए गए हैं :

राज्य का नाम	एस पी डी केन्द्रों की संख्या	स्थान
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	3	निजामाबाद
		कर्नूल
		एलुरू
असम	1	गोलाघाट
बिहार	3	गुमला
		रांची
		पूर्णिया
गोआ	1	पोंडा
गुजरात	3	पाटण
		देवगढ़ बरिया
		राजकोट
हरियाणा	1	कुरूक्षेत्र
हिमाचल प्रदेश	1	धर्मशाला
जम्मू एवं कश्मीर	1	ऊधमपुर
कर्नाटक	2	धारवाड़
		माडीकेरे
केरल	2	क्वीलॉन
		त्रिस्सूर
मध्य प्रदेश	4	जबलपुर
		धार
		सिहोर
		रायपुर

1	2	3
महाराष्ट्र	4	बुल्डाना
		नानदेड़
		नासिक
		शोलापुर
नागालैंड	1	दीमापुर
उड़ीसा	2	ढेनकनाल
		फुलबनी
पंजाब	2	लुधियाना
		पटियाला
राजस्थान	3	जोधपुर
		अजमेर
		चित्तौड़गढ़
तमिलनाडु	2	नागरकोइल
		सालेम
उत्तर प्रदेश	3	काशीपुर
		रायबरेली
		सफई (इटावा)
पश्चिम बंगाल	2	बर्दवान
		लेबांग
चण्डीगढ़	1	चण्डीगढ़
मेघालय	1	शिलांग

(ग) प्रत्येक एस पी डी ए केन्द्र के अन्तर्गत 80 से 100 प्रखण्डों को शामिल किया गया है। कुल 787 प्रतिभाशाली बच्चों को, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले बच्चों को, विभिन्न केन्द्रों में भर्ती किया गया, जहां उनको चुने हुए खेलकूद की विधाओं में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1994-95 में चार केन्द्र अर्थात् सफई (उत्तर प्रदेश), दीमापुर, (नागालैण्ड), फुलबनी (उड़ीसा) और चण्डीगढ़ में स्थापित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी शिक्षा

224. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूल और कॉलेज स्तर के कार्यक्रमों पर संसाधन प्रशिक्षण प्रबंध और पर्यावरणीय प्रबंध की समीक्षा के लिए किसी समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरणीय शिक्षा पर कोई कार्य योजना बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने दिनांक 4 मई, 1993 के आदेश संख्या एफ-23012/36/92-जी सी (पी एल) के तहत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध और प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंध के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति को देश में मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए निम्नलिखित कार्य करने हैं : -

(1) उद्यमों/परियोजनाओं में संसाधन-प्रबंध का प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें पर्यावरणीय अवधारणाओं की ओर मोड़ा जा सके।

(2) प्रदूषण नियंत्रक और पर्यावरणीय प्रबंध के विशिष्ट क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण देना ; और

(3) अध्यापकों का प्रशिक्षण सहित स्कूल स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा।

(ग) और (घ) 1988-89 से "विद्यालय शिक्षा में पर्यावरणीय स्थिति" नामक एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम चल रही है। इस स्कीम का उद्देश्य स्थानीय पर्यावरणीय दशाओं सहित विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रमों का एकीकरण करना है। आठवीं योजना के दौरान सैकण्डरी और वरिष्ठ स्तरों में पर्यावरणीय संकल्पना को शामिल करने की दृष्टि से विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए इस स्कीम के क्षेत्र को बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने विद्यालय शिक्षण के समान स्तरों में पर्यावरणीय शिक्षा आयामों को लागू करने के लिए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया है। पर्यावरणीय शिक्षा के मूल तत्वों को आरंभ करने के लिए अभिकल्पित विषयों को कक्षा 5 तक के पर्यावरणीय अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है जबकि अपर प्राइमरी, सैकेण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी स्तरों पर विज्ञान और अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न पर्यावरणीय संकल्पनाओं, गतिविधियों

आदि को शामिल किया गया है। उच्चतर स्तरों में पाठ्यक्रम अभिकल्पन और पाठ्यक्रम का निर्धारण विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है और वे इस संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रम को नया रूप देने और संस्थागत पाठ्यक्रम एवं अन्य उन्नत पर्यावरणीय मापदण्डों के संघटक के तौर पर पर्यावरणीय शिक्षा आरम्भ करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

जयपुर में वैतरणी तीर्थ

225. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के कटक जिले में जयपुर शहर में "वैतरणी तीर्थ" को तीर्थ केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पालघाट में राजधानी एक्सप्रेस के रूकने की व्यवस्था करना।

226. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पायलाट में राजधानी एक्सप्रेस के रूकने की व्यवस्था करने के लिए केरल के मालाबार क्षेत्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गयी लेकिन इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

गाय नस्ल सुधार

227. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाय और भैंस की विभिन्न नस्लों के विकास के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान गाय और भैंस की नस्ल सुधार केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि का नियतन किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सरकार ने गाय तथा भैंस के सुधार के लिए निम्नलिखित केन्द्र द्वारा व्यवस्थित तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं प्रारंभ की है : -

1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा सन्तति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार (केन्द्रीय प्रायोजित)
2. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित)
3. केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन (केन्द्र द्वारा व्यवस्थित)

जहां तक उपर्युक्त (1) तथा (2) का प्रश्न है इन योजनाओं को राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव पर निर्भर करते हुए और उनके स्वीकार्य मानकों के अनुरूप पाए जाने पर ही स्वीकृत किया जाता है। जहां तक (3) योजना का प्रश्न है यह आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में चल रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इसका कोई राज्यवार आंबटन नहीं है। तथापि राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर किसी वर्ष विशेष के दौरान निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

आठवीं योजना में ''हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा सन्तति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार'', ''राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम'' तथा ''केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन'' के लिए क्रमशः 19.75 करोड़ रुपये, 19.84 करोड़ रुपये तथा 19.75 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

विवरण

1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गाय तथा भैंस प्रजनन केन्द्रों को

प्रदान की गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

		1993-94	1994-95
क.	**केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन**		
	1) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म	487 लाख रुपए	553 लाख रुपए
	2) केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान	48 लाख रुपए	76 लाख रुपए

ख. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा सन्तति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त धनराशि	
		1993-94	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.00	-
2.	दिल्ली	7.85	-
3.	गुजरात	1.195	-
4.	हिमाचल प्रदेश	22.30	-
5.	जम्मू और कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	38.32	-
6.	जम्मू और कश्मीर (जम्मू क्षेत्र)	12.69	-
7.	कर्नाटक	30.88	-
8.	केरल	38.46	-
9.	हरियाणा	127.30	-
10.	महाराष्ट्र	11.64	74.05
11.	मेघालय	3.952	-
12.	उड़ीसा	2.22	-
13.	उत्तर प्रदेश	14.00	-
14.	पश्चिम बंगाल	84.00	-
ग. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम			
1.	अरूणाचल प्रदेश	8.4	-
2.	गुजरात	188.0	-
3.	हरियाणा	186.1	-
4.	उत्तर प्रदेश	33.0	
5.	दिल्ली	5.0	-

[अनुवाद]

जोनल रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां

228. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे में कौन-कौन सी तिथि को जोनल रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री तथा प्रखण्डीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया और इनका कार्यकाल कितना है ;

(ख) वर्तमान समितियों के सदस्य कौन-कौन है ;

(ग) सरकार ने ऐसी समितियों जिनका कार्यकाल 1994 के दौरान समाप्त हो रहा है, के पुनर्गठन के लिए क्या कार्रवाई की है ; और

(घ) 1993-94 के दौरान प्रत्येक जोनल समिति की कितनी-कितनी बैठकें हुईं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजघाट ताप विद्युतघर

229. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक दल ने दिसम्बर, 1993 में राजघाट ताप विद्युतघर की दो इकाइयों के स्टाक की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 31.12.93 को राजघाट ताप विद्युत स्टेशन की दो यूनिटों की चिमनियों की निगरानी की। यूनिट 1 और 2 से औसत उत्सर्जन 127 मि.ग्रा. प्रति एनएम ^{3} और 207 प्रति एनएम ^{3} पाया गया। यूनिट 2 से होने वाला उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुकूल नहीं था।

(ग) सरकार ने इस मामले को दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के साथ उठाया है और उनसे उत्सर्जन के स्तर को निर्धारित मानकों तक लाने को कहा है। दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम ने अपने चालू प्रयासों के एक भाग के रूप में स्रोत पर उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने टर्बाइन जनरेटर की मरम्मत कर ली है।

[हिन्दी]

इंदौर और भोपाल के बीच डी.एम.यू. रेलगाड़ी

230. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1994 से इंदौर और भोपाल के बीच डी.एम.यू. रेल सेवा आरंभ करने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को आरंभ करने में विलंब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सेवा कब तक आरंभ हो जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दक्षिण एक्सप्रेस में यात्री सुविधाएं

231. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हजरत निजामुद्दीन से विशाखापत्तनम जाने वाली तथा विशाखापत्तनम से हजरत निजामुद्दीन तक आने वाली दक्षिण एक्सप्रेस में अपर्याप्त यात्री सुविधाओं की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गाड़ी में कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 7021/7022 दक्षिण एक्सप्रेस में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी सुविधाएं मुहैया की गयी हैं।

ठाणे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रोका जाना

232. श्री राम कापसे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों से ठाणे स्टेशन की साफ-सफाई और रख-रखाव के संबंध में बेहतर स्थिति प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस स्टेशन पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को रोकने के संबंध में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) इस स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं पहले ही मुहैया करा दी गई हैं। ये सुविधाएं यातायात तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बढ़ायी जा रही हैं। सफाई रखने और रेल परिसरों के नियमित रख-रखाव के लिए यहाँ 21 सफाई वाले तैनात हैं। थाणे में अतिरिक्त मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की जांच की गई लेकिन परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

सुपर बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी

233. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री क्रमशः 11.4.1990, 2.1.1991, 14.8.1991 तथा 21.8.1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4428, 993, 3133 तथा 3678 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार की लघु शाखाओं में उन सभी किराना तथा उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में 3-4 वर्ष के पश्चात् भी कोई परिवर्तन नहीं आया है जो उसकी सामान-सूची में उल्लिखित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी सभी लघु शाखाओं में सुपर बाजार की सामान-सूची में उल्लिखित सभी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सुपर बाजार ने सूचित किया है कि समस्त शाखाओं में सभी वस्तुओं की उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए वस्तुएं प्राप्त करने की प्रणाली को अधिक व्यापक बनाया गया है, आपूर्ति व्यवस्था का विस्तार किया गया है और बारीकी से परिवीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

गुजरात में मत्स्य पालन

234. श्री एन.जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उसके बाद उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में चल रही प्रमुख योजनाओं में से कुछ निम्न प्रकार हैं :

(1) मीठे पानी में मत्स्य पालन

(2) समेकित खारापानी मत्स्य फार्म विकास

(3) छोटे बंदरगाहों में मत्स्यन सुविधाएं प्रदान करना

(4) पारम्परिक नौकाओं में मोटर लगाना(5) उच्च गति वाले डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति

(6) अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी

(7) मत्स्य विपणन के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता

(8) समूह दुर्घटना बीमा

(9) आदर्श मछुआरा गांवों की स्थापना

राज्य में 17 मछली पालक विकास एजेंसियां कार्यरत हैं जो पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 20,599 हैक्टेयर जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाने में सफल हुए हैं तथा इन्होंने मत्स्य पालन के विकसित तरीकों के बारे में लगभग 4868 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया है। समेकित खारा पानी मत्स्य फार्म विकास योजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान गुजरात के मटवाड़ क्षेत्र में खारा पानी मत्स्य पालकों के लिए एक प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किया गया। खारा पानी मछली पालक विकास एजेंसियों ने अभी तक झींगा

पालने के लिए लगभग 304 हैक्टेयर खारे पानी वाली भूमि का विकास किया है तथा 158 किसानों को प्रशिक्षित किया है। गुजरात में 1992-93 के दौरान मागोडूंगरी, धोलाई तथा चोरवाड़ में तीन मत्स्य अवतरण केन्द्रों को मंजूरी दी गई। 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सहायता से क्रमशः 11.43 करोड़ रुपये तथा 3.51 करोड़ रुपये की लागत से जखाऊ तथा मांगरोल में दो लघु मछली पत्तनों को मंजूरी दी गई है। 100 नौकाओं में मोटर लगाने के लिए मंजूरी दी गई है। अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी की योजना के अंतर्गत, तालाबों और टैंकों के तहत संसाधनों का अनुमान लगाने के लिए राज्य के तीन जिलों का सर्वेक्षण किया गया। राज्य ने जलाशयों के तहत संसाधनों के सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा अंतर्देशीय मत्स्य विपणन योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण शुरू किया गया है। राज्य में अभी तक तीन आदर्श मछुआरा गांवों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल 28000 सक्रिय मछुआरों का बीमा किया गया।

(ख) योजना	राज्य सरकार को निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपयों में)		
	1991-92	1992-93	1993-94
(1) मीठे पानी में मत्स्यन पालन	14.00	15.00	17.00
(2) समेकित खारापानी मत्स्य फार्म विकास	11.26	11.50	36.16
(3) छोटे बंदरगाहों में मत्स्यन सुविधाएं प्रदान करना	10.00	30.56	109.64
(4) पारम्परिक नौकाओं में मोटर लगाना	2.00	3.00	-
(5) उच्च गति वाले डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति	151.67	170.60	233.00
(6) अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी	2.00	2.26	2.18
(7) मत्स्य विपणन के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता	-	10.00	-
(8) समूह दुर्घटना बीमा	1.63	1.38	-
(9) आदर्श मछुआरा गांवों की स्थापना	7.00	-	-

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

235. श्री ललित उरांव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (जून, 1994 तक) के दौरान प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को दी गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है, और इन स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इन संगठनों द्वारा पेश किए गए उपयोग प्रमाण-पत्र के संबंध में विभाग द्वारा अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई हैं:

वर्ष	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	आबंटित राशि (रुपए)
1991-92	521	72,62,900
1992-93	1121	79,96,130
1993-94	1384	1,37,81,777
1994-95	56	36,91,605
(जून, 1994 तक)		

(ख) और (ग) जी, नहीं। संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को अगली बार निधियां बंटित किए जाने से पूर्व चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित व्यय विवरण के साथ-साथ उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होते हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में मात्स्यिकी परियोजनाएं

236. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से राज्य में विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित की जा रही मात्स्यिकी परियोजनाओं के संबंध में कोई सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के मीनद्वीप श्रिम्प फार्म घटक के बारे में विश्व बैंक मिशन के सुझावों को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, इस समय उनके द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

किसानों का मत्स्यन की ओर झुकाव

237. डा. बसंत पवार :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कार्य में अलाभकारी आय के कारण किसान का मत्स्यन की ओर झुकाव बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति के कारण देश में खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) यद्यपि कुछ राज्यों में किसानों ने थोड़े से क्षेत्रों को मछली पालन के लिए अन्तरित किया है, ताकि वे अपनी आय के स्रोत में वृद्धि कर सकें, लेकिन इसका कारण मूल्य निर्धारण की अलाभकारी नीति नहीं हैं।

(ख) कई वर्षों से देश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रही है और 1993-94 के दौरान उत्पादन स्तर 182.04 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है।

(ग) खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार विशेष योजनाएं, अर्थात् समेकित अनाज विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना क्रियान्वित कर रही है।

निराश्रित महिलाओं को सहायता

238. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ में वित्तीय सहायता पाने वाली वृद्ध, निराश्रित महिलाओं तथा विधवाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) इस मद पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि का वितरण किया गया ; और

(ग) इस संबंध में अगले दो वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में 393 वृद्ध/निराश्रित विधवाएं/महिलाएं आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं।

(ख)

वर्ष	राशि
1991-92	3.00 लाख रु.
1992-93	3.65 लाख रु.
1993-94	4.70 लाख रु.

(ग) आगामी दो वर्षों के लिए इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वर्ष 1994-95 के लिए बजट प्राक्कलन 3.30 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना

239. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारी समिति की सिफरिशों के समनुरूप दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली की राज्य सरकार के नियंत्रण में देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी नहीं। इस मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के समक्ष उठाया गया है। तथापि दिल्ली दुग्ध योजना को अपने हाथ में लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अभी औपचारिक स्वीकृति नहीं मिली है।

[अनुवाद]

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

240. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की समीक्षा की है ,

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य उपलब्धियां और कमियां सामने आईं ;

(ग) क्या सरकार का विचार कार्यक्रम का उपर्युक्त पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उपलब्धियों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है : -

- इस योजना से प्राथमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाओं में सुधार करने में सहायता मिली है।
- आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत इन मूल सुविधाओं के प्रावधान की शिक्षकों, शिष्यों और समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से सराहना की गई है।
- आपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कूलों के छात्रों ने गैर-आपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कूलों के छात्रों की तुलना में अधिक अच्छी उपलब्धि दर्शाई है।
- स्कूल भवनों के निर्माण की गति बहुत सन्तोषजनक नहीं रही।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण की कमी की वजह से शिक्षण-अध्ययन सामग्री की उपयोगिता पूर्णतः सन्तोषजनक नहीं रही।

(ग) बाह्य मूल्यांकन और पिछले अनुभव के आधार पर, इस योजना को 8वीं योजना के दौरान संशोधित किया गया। 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों में तीसरे कक्ष/तीसरे शिक्षक की व्यवस्था करने और उच्च प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। पहले से स्वीकृत चरणों के कार्यान्वयन की गति के आधार पर राज्य सरकारों के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। वर्ष 1994-95 के दौरान इसका लक्ष्य, शामिल न किए गए बाकी 500 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण-अध्ययन सामग्री स्वीकृत करना

और चल रही आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत एकल शिक्षक स्कूलों के लिए शिक्षकों के लगभग 8000 पदों को स्वीकृत करना, 100 से अधिक नामांकन लगभग 10 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों के लिए तीसरा शिक्षक स्वीकृत करना और विस्तृत आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत लगभग 5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों को शामिल करना है। वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के लिए 215 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई। वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान की गई राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1991-92 से 1993-94 के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के अन्तर्गत उपलब्धियां

चल रही आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन स्कूलों की संख्या जिनके लिए शिक्षण अध्ययन उपस्कर स्वीकृत किए गए	एकल शिक्षक स्कूलों के लिए स्वीकृत अतिरिक्त शिक्षकों के पदों की संख्या	प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिनके लिए तीसरा शिक्षक स्वीकृत किया गया	उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिनके लिए शिक्षण अध्ययन उपस्कर स्वीकृत किए गए।
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17548	9004		1017
2.	अरूणाचल प्रदेश	355	234		27
3.	असम	11075	6838		
4.	बिहार	26601	48851		
5.	गोवा		38		
6.	गुजरात	7179			1439
7.	हरियाणा	3576	56		
8.	जम्मू और कश्मीर	2290	2639		
9.	कर्नाटक	8201	5024		1675
10.	केरल	1149			

1	2	3	4	5	6
11.	मध्य प्रदेश	15892	4323		
12.	महाराष्ट्र	28849	12310		1656
13.	मणिपुर	548	211		
14.	मेघालय	2375	1621		
15.	मिजोरम	576	45		
16.	उड़ीसा	3680	3474		
17.	पंजाब	4315	700		
18.	राजस्थान		358	1692	961
19.	तमिलनाडु				560
20.	त्रिपुरा	1005	75		
21.	उत्तर प्रदेश	4695			
22.	पश्चिम बंगाल	37311	1356		
23.	दादरा और नगर हवेली	103	63		

[हिन्दी]

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

241. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार द्वारा उन विद्यालयों को प्रशिक्षित परीक्षक तथा अपेक्षित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है कि राज्य सरकारें माध्यममिक शिक्षा के व्यावसायिकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये योजना को लागू करें ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) गुजरात में इस प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 284 है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। गुजरात के व्यावसायिक विद्यालयों में निर्धारित योग्यताएं प्राप्त प्रशिक्षित शिक्षकों को ही नियुक्त किया जा रहा है। गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, अहमदाबाद द्वारा निर्धारित अपेक्षित शिक्षण सामग्री स्कूल प्राधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा

242. **श्री देवी बक्स सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए कोई योजना विकसित की है अथवा कोई योजना बनाने का विचार है : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर से सुधार करने के प्रयास, एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों में एक शैक्षिक सलाहकार समिति का प्रावधान है जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ शिक्षाविद् शामिल होंगे तथा जिसका कार्य शैक्षिक और सह-पाठ्य-चर्या कार्यक्रम पर संगठन को सलाह देना, कमियों पर काबू पाने के लिए उपायों का सुझाव देना और शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में ''उत्कृष्ट स्कूलों'' के रुप में सामान्य रूप से विद्यालयों को सामान्य रूप में विकसित करना होगा।

|अनुवाद|

कुमारघाट-अगरतला रेल लाईन

243. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कुमारघाट-अगरतला रेल लाइन का काम पूरा करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त लाइन का काम कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण करने के परिणामस्वरूप विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या का कोई आंकलन किया गया है; और

(घ) विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए कितनी अनुमानित धनराशि की आवश्यकता होगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कुमारघाट से अगरतला तक नई लाईन (120 कि.मी.) के निर्माण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। क्षेत्र कार्य पूरा कर दिया गया है और आशा है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट दिसम्बर, 1994 तक प्राप्त हो जायेगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो पाएगा।

(ग) और (घ) भूमि अधिग्रहण नक्शों को तैयार करने के बाद ही इसका पता चल पाएगा और योजना आयोग तथा संसद द्वारा कार्य अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही इसे आकर्पित किया जाएगा।

एकलाखी-बालुरघाट रेल लाइन

244. **श्री सुब्रत मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकलाखी-बालुरघाट रेल लाइन पर निर्माण कार्य आरंभ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) इकलाखी से बालूरघाट तक नयी रेल लाइन पर कार्य पुनः शुरू करने के लिये प्रारंभिक प्रबंध किये जा रहे हैं और इसके लिए 1994-95 में 1.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

[हिन्दी]

जैन तीर्थ केन्द्र के लिए रेल संपर्क

245. श्री अमर पाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेरठ के हस्तिनापुर में स्थित जैन तीर्थ स्थल को रेल से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो यह स्थान कब तक रेल से जोड़ दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

बिलासपुर में नई रेल लाइन

246. श्री पवन दीवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम हैं जो मध्य प्रदेश के बिलासपुर मंडल में नई रेलवे लाइन बनाने हेतु चुनी गई है तथा उनके क्या नाम हैं जो विद्युतीकरण के हेतु चुनी गई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) दल्लीराजहरा से जगदलपुर तक एक नई रेलवे लाइन (235 कि.मी.) के निर्माण संबंधी कार्य की पहचान की गई है और इसके लिए योजना आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

अनूपपुर-विश्रामपुर सहित बिलासपुर-कटनी परियोजना के शेष भागों यथा न्यू कटनी-चाँदिया रोड और बोरीदांड-चिरीमिरी पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(ख) जहां तक नई लाइन का संबंध है, योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाने और संसद द्वारा वास्तविक रूप से कार्य को अनुमोदित कर दिए जाने पर लक्ष्य तिथि निर्धारित की जाएगी।

उक्त खंड का विद्युतीकरण कार्य मार्च 1995 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

भारतीय खाद्य निगम

247. श्री प्रेम चन्द राम : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार के उन ज़िलों में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों/गोदामों की स्थापना करने का है जहां ये उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). बिहार में फिलहाल और अधिक ज़िला कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान कार्यालयों का बिछा जाल सार्वजनिक वितरण कार्य की देख-रेख करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। तथापि, कटिहार और हटिया में भी भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की स्थापना करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक गोदाम स्थापित करने के लिए दक्षिणी बिहार में स्थानों की पहचान करने के सम्बन्ध में समीक्षा भी की गई है।

चीनी मिलें

248. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री राजवीर सिंह :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्र में कितनी चीनी मिले हैं ;

(ख) क्या सरकार के पास राज्य में और अधिक चीनी मिलें खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में कितनी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं और कितनी चीनी मिलें लाभ कमा रही हैं ;

(घ) रूग्ण चीनी मिलों को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ङ) क्या सरकार के पास सहकारी क्षेत्र में घाटे में चल रही चीनी मिलों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में (30.6.1994 को) सरकारी क्षेत्र में 35, निजी क्षेत्र में 44 और सहकारी क्षेत्र में 31 संस्थापित चीनी मिलें हैं।

(ख) जी, हां। 30.6.1994 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए चालू चीनी वर्ष के दौरान 25 आशय-पत्र जारी किए हैं।

(ग) सरकार चीनी मिलों के लाभ और घाटे का हिसाब नहीं रखती हैं।

(घ). चीनी मिलों को पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं तथा उनका वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन करवाना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि (एस.डी.एफ.) से भी रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है बशर्ते कि वे निहित शर्तें पूरी करती हों।

(ङ) और (च) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

249. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जून, 1994 को पेट्रियट में कंज्यूमर फोरा वांट मोर टीथ'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में किए जाने वाले संशोधनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये संशोधान कब तक कर लिए जाएंगे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की 15वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, नागरिक पूर्ति,'उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अब तक प्राप्त हुए अनुभव तथा न्यायिक निर्णयों के परिणामस्वरूप अनेक मामलों में उत्पन्न हुई कठिनाइयों को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए कार्य दल गठित किया है।

हावड़ा स्टेशन

250. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे हावड़ा स्टेशन पर पूर्व रेलवे के भवनों का उपयोग कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन भवनों के उपयोग के लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या दोनों रेलवे जोनों के दोहरे प्रशासन के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों और इन भवनों के यात्रियों को सुरक्षा, बिजली और पेयजल जैसी-गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ; और

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) दोनों रेलों द्वारा करार के अनुसार लागत वहन की जाती है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रीन हाउस योजना

251. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री राजवीर सिंह :

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रीन हाउस योजना का उद्देश्य क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के विकास तथा उ.प्र. के कुछ और स्थानों पर इसका विस्तार करने के लिए कोई कार्य-योजना शुरू करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) ग्रीन हाउस योजना का उद्देश्य नियंत्रित पर्यावरण परिस्थितियों में फसल उत्पादन की विचारधारा का प्रसार करना है।

(ख) और (ग) सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान ग्रीन हाउसों के प्रयोग को बढ़ावा देने की एक योजना शुरू की है। आठवीं योजना अवधि में 9 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए 78.25 लाख रुपए का आबंटन निर्धारित किया गया है।

स्लीपर क्लास

252. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त किराया लेने के बाद एक विशेष "स्लीपर क्लास" श्रेणी आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(ग) क्या सरकार ने स्लीपर क्लास से यात्रा करने वाले यात्रियों की स्थिति के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों, विशेष रूप से कर्नाटक एक्सप्रेस में, अचानक जांच करायी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) 1.4.1993 से शयनयान दर्जा नामक यात्रा का एक नया दर्जा शुरू किया गया था जिसका किराया शयनयान अधिप्रभार समाप्त करके दूसरे दर्जे के किराए से 25 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया था।

(ख) शयनयान दर्जे के यात्री को रात में एक शायिका और दिन के समय एक आरक्षित सीट मिलती है। इन सवारी डिब्बों में केवल वे यात्री यात्रा करने के लिए प्राधिकृत हैं जिनके पास पुष्टिशुंदा आरक्षण होता है। और जिनके नाम आर.ए.सी. में होते हैं। इससे डिब्बों में भीड़-भाड़ नहीं होती है। चूंकि यात्रियों की संख्या सीमित होती है, अतः, प्रसाधन, पानी और अन्य सुविधाओं का लाभ सीमित यात्रियों द्वारा ही उठाया जाता है। शयनयान दर्जे के यात्री 40 कि.ग्रा. सामान निःशुल्क ले जा सकते हैं जबकि दूसरे दर्जे के यात्री 35 कि.ग्रा. सामान ही निःशुल्क ले जा सकते हैं।

(ग) से (ङ) बिना टिकट यात्रा/अनियमित यात्रा की बुराई की रोकथाम करने के लिए, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेटों, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से बड़ी संख्या में टिकट जांच कर्मचारियों तथा अधिकारियों को जुटाकर कम दूरी और लंबी दूरी की गाड़ियों दोनों में नियमित अचानक जांचें की जाती हैं। रेलों को इस आशय के अनुदेश दिए गए हैं कि शयनयान दर्जे में आरक्षण लेकर यात्रा कर रहे सदाशयी यात्रियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना

253. **श्री तारा सिंह :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री पी.सी. चाक्को :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना को नेशनल को आपरेटिव डेरी फैडरेशन गुजरात को सौंपने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपे जाने से राजधानी में दूध की आपूर्ति प्रभावित होगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता।

सांस्कृतिक अभियान

254. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य एशियाई सांस्कृतिक अभियान दल मध्य एशिया, चीन और तिब्बत में प्राचीन रेशम मार्ग की 12,000 किलोमीटर यात्रा के बाद लौट गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मध्य एशियाई देशों, जहां से वे गुजरे, उनके द्वारा उनका कैसा स्वागत किया गया और भारत के साथ व्यापार संबंध को बनाए रखने के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में कोई अंतरिम रिपोर्ट दी है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) इस अभियान पर सरकार द्वारा अनुमानतः कितना व्यय किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) ज्ञात हुआ है कि अभियान 20.7.1994 को लौट गया।

(ख) से (ङ) चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्य एशियाई सांस्कृतिक अभियान को प्रायोजित नहीं किया था, इसलिए इस मंत्रालय को कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

255. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार शैक्षिक कार्य-कलापों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को किस आधार पर अनुदान अथवा ऋण देती है ;

(ख) क्या सरकार सहायता अथवा ऋण देने के बाद इन संगठनों द्वारा धन के उपयोग की निगरानी करती है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को आन्तरिक लेखा-परीक्षा और अन्य माध्यमों से वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः एक स्वैच्छिक संगठन को कम से कम तीन वर्षों से एक पंजीकृत सोसाइटी, लोक न्यास अथवा लाभ प्राप्त न करने वाली कम्पनी के रूप में स्थापित होना अपेक्षित है। सामान्यतः सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिशों पर ही स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। इन आवेदनों की मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता अनुदान समितियों द्वारा पूर्ण रूप से जांच भी की जाती है। सामान्य वित्त नियमावली, 1963 में प्रदत्त नियमों के अनुसार ही अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा इस मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण **पत्रों को प्रस्तुत करना होता है, जिसमें यह** स्पष्ट उल्लेख हो कि अनुदान उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया गया है जिसके लिए उसे प्रदान किया गया था और साथ ही लेखों का परीक्षित विवरण भी भेजना अपेक्षित होता है। आगे और अनुदान देने पर विचार करने से पूर्व इस विभाग द्वारा इन प्रमाणपत्रों की पूर्णतः जांच की जाती है।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1993 की समाप्ति तक पिछले तीन वर्षों के दौरान, अन्य स्रोतों से 31 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 9 मामलों में भुगतान को रोक दिया गया है आन्तरिक लेखा परीक्षा से कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

[अनुवाद]

बिहार में व्यावसायिक संस्थाएं

256. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री राम कृपाल यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कितनी व्यावसायिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं ;

(ख) इन संस्थाओं में कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने बिहार में व्यावसायिक शिक्षा हेतु वित्तीय अनुदान के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की है ; और

(घ) बिहार में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जमा दो स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में 148 स्कूलों में 444 व्यावसायिक वर्ग चल रहे हैं।

(ख) योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रति व्यावसायिक अनुभाग 25 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाना होता है।

(ग) बिहार राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विगत तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक शिक्षा के लिए 409.25 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई है।

(घ) राज्य सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया गया है :

- सभी स्तरों पर प्रबन्धन ढांचे का सृजन करना
- सभी जिलों में जिला व्यावसायिक सर्वेक्षणों का कराया जाना
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

- व्यावसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए भर्ती नियमावली में संशोधन करना।
- स्कूल-उद्योग संबंधों की स्थापना
- प्रभावी मानीटरिंग का सुनिश्चय करना।

भोपाल में केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया है। पाठ्यपुस्तकें एवं सर्वाधिक लोकप्रिय पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक सामग्री केन्द्रीय स्तर पर तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

गन्ने का उत्पादन

257. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :**

श्री राजवीर सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गन्ने का भारी उत्पादन हुआ ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में किन-किन राज्यों ने अधिकतम गन्ने का उत्पादन किया ;

(ग) उपरोक्त अवधि में इन राज्यों में राज्य-वार गन्ने की अधिकतम और न्यूनतम कीमतें क्या थीं ;

(घ) क्या चीनी मिलों ने गन्ने के कुल उत्पादन का पूर्ण उपयोग किया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है और चीनी मिलों द्वारा उपयोग में लाए गन्ने और बरबाद हुए गन्ने की मात्राओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(च) गन्ने के सम्पूर्ण उत्पादन के उपयोग के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाये जाने का विचार हैं ;

(छ) 1994-95 के दौरान गन्ने के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और गत वर्ष की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ज) गन्ने की खेती के लिए राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) देश में गन्ना उत्पादन में 1985-86 से लेकर 1991-92 तक लगातार वृद्धि हुई है। तथापि, गन्ने के उत्पादन में वर्ष 1992-93 के दौरान कुछ गिरावट आई थी।

(ख) गन्ने के उत्पादन में वर्ष 1991-92 तक सर्वाधिक वृद्धि करने के लिए राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

(ग) वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान चुनिन्दा राज्यों में अदा की गई गन्ने की कीमत के स्तर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) गन्ने के कुल उत्पादन का सम्पूर्ण उपयोग चीनी मिलों अथवा गुड़ अथवा खाण्डसारी इकाइयों द्वारा किया गया है। गन्ना बर्बाद होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) गन्ने के उत्पादन का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए, चीनी मिलों की सकल क्षमता में सुधार करने हेतु सरकार और अधिक संख्या में नई चीनी मिलों की स्थापना तथा चालू चीनी मिलों की क्षमता को बढ़ाने और उनका पुनरूद्धार करने के लिए मंजूरी दे रही है।

(छ) वर्ष 1994-95 के दौरान गन्ना उत्पादन का लक्ष्य 250 मिलियन मीटरी टन निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 1993-94 के दौरान 240 मिलियन मीटरी टन के संभावित उत्पादन की तुलना में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ज) गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य जो 1993-94 में 34.50 रुपए प्रति क्विटंल था उसे बढ़ाकर 1994-95 में 37.00 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है जिसमें 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली के साथ उक्त स्तर से अधिक के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर अनुपातिक प्रीमियम शामिल है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न राज्यों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए विकासात्मक कार्यक्रम शुरू कर रही है।

विवरण

चुनिन्दा राज्यों में चीनी मिलों द्वारा अदा की गई गन्ने की कीमतें

(मूल्य रुपए प्रति क्विंटल)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93
आंध्र प्रदेश	27.50-36.53	31.52-40.59	35.56-48.65
गुजरात	22.00-33.00	27.00-60.00	26.00-32.50
हरियाणा	41.00-46.00	45.00-54.00	46.00-50.00
कर्नाटक	36.00-39.00	30.89-45.00	29.36-50.00
पंजाब	42.00-46.00	45.00-49.00	46.00-50.00
तमिलनाडु	30.10-36.25	29.05-35.00	31.00-44.40
उत्तर प्रदेश	41.00-44.00	45.00-48.00	46.00-49.00

[अनुवाद]

चीनी का आयात

258. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से आयातित चीनी का वितरण करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए प्रति किलो चीनी की क्या दर निर्धारित की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) (1) महाराष्ट्र और तमिलनाडु को छोड़कर सीधे आबंटी राज्यों के मामले में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) आयातित लेवी चीनी को पत्तनों से निर्दिष्ट वितरण केन्द्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा।

(2) महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के मामले में एफ.सी.आई. पत्तनों से ही उनको चीनी आबंटित करेगा तथा राज्य सरकारें पत्तनों से राज्यों में उपभोक्ता गन्तव्यों तक चीनी पहुंचाने की व्यवस्था स्वयं करेंगी।

(3) भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रचालित राज्यों के मामले में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को चीनी की डिलीवरी तथा उसके भुगतान की वर्तमान पद्धति जारी रहेगी।

(ग) पूरे देश में उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित और देशी चीनी 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम की समान दर पर उपलब्ध होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

259. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और सुधार करने हेतु इसकी समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का इस प्रणाली के माध्यम से आवश्यक दवाओं को उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है जिसे सरकार बहुत अधिक महत्व देती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संपुष्ट करने का निर्णय लिया। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाने के लिए विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी डी पी), निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों (डी एच ए) तथा समन्वित

आदिवासी विकास परियोजना (आई टी डी पी) के तहत आने वाले ब्लाकों को चुना गया। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलने, अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करने, भीतरी क्षेत्रों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने अथवा भाड़े पर लेने, भीतरी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर दुकानों के दरवाजे तक सुपुर्दगी की व्यवस्था करने इत्यादि के लिए उपाय शुरू करने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति की नियमित रूप से परिवीक्षा की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों और सचिवों की समय-समय पर होने वाली बैठकों में समीक्षा की जाती है।

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में वितरण हेतु नियत खाद्यानों के केंद्रीय निर्गम मूल्य सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50.00 रु. प्रति क्विंटल कम होते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उचित दर दुकानों के दरवाजे तक सुपुर्दगी के लिए इस्तेमाल किए जाने अथवा चलती फिरती उचित दर दुकानों के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए वाहनों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता भी दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्यों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा आबंटित की जाती है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक औषधियां वितरित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

वाइरस द्वारा प्रभावित फसलें

260. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खड़ी फसलों को पड़ोसी देश से आये वाइरस (सफेद मक्खियों) से खतरा है : और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

साक्षरोत्तर अभियान

261. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साक्षरोत्तर तथा सतत शिक्षा अभियान के संबंध में किसी विशेषज्ञ समिति/समूह का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति ने इस संबंध में क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के स्तर एवं प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रो. अरूण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की योजना के लिए, जिसके अन्तर्गत उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के केन्द्रों के रूप में जनशिक्षण नियमों की स्थापना की गई है, सरकार ने एक स्वायत्त सामाजिक अनुसंधान संगठन को उनका मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। विशेषज्ञ दल और सामाजिक अनुसंधान संगठन को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

262. श्री अन्ना जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून और जुलाई, 1994 में अधिकांश रेलगाड़ियों के विलंब से चलने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली-मुम्बई और दिल्ली-पुणे के बीच विलंब से चलने वाली रेल-गाड़ियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली से बम्बई और दिल्ली से पुणे जाने वाली गाड़ियां सामान्यतः समय से चलती हैं। परन्तु कुछ गाड़ियां यथा 2951/2952 बम्बई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, 2971/2972 बम्बई जम्मू तवी एक्सप्रेस, 2903/2904 बम्बई सेंट्रल-अमृतसर फ्रंटियर मेल (दिल्ली-बम्बई के बीच) और 1077/1078 झेलम एक्सप्रेस, 2479/2480 गोवा एक्सप्रेस (दिल्ली-पुणे के बीच) का समयपालन बहुत संतोषजनक नहीं है। दुर्घटनाएं, सवारी और मालडिब्बों की खराबी, इंजन की खराबी, सिगनल और दूर-संचार की खराबी, खराब मौसम मुख्य कारण हैं जिनसे समयपालन पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के चालन पर चौबीसों-घंटे लगातार नज़र रखी जाती है और रेलों के नियंत्रण के अंतर्गत सभी परिहार्य कारकों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

स्टेशनों पर "ट्रैक सर्किटिंग"

263. श्री सत्यदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन स्टेशनों पर यह व्यवस्था किये जाने की संभावना हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) जी हां, रेलवे स्टेशनों पर रेल पथ सर्किटों की व्यवस्था यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर की जा रही है।

(ख) 1994-95 के बजट में 82 स्टेशनों पर रन थ्रू लाइनों पर उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक 44 स्टेशनों पर उल्लंघन चिह्न से ब्लाक खंड सीमा तक और 5 स्टेशनों पर लूप लाइनों के रेलपथ सर्किटिंग का कार्य मंजूर किया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

I. 1994-95 में रन थ्रू लाइनों पर "उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक" रेल पथ सर्किटिंग की व्यवस्था के लिए स्वीकृत किए गए स्टेशन

1.	हरदुआ	19.	मोंढ
2.	रीठी	20.	भदोही
3.	बखलेटा	21.	पारसीपुर
4.	सलैया	22.	कपसेठी
5.	सगोनी	23.	सेवापुरी
6.	बांदकपुर	24.	चौखंडी
7.	करहिया-भदोली	25.	लोहटा
8.	दामोह	26.	व्यास नगर
9.	मोहनलालगंज	27.	होसपेट
10.	कनकाहा	28.	करीगनुर
11.	कुंदन गंज	29.	गदीगनुर
12.	जगेश्वर गंज	30.	तोरनगल्लु
13.	पिरथीगंज	31.	दोराजी
14.	गौरा	32.	कुडतिनी
15.	बादशाहपुर	33.	बेल्लारी कैंट
16.	निभारपुर	34.	बेल्लारी
17.	सरायकंसराय	35.	हगरी
18.	सुरियावां	36.	वीरापुर

37.	बंटाहाल	60.	हाटकांगले
38.	गुंतकल पश्चिम	61.	राकड़ी
39.	फुरसंगी	62.	गुरमार्किट
40.	आलंदी	63.	कोल्हापुर
41.	शिंढावने	64.	मिरज
42.	रजवाडी	65.	नुजेल्ला
43.	वलहा	66.	कवुतरम
44.	निरा	67.	पेडना
45.	लांनंद	68.	मचिलीपटनम
46.	सल्प	69.	वीरावासरम
47.	वाथर	70.	पालकोल्लु
48	पालसी	71.	काकीनाडा टाउन
49.	जरंडेश्वर	72.	काकीनाडा पोर्ट
50.	सतारा	73.	एमबली रोड
51.	रहिमतपुर	74.	छारोही
52.	तारगांव	75.	कांचवाडा
53.	मासार	76.	बंदबरेटा
54.	कराड	77.	बंसी पहाड़पुर
55.	ताकरी	78.	रूपभा
56.	किर्लोस्कर	79.	फतेहपुर सीकरी
57.	बिलवाड़ी	80.	किरोली
58.	सांगली	81.	मिढाकुर
59.	जयसिंह पुर	82.	पथौली

II. 1994-95 में "उल्लंघन चिह्न से ब्लाक खंड सीमा तक रेल पथ सर्किटिंग की व्यवस्था के लिए स्वीकृत किए गए स्टेशन

1.	मिर्जापुर	3.	भीरपुर
2.	मंजा रोड़	4.	नैनी जं.

5. सिरसौल
6. मितावली
7. हाथरस जं.
8. दाऊद खां
9. अलीगढ़ जं.
10. मेहरावल
11. खुर्जा जं.
12. दनकौर
13. तिरूपुर
14. इरूगुर
15. कायम्बटूर (उत्तरा जं.)
16. कडियम
17. द्वारपूडी
18. अनपर्ती
19. रविकम पाडु
20. अन्नावरम्
21. गल्लीपाडु
22. बक्काबालु
23. मंडपाडु
24. सामल कोट
25. पीठापुरम
26. गोल्लप्रोलु
27. हंसवरम
28. तुनी
29. नरसिपट्नम रोड
30. रेगुपालेम
31. एलामनचिली
32. नरसिंगपल्ली
33. बय्यवरम
34. अनकापल्ली
35. थाडी
36. बंद बरेटा
37. बंली पहाडपुर
38. रूपभा
39. फतेहपुर सीकरी
40. किरोली
41. मिढ़ाकुर
42. पथौली
43. ईदगाह
44. आगरा फोर्ट

III. "लूप लाइनों" के रेल पथ परिपथन की व्यवस्था के लिए 1994-95 में स्वीकृत स्टेशन

1. तोतियापलयम
2. नय्यातिकारा
3. कुलित्रुराय
4. अरल्वायामोलि
5. बेल्लियुर

[अनुवाद]

तम्बाकू की खेती

264. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या तम्बाकू की खेती का मध्य प्रदेश तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या राज्य में तम्बाकू की खेती के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान कर ली गई है ; और

(ग) यदि हा, तो मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में तम्बाकू जैसी नकदी फसलों की खेती आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). जी नहीं। बहरहाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत काम करने वाले केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने तम्बाकू बोर्ड और भारतीय तम्बाकू संस्थान के सहयोग से मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में अनुसंधानात्मक परीक्षण किए हैं। यह परीक्षण उक्त क्षेत्र में बर्ले तम्बाकू के उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किये गय थे। प्रारम्भिक संकेतों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बर्ले तम्बाकू की खेती के लिए उपयुक्त है।

इस समय आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती पहले से ही हो रही है। बस्तर जिले में किये गये परीक्षणों से प्राप्त परिणामों की पुष्टि करने के लिए और परीक्षण किये जाने की जरूरत है।

उच्च शिक्षा संबंधी पुनय्या समिति

265. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा संबंधी पुनय्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित न्यायमूर्ति के. पुनय्या समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों में विश्वविद्यालय प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं : -

(1) यद्यपि विश्वविद्यालयों को अपने स्रोत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उच्च शिक्षा की सहायता के लिए राज्य अथवा सरकार द्वारा वित्त पोषण एक अनिवार्य और अत्यावश्यक तत्व के रूप में जारी रहना चाहिए। सरकार/राज्य को विश्वविद्यालय के अनिवार्य अनुरक्षण और विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए धन प्रदान करने का मुख्य दायित्व निभाते रहना चाहिए।

(2) विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा सृजित कोई भी अतिरिक्त स्रोत एक अलग कोष में रखा जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय/संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदानप आयोग अतिरिक्त स्रोत सृजित करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रेरणा स्रोत के रूप में बराबर का अनुदान प्रदान कर सकता है।

(3) चालू पंच वर्षीय योजना समाप्त होने के पश्चात अनुदान हेतु पात्रता के परिकलन की "ईकाई लागत प्रणाली" के स्थान पर वर्तमान संवृद्धि प्रणाली को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, विशेषकर इसके द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थानों के शैक्षिक प्रशासन एवं वित्त पोषित कार्यपद्धतियों पर वार्षिक रूप से चुनिन्दा सूचनाएं प्रस्तुत करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए। इस सूचना का निर्णय लेने संबंधी प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाना चाहिए।

(5) शिक्षक-छात्र अनुपात, शैक्षिक और गैर-शैक्षिक लागत, शिक्षकों के कार्यभार इत्यादि से संबंधित मापदंडों का निर्धारण करना।

(6) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को परंपरागत पाठ्यक्रम नहीं चलाने चाहिएं।

(7) शिक्षा शुल्क तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए और समय-समय पर इसे समायोजित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल-कूद का शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आवर्ती लागत का एक बड़ा भाग वसूल किया जा सके।

(8) विश्वविद्यालयों के भवनों इत्यादि की योजना बनाने तथा उनके अनुवीक्षण के लिए सांविधिक समितियां गठित की जानी चाहिए। दिल्ली के कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सांविधिक निकाय गठित किया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिल्ली के कालेजों को सीधा वित्त पोषण नहीं देना चाहिए।

पुनय्या समिति की सिफारिशों के संदर्भ में सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई सीधा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता

266. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम को क्रमशः वर्ष 1991-92 के दौरान और 1993-94 के अन्त तक कितनी धनराशि खाद्य राजसहायता के रूप में प्रदान की गई ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो जुलाई, 1991 और अप्रैल, 1994 के दौरान राष्ट्रीय औसत के आधार पर गेहूँ और चावल का मूल्य कितना था; और

(घ) जुलाई, 1991 और अप्रैल, 1994 के दौरान खाद्यान्नों की खरीद हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितना आर्थिक/समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क)

	(करोड़ रुपए में)
वर्ष	**रिलीज की गई खाद्य राजसहायता की राशि**
1991-92	2850
1993-94	5537

(ख) और (ग) 1991-92 और 1993-94 के वित्तीय वर्षों के दौरान गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) और जुलाई 1991 तथा अप्रैल, 1994 में गेहूं और चावल के थोक मूल्य सूचकांक निम्नानुसार हैं : -

निम्न तारीख से प्रभावी	**गेहूं**	**(रुपए प्रति क्विंटल) चावल**		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
28.12.1991	280	377	437	458
11.01.1993	330	437	497	518
01.02.1994	402	537	617	648

जिन्स	**थोक मूल्य सूचकांक**	
	जुलाई, 91	**अप्रैल, 94**
गेहूं	174.2	271.5
चावल	200.00	275.9

(घ) जुलाई, 1991 तथा अप्रैल, 1994 के दौरान गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं : -

(रुपए प्रति क्विंटल)

अवधि	**गेहूं**	**धान**		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
जुलाई, 1991	225	205	215	225
अप्रैल, 1994	350	310	330	350

कृषि क्षेत्र को राजसहायता

267. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार कृषि क्षेत्र में कुल कितनी पूंजी निवेश किया गया ;

(ख) क्या उर्वरक, खाद्य, विद्युत और सिंचाई के लिए प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रुपए की राजसहायता दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र में राज्य-वार कितनी राजसहायता का आबंटन किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सकल निश्चित पूंजी निर्माण का राज्यवार आकलन तैयार करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। इस संबंध में अद्यतन उपलब्ध सूचना निम्नवत् है : -

कृषि में सकल निश्चित पूंजी निर्माण का प्राक्कलन

(मौजूदा मूल्यों पर)

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1986-87	1987-88	1988-89
आन्ध्र प्रदेश	554.86	565.69	646.36
हरियाणा	331.52	251.70	298.11
केरल	200.40	220.57	243.51
मध्य प्रदेश	612.49	803.01	827.81
पंजाब	391.54	507.90	555.11
राजस्थान	414.33	393.12	241.12
तमिलनाडु	187.67	214.11	169.41

(ख) उर्वरकों, खाद्य सामग्री, बिजली तथा सिंचाई के लिए सब्सिडी, 1990-91 के लिए 18,609 करोड़ रुपए, 1991-92 के लिए 22,346 करोड़ रुपए तथा 1992-93 के लिए 21,780 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ग) उर्वरक उद्योग तथा भारतीय खाद्य निगम को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी राज्यवार आधार पर नहीं है, इसलिए केन्द्र द्वारा दी गई सब्सिडी के बारे में राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

कृत्रिम ट्रैक

268. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में खेलों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने यहां कृत्रिम ट्रैक तथा हाकी के लिए कृत्रिम सतह तैयार करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग पहले ही सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और सिंथेटिक हाकी परत बिछाने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना चला रहा है।

(ख) योजना के अंतर्गत सिंथेटिक ट्रैक या हाकी परत बिछाने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन को बिछाने की लागत की 50 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है परन्तु इसकी अधिक से अधिक सीमा 1.00 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आपरेशन मानसून

269. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री बलराज पासी :

श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मानसून के मौसम में व्यापक स्तर पर चोरी-छिपे गैर-कानूनी शिकार पर अंकुश लगाने के लिए आपरेशन मानसून योजना आरंभ करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसका कार्यकाल कितना होगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत सरकार ने मानसून के मौसम में वन्यजीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए ''आपरेशन मानसून पहले ही शुरू कर दिया है।

(ख) इस आपरेशन का उद्देश्य वर्षाकाल के दौरान वन क्षेत्रों में अवैध शिकार का रोकना और इसके प्रति निवारक उपाय करना है क्योंकि वर्षा के कारण संचार व्यवस्था बिगड़ जाने, बाढ़ आ जाने और जंगल की सड़के खराब हो जाने से चोरी-छिपे शिकार करने वालों और तस्करों को वन क्षेत्रों में अन्दर तक प्रवेश करने का मौका मिल जाता है और वे अपनी गैर-कानूनी गतिविधियां बढ़ा देते हैं। इन गतिविधियों में मानसून के समय पैदल और हाथियों पर अगम्य क्षेत्रों की गश्त लगाना आदि शामिल है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक

270. श्री जनार्दन मिश्र : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने सरकार के समक्ष गत तीन वर्षों के दौरान कुछ मांगें रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन मांगों पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुछ शिक्षक हाल ही में वि.अ.आ. के अध्यक्ष से मिले और निम्नलिखित के बारे में अपनी मांगें प्रस्तुत कीं:

(1) दोहरी पारिश्रमिक प्रणाली को समाप्त करना ;

(2) विश्वविद्यालय विभागों में योग्यता क्रम पदोन्नति योजना को पुनः चलप्रचलित करना ;

(3) कालेजों में प्रोफेसर के पद को सृजित करना, और

(4) उच्च शिक्षा के लिए निधियों का अधिक आबंटन करना आदि।

शिक्षकों को सूचित किया गया था कि दोहरी पारिश्रमिक प्रणाली को समाप्त करना और योग्यता क्रम पदोन्नति योजना को पुनः प्रचलित करने से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, कालेजों में प्रोफेसर के पद को सृजित करने का प्रस्ताव संबंधित विश्वविद्यालों के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए निधियों के आबंटन में वर्षों से वृद्धि हो रही है।

[अनुवाद]

रेल डिब्बा निर्माण इकाइयां

271. श्री सुधीर गिरि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी रेल डिब्बा निर्माण इकाइयां हैं ;

(ख) इन इकाइयों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन इकाइयों में इकाई-वार कितने डिब्बों का निर्माण किया गया ; और

(घ) जून, 1994 तक कुल कितने डिब्बों का निर्माण किया गया ?

रेल मंत्री (सी.के. जाफर शरीफ) : (क) नियमित रेल माल डिब्बा निर्माण इकाइयां हैं जो वैगन इंडिया लिमिटेड तथा दो अन्य के अधीन हैं।

(ख) इन इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 22770 है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग द्वारा निर्मित किए गए माल डिब्बों का इकाई-वार ब्यौरा इस प्रकार हैं : -

(आंकड़े चौपहियों में)

इकाई		निर्मित किए गए माल डिब्बों की संख्या		
सार्वजनिक क्षेत्र		**1991-92**	**1992-93**	**1993-94**
1.	वी डब्ल्यू ई एल/मुजफ्फरपुर	1400	1375	985
2.	बी डब्ल्यू ई एल/मोकामा	1750	1710	1235
3.	ब्रेथवेट, कलकत्ता	3007.5	3707.5	2120
4.	बर्न/बर्नपुर	3427.5	3500	2420
5.	बर्न/हावड़ा	1165	1507.5	2005
6.	जैस्सप, कलकत्ता	512.5	580	485
	जोड़ सार्वजनिक क्षेत्र	11262.5	12380	9250
निजी क्षेत्र				
7.	सिमको/भरतपुर	3015	2875	2065
8.	एच जी आई, नांगलोई	1267.5	1257.5	950
9.	टेक्समेको, कलकत्ता	4975	4710	3200
10.	माडर्न इ. साहिबाबाद	1500	1360	1110
11.	एच डी सी, कलकत्ता	2693	2678.5	1925
	जोड़ - निजी क्षेत्र	13450.5	12881.0	9250
	जोड़-सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र	24713	25261	18500

(घ) अप्रैल-जून' 94 के दौरान निर्मित किए गए रेल माल डिब्बों की कुल संख्या 967.5 चौपहिये हैं।

[हिन्दी]

दुग्ध पाउडर संयंत्र

272. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुग्ध पाउडर उत्पादन संयंत्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दुग्ध पाउडर की खपत तथा इसकी मांग का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) अधिकतम क्षमता पर कार्य करने वाले संयंत्रों तथा बन्द पड़े संयंत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन संयत्रों के कार्यकरण में सुधार लाने तथा ज्यादा समय तक चलने वाले टेटरा पैक संयंत्र संबंधी राज्य सरकारों की मांग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पास लंबित है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब से लंबित है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) देश में 75 दुग्ध चूर्ण उत्पादन संयंत्र कार्य कर रहे हैं। ये संयंत्र सार्वजनिक सहकारी/निजी क्षेत्र में हैं।

(ख) दुग्ध चूर्ण के उत्पादन तथा मांग का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता। तथापि 1991, 1992 तथा 1993 के विगत तीन वर्षों के दौरान शिशु आहार सहित दुग्ध चूर्ण का कुल अनुमानित उत्पादन क्रमशः 1,50,000 मीटरी [illegible] 65,000 मीटरी टन तथा 1,85,000 मीटरी टन रहा है। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के वर्षों में देश में [illegible]दित दुग्ध चूर्ण का आमतौर पर उपयोग किया गया तथा थोड़ी सी मात्रा का निर्यात भी किया गया।

(ग) "वैकल्पिक क्षमता" के रूप में इस प्रकार के दुग्ध चूर्ण संयंत्रों में कोई पैरामीटर नहीं है। इसलिए "वैकल्पिक क्षमता" का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) रोगाणु रहित पैक में अधिक समय तक ठीक रहने वाले दूध के विनिर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से इन्दौर स्थित रोगाणु रहित दुग्ध पैकेजिंग केन्द्र के उन्नयन के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया है। चूंकि मध्य प्रदेश परिसंघ/सरकार ने आपरेशन फलड-3 के अंतर्गत वित्त पोषण की शर्तों को पूरा नहीं किया है, अतः उनके अनुरोध पर किसी प्रकार की कार्रवाई करना संभव नहीं हो सका है।

[अनुवाद]

माल डिब्बों की खरीद

273. श्री तरित बरण तोपदार :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष के दौरान विभिन्न निर्माण एककों से एकक-वार कितने माल डिब्बे गये ;

(ख) अप्रैल, मई और जून, 1994 के दौरान कितने-कितने माल डिब्बे खरीदे गये ;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान माल डिब्बों की खरीद में कोई कमी आयी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1993-94 के दौरान उत्पादन इकाइयें से खरीदे गये माल डिब्बों का इकाई-वार ब्यौरा इस प्रकार है : -

(आंकड़े चौपहियों में)

इकाई	संख्या
सार्वजनिक क्षेत्र	
1. भारत वैगन इंजी. लि./मुजफ्फरपुर	985
2. भारत वैगन इंजी. लि./मोकामा	1235
3. ब्रेथवेट/कलकत्ता	2120
4. बर्न स्टेण्डर्ड क. लि./हावड़ा	2005
5. बर्न स्टैण्डर्ड क. लि./बर्नपुर	2420
6. जैस्सप/कलकत्ता	485
जोड़ सार्वजनिक क्षेत्र	9250
निजी क्षेत्र	
7. सिमको/भरतपुर	2065
8. हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज/नांगलोई	950
9. माडर्न इंडस्ट्रीज/साहिबाबाद	1110
10. टेक्समेको/कलकत्ता	3200
11. हिन्दुस्तान डिवलपमेन्ट कार्पोरेशन	1925
जोड़ निजी क्षेत्र :	9250
रेल कारखाने	
अमृतसर कारखाना/अमृतसर	402
गोल्डन राक कारखाना/तिरुच्चिरापल्लि	604.5
समस्तीपुर कारखाना/समस्तीपुर	142.5
कुल जोड़ रेल कारखाना	1149
कुल जोड़	19649

(ख) अप्रैल से जून तक खरीदे गये माल डिब्बों का महीने-वार ब्यौरा इस प्रकार है : -

महीना	संख्या (चौपहियों में)
अप्रैल	140
मई	82.5
जून	745
जोड़	967.5

(ग) और (घ) रेलों को अनुमानों के अनुसार यातायात प्राप्त नहीं हो रहा है जबकि परिसम्पत्ति उपयोग में सुधार हुआ है, परिणामतः माल डिब्बों की मांग कम हो गई है। अतः 1994-95 के दौरान केवल 10400 चौपहियों की खरीद करने का विचार है। इनसे रेलों की मांग पूरी हो जाती है। बहरहाल अतिरिक्त मालडिब्बों की खरीद के लिए अवशिष्ट मांग, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए वर्ष के दौरान समीक्षा की जाएगी।

साक्षरता अभियान

274. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में आरंभ किया गया साक्षरता अभियान अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण अपना सही प्रभाव नहीं डाल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) साक्षरता अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। पूर्ण साक्षरता अभियान को निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख कार्यनीति के रूप में स्वीकार किया गया है। महिला समानता की जागृति को बढ़ावा देने, अंध-विश्वासों को दूर करने तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे कुछ लाभप्रद सामाजिक कार्य क्षेत्रों के माध्यम से पूर्ण साक्षरता अभियान का सार्थक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा टीकाकरण तथा छोटे परिवार का मानदण्ड बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है। पूर्ण साक्षरता अभियान से अधिकाधिक नामांकन तथा बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावां, कुछ जिलों में भी स्थानीयकृत प्रबंधों के माध्यम से साक्षरों तथा नव-साक्षरों के कौशल को विकसित करने के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए हैं।

अभियान के अनुवर्ती दृष्टिकोण के फलस्वरूप पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों में सतत रूप से दो वर्षीय उत्तर साक्षरता अभियान निर्धारित किया गया (1) पूर्ण साक्षरता की साक्षरता उपलब्धियों को समेकन (2) पूर्ण साक्षरता अभियान अवधि के दौरान पढ़ाई बीच में ही छोड़कर जाने वालों का समायोजन (3) नव-साक्षरों को मार्गदर्शी शिक्षा के स्थान पर स्व-शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। उत्तर साक्षरता अभियान के दौरान, नव-साक्षरों को पूर्ण साक्षरता केन्द्रों में सामूहिक चर्चा के लिए एकत्रित करने तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, वातावरण की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता, छोटे परिवार के मानदण्ड, नागरिक अधिकारों, अन्ध विश्वासों के प्रतिकूल प्रभावों, सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता, विभिन्न कल्याण योजनाओं इत्यादि से संबंधित विषयों पर विशेषरूप से तैयार की गई पुस्तकों में पढ़ने की रूचि विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जिला साक्षरता समितियों तथा ग्राम व पंचायत स्तर की सामान्य समितियों दोनों के कार्यकर्ताओं द्वारा अभियान की प्रगति के नियमित अनुवीक्षण तंत्र के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान तथा उत्तर साक्षरता अभियान दोनों के लिए कार्यनीति तैयार की गई है। इस प्रकार की निर्धारित कार्यनीति में प्रगति का अध्ययन करने बीच-बीच में जिला साक्षरता समितियों को यथावश्यक उपचारी सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा

राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों तथा परामर्शदाताओं द्वारा दौरा करके अनुवीक्षण किया जाता है। जिलों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर सभी अभियानों के केन्द्रीकृत अनुवीक्षण के लिए केन्द्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय उत्तरदायी है।

[हिन्दी]

महिलाओं का उत्थान

275. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने देश में महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने/उसमें सुधार लाने हेतु हाल ही में किसी नीति की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो उस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) नीति में उल्लिखित विभिन्न पहलुओं के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या नीति हैं ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसी योजना बनाने का है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी हाँ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार ''महिलाओं के लिए नीति'' का उद्देश्य जागरूकता उत्पन्न करके तथा अवसंरचनात्मक, समर्थन सेवाएं और विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करके, जो महिलाओं के विकास हेतु अनिवार्य हैं, समाज में महिलाओं के दर्जे को पुरुषों के दर्जे के बराबर लाना है। इस नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं : -

(1) भेदभाव को समाप्त करना

(2) राजनैतिक, वित्तीय और प्रशासनिक - सभी स्तरों पर निर्णय-निर्माण में महिलाओं को पर्याप्त और सार्थक प्रतिनिधित्व प्रदान करके उन्हें शक्तिसम्पन्न बनाना,

(3) साक्षरता, प्रशिक्षण, जागरूकता में वृद्धि करना,

(4) सरकारी सम्पत्तियों के सभी प्रकार के अनुदान/पट्टे/आंबटन पति और पत्नी दोनों के नाम करना,

(5) महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करना, और

(6) आवास, प्रसाधन, होस्टल, परिवहन आदि जैसी सहायक सेवाओं की पर्याप्त आपूर्ति करना।

(ग) और (घ) संघ सरकार, राज्य सरकारों की इस प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई की सराहना और उसका समर्थन करती है। संघ सरकार शिक्षा, जागरूकता विकास, आर्थिक शक्तिसम्पन्नता, पुनर्वास, कानूनी साक्षरता, परामर्श, कानूनी सहायता जैसी समर्थन सेवाओं की व्यवस्था, प्रवर्तन, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, प्रचार अभियान आदि जैसे क्षेत्रों में पहले से ही अनेक स्कीमें/कार्यक्रम कर रही है ताकि महिलाओं के दर्जे को ऊंचा उठाया जा सके।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण

276. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की तरह अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक कार्रवाई की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल कमीशन) की रिपोर्ट में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में 27 प्रतिशत स्थान के आरक्षण की सिफारिश की गई थी। सरकार ने इस सिफारिश के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

सह-संयुक्त शोध कार्य

277. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 28 अप्रैल, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 784 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने चयन, नियुक्ति और प्रोन्नति में उन पी.एच.डी. धारकों को, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शोध कार्य किया है, उन पी.एच.डी. धारकों की तुलना में, जिन्होंने शोध कार्य संयुक्त रूप से किया है; प्राथमिकता देने हेतु कौन-कौन से विशेष कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सवारी डिब्बों का आयात

278. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यूरोप से सवारी डिब्बों का आयात करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सवारी डिब्बे की कितनी लागत है और रेलवे को वास्तव में कितने सवारी डिब्बों की आवश्यकता है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) यूरोप से सवारी डिब्बों के आयात के लिए हाल ही में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

तम्बाकू की गुणवत्ता

279. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य तम्बाकू अनुसंधान संगठनों में आन्ध्र प्रदेश में उगाये जा रहे तम्बाकू की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री ने तम्बाकू की क्वालिटी में सुधार करने के लिए उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों सहित सुधरी किस्मों की खेती करने का सुझाव दिया है।

(ख) स्थान विशेष के लिए सुधरी किस्में (पारम्परिक काली मिट्टियों के लिए गौतमी और वी.टी. - 1158 और उत्तरी क्षेत्र की हल्की मिट्टियों के लिए सी.एम.-12 (के.ए.)) तथा उत्तरी क्षेत्र के लिए हल्की मिट्टियों के लिए 70 कि.ग्रा. नाइट्रोजन/है., 80 कि.ग्रा. फास्फोरस/है., 80 कि.ग्रा. पोटाश/है. और काली मिट्टियों के लिए केवल 40-50 कि.ग्रा./है. नाइट्रोजन उर्वरक के प्रयोग की सिफारिश की गई। उपयुक्त पौध-संरक्षण प्रौद्योगिकी का भी पता लगाया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में तम्बाकू अनुसंधान के लिए कुल 6.18 करोड़ की धनराशि आबंटित की गई है, जिसमें किसानों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने का खर्च भी शामिल है।

मूंगफली की खेती

281. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मूंगफली तिलहनों की खेती के लिए क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए कोई राजसहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य में मूंगफली के तेल से संबंधित कोई राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसा कोई अनुसंधान केन्द्र खोलने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में पहले से ही केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मूंगफली सहित मुख्य तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निवेश तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने की नीति में अन्य बातों के साथ-साथ खरीफ, रबी तथा गर्मियों में तथा फसल क्रम के माध्यम से भी मूंगफली के उत्पादन की क्षमता रखने वाले गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में मूंगफली का विस्तार किया जाना शामिल है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र 1979 में जूनागढ़ में स्थापित किया गया था और यह तब से कार्य कर रहा है। तथापि, राज्य सरकार से तिलहन तथा दलहन प्रौद्योगिकी मिशन में मूंगफली तेल के लिए अलग से राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

मात्स्यिकी विकास

282. श्री एस. बी. सिदनाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा 1994-95 के दौरान अपने-अपने राज्यों में मात्स्यिकी विकास हेतु प्रस्तुत की गई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) 1994-95 के दौरान इस संबंध में राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) 1994-95 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अब तक कोई नई योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

283. श्री गुमान मल लोढ़ा :

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

श्री दत्ता मेघे :

श्री अशोक आनंदराव देशमुख :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इस संबंध में कितना-कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उत्पादन की औसत दर बढ़ाने के लिए कोई उपाय किये थे;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान गेहूं और चावल की राष्ट्रीय औसत उत्पादन दर का ब्यौरा क्या है तथा इनकी उत्पादन लागत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(घ) क्या सरकार का खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने अथवा कुछ नई योजनाएं आरम्भ करने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; तथा ऐसी योजनाएं/कार्य योजना शुरु करने के लिए किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है ; और

(च) ये योजनाएं/कार्य योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार रहीं : -

(मिलियन मीटरी टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1991-92	182.50	168.38
1992-93	183.00	180.01
1993-94	188.00	182.04

(ख) और (ग) खाद्यान्न फसलों अर्थात् चावल, गेहूं मोटे अनाजों और दालों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये इन फसलों के मुख्य उत्पादक राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की गई। गेहूं और चावल की राष्ट्रीय औसत प्रति हैक्टेयर पैदावार इस प्रकार है : -

(पैदावार कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल
1991-92	2394	1751
1992-93	2323	1744
1993-94 (संभावित)	2365	1849

गेहूं और चावल के उत्पादन की लागत राष्ट्रीय स्तर पर आकलित नहीं की जाती। फिर भी, उपलब्ध सूचना के अनुसार 1990-91 की तुलना में 1991-92 में हरियाणा और पंजाब में गेहूं के उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि इस प्रकार हैं : -

राज्य	गेहूं	चावल
हरियाणा	(+) 8.34 प्रतिशत	(+) 13.25 प्रतिशत
पंजाब	(+) 10.28 प्रतिशत	(+) 6.20 प्रतिशत

(घ) से (च) चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिये चल रही केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं संशोधित की गई हैं ताकि अनाज फसलों के उत्पादन और उत्पादक में समग्र वृद्धि के लिये समूची फसल प्रणाली के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। किसी एक क्षेत्र में केवल एक ही योजना कार्यान्वित की जाएगी तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई परस्पर व्याप्ति नहीं होगी। संशोधित योजनाएं केवल चयनित प्रखंडों में, जहां चावल/गेहूं/मोटे अनाजों की उत्पादकता राज्य/राष्ट्रीय स्तर से नीचे और क्षेत्र कवरेज अधिक हो, 1994-95 से

कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य और संशोधित योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले प्रखंडों की संख्या इस प्रकार है : -

योजना	राज्य	चयनित प्रखंडों की संख्या
समेकित फसल	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश	1200
विकास कार्यक्रम	असम, बिहार, गोवा, केरल	
चावल	पूर्वी मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,	
	नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाड, त्रिपुरा,	
	पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,	
	और पॉण्डिचेरी।	
समेकित फसल	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	425
विकास कार्यक्रम	जम्मू व कश्मीर, पंजाब,	
गेहूं	उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश।	
समेकित फसल विकास	कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश	830
कार्यक्रम मोटे अनाज	महाराष्ट्र, राजस्थान, और सिक्किम।	

[अनुवाद]

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

284. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भण्डागार निगम के "कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों' द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान वर्षवार कितने माल की दुलाई की गई ;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान हर वर्ष निर्यातकों तथा आयातकों द्वारा उनकी सुविधाओं की मांग बढ़ती रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय भण्डागार निगम के पास देश में तथा देश के बाहर भण्डागार तथा "फ्रेट स्टेशन" सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निगम को संयुक्त उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाने हेतु भण्डागार निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान हैंडल किए गए कन्टेनरों की संख्या निम्नानुसार है : -

	1991-92	1992-93 (टी.ई.यू. में)	1993-94
लदे हुए कन्टेनर	67135	83439	106108
खाली	46788	60335	72762
जोड़ :	113923	143774	178870

(ख) और (ग) जी, हां। प्रयोक्ताओं अर्थात् निर्यातकों और आयातकों से वर्ष प्रतिवर्ष कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों की सुविधा के लिए मांग बढ़ रही है। बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम कांडला, सूरत, नासिक, माधावरम (मद्रास में तीसरा यूनिट) और उदयपुर में कन्टेनर फ्रेट स्टेशन की सुविधाओं का विकास कर रहा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा की लम्बित परियोजनाएं

285. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कार्यान्वित की जाने वाली बड़ी संख्या में परियोजनाएं पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं ;

(ग) ये परियोजनाओं कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाएं को शीघ्र मंजूरी दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजनाओं के नामों के साथ-साथ उनकी प्राप्ति तारीखें और लंबित रहने के कारण निम्नवत् हैं : -

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का सर्गीपल्ली लीड माइन	जुलाई, 1992	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
2.	सुंदरगढ़ जिले में मैसर्स मैत्री शुक्ल का लोहा और मेंगनीज उत्खनन	सितम्बर, 1993	कार्रवाई चल रही है।
3.	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड का बसुंधरा (ईस्ट) ओपर कास्ट	अक्तूबर, 1993	कार्रवाई चल रही है।
4.	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड की लखनपुर ओपन कास्ट (विस्तार) परियोजना	जनवरी, 1994	परियोजना प्राधिकारी से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
5.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की भुवनेश्वरी ओपनकास्ट परियोजना	जनवरी, 1994	परियोजना प्राधिकारी से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
6.	महानदी कोलफील्ड्स लि. की अनंत ओपन कास्ट परियोजना	जनवरी, 1994	कार्रवाई चल रही है।
7.	महानदी कोलफील्ड्स लि. की भरतपुर ओपनकास्ट परियोजना	मई, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
8.	महानदी कोलफील्ड्स लि. की हिंगुला ओपनकास्ट परियोजना	फरवरी, 1994	परियोजना प्राधिकारी से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
9.	मिड-ईस्ट इन्टेग्रेटेड स्टील लि. का 0.5 एमटीपीए क्षमता वाला लघु इस्पात संयंत्र	जनवरी, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
10.	डुबुरी ताप विद्युत केन्द्र (2X250 मेगावाट) कलिंग पावर कार्पोरेशन लि.	मार्च, 1993	मामले में कार्रवाई की जा रही है।
11.	ईब घाटी ताप विद्युत केन्द्र (92X250 मे.वा.) चरण-II उड़ीसा पावर जनरेशन कार्पो. लि.	जनवरी, 1993	कार्रवाई चल रही है।
12.	हीराकुंड बांध और चिप्लीमा बांध परियोजना में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन स्कीम	जून, 1994	कार्रवाई चल रही है।
13.	श्रीमती एम. शुक्ल के पक्ष में उत्खनन लीज़	जून, 1994	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
14.	सत्भाया और कांहपुर गांवों का पुनर्वास	मई, 1994	कार्रवाई चल रही है।
15.	डबटिया से बुरूताल तक सड़क का निर्माण	जून, 1994	कार्रवाई चल रही है।
16.	बेंजआखल्ला लघु सिंचाई परियोजना	अक्तूबर, 1993	कार्रवाई चल रही है।
17.	डैंतरी से वंशपानी तक 147.2 कि.मी. रेल लाइन का निर्माण	मई, 1994	कार्रवाई चल रही है।
18.	जोदा ईस्ट आयरन प्रोजेक्ट के उत्खनन लीज का नवीकरण	जनवरी, 1994	कार्रवाई चल रही है।
19.	निचली सुकताल सिंचाई परियोजना का निर्माण	मार्च, 1994	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
20.	ओपनकास्ट परियोजना ईब्र घाटी क्षेत्र	सितंबर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
21.	मैसर्स आईएम एंड एफए के पक्ष में उत्खनन लीज़	फरवरी, 1994	कार्रवाई चल रही है।
22.	बाघ बैराज परियोजना	मई, 1994	कार्रवाई चल रही है।

(घ) परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृतियों पर अंतिम निर्णय परियोजना प्राधिकारियों से मांगी गई अपेक्षित सूचना की प्राप्ति तारीख से निर्धारित समय अवधि के दौरान लिया जाएगा।

नदियों की सफाई

286. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रमुख नदियों के प्रदूषित भागों के साथ-साथ स्थित शहरों हेतु प्रदूषण-नियंत्रण की योजनायें बना ली गई हैं और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) देश की प्रमुख नदियों को उनके अभिनिर्धारित किए गए प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण निवारण के लिए सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। सरकार के इस निर्णय के अनुसरण में प्रदूषण निवारण कार्यों की स्कीमें आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए तैयार की जा रही हैं।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अब तक की स्कीमों के ब्यौरों से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत स्कीमों की अनुमानित लागत

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	नगर	नदी	स्कीम वार लागत अप. एवं दि.प.	सी.उ. संयंत्र	शवदाह गृह	नदी तटाग्र विकास	अल्प लागत स्व.	विविध	उप-योग	भूमि की लागत	सेंटेजिस 14 प्रतिशत	कुल लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क.	**आन्ध्र प्रदेश**												
1.	मंचरियाल	गोदावरी	227.46	84.00	10.00		10.00	49.00	380.46	45.00	53.26	479.00	प्राप्त हुए उपागम पत्र
2.	भद्राचलम	गोदावरी	164.82	60.00			15.00	15.50	255.32	17.05	35.63	308.00	पर (अप्रांच पेपर) पर
3.	राजामुंदरी	गोदावरी	937.60	877.00	42.40	34.00	164.00	65.00	2120.00	100.00	296.00	2516.00	राज्य सरकार की
4.	रामागुंडम	गोदावरी	590.00	1088.50		10.00	15.00	20.00	1723.50	97.50	255.00	2076.00	टिप्पणियां
			1919.88	2109.50	52.40	44.00	204.00	149.50	4479.28	259.55	639.89	5379.00	
ख.	**बिहार**												
5.	रांची	स्वर्णरेखा	154.80	355.00	54.50	44.70	28.00	250.60	887.60	203.20	124.26	1215.06	प्राप्त न हुए उपागम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	जमेशदपुर	स्वर्णरेखा	112.79	1225.00	52.00	85.64	38.50	48.50	1562.43	18.00	218.74	1799.17	पत्र पर राज्य सरकार
7.	घाटशिला	स्वर्णरेखा	13.10	90.00	4.50	61.18	10.50	3.00	182.28		25.52	207.80	की टिप्पणियां
			280.69	1670.00	111.00	191.52	77.00	302.10	2632.31	221.20	368.52	3222.03	
ग. गुजरात													
8.	अहमदाबाद	साबरमती	4135.36	4273.00	40.00		10.00	24.00	8482.36	200.00	1187.53	9869.89	प्राप्त हुए उपागम पत्र पर राज्य सरकार की टिप्पणियां
घ. कर्नाटक													
9.	सिमोग	तुंग (कृष्णा)	187.99	324.45	2.40	6.00	120.00	4.00	644.84	12.50	90.28	747.62	प्राप्त उपागम
10.	हरिहरा	तुंगभद्रा (कृष्णा)	64.71	59.90	1.20	12.00	30.00	17.09	184.90	49.90	25.89	260.69	पत्र पर राज्य
11.	भद्रावती	भद्रा (कृष्णा)	81.32	63.05	1.20	6.00	225.00	12.03	388.60	39.80	54.50	482.80	सरकार की
12.	देवानगर	तुंगभद्रा (कृष्णा)	176.54	204.38			69.00	28.39	478.31	127.90	66.96	673.17	टिप्पणियां
13.	के.आर.	नगर हवेली	45.34	14.64		5.00	3.00	2.05	70.03	4.73	9.80	84.36	
14.	कोल्लेगल	कावेरी	33.54	8.75	1.20	5.00	15.00	0.31	63.80	1.75	8.93	74.48	
15.	नजांगुड	कावेरी	72.35	37.60			30.00	5.63	145.58	18.00	20.38	183.96	
16.	श्री रंगपट्ना	कावेरी	95.68	19.55	1.20	10.00	30.00	5.80	162.23	8.77	21.71	192.71	
			757.47	732.32	7.20	44.00	522.00	75.30	2138.29	263.35	298.35	2699.79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ङ. मध्य प्रदेश													
17.	इन्दौर	खान	584.60	2567.50	80.00	11.20	250.00	296.00	3789.30	120.00	530.46	4439.76	प्राप्त उपागम
18.	उज्जैन	क्षिप्रा	704.22	1028.60	11.20	263.22	191.67	90.00	2288.91	20.00	320.45	2629.36	पत्र पर राज्य
19.	बूढ़नपुर	ताप्ती	151.75	180.00	6.00	50.00	50.00	38.30	476.04	10.00	66.65	552.70	सरकार की
20.	मण्डीद्वीप	बेतवा		90.00		15.00	34.00	14.00	153.00		21.42	174.42	टिप्पणियां
21.	भोपाल	बेतवा	60.00	60.00			32.00	37.60	189.60	30.00	26.54	246.14	
22.	विदिशा	बेतवा	225.00	110.40	4.00	24.00	30.70	33.90	428.00		59.92	487.92	
23.	[illegible]	नर्मदा	1011.00	104.21	3.00	45.88	41.40	65.00	1270.49	8.64	177.86	1456.99	
24.	सिओनी	वैनगंगा	42.61	35.57	0.80	8.21	15.00	17.46	119.65		16.75	136.40●	
25.	छपरा	वैनगंगा	21.00	4.77	0.60	7.50	12.42	8.07	54.36		7.61	61.97	
26.	किवोलारी	वैनगंगा	13.46	6.87	0.60	14.88	8.28	27.73	71.82		10.05	81.87	
27.	नागदा	चम्बल	320.15	66.00	0.50		10.00	12.00	330.65	15.00	46.29	391.94	
			3033.79	4253.92	108.70	439.39	575.47	660.06	9171.83	303.64	1284.00	10659.47	
च. महाराष्ट्र													
28.	कराड़	कृष्णा	742.50	373.00	10.00		45.00		1170.50	66.50	163.87	1400.87	प्राप्त उपागम
29.	सांगली	कृष्णा	318.84	960.96					1279.80	101.55	179.17	1560.52	पत्र पर राज्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	नासिक	गोदावरी	3109.33	2231.25	25.00	241.00	156.45	114.00	5877.03	542.00	822.78	7241.81	सरकार की
31.	नानदेड़	गोदावरी	828.68	505.40	6.00				1340.08	2.50	187.61	1530.19	टिप्पणियां
			4999.35	4070.61	41.00	241.00	201.45	114.00	9667.41	712.55	1353.43	11733.39	
छ. उड़ीसा													
32.	कटक	महानदी	लागत ब्यौरे की प्रतीक्षा है।						1300.00		169.00	1469.00	
33.	तालचेर	ब्राहिमणी	38.00	276.00	40.00	25.00	40.00	207.50	626.50		45.00	671.50	
34.	चन्दबाली	ब्राहिमणी	40.15		10.00	10.00	30.00		90.15		12.62	102.77	
35.	धर्मशाला	ब्राहिमणी	29.50		10.00	10.00	15.00	139.50	203.50		38.00	241.50	
			107.65	276.00	60.00	45.00	85.00	347.00	2220.15		264.62	2484.77	
ज. पंजाब													
36.	लुधियाना	सतलुज	3150.11	7861.45	59.20		720.00	171.64	11962.40	2785.00	1674.74	16422.14	प्राप्त
37.	जालंधर	सतलुज	1366.39	2588.88	6.00		300.00	14.80	4276.07	810.00	598.65	5684.72	उपागम पत्र
38.	फगवाड़ा	सतलुज	263.39	248.25	1.20		96.00	5.72	614.56	52.00	86.04	752.60	टिप्पणियां परन्तु
39.	फिल्लौर	सतलुज	13.07	13.85	0.60		24.00	1.24	52.76	18.00	7.39	78.15	पंजाब सरकार संचालन एवं रखरखाव की लागत को पूरी तरह वहन करने पर सहमत नहीं है।
			4792.96	10712.43	67.00		1140.00	193.40	16905.79	3655.00	2366.82	22937.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
झ.	राजस्थान												
40.	कोटा	चम्बल	153.47	846.00	3.00	20.00	88.00	35.00	1145.47	7.50	160.36	1313.33	प्राप्त उपागम पत्र
41.	केशवराय पट्टन	चंबल	19.40	18.00	1.20	5.00	10.00	12.50	66.10	5.00	9.25	80.35	पर राज्य सरकार की टिप्पणियां
			172.87	864.00	4.20	25.00	98.00	47.50	1211.57	12.50	169.61	1393.68	
ट.	तमिलनाडु												
42.	कुमार पलयम्	कावेरी	134.80	343.00	1.00	12.00	19.50	10.75	521.05	30.00	72.95	624.00	प्राप्त उपागम पत्र पर
43.	भवानी	कावेरी	132.70	87.78	1.00	42.00	30.00	30.56	314.04	10.00	43.96	368.00	राज्य सरकार की
44.	इरोड	कावेरी	818.18	491.16	1.00	12.00	20.00	19.94	1362.28	16.00	190.72	1569.00	टिप्पणियां
45.	त्रिची	कावेरी	355.00	156.00	1.00	35.00	40.00	13.00	600.00	6.00	84.00	690.00	
46.	पल्ली पलायम्	कावेरी	128.45	307.80	1.00	12.00	18.00	10.82	478.07	24.00	66.93	569.00	
			1569.13	1385.74	5.00	113.50	117.50	85.07	3275.44	86.00	458.86	3820.00	
	कुल योग		21769.15	30347.52	496.50	1143.41	3130.42	1997.93	60184.43	5623.79	8391.41	74199.63	

आई और डी	अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन	स्थापना, अनुसंधान एवं विकास तथा निगरानी पर	
एस.टी.पी.	सीवेज उपचार संयंत्र	होने वाले व्यय का 5 प्रतिशत	= 3009.22
सी.आर.ई.	शवदाहगृह	कुल अनुमानित लागत	= 77208.85
आर.एफ.डी.	नदी तटाग्र विकास	(74199.63 + 3009.22)	
एल.सी.एस.	अल्प-लागत स्वच्छता	राज्य सरकार का हिस्सा 50:50 के आधार पर	= 37099.81
विविध :	वनीकरण, ठोस अपशेष प्रबंध एवं जन-भागीदारी आदि।	केन्द्रीय सरकार का हिस्सा	= 40109.03

शिक्षा का विकेन्द्रीकरण

287. **श्री शान्ताराम पोतदुखे :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिक्षा के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख).यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के अनुसरण में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति ने जिला, उप जिला और ग्राम स्तरों पर शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए। नई दिल्ली में 15 फरवरी, 1994 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया गया। अपनी-2 विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उपयुक्त अनुकूलन और कारगर कार्यान्वयन के लिए रिपोर्ट राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सौंप दी गई है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना

288. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्दौर में भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना किए जाने के बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। इंदौर में एक भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने के इरादे से कुछ उपाय किए गए हैं जिनमें एड्यूकेशनल कन्सल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड (एड. सिल) द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों को रद्द करना

289. **श्री [illegible] :**

श्री [illegible]ार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान कितनी यात्री रेलगाड़ियों को रद्द किया गया ;

(ख) इन रेलगाड़ियों को रद्द करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन रेलगाड़ियों को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.)

290. श्री धर्मण्ण मोण्डय्या सादुल :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में बिहार स्थित कम्पनी के साथ आई.ए.आर. आई. वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फसलों की प्रजातियों को उगाने के लिए वाणिज्यिक समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो उगायी जाने वाली फसलों की प्रजातियों का ब्यौरा क्या है और कम्पनी का ब्यौरा क्या है तथा समझौते की शर्तें क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या आई.ए.आर.आई. का देश के अन्य भागों में स्थित कम्पनियों के साथ इसी प्रकार का वाणिज्यिक समझौता करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या किसानों के खेतों में खड़ी फसलों की प्रजातियां और उनकी वाणिज्यिक फसलों स्वदेश में विकसित किए गए बीजों अथवा आयतित बीजों पर आधारित हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सोन कमान क्षेत्र विकास एजेन्सी (स्केडा) पटना, भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त स्वामित्व और वित्तीय सहायता से चलने वाला एक सरकारी निकाय (पब्लिक सेक्टर बॉडी) है, जिसके साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने चावल, गेहूं, मक्का तथा सब्जियों की फसलों के बीजों के उत्पादन के लिए जानकारी उपलब्ध कराने का समझौता किया है। भारत सरकार की केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा जारी किये गये उपर्युक्त किस्मों के प्रजनक बीज संवर्धन और सम्बन्धित क्षेत्र के किसानों को बेचने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा स्केडा को सप्लाई किये जाएंगे।

(ग) जी नहीं। इस प्रकार का कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

इज्जतनगर स्थित रेल फैक्ट्री

291. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत इज्जतनगर स्थित रेल फैक्ट्री में गत तीन वर्षों के दौरान किये गये विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस फैक्ट्री की क्षमता के अनुसार कार्य नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय लिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन रेल कारखाना, इज्जतनगर में किये गये प्रमुख कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है : –

कार्यकलाप	वर्ष		
	1991–92	1992–93	1993–94
1. मीटर लाइन के सवारी डिब्बों की आवधिक ओवर हालिंग (चौपहिया इकाइयों में)	1242	1334	1380
2. मीटर लाइन के माल डिब्बों की आवधिक ओवर हालिंग (चौपहिया इकाइयों में)	2401	2111	1640
3. मीटर लाइन क्रेन उत्पादन (अदद में)	5	3	कुछ नहीं

(ख) जी, हां। कुछ न्यूनतम क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका।

(ग) मीटर लाइन माल डिब्बों की आवधिक ओवर हालिंग की मात्रा में कमी, आवश्यकता कम होने के कारण हुई। मीटर लाइन की क्रेनों का उत्पादन बंद कर दिया गया है क्योंकि इन क्रेनों की आगे कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) जी नहीं।

महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट

292. श्री रवि राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेइचिंग में आयोजित होने वाले आगामी विश्व महिला सम्मेलन के लिए महिलाओं की स्थिति पर कोई रिपोर्ट तैयार की है ; और

(ख) रिपोर्ट में मुख्य बल किस बात पर दिया गया है तथा इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल द्वारा कौन-कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां। एक ड्राफ्ट कन्ट्री रिपोर्ट तैयार की गई है।

(ख) ड्राफ्ट कन्ट्री रिपोर्ट के प्रमुख विषयों और उसमें परिलक्षित मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. निर्धनता को, और विशेषकर महिलाओं पर उसके प्रभाव को, समाप्त करना।

2. महिलाओं के दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता।

3. भूमि, ऋण, बचत तथा उत्पादन के अन्य कारकों तक महिलाओं की बेहतर पहुंच और नियन्त्रण के ज़रिए उन्हें शक्तिसम्पन्न बनाना।

4. प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों के निर्धारण में न केवल महिलाओं की समस्याओं और उनके मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना, बल्कि महिलाओं के विचारों और आंकाक्षाओं को समझने के लिए सतत् प्रयास करना।

5. पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक सुविधाएं प्रदान करके निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

6. मीडिया में महिलाओं की नकारात्मक छवि को दूर करना।

7. घरेलू और सामाजिक स्तरों पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और हिंसा को समाप्त करना।

8. महिलाओं के मुद्दों को पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध से जोड़ना।

बाघ अभ्यारण्य

293. श्रीमती सरोज दुबे :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बाघ अभ्यारण्यों के क्षेत्र कम होते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो बाघ अभ्यारण्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभिन्न बाघ अभ्यारण्यों के अंतर्गत बाघों के रहने के स्थान में इस कमी को रोकने के लिए सरकार ने क्या निवारक उपाय किए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश

294. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 50 प्रतिशत छात्रों को दिल्ली के कालेजों में आवेदन करने के बावजूद प्रवेश नहीं मिल पाता है ;

(ख) क्या इन छात्रों को इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में भी प्रवेश नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उस समय तक दिल्ली कालेजों की निर्धारित सूचियाँ नहीं निकल पाती है और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि भी समाप्त हो जाती है ; और

(ग) अन्तिम निर्धारित सूचियां घोषित होने के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने हेतु छात्रों को अतिरिक्त समय न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार लगभग 59,947 विद्यार्थियों ने 40 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करते हुए तथा 1053 विद्यार्थियों ने 33-39.9 प्रतिशत अंकों से सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की। इन सभी विद्यार्थियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न कालेजों में आवेदन किया होगा। यह अनुमान है कि नियमित कालेजों में लगभग 32,500 विद्यार्थियों को और नॉन-कालिजिएट महिला शिक्षा बोर्ड में लगभग 5,000 विद्यार्थियों को दाखिले प्रदान किए जाएंगे। बचे हुए विद्यार्थियों को पत्राचार पाठ्यक्रमों और सतत शिक्षा/बाहरी छात्र सेल में आवेदन करना होगा जो इन विद्यार्थियों को दाखिला प्रदान करेंगे। पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल और सतत शिक्षा लगभग 20,000 विद्यार्थियों को दाखिला प्रदान करने की क्षमता रखते हैं जो बी.ए. (पास), बी.काम(पास), बी.काम.(आनर्स) और बी.ए. (आनर्स) अंग्रेजी पाठयक्रमों में अवर स्नातक पाठयक्रम चला रहे हैं।

(ख) और (ग) इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय में बी.ए., बी.काम. और बी.एस.सी. की डिग्रियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 अगस्त, 1994 है। दिल्ली कालेजों में सामान्यतः दाखिले जुलाई के मध्य तक समाप्त हो जाते हैं अतः जो विद्यार्थी दिल्ली कालेजों में दाखिला प्राप्त नहीं कर पाते, वे अभी भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं।

बौद्ध स्थलों पर चांदमारी

295. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार में सीतामढ़ पर्वतों, कोल्हुआ पहाड़, छत्रा में स्थित कई बौद्ध स्थलों और बौद्ध स्मृतिशेषों से भरपूर कई अन्य स्थलों को सीमा सुरक्षा बलों द्वारा इन पर्वतों का उपयोग भारी मोर्टार चांदमारी के रूप में किये जाने के कारण इनके समक्ष आये खतरे की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थलों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारंभिक जांच से यह पता चलता है कि सीमा सुरक्षा बलों द्वारा इन पर्वतों का उपयोग भारी मोर्टार चांदमारी के रूप में किए जाने के कारण उस स्थान को कोई खतरा प्रतीत नहीं होता। विस्तृत जांच पूरी हो जाने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो चांदमारी को अन्यत्र स्थानांतरित करने के मामले पर सीमा सुरक्षा बल के साथ विचार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रान्ति

296. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रान्ति, पशु पालन और मछली संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ 1992-93 और 1993-94 के दौरान वर्षवार और योजनावार कितना धन आबंटित किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है और इसमें कहां तक सफलता मिली ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) मध्य प्रदेश में श्वेत क्रान्ति गोपशु प्रजनन तथा मात्स्यिकी से संबंधित योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है : -

1. श्वेत क्रान्ति के अंतर्गत आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना की निधियों का आबंटन नीचे दिया गया है : -

(लाख रुपये में)

1992-93	1993-94
59.37	46.64

2. पशु प्रजनन के अंतर्गत हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। छठी योजना की 4.79 लाख रुपये की खर्च न की गई धनराशि तथा 1991-92 की 13.00 लाख रुपये की खर्च न की गई शेष धनराशि अर्थात् 17.79 लाख रुपये की कुल धनराशि का 1993-94 के दौरान राज्य को पुनर्वैधीकरण किया गया था।

3. मात्स्यिकी के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है और इनके लिए निर्मुक्त निधियां प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई हैं।

(लाख रुपये में)

योजना का नाम		आबंटन	
		1992–93	1993–94
1.	ताजा जल मछली पालन	34.00	120.00
2.	मछुवारों का कल्याण	2.00	10.00
3.	अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन का सुदृढ़ीकरण	27.50	70.00
4.	अन्तर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी	1.96	2.50

(ख) निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां अनुबंध में दर्शाई गई हैं।

विवरण

	योजना	वास्तविक उपलब्धि	
		1992–93	1993–94
1	2	3	4
(1)	**आपरेशन फलड ***		
1.	मिल्क शेड	7	7
2.	सहकारी डेरी समितियां	3892	3981
3.	कृषक सदस्य (लाख)	1.99	2.01
4.	दुग्ध अधिप्राप्ति (हजार कि.ग्रा. प्रति दिन)	213	296
5.	दुग्ध विपणन (हजार लीटर प्रति दिन)	209	194
6.	दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता (हजार लीटर प्रति दिन)	1000	1000
7.	दुग्ध शुष्कन क्षमता (मीट्रिक टन प्रति दिन)	30	30
(2)	**मात्स्यिकी ****		
1.	ताजा जल मछली पालन		
	1. कवर किया गया जल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	3745	5319
	2. प्रशिक्षित मछुवारे (संख्या)	1543	2290
2.	मछुवारों का कल्याण	45	41

1	2	3	4
3.	अंतर्देशीय मत्स्य विपणन का सुदृढ़ीकरण (स्वीकृत इकाइयों की संख्या)	1	1
4.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी तालाबों तथा टैंकों का किया गया सर्वेक्षण	रायपुर, शहडोल, सिवनी, बस्तर, बैतुल, धार, सरगुजा, सतना तथा जबलपुर।	

* चूंकि शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण सभी परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं हो सकता अतः राज्य के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

** परिव्यय तथा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

[हिन्दी]

शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग

297. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के शिक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ हाल में किए गए समझौतों के विशेष संदर्भ में सहयोग-समझौते हैं, और

(ख) इन समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

कलाकारों को वजीफा

298. श्री दत्ता मेघे : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीब उत्साही कलाकारों (जैसे नाटककारों, संगीतकारों, नृतकों आदि) को वजीफा देने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है और इसके लिए उनका चयन उनकी श्रेष्ठता तथा उपलब्धियों को देखकर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में कितने कलाकारों को इस वर्ष वजीफा दिया गया है और इसकी धनराशि कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) संस्कृति विभाग ने विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में वजीफा प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे। सभी प्राप्त आवेदन-पत्रों को प्रत्येक क्षेत्र के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष उनके विचारार्थ तथा सिफारिशों के लिए प्रस्तुत किया गया।

(ग) वर्ष 1993-94 के लिए कुल 196 उम्मीदवारों का चयन किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में प्रदान किए गए वजीफों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वजीफे की राशि 1000/- रुपये प्रति माह है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान प्रदान किए गए वजीफों की संख्या

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	चयन किए गए उम्मीदवारों की संख्या
1.	मोहिनीयाट्टम	5
2.	कथकली	2
3.	कुचीपुड़ी	12
4.	कत्थक	8
5.	दुर्लभ कला रूप	11
6.	दृश्य-कला	31
7.	हिन्दुस्तानी संगीत	26
8.	छाउ नृत्य/संगीत	7
9.	ओडिसी नृत्य	13
10.	ओडिसी संगीत	4
11.	भरत नाट्यम	11
12.	कर्नाटक संगीत	21
13.	नाटक	17
14.	पाश्चात्य संगीत	3
15.	मणिपुरी नृत्य/संगीत/युद्ध कला	25
	कुल	196

[अनुवाद]

दूरस्थ शिक्षा पर संगोष्ठी

299. श्रीमती दीपिका एच.टोपीवाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में दूरस्थ शिक्षा पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, नई दिल्ली में 30 जून से 2 जुलाई, 1994 तक दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। यह सेमिनार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग, कनाड़ा और दूरस्थ शिक्षा परिषद् द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। इस सेमिनार में विश्वविद्यालयों और पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा एककों और सहायक निकायों द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयों को दर्शाते हुए एक कार्य योजना तैयार की गई। विश्वविद्यालयों को सलाह दी गई कि वे कार्य योजना में सिफारिश किए गये उपायों के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्य शुरू करें।

भारतीय खाद्य निगम का क्षेत्रीय कार्यालय

300. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिल्चर, असम में भारतीय खाद्य निगम का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) संसद सदस्यों और भारतीय खाद्य निगम की स्टाफ यूनियनों सहित विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ सुगमता से और बारम्बार सम्पर्क स्थापित करने और संचार समस्याओं पर काबू पाने के उद्देश्य से सिल्चर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम का गुवाहाटी में अपना आंचलिक कार्यालय है जो निगम के असम और एन.ई.एफ. क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। यह कार्यालय 1989 से कार्य कर रहा है। अधिकारी उस कार्यालय से समस्त एन.ई.एफ. क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न परिचालनों को प्रभावकारी ढंग से निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा, उस क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए सिल्चर में भारतीय खाद्य निगम का जिला कार्यालय पहले से ही विद्यमान है। अतः यह विचार किया गया है कि इस स्थिति में सिल्चर में भारतीय खाद्य निगम का नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलना आवश्यक नहीं है।

मुक्त विश्वविद्यालय

301. डा. सुधीर राय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुक्त विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ;

(ख) इन विश्वविद्यालयों के पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु क्या प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं ताकि ये संस्थाएं शिक्षा के निर्धारित स्तर को बनाए रखें ;

(ग) क्या कोटा मुक्त विश्वविद्यालय अपन शुरू होने के समय से ही अपने छात्रों को डिग्रियां प्रदान करता रहा है ;

(घ) यदि हां, तो किन-किन वर्षों की अभी तक डिग्रियां नहीं दी गई हैं ; और

(ङ) बकाया डिग्रियां देने का क्या कार्यक्रम है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित मुक्त विश्वविद्यालयों को उपयुक्त घोषित करने के नियमों के अनुसार आयोग किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार, आयोग या किसी भी ऐसे अन्य संगठन से जो केन्द्रीय सरकार से निधि प्राप्त कर रहा है, से अनुदान प्राप्त करने के लिए तब तक उपर्युक्त घोषित नहीं कर सकता जब तक कि आयोग मुख्यतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में संतुष्ट नहीं हो जाता : -

(1) विधान मोटे तौर पर इं.गां.रा.मु.वि. अधिनियम, 1985 के समरूप हो ;

(2) अध्ययन केन्द्रों का नेटवर्क इं.गां.रा.मु.वि. की सिफारिशों के अनुसार हो ; तथा

(3) (i) विकसित भूमि

(ii) 5 प्रोफेसरों/5 रीडरों व 20 लेक्चररों का कोर स्टाफ

(iii) भवन

(क) प्रशासनिक

(ख) शैक्षिक (कोर संकाय महमान तथा अंशकालिक संकाय व उनका सहायक स्टाफ, पुस्तकों व कैसेटों के लिए पुस्तकालय, सेमिनार व समिति कक्ष)

(ग) सामग्री संग्रहण व वितरण।

(घ) अतिरिक्त स्थान के साथ स्टूडियो।

(4) कम से कम 20 व्यक्तियों के लिए संकाय गेस्ट हाउस

(5) आवश्यक स्टाफ के लिए क्वार्टर

(6) जैसा कि इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सिफारिश की है, स्थान तैयारी व स्टूडियो हेतु उपकरण सहित संगणक पद्धति

(7) पुस्तकें व पत्रिकाएं

(8) मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित अध्ययन केन्द्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं।

(ख) देश में मुक्त व दूरस्थ पद्धति हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद एक शीर्ष निकाय ने इस उद्देश्य के लिए एक कोर्ट निर्धारण पैनल स्थापित किया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसूर-कण्णनोर के बीच नई रेल लाइन

302. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर-कण्णनौर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीज अधिनियम

303. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता की राय जानने तथा राज्य सरकारों और किसानों के संगठनों के विचार हेतु प्रस्तावित बीज अधिनियम का ब्यौरा परिचालित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस क्षेत्र में राज्य सरकारों, किसान संगठनों और विशेषज्ञों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) इस समय बीज अधिनियम, 1966 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारों और बीज उत्पादक व्यापारी संघ से दाण्डिक प्रावधानों की समीक्षा, अधिसूचना और प्रमाणीकरण में संशोधन और विभिन्न समितियों में बीज उद्योग के प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ सुझाव मिले हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

304. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिषद में किन-किन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और इस परिषद के सदस्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परिषद के प्रतिनिधियों को किन-किन शक्तियों और सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्त मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 4 में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को गठित किए जाने की व्यवस्था है। यह परिषद, केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में गठित क्रर ली गई है और नागरिक पूर्ति, उपभोक्त मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। अन्य सदस्यों में राज्यों के खाद्य मंत्री, संसद सदस्य, केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा स्वायत्त संगठनों, उपभोक्ता संगठनों, महिलाओं, किसानों, व्यापार व उद्योग के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(ग) परिषद् के गैर सरकारी सदस्य, परिषद् अथवा उनके तहत गठित किसी कार्य दल की बैठकों में भाग लेने के लिए आने व जाने हेतु प्रथम श्रेणी के रेल के किराए तथा 100/- रुपये प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता लेने के हकदार हैं। संसद सदस्य उन्हें स्वीकार्य दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते के हकदार हैं। परिषद द्वारा पारित संकल्प अनुशंसाकारी स्वरूप के होते हैं।

[अनुवाद]

नारियल के पेड़ लगाना

305. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल विकास बोर्ड द्वारा केरल में गत तीन वर्षों के दौरान शुरू किये गये कार्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केरल में नारियल के पेड़ों का विकास करने के लिये कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) नारियल विकास बोर्ड ने केरल में नारियल पौध रोपण के विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। पिछले तीन वर्षों में उपयोग की गयी धनराशि निम्नलिखित है : -

(लाख रुपये में)

किए गए कार्य	1991-92	1992-93	1993-94
1 2	3	4	5
1. नारियल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार	35.887	36.150	60.299
2. टी एक्स डी पौधों का उत्पादन और वितरण	7.700	14.450	10.463
3. नारियल की छोटी जोतों में समेकित खेती	67.893	70.000	463.823

1	2	3	4	5
	4. नारियल उत्पादकों को सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता मुहैया करना	1.500	3.505	-
	5. ड्रिप सिंचाई योजना	50.000	9.404	-
	6. प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्म	2.599	6.520	10.240
	7. डी एस पी फार्म से संलग्न नर्सरी		4.702	2.000
	8. पत्ती केटर पिलर का समेकित नियंत्रण	-	-	4.323

(ख) और (ग) सरकार ने आठवीं योजना के दौरान 3062.76 लाख रुपये के कुल परिव्यय से केरल में ऊपर उल्लेख किए गए के अनुसार नारियल पौधरोपण के विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

गैर-सरकारी संगठन

306. डा. आर. मल्लू : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता मामलों और उनके अधिकारों की रक्षा में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता मामलों से संबंधित किसी पत्रिका का प्रकाशन करने का है ; और

(घ) क्या सरकार यह कार्य गैर-सरकारी संगठनों को संचार और पक्षसमर्थन के रूप में सौंपेगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्त मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की उपभोक्ता कार्यों में लगे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय समर्थन देने की दो योजनाएं हैं। पहली योजना के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत पंजीकृत उपभोक्त संगठनों की 25000/- रुपये (75 प्रतिशत अनुदान आधार पर) की अधिकतम सीमा तक वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल में सरकार ने उपभोक्ता कल्याण निधि की भी स्थापना की है। जिसके अंतर्गत कोई भी एजेन्सी/संगठन जो तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत पंजीकृत है और जो तीन वर्ष से उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत अधिक से अधिक 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) मंत्रालय "उपभोक्ता जागरण" नामक एक तिमाही पत्रिका पहले ही निकाल रहा है। इस कार्य को किसी गैर सरकारी संगठन को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय सिविल सेवा नियम

307. श्री मुही राम सैकिया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अभी केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगठन को मान्यता) नियम 1993 को अभी अपनाया नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह मद केन्द्रीय विद्यालय संगठन शासी मण्डल की 58वीं बैठक की कार्य सूची में शामिल था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपने शासी बोर्ड के अनुमोदन से के.सि.से. (सेवा संगठन को मान्यता) नियम, 1993 को अभी अपनाया जाना है।

(ग) और (घ) शासी बोर्ड की 58वीं बैठक अभी नियत की जानी है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

308. श्री सूरज भानु सोलंकी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं और इन पर कितना व्यय किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की गई महत्वपूर्ण/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में संगत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इन योजनाओं का मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में बहुत योगदान रहा है। वर्ष 1991-92 के उत्पादन के मुकाबले 1993-94 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में 15 प्रतिशत, कपास में 64 प्रतिशत तथा तिलहनों में 53 प्रतिशत वृद्धि होने की प्रत्याशा है।

विवरण

	योजना का नाम	1991-92 से 1993-94 तक निर्मुक्त धन (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्य क्रम-मक्का और कदन्न।	442

1	2	3
2.	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम – गेहूं	447
3.	समेकित चावल विकास कार्यक्रम।	595
4.	समेकित कपास विकास कार्यक्रम।	92
5.	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।	1048
6.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।	2257
7.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।	5480

[अनुवाद]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

309. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंत्रालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद कर सकता है किन्तु दोषी उद्योगों के विरुद्ध आर्थिक दंड नहीं लगा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उचित संशोधन लाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदर्भ एक्सप्रेस

310. श्री रामचन्द्र मारोत राव घंगारे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ एक्सप्रेस को चन्दूर स्टेशन पर रोकने की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गयी, लेकिन इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

तम्बाकू का उत्पादन

311. श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तम्बाकू की विभिन्न किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन किस्मों का उत्पादन किन-किन स्थानों पर किया जा रहा है और 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उनका किस्मवार, कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या अंतराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय तम्बाकू की मांग है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी किन-किन किस्मों की मांग है और उनकी खपत किन-किन देशों में है ; और

(ङ) तम्बाकू की इन किस्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां।

(ख) भारत के मुख्य तम्बाकू उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। भारत में उगाई जाने वाली तम्बाकू की मुख्य किस्में फ्लू-क्यूर्ड विर्जीनिया, बीड़ी, नाटू, चुरूट, हुक्का, सिगार और चबाने वाली तम्बाकू हैं। एफ.सी.वी. तम्बाकू की खेती आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिले तथा कर्नाटक के परिवर्ती क्षेत्र में केन्द्रित है। बीड़ी तम्बाकू की खेती मुख्यतया गुजरात के चारोतर क्षेत्र, जिसमें खेड़ा और बड़ोदरा जिले शामिल हैं, कर्नाटक के बेलगाम जिले के नेपानी क्षेत्र और महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिलों तक सीमित है। चबाने वाला तम्बाकू मुख्यतया तमिलनाडु के कोयम्बटूर, अन्ना और पेरियार जिले में उपजाया जाता है। चबाने वाला तम्बाकू बिहार के वैशाली, समस्तीपुर, पुर्णिया, मुजफ्फरपुर जिले, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और जलपाईगुडी जिले, उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद और एटा जिले में उपजाया जाता है। सिगार का तम्बाकू तमिलनाडु के त्रिची और अन्ना जिले तथा सिगार रैपर पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में उपजाया जाता है। 1992-93 और 1993-94 के दौरान विभिन्न प्रकार के तम्बाकू का आकलित क्षेत्र और उत्पादन निम्नवत है : -

	क्षेत्र (1000 है.)		उत्पादन (1000 टनों में)	
	1992-93	1993-94 (अनंतिम)	1992-93	1993-94 (अनंतिम)
एफ.सी.वी. तम्बाकू	155.2	122.0	161.4	125.0
बर्ली, नाटू तम्बाकू	47.0	50.0	59.0	60.0
बीड़ी का तम्बाकू	117.9	125.0	186.6	195.0
सिगार और चुरूट तम्बाकू	12.8	13.4	14.7	15.0
हुक्का तम्बाकू	25.9	27.7	71.6	74.0
चबाने का तम्बाकू	51.9	59.8	74.0	78.0
स्नफ	7.0	8.2	13.3	13.0
	417.7	406.1	580.6	560.0

(ग) जी हां।

(घ) फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया, बर्ली और नाटु का तम्बाकू महत्वपूर्ण किस्म के तम्बाकू हैं जिनका 50 से भी अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। मुख्य आयातक देश रूस, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नेपाल, अल्जीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, लिबिया, बंगला देश आदि हैं।

(ङ) (1) तम्बाकू विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय तम्बाकू की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एफ.सी.वी. तथा बीड़ी के तम्बाकू के शुद्ध बीज और पौद के उत्पादन और वितरण तथा उन्नत पैकेज आफ प्रैक्टिस को अपनाने हेतु कृषकों को प्रशिक्षण देने के वास्ते योजनेतर स्कीमें चला रहा है।

(2) तम्बाकू के न्यूनतम सतर्थन मूल्य की सिफारिश करने के लिए कृषि लागत और मूल्य हेतु आंकड़े तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश में एफ.सी.वी. तम्बाकू के उत्पादन की लागत का मूल्यांकन करने के लिए योजना चलाई जा रही है।

(3) बेहतर तकनीकों और उच्च उत्पादक किस्मों, जिन्हें उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्पादकों तक पहुंचाया जा सके, को विकसित करने के लिए केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री और इसके उपकेन्द्रों में अनुसंधान कार्य।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

312. श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री काशी राम राणा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां पर प्रतीक्षागृह, रेस्टोरेंट, पीने का पानी, शौचालय, विश्रामगृह तथा छत वाले प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो रेलवे सलाहकार बोर्ड को ऐसे कितने मामले सुपुर्द किए गए हैं ;

(ग) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान इन सुविधाओं को स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्री की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान सहायता

313. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अनुदान सहायता की कितनी राशि आबंटित की है ;

(ख) क्या सभी विश्वविद्यालयों ने अनुदान राशि का पूरा उपयोग किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या किसी विश्वविद्यालय ने बिना उपयोग में लायी गयी राशि को वापस किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय आबंटन के संबंध में कोई नई योजना मंजूर की है ; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूकम्प पीड़ितों को सहायता

314. श्री रामकृष्ण कोंवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किल्लारी और अन्य क्षेत्रों के भूकम्प पीड़ितों को राहत देने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए महाराष्ट्र को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता आबंटित की गई तथा कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) आज तक भूकम्प राहत के लिए दानकर्ताओं (विदेशी दाताओं सहित) से कुल कितना अंशदान प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार को भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) महाराष्ट्र के भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के लिये महाराष्ट्र सरकार को आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश की 41.25 करोड़ रुपए की पांच किश्तें अग्रिम तौर पर दे दी गई थी।

(ख) राहत और पुनर्वास उपायों के लिए महाराष्ट्र सरकार को विदेशी दानकर्ताओं सहित दानकर्ताओं से अब तक 243.37 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास के लिये एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के लिये अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ से 246 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण द्वारा सहायता दी जा रही है। ऋण करार पर 6 अप्रैल, 1994 को हस्ताक्षर किए गए थे और ऋण 27 जून, 1994 को प्रभावित हो

गया। इस कार्यक्रम में मकान, बुनियादी ढांचा, आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास तथा तकनीकी सहायता शामिल है। कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 39 गांवों में 1330 मकान बनाये जा चुके हैं और 4798 मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी कार्य चल रहा है।

नया रेलवे स्टेशन

315. **श्री राम कापसे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को मुलुण्ड और ठाणे रेलवे स्टेशनों के बीच एक रेलवे स्टेशन खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को मुफ्त पास

317. **श्री ललित उरांव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथी के साथ मुफ्त रेल यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी ;

(ख) क्या सरकार को मुफ्त रेलयात्रा सुविधा संबंधी पास जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस संबंध में कोई जांच कराई गयी है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(च) इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे	उन स्वतंत्रता सेनिनियों की संख्या जिन्हें 1.1.1994 से 30.6.1994 तक की अवधि के दौरान एक सहयोगी के साथ पहले दर्जे का मानार्थ कार्ड पास जारी किया गया था।
1	2
मध्य	2424

1	2
पूर्व	4474
उत्तर	3522
पूर्वोत्तर	2543
पूर्वोत्तर सीमा	444
दक्षिण	2194
दक्षिण मध्य	4599
दक्षिण पूर्व	1359
पश्चिम	907

(ख) से (च) मूल पेंशन भुगतान आदेश/जहां से पेंशन प्राप्त होती है उस बैंक से जारी जीवित होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्रता सेनानियों को मानार्थ कार्ड पास जारी किये जाते हैं। उनका नवीकरण किया जाता है। अभी तक रेल मंत्रालय को जाली पेंशन भुगतान आदेश/जीवित होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके ऐसे पासों को जारी करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के स्थगन के बारे में गृह मंत्रालय से पत्र प्राप्त होने पर पास यदि कोई जारी किया गया हो, को रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन

318. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दूध का राज्य-वार उत्पादन कुल कितना है ;

(ख) इस समय दुग्ध उत्पादन का राष्ट्रीय औसत कितना है और इसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है;

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) राज्यवार कुल दुग्ध उत्पादन, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता का राष्ट्रीय औसत तथा उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के संदर्भ में दुग्ध उत्पादन राष्ट्रीय औसत से पहले ही अधिक है।

(घ) से (च) राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के अलावा देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं को उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में चलाया जा रहा है।

1. हिमिकृत वीर्य प्रौद्योगिकी तथा सन्तति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार।

2. आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

3. राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना।

4. पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

5. व्यावसायिक दक्षता विकास।

6. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।

7. गैर-आपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेरी विकास।

8. आपरेशन फ्लड-3 के अंतर्गत कार्यक्रम। इन योजनाओं के आठवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहने की संभावना है।

विवरण

राज्यवार दुग्ध उत्पादन

(अनन्तिम)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93 (000 मीटरी टन)	प्रति व्यक्ति दूध की प्रति दिन की उपलब्धता (ग्राम)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3103	124
2.	अरूणाचल प्रदेश	42	128
3.	असम	657	77
4.	बिहार	3360	102
5.	गोवा	28	63
6.	गुजरात	3795	244
7.	हरियाणा	3215	596
8.	हिमाचल प्रदेश	610	310

1	2	3	4
9.	जम्मू और कश्मीर	600	205
10.	कर्नाटक	2590	153
11.	केरल	1889	173
12.	मध्य प्रदेश	4879	195
13.	महाराष्ट्र	4102	138
14.	मणिपुर	83	119
15.	मेघालय	52	77
16.	मिजोरम	11	41
17.	नागालैंड	37	79
18.	उड़ीसा	530	44
19.	पंजाब	5583	736
20.	राजस्थान	4570	274
21.	सिक्किम	30	192
22.	तमिलनाडु	3468	167
23.	त्रिपुरा	34	32
24.	उत्तर प्रदेश	10649	203
25.	पश्चिम बंगाल	3023	118
26.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	193
27.	चण्डीगढ़	37	147
28.	दादरा और नगर हवेली	4	75
29.	दमण और दीव	1	26
30.	दिल्ली	250	68

[अनुवाद]

—आर्सेनिक विषाक्तता

319. श्री चित्त बसु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल की आर्सेनिक विषाक्तता के कारणों का पता लगाने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और पेयजल से इस विषाक्तता को दूर करने के लिए इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं ; और

(ग) इस पर आगे क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जाली टिकट

320. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में जाली रेल टिकट बेचे जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान प्रत्येक जोन में ऐसी गतिविधियों में शामिल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ङ) जाली टिकटों की बिक्री से अनुमानतः कितनी धनराशि की हानि हुई है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों का रेलवेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

रेलवे	गिरफ्तार किये गए व्यक्ति	
	रेल कर्मचारी	बाहरी व्यक्ति
मध्य	4	2
पूर्व	-	5
उत्तर	2	38
पूर्वोत्तर	4	3
पूर्वोत्तर सीमा	-	-
दक्षिण	-	-
दक्षिण मध्य	-	-
दक्षिण पूर्व	-	1
पश्चिम	-	-
जोड़	10	49

(ग) और (घ) राजकीय रेलवे पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जाती है।

(ङ) पकड़े गये जाली टिकटों की कीमत केवल 22,856/- रुपये थी।

(च) रेलगाड़ियों और प्लेटफार्मों पर वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा नियमित और व्यापक जांच की जाती है। वाणिज्य विभाग और सतर्कता शाखा के धोखा-धड़ी विरोधी दस्ता द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है। जहां बाहरी व्यक्ति शामिल होते हैं, वहां रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो भी सहयोग देती हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण

321. श्री हरिन पाठक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से किन्हीं अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए कोई निर्णय लिया है : और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार किए गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हां।

किए गए कार्य, जिससे सभी राज्य लाभान्वित हुए, के ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल हैं : -

(1) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत देय उपकर पर छूट देकर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(2) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए शत-प्रतिशत अपकर्षण भत्ता दिया जाता है।

(3) उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले इलाके से अन्यत्र ले जाने को प्रोत्साहित करने के लिए भवन/भूमि और सामग्री के स्थानान्तरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभों को कर से छूट दी जाएगी।

(4) साझा बहिस्राव शोधन सुविधाएं स्थापित करने के लिए लघु पैमाने के उद्योगों को पूंजीगत निवेश पर 25 प्रतिशत या 50 लाख जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता दी जाती है।

(5) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम भी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए ब्याज की कम दरों पर ऋण देते हैं।

(6) प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपकरणों और कलपुर्जों पर 35 प्रतिशत + 5 प्रतिशत पूरक प्रभार की घटाई गई दरों पर सीमा शुल्क वसूला जाता है।

(7) जिन विनिर्मित सामग्रियों का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है उन पर 5 प्रतिशत की अल्प दरों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

(8) राख और फास्फोजिप्सम की ईंट और ब्लाक्स विनिर्माण को उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है।

(9) ऐसे कर दाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 35 सी सी बी के तहत छूट दी जाती है जो उन एसोसिएशनों अथवा संस्थाओं को किसी भी राशि का भुगतान करके खर्च उठाते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों को चलाते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

322. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास 1994-95 के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली के यमुना-पार के क्षेत्र में कितने नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी हां। शैक्षिक वर्ष 1994-95 के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सिविल/रक्षा क्षेत्र में 20 केंद्रीय विद्यालय तथा परियोजना क्षेत्र में 3 केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्रों में कोई नया केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत केंद्रीय विद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	स्थान	राज्य
1	2	3
1.	मछलीपटनम	आंध्रप्रदेश
2.	श्रीकाकुलम	-वही-
3.	खगड़िया	बिहार
4.	बी.एस.एफ. किशनगंज	बिहार
5.	दिल्ली छावनी, नं. 4	दिल्ली
6.	एन.टी.पी.सी. गंधार विद्युत परियोजना	गुजरात (परियोजना सेक्टर)

1	2	3
7.	सिरसा	हरियाणा
8.	आई.टी.बी.पी., सरहान	हिमाचल प्रदेश
9.	ए.जी., ग्वालियर	मध्य प्रदेश
10.	डूंगरगढ़, राजनंदगांव	-वही-
11.	सागर	मध्य प्रदेश
12.	भोपाल	-वही-
13.	जी.ए.आई.एल.झबुआ	-वही- (परियोजना सेक्टर)
14.	गोपालपुर छावनी	उड़ीसा
15.	ढेनकनाल शहर	उड़ीसा
16.	एन.टी.पी.सी. तलचर जिला अंगुल	उड़ीसा (परियोजना क्षेत्र)
17.	कोटा	राजस्थान
18.	भीलवाड़ा	-वही-
19.	मानसरोवर, जयपुर	-वही-
20.	गोंडा	उत्तर प्रदेश
21.	चोपान	-वही-
22.	भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून	-वही-
23.	वर्धमान	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

वामनपुरम सिंचाई परियोजना

323. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से वामनपुरम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए वन भूमि के नियतन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केरल में वामनपुरम् सिंचाई परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अंतरण के बारे में इस मंत्रालय को केरल सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार के लिए नई रेलगाड़ियां

324. श्री लाल बाबू राय :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार जाने वाली गाड़ियों में अन्य मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की अपेक्षा अधिक भीड़ होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं ; और

(ग) बिहार के लिए नई रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) विभिन्न खंडों पर बिहार जाने वाली गाड़ियों सहित गर्मियों की छुट्टी, दिवाली और होली जैसे कुछ उत्सवों के दौरान भीड़-भाड़ होती है।

(ग) 1994-95 में नयी सेवाएं शुरू की गयी हैं जो बिहार के यात्रियों को भी सेवित करती है : -

1. कटिहार-सियालदह एक्सप्रेस

2. दिल्ली-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-एक्सप्रेस (सप्ताह में चार दिन)

3. नयी दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

4. नयी दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

इसके अलावा निम्नलिखित गाड़ियों के फेरे बढ़ाये गये हैं जो बिहार के यात्रियों को भी सेवित कराती हैं।

1. नयी दिल्ली-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस

सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर 5 दिन

2. इंदौर-हवड़ा शिप्रा एक्सप्रेस

सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन।

3. ग्वालियर-हावड़ा चम्बल एक्सप्रेस

सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन।

[अनुवाद]

सीसे का आयात

325. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1994 को "नव भारत टाइम्स" में देश में खतरनाक प्रदूषक सीसे के आयात के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान कितनी मात्रा में ऐसे सीसे का आयात किया गया और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विकसित देशों ने जमीन के अंदर गाड़ने, जलाने और समुद्र में फेंकने जैसे इसके अनुचित समापन पर कठोर प्रतिबन्ध लगा रखा है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि यह सामग्री व्यापार के लिए वर्गीकृत सामग्री नहीं है इसलिए आयात के संबंध में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) विकसित देशों में इस प्रकार के अपशिष्टों के निपटान को अनेक कानूनों और विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(घ) सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1989 अधिसूचित कर दी है। इन नियमों के अनुसार किसी भी देश से परिसंकटमय अपशिष्टों के निपटान और जमा करने के लिए भारत में आयात की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, प्रत्येक मामले को गुण-दोष के आधार पर जांच करने के बाद प्रसंस्करण अथवा कच्चे माल के रूप में पुनः प्रयोग के लिए ऐसे अपशिष्टों के आयात की अनुमति दी जा सकती है।

खाद्य तेलों के स्टॉक की सीमा

326. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भण्डारण नियंत्रण आदेश (स्टरोरेज कंट्रोल आर्डर), 1977 के अंतर्गत विभिन्न संगठनों को दी गयी छूट को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्टॉक की सीमा संबंधी निर्णय खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि को रोकने में कहां तक सहायक होगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगमों/कंपनियों अथवा सांविधिक निगमों या केन्द्रीय स्तर अथवा राज्य स्तर की सहकारी समितियों, जो खाद्य तेलों तथा खाद्य तिलहनों के उत्पादन, अधिप्राप्ति, बिक्री, खरीददारी या वितरण के कार्य में लगी हैं, को दालें, खाने योग्य तिलहन, खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 के तहत उल्लिखित खाद्य तेलों तथा खाद्य तिलहनों की स्टाक सीमाओं से छूट को 31.5.1994 को एक अधिसूचना द्वारा वापिस ले लिया है। तथापि, सरकार द्वारा ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के संगठनों को जहां कहीं न्यायोचित हो, ऐसी छूट दे दिए जाने के लिए नियंत्रण आदेश में 28.6.1994 को एक अन्य अधिसूचना के जरिए और संशोधन किया गया। तदनुसार दिनांक 30.6.1994 को एक अलग अधिसूचना के जरिए 22 संगठनों को विशिष्ट रूप से निर्धारित सीमाओं तक ऐसी छूट दी गई है।

(ग) सरकार द्वारा संगठनों के कुछ वर्गों को खाद्य तेलों तथा खाद्य तिलहनों के लिए निर्धारित स्टाक सीमाओं से पहले ही दी जा रही छूट को वापिस लेने के निर्णय से खाद्य तेलों के मूल्यों पर संयतकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। चूंकि मूल्यों में उतार-चढ़ाव अनेक कारणों से होता है, अतः स्टॉक सीमाओं के बारे में किए गए निर्णय के प्रभाव के परिणाम को अलग से नहीं बताया जा सकता है।

[हिन्दी]

मथुरा में खेलकूद सुविधाएं

327. डा. साक्षी जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा जिले में खेलकूद के विकास और आधारभूत सुविधाएं कराने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने 25.85 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मथुरा जिले में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु 23.8.92 को एक प्रस्ताव भेजा था। जांच करने पर प्रस्ताव में कुछ कमियां पाई गईं और राज्य सरकार से 16.8.93 को अनुरोध किया गया था कि वह सभी आयामों को शामिल करते हुए तथा सभी प्रासंगिक ब्यौरे दर्शाते हुए पूरे ब्यौरों सहित परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत करें। चूंकि राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ अतः 15.11.1993 को प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।

गुजरात में रेल परियोजनाएं

328. श्री एन.जे. राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में चल रही रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन पिछड़ा हुआ है ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के लिए नियत धन रोक लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात के छोटा-उदयपुर आदिवासी क्षेत्र में बंद पड़ी रेल लाइन को चालू कर उसे बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके लिए कितनी धन राशि नियत की गई है करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

(च) परियोजना के अलाभप्रद होने और संसाधनों की भारी तंगी के कारण।

[अनुवाद]

दूध का उत्पादन

329. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न और कृषि संगठन के हाल के "खाद्यान्न सर्वेक्षण" की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत में दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कुल कितने दूध का उत्पादन हुआ ;

(घ) विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों के बीच भारत की क्या स्थिति है ;

(ङ) क्या भारत दूध के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है ; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी हां। खाद्य और कृषि संगठन की खाद्यान्न सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 1994 में विकसित देशों के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। एशिया में प्रत्याशित वृद्धि 2 प्रतिशत है। भारत में हाल के वर्षों की वृद्धि दर के अनुरूप उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन नीचे दिया गया है : -

	(मिलियन मीटरी टन में)
1991-92	55.7
1992-93	57.8 (अनन्तिम)
1993-94	60.8 (प्रत्याशित)

(घ) दुग्ध उत्पादन करने वाले देशों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी विश्वविद्यालय

330. श्री पवन दीवान :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में, इसके स्वरूप, संरचना, स्थान, वित्तीय आवश्यकताओं और अन्य संबंधित मामलों के बारे में सुझाव देने के लिए डा. शिवमंगल सिंह 'सुमन' की अध्यक्षता में जुलाई, 1992 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने 1.5.1993 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसकी जांच, सरकार ने अन्य संबंधित विभागों/मंत्रालयों के साथ परामर्श करके, की जा रही है।

खाद्यान्नों का नियतन

331. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरण के लिए पश्चिम बंगाल को वर्ष-वार और वस्तुवार कितनी मात्रा में चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल की आपूर्ति की गई ;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष के लिए इन वस्तुओं की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) पश्चिम बंगाल को 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान सप्लाई किए गए चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल की मात्राएं निम्नानुसार हैं : -

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं	चीनी	मिट्टी का तेल
1991-92	591.8	895.6	328.80	718.16
1992-93	494.2	711.3	333.98	733.11
1993-94	528.9	821.8	333.98	742.92

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और ये आबंटन मांग, मौसमी उपलब्धता और विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, उठान की प्रवृत्ति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के मासिक आबंटन 1.10.1986 को परियोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक समान मानदण्ड के आधार पर किए जा रहे हैं। इस आधार पर पश्चिम बंगाल का लेवी चीनी का मासिक कोटा 25,888 मीटरी टन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल को प्रति वर्ष 7796 मीटरी टन का त्यौहार कोटा भी आबंटित किया जाता है।

पश्चिम बंगाल को वर्ष 1994-95 के दौरान 7,48,563 मीटरी टन मिट्टी का तेल आबंटित करने का निर्णय किया गया है।

[हिन्दी]

बोधगया और राजगीर के बीच रेल संपर्क

332. श्री प्रेम चन्द राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गया और राजगीर के बीच रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 1991 के दौरान कोई सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आरक्षण केन्द्र

333. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री बलराज पासी :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी रेलवे आरक्षण केन्द्रों को एकल कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितना पूंजी निवेश किया जाएगा और इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(घ) यह परियोजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) इस उद्देश्य के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके एक नया साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

(ग) परियोजना की कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपये है जिसमें से 1.5 करोड़ रुपये चालू वर्ष के लिए नियत किये गये हैं।

(घ) चालू वर्ष में साफ्टवेयर का परीक्षण सिंकदराबाद में आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर जालतंत्र का अन्य स्थानों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम

334. श्री राम विलास पासवान : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय देश में राज्यवार कितने गोदाम हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित सरकारों ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन अब तक

8 अधिसूचनाएं जारी की हैं जिनमें भारतीय खाद्य निगम के 193 केन्द्रों को कवर किया गया है। जिनमें ठेका श्रमिकों को रोज़गार देने पर रोक लगाई गई है।

(ग) 31.03.94 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार हैं : -

राज्य	गोदामों की संख्या
1	2
अरूणाचल प्रदेश	3
असम	40
एन.ई.एफ.	26
पश्चिम बंगाल	84
बिहार	51
उड़ीसा	46
दिल्ली	10
उत्तर प्रदेश	229
राजस्थान	88
हरियाणा	121
पंजाब	427
हिमाचल प्रदेश	18
जम्मू और कश्मीर	16
मध्य प्रदेश	146
गुजरात	53
महाराष्ट्र	62
कर्नाटक	54
तमिलनाडु	31
आन्ध्र प्रदेश	164
केरल	33
जोड़ :	1702

सूखा प्रवण क्षेत्रों में वृक्षारोपण

335. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री राजेश कुमार :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है ;

(ग) इस संबंध में राज्य-वार अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी सहायता दी है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) सूखा प्रवण क्षेत्रों वाले राज्यों सहित सम्पूर्ण देश में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप बराबर चलाए जा रहे हैं। सूखा प्रवण क्षेत्रों वाले राज्यों में वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(घ) वर्ष 1991-92, 1992-93 के दौरान वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलापों पर हुए व्यय, जिममें केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता भी शामिल है। तथा वर्ष 1993-94 के लिए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण - II में दर्शाया गया है।

विवरण - I

वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 (वनीकरण/वृक्षारोपण के अन्तर्गत राज्यवार लक्ष्यों और उपलब्धियों को बताने वाला विवरण।)

*हैक्टैयर क्षेत्र

लाख पौध

क्रम सं.	राज्य/सं. शा. प्रदेश का नाम	1991-92				1992-93				1993-94			
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
		पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्व. भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1600.00	30000.00	1775.91	56590.00	1850.00	63450.00	1102.63	47453.00	1950.00	70000.00	917.19	34530.00
2.	बिहार	700.00	50000.00	837.00	46333.00	600.00	48000.00	180.00	20357.00	750.00	50000.00	190.03*	45855.39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	गुजरात	2400.00	73000.00	2511.86	63480.00	2500.00	70000.00	2281.46	64847.00**	1500.00	68000.00	1631.76	85277.00
4.	हरियाणा	300.00	45000.00	271.30	31551.00	300.00	37050.00	300.00	34826.00	300.00	37500.00	231.81	33823.00
5.	जम्मू व कश्मीर	150.00	10000.00	75.00	15170.61	50.00	20000.00	64.83	17010.85**	60.00	20000.00	42.01	15928.20
6.	कर्नाटक	900.00	50000.00	437.17	34705.54	555.00	38500.00	374.38	36479.97	450.00	42500.00	274.19	46429.36
7.	मध्य प्रदेश	600.00	95000.00	614.60	103151.00	600.00	110000.00	600.12	121394.19	400.00	125000.00	439.00	125187.19
8.	महाराष्ट्र	1230.00	125000.00	1101.61	151255.86	1150.00	163000.00	824.97	153621.38**	1200.00	180000.00	1067.48	100062.17
9.	उड़ीसा	500.00	57000.00	428.52	58389.80	500.00	60000.00	425.42	74134.85	550.00	75000.00	390.04	70819.00
10.	राजस्थान	350.00	82500.00	330.59	85050.00	350.00	65000.00	405.13	66729.00	400.00	65000.00	453.34	67238.00
11.	तमिलनाडु	800.00	54000.00	1013.84	68144.00	875.00	65000.00	1037.36	113553.10	1000.00	114000.00	1124.32	86016.51
12.	उत्तर प्रदेश	3400.00	90000.00	3192.47	89565.11	3390.00	90000.00	3468.29	100139.26**	3200.00	85000.00	2929.00	83723.24
13.	पश्चिम बंगाल	850.00	45000.00	846.00	47540.00	1000.00	50000.00	802.00	50000.00	800.00	45000.00	800.00**	38200.00**
	योग	13780.00	806500.00	13435.87	850925.92	13720.00	88000.00	11866.59	900545.60	12560.00	977000.00	10490.17**	833089.06*

* अनंतिम

** संशोधित

विवरण - II

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1991-92, 1992-93 के दौरान वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप के लिए राज्यवार व्यय तथा वर्ष 1993-94 हेतु आबंटन

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संधशासित प्रदेश	1991-92 व्यय	1992-93 व्यय	1993-94 आबंटन
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2376.92	3671.15	3324.70
2.	बिहार	1643.65	1864.70	3381.46
3.	गुजरात	6467.48	6663.94	6684.06
4.	हरियाणा	4151.92	3940.35	3777.40
5.	जम्मू व कश्मीर	1486.83	931.55	1108.02
6.	कर्नाटक	3830.06	5844.53	7548.06
7.	मध्य प्रदेश	6392.49	5884.01**	7350.68**
8.	महाराष्ट्र	6565.34	6321.10	8936.45
9.	उड़ीसा	2444.22	3842.85	4069.50
10.	राजस्थान	8034.63**	9390.41**	12550.44**
11.	तमिलनाडु	3891.94	5111.08	5199.39
12.	उत्तर प्रदेश	7238.96	9174.84	9043.33
13.	पश्चिम बंगाल	2398.72**	3618.21	2098.30
	योग :	57123.16	66258.72	75071.77**

* अनंतिम

** संशोधित

[अनुवाद]

महिला कल्याण योजनाएं

336. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को कई केन्द्रीय योजनाओं में शामिल करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री : (क) और (ख) निर्धनता उन्मूलन तथा महिला विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत, गरीबी रेखा से नीचे व्यतीत करने वाली महिलाओं को विकास सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार की कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं : -

(1) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

इस स्कीम का उद्देश्य लक्ष्य वर्ग (ग्रामीण निर्धन), जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, के चुने हुए परिवारों को आयोत्पादक स्कीमें आरम्भ करने के लिए सक्षम बनाना है। चयनित लाभार्थियों में से 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिएं।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास

इस स्कीम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले महिला परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आत्मनिर्भरता के आधार पर आयोत्पादक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के अंतर्गत समर्थन सेवाएं भी शामिल हैं।

(3) ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना तथा स्वरोजगार कार्यक्रम

इस स्कीम के अन्तर्गत स्वरोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम के तहत प्रशिक्षित युवावर्ग का कम कम 40 प्रतिशत भाग महिलाएं होनी चाहिएं।

(4) जवाहर रोजगार योजना

ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की इस योजना के अन्तर्गत, रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

(5) प्रशिक्षण तथा रोजगार परियोजनाओं को सहायता

इस कार्यक्रम का उद्देश्य, निर्धन तथा सम्पत्ति-विहीन महिलाओं के कौशल का उत्थान करना, उन्हें संघटित करना और जागरूक बनाना तथा पारम्परिक क्षेत्रों में महिलाओं को दीर्घकालिक आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना है।

(6) प्रशिक्षण-सह-रोजगार-सह-उत्पादन केन्द्र

इस स्कीम के अन्तर्गत, निर्धन महिलाओं को गैर-पारम्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्वायत्त निकायों/स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और महिलाओं को दीर्घकालिक आधार पर रोजगार प्रदान किया जाता है।

(7) सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जरूरतमंद महिलाओं जैसे निराश्रित, विधवाओं, परित्यक्त, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई तथा विकलांग महिलाओं को "कार्य तथा मजदूरी" उपलब्ध कराई जाती है।

(8) राष्ट्रीय महिला कोष

इस कोष का उद्देश्य ऐसी निर्धनतम तथा सम्पत्ति-विहीन महिलाओं की गैर-सरकारी संगठनों/स्व-सहायता दलों के जरिए सहायता करना है, जिन्हें अपना वर्तमान रोजगार बनाए रखने, भावी रोजगार के सृजन तथा परिसम्पत्ति सृजन के लिए ऋण की आवश्यकता है।

(9) नेहरू रोजगार योजना

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा बेरोजगारों एवं अल्प-नियोजित व्यक्तियों के लिए श्रम और मजदूरी उपलब्ध कराने के प्रयोजन से तैयार की गई है। इस योजना के अंन्तर्गत, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के साथ-साथ महिला लाभार्थी एक विशेष लक्ष्य वर्ग है।

शोध छात्रवृत्ति

337. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस निर्णय से सरकार पर कितना आर्थिक भार बढ़ेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कनिष्ठ शोध अध्येताओं तथा शोध सहयोगियों के पारिश्रमिक को 1-4-1994 से संशोधित करने का निर्णय लिया है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से है : -

1. कनिष्ठ शोध अध्येता

विद्यमान पारिश्रमिक प्रतिमाह	संशोधित पारिश्रमिक प्रतिमाह
प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में	प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में
1800.00/- रुपये	2500.00/-रुपये
अनुवर्ती वर्षों के लिये	अनुवर्ती वर्षों के लिये
2100.00 रुपये	2800.00 रुपये

2. शोध सहयोगी

विद्यमान पारिश्रमिक प्रतिमाह	संशोधित पारिश्रमिक प्रतिमाह
2200-100-2700 रुपये	2800-100-3300 रुपये
2700-100-3200 रुपये	3300-100-3800 रुपये
3200-100-3700 रुपये	3750-125-4375 रुपये
3700-125-4325 रुपये	4325-125-4700-150-5000 रुपये

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को परामर्श दिया है कि उपर्युक्त वृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी : -

(1) वर्ष 1994-95 के लिये वचनबद्धता इस वर्ष के बजट आकलनों के अनुसार होगी।

(2) वर्ष 1994-95 में कनिष्ठ शोध अध्येता वृत्तियों और शोध एसोसिएटशिप की संख्या को उचित रूप से कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय चालू वर्ष की वचनबद्धता से अधिक न हो।

[हिन्दी]

भूमिगत पैदल पारपथ का निर्माण

338. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में रामघाट सड़क रेल क्रासिंग पर एक भूमिगत पैदल पारपथ का निर्माण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसका निर्माण कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) और (ख) राज्य सरकार को अभी ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। राज्य सरकार द्वारा निचले सड़क पुल के पूर्ववर्ती प्रस्ताव में मार्च, 94 में परिवर्तन करके ऊपरी सड़क पुल कर दिया है। ऊपरी सड़क पुल के प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार द्वारा मांगा गया तकनीकी स्पष्टीकरण 6.4.94 को दे दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिये जाने के बाद प्रस्ताव को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। कार्य की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों को पूरा करने के साथ-साथ पुल खास का निर्माण पूरा कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

339. **श्री डी.वेंकटेश्वर राव :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खरीफ, 1994 के लिए नियंत्रण मुक्त उर्वरकों हेतु तदर्थ राजसहायता के भुगतान के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय लेने में अब तक हुए विलंब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) किसानों को रियायती दर पर विनियन्त्रित फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री की योजना को 1994-95 के दौरान जारी रखने के लिए 10 जून, 1994 से निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अनुमोदित किया गया है।

(रुपये प्रति टन)

उत्पाद	प्रति टन रियायत
स्वदेशी डी.ए.पी.	1000/-
एम.ओ.पी.	1000/-
एस.एस.पी.	340/-
स्वदेशी मिश्रण	435 रुपये से 999 रुपये तक

इस बार, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों से प्राप्त बिक्री की सूचना के आधार पर उत्पादकों/आयात कर्त्ताओं (एम.ओ.पी. के लिए) को सीधे ही भुगतान किया जाए।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र की लम्बित परियोजनाएं

340. श्री अन्ना जोशी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की कौन-कौन सी विभिन्न विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय तथा वन स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) ये कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) परियोजनाओं के प्राप्त होने की तारीख सहित उनके नाम तथा विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं : -

1. पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित परियोजनाएं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्त होने की तारीख	विलम्ब के कारण
1	2	3	4
1.	अपर पेनगंगा परियोजना सिंचाई विभाग	मई, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
2.	महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड की नागोथाणे कम्बाइंड साइकिल गैस टरबाइन पावर परियोजना	जून, 1992	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
3.	उरान में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की वेस्ट हीट रिकवरी परियोजना (3X120)	जून, 1993	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
4.	कसालकुण्डे तालुका कुंडल, ज़िला सिंधुदुर्ग में हवाई अड्डा	जुलाई, 1993	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
5.	शिरडी, तालुका कोपेरगांव, जिला अहमदनगर में हवाई अड्डा	फऱवरी, 1993	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
6.	वरली-बान्द्रा सम्पर्क रोड़ बम्बई।	जुलाई, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
7.	बम्बई पत्तन ट्रस्ट में सब-मेरीन पाइप लाइन बिछाना	मार्च, 1994	अतिरिक्त सूचनी की प्रतीक्षा है।
8.	मै. निप्पन डेनेरो इस्पात लि. की कैप्टिव जैटी, तहसील-पेन, ज़िला रायगढ़।	मई, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
9.	आर सी एफ का मेलामाइन संयंत्र थाल	फरवरी, 1993	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
10.	विरर/चिंचोली अण्डरग्राउण्ड प्रोजेक्ट	अक्तूबर, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
II.	**वानिकी मंजूरी के लिए लम्बित परियोजना :**		
1.	नागौन (बोनजारी नाला) में परकोलेशन टैंक	मई, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
2.	भिलानी-1 में परकोलेशन टैंक	मई, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
3.	आपातकाल के लिए जल पाइप लाइन बिछाना, मुरूवाड जल आपूर्ति स्कीम	मई, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
4.	डांडोरी लघु सिंचाई टैंक	अप्रैल, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
5.	बम्बई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना।	मई, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
6.	रानीपुर में लघु सिंचाई तालाब का निर्माण	मई, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
7.	पालांदुर लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	फरवरी, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
8.	सेरसाला में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	फरवरी, 1994	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
9.	चासकासमैन प्रोजेक्ट	दिसम्बर, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
10.	नया साक्या परियोजना का निर्माण	नवम्बर, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
11.	अपर पेनगंगा परियोजना ईसापुर राईट बैंक नहर	मार्च, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
12.	देवलाली फील्ड फाइटिंग परियोजना	सितम्बर, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
13.	निजी वनों की बहाल की गई भूमि के बनेत्तर प्रयोजन के लिए	जून, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
14.	उटावली मंझौली सिंचाई परियोजना का निर्माण	जुलाई, 1993	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
15.	निंबाला में लघु सिंचाई तालाब का निर्माण	मार्च, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
16.	बाघजिरा में लघु सिंचाई तालाब का निर्माण	जून, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
17.	निम्बादेवी लघु सिंचाई तालाब का निर्माण	जून, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
18.	कालापथरी टैंक परियोजना का निर्माण	जून, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
19.	नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्टस कॉम्पलैक्स की स्थापना	जून, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
20.	बाघढ़ी में परकोलेशन टैंक का निर्माण	जून, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
21.	खुड़की में परकोलेशन टैंक का निर्माण	जून, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
22.	रायपुर में परकोलेशन टैंक का निर्माण	जून, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
23.	पनाला में परकोलेशन टैंक का निर्माण	जून, 1994	कार्रवाई की जा रही है।

(ग) परियोजना प्रस्तावों की पर्यावरणीय मंजूरी पर अंतिम निर्णय अपेक्षित सूचना प्राप्त होने की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर ले लिया जाएगा। इन्हें परियोजना प्राधिकारियों से मांगा गया है।

[हिन्दी]

कारखाना-बाह्य चीनी मूल्य

341. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना-बाह्य चीनी मूल्य सरकार द्वारा खुले बाजार में चीनी की बिक्री के लिए चीनी मिल मालिकों से परामर्श करने के बाद निर्धारित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1993 से जून, 1994 के दौरान चीनी का माहवार कारखाना-बाह्य मूल्य कितना था ;

(ग) अक्तूबर, 1992 से सितम्बर, 1993 के दौरान अलग-अलग चीनी का कितना माहवार मूल्य निर्धारित किया गया ;

(घ) चीनी के मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार क्या मानदण्ड अपना रही है; और

(ङ) सामान्यतः एक समय पर कारखाना-बाह्य मूल्य कितनी अवधि के लिए निर्धारित किया जाता है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ङ) खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी का कारखाना-बाह्य मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय बीज निगम के बिक्री केन्द्र

342. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बीज निगम के कितने बिक्री केन्द्र हैं ;

(ख) इन बिक्री केन्द्रों का राज्यवार कारोबार कितना-कितना है ;

(ग) क्या इन राज्यों में और अधिक बिक्री केन्द्र खोले जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो ये बिक्री केन्द्र कहां-कहां खोले जाएंगे ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नवत् है : -

राज्य	राष्ट्रीय बीज निगम के बिक्री केन्द्र	डीलरों की संख्या
गुजरात	5	77
मध्य प्रदेश	4	72

(ख) इन दो राज्यों में राष्ट्रीय बीज निगम के बिक्री केन्द्रों और डीलरों का वार्षिक कारोबार इस प्रकार रहा: -

(लाख रुपये में)

राज्य	राष्ट्रीय बीज निगम के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बिक्री	डीलरों के माध्यम से	राज्य सरकार के माध्यम से
गुजरात	0.78	12.82	12.52
मध्य प्रदेश	5.53	32.59	62.62

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में स्टाफ क्वार्टर

343. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान दिल्ली में रेलवे के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सभी कर्मचारियों को सरकारी आवास कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हालांकि सभी रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करने के वास्ते कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, फिर भी अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है जिसे धन की समग्र उपलब्धता के आधार पर रेलवे के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल करके शुरू किया जाता है।

[अनुवाद]

कृषि भूमि

344. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यवार कुल कितनी कृषि भूमि उपलब्ध है ;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस समय राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में कृषि हो रही है ; और

(ग) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की शेष कृषि भूमि को खेती करने योग्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) भू-उपयोग आंकड़े, 1990-91 (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृष्ट भूमि द्वारा दर्शाई गई राज्यवार कुल कृषि भूमि (कृष्य क्षेत्र) और कृषि अधीन क्षेत्र इस प्रकार हैं :

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य	कुल कृष्य क्षेत्र	कुल कृष्ट क्षेत्र
अरूणाचल प्रदेश	267	174
असम	3229	2794
मणीपुर	164	140
मेघालय	1074	261
मिजोरम	584	248
नागालैंड	642	308
त्रिपुरा	312	271

(ग) शेष कृष्य भूमि से और अधिक क्षेत्र को कृषि अधीन लाने के लिए भूमि को कृषि योग्य बनाने, मृदा और जल संरक्षण तथा सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था के विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

साहित्य सुधाकर को मान्यता

345. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई हिन्दी विद्यापीठ द्वारा दी जाने वाली "साहित्य सुधाकर" की डिग्री को मान्यता दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या "साहित्य सुधाकर" डिग्री धारक छात्र संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के डिग्रीधारी छात्र उच्चतर शिक्षा जैसे एम.ए. (हिन्दी) के लिए मानित विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार ने बंबई हिंदी विद्यापीठ द्वारा प्रदान की गई "साहित्य सुधाकर" की उपाधि में हिंदी के स्तर को बी.ए. में हिंदी के स्तर के समकक्ष होने के रूप में मान्यता दी थी। अतः यह मान्यता केवल हिंदी के स्तर

के संबंध में है और इसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई बी.ए. की उपाधि के समकक्ष नहीं समझा जाना है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। क्योंकि "साहित्य सुधाकर" अपने आप में बी.ए. की पूर्ण उपाधि के समकक्ष नहीं है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

346. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में ही 'अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ' से विश्वविद्यालय की स्थिति के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार द्वारा संक्षेप में उन परिस्थितियों की व्याख्या करने जिनमें कुलपति, विश्वविद्यालय कोर्ट अथवा 'विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद' की ओर से कार्य कर सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में उठाए गए विषयों का सम्बन्ध सामान्यतः विश्वविद्यालय में प्रवेश, परीक्षाओं, नियुक्तियों तथा वित्तीय मामलों में होने वाली कथित बुनियादी अनियमितताओं, उपकुलपति द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग तथा उसके कार्य-संचालन की शैली तथा उपकुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की संविधि तथा अध्यादेशों के कथित जानबूझकर किए गए स्पष्ट उल्लंघन से भी है। इस ज्ञापन में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत, एक विजिटर द्वारा जांच किए जाने का भी सुझाव दिया गया है। दिनांक 10 जुलाई, 1994 के इस ज्ञापन पर सरकार ध्यान दे रही है।

(ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट तथा कार्यकारी परिषद् तथा अन्यों के साथ इस विश्वविद्यालय के प्राधिकारी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19(3) में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कुलपति, यदि चाहे तो किसी भी विषय पर, आवश्यक कार्रवाई कर सकता है तथा इस अधिनियम के द्वारा अथवा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा वह उस विषय में अपने द्वारा की गई कार्रवाई से सम्बन्धित प्राधिकारी को सूचित भी करेगा। इस अधिनियम में यह भी बताया गया है कि सम्बद्ध प्राधिकारी यदि चाहे कि वह कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो यह मामला विजिटर के साथ उठाया जा सकता है तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विश्वविद्यालय में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, यदि अधिनियम की इस उपधारा के अन्तर्गत कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसे

निर्णय लिए जाने की तारीख से तीन मास के अन्दर कार्यकारी परिषद् में इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है और कार्यकारी परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। तथा उसे बदल भी सकती है।

यात्रियों के लिए बीमा योजना

347. श्री एस.एम.लालजान बाशा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे यात्री बीमा योजना को लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेल यात्री बीमा योजना 1-8-1994 से लागू की जा रही है।

महिलाओं के लिए विशेष रेलगाड़ियां

348. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से मुम्बई में उपनगरीय हार्बर लाइन पर महिलाओं के लिये रेलगाड़ी चलाने हेतु आग्रह प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मालभाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली

349. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मालभाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने का है ;

(ख) क्या यह प्रणाली पहले से ही कुछ टर्मिनलों में प्रचालन में रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसे किन-किन स्थानों पर अभी तक प्रचालित किया गया है ;

(घ) देश के बाकी हिस्सों को मालभाड़ा के प्रचालन के संबंध में कब तक कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा; और

(ङ) इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) जी नहीं। केवल परीक्षण किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए आगरा कैंट, मथुरा, तुगलकाबाद, शकूरबस्ती, नई दिल्ली नियंत्रण कार्यालय, गाजियाबाद, टूंडला, मेरठ सिटी, सहारनपुर, अंबाला कैंट, आजादपुर, सब्जीमंडी, जींद, दिल्ली कैंट, बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर में टर्मिनल संस्थापित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने और प्रणाली का मूल्यांकन करने तथा उसको स्वीकृति देने के बाद, आरंभ में इसके पूरे उत्तर रेलवे में और उसके बाद अन्य क्षेत्रीय रेलों में उत्तरोत्तर विस्तार करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

चीनी की गुणवत्ता

350. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी चीनी उद्योग द्वारा उत्पादित चीनी की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी की गुणवत्ता के संबंध में कोई मानदंड निश्चित किए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उसके कार्यान्वयन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) आई.एस.एस. ग्रेड और अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने चीनी उत्पादन के लिए भारत में वैक्यूम पैन चीनी फैक्ट्रियों के लिए भारतीय चीनी मानक निर्धारित किए हैं। क्रिस्टल चीनी के 3 ग्रेन आकारों अर्थात् एल, एम और एस में 6 ग्रेड प्रचलित हैं, जिसमें हर ग्रेन साइज समूह में दो रंग हैं अर्थात् 30 और 29 तद्नुसार सफेद क्रिस्टल चीनी के निर्धारित आई.एस.एस. ग्रेड निम्न प्रकार हैं : -

आई.एस.एस. ग्रेड	-	एल-30
आई.एस.एस. ग्रेड	-	एल-29
आई.एस.एस. ग्रेड	-	एम-30
आई.एस.एस. ग्रेड	-	एम-29
आई.एस.एस. ग्रेड	-	एस-30
आई.एस.एस. ग्रेड	-	एस-29

क्रिस्टल चीनी, जो ग्रेन साइज या रंग में विर्निदिष्ट अपेक्षाओं से कम है, "आई.एस.एस. ग्रेड से कम" मानी जाएगी।

(ङ) खाद्य मंत्रालय, शर्करा निदेशालय के निरीक्षण अधिकारी (शर्करा) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी की गुणवत्ता जांचने के उद्देश्य से चीनी के नमूने लेने के लिए समय-समय पर चीनी फैक्ट्रियों का दौरा करते हैं। चीनी की गलत ग्रेडिंग से संबंधित अपराधों के लिए चूककर्ता चीनी फैक्ट्रियों के खिलाफ चीनी (पैकिंग एवं मार्किंग) आदेश, 1970 के उपबंधों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

आई.एस.एस.ग्रेड और अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड की तुलना

	प्लांटेशन व्हाईट सुगर	वैक्यून पैन चीनी के भारतीय मानक विनिर्देश (प्लांटेशन व्हाईट)	कोडक्स एलीमेन्ट्रेयस कमीशन के अनुसार व्हाईट सुगर के विनिर्देश
1	2	3	4
1.	पोलोराइजेशन	99.5 प्रतिशत न्यूनतम	99.5 प्रतिशत न्यूनतम
2.	मोइस्चर	0.08 प्रतिशत अधिकतम	0.1 प्रतिशत अधिकतम
3.	कलर (इकूमसा यूनिट)	150 अधिकतम	150 अधिकतम
4.	इनवर्ट सुगर	0.1 प्रतिशत अधिकतम	0.1 प्रतिशत अधिकतम
5.	कन्डक्टीविटी ऐस	0.1 प्रतिशत अधिकतम	-
6.	सल्फर डाइआक्साइड	70 मिलीग्राम प्रति कि. अधिकतम	70 मिलीग्राम प्रति कि. अधिकतम
7.	आरसनीक	1 मिलीग्राम प्रति कि. अधिकतम	-
8.	लैड	2 मिलीग्राम प्रति कि. अधिकतम	-
9.	कॉपर	2 मिलीग्राम प्रति कि. अधिकतम	-

[अनुवाद]

नए महाविद्यालय

351. श्री रवि राय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत नए महाविद्यालयों को मान्यता देने के संबंध में हाल में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से संबद्ध करने हेतु भूमि तथा पर्याप्त कर्मचारी वर्ग सहित न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं का उल्लेख है : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों के सम्बद्धन की शर्तों के सम्बन्ध में मानक दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। उपरोल्लिखित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं : -

क. अस्थायी सम्बद्धन :

- जैसा कि समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च)/12 ख में निर्धारित किया गया है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कालेजों को छोड़कर सभी कालेजों का प्रबंध यथावत गठित तथा पंजीकृत सोसायटी या न्यास या स्थानीय निकाय या शासी निकाय देखेंगे।
- अध्यापन स्टाफ के अध्यापन पदों की संख्या व योग्यताएं (जैसा कि विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है) उनकी भर्ती प्रक्रिया व सेवा की शर्तें विश्वविद्यालय के विधान/अध्यादेश/विनियमों के अनुसार होंगी तथा वे कालेज द्वारा चलाए जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रमों में छात्रों को उपयुक्त अनुदेश प्रदान करने वाले हों।
- कालेज के अधिकार में कम से कम 5 एकड़ निर्विवाद भूमि होनी चाहिए, महानगर में 2 एकड़ की छूट दी जा सकती है तथा वह कालेज हेतु प्रस्तावित भवन का नक्शा देंगे।
- कालेज का एक भवन होगा जिसमें शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा और भविष्य में इसके विस्तार के लिए भी पर्याप्त गुंजाइश होगी।
- कालेज विश्वविद्यालय को संतुष्ट करेगा कि पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हैं और कालेज ने अक्षय निधि जमा करवा दी है।
- कालेज इस बात के लिए भी संतुष्ट करेगा कि इसे अपने सतत और कुशल कार्य संचालन के लिए अपने स्वयं के स्रोतों से पर्याप्त आवर्ती आय है।

- संबद्धता प्रदान करने संबंधी किसी भी आवेदन पत्र पर, जिस पर नए कालेज खोलने के
लिए राज्य सरकार की सुस्पष्ट सहमति न हो, विचार नहीं किया जाएगा।

- संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करते समय, कालेज, चांहे वह
सरकारी हो अथवा गैर सरकारी हो, स्टाफ और अन्य अनिवार्य भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

ख. स्थायी संबद्धन

अस्थायी संबद्धता के लिए निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त कालेज स्थायी संबद्ध प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करेगा : -

* कॉलेज के पास अविवादित भूमि है।
* कॉलेज ने प्रस्तुत किए गए नक्शे के अनुसार भवन का निर्माण किया है।
* कालेज ने पूरी अक्षय निधि जमा करा दी है।
* कालेज की एक विधिवत गठित प्रबंध समिति है।
* स्टाफ को निर्धारित मानकों और योग्यताओं के अनुसार नियुक्त किया गया है।
* स्टाफ को नियमित रूप से और समय पर पूरे वेतन और अन्य भत्तों का अनुदान दिया जा रहा है।
* कालेज विश्वविद्यालय के विधान अध्यादेशों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है।
* कालेज की एक विधिवत गठित कालेज परिषद् है, जिसमें कालेज के कार्य संचालन के बारे में, प्रधानाचार्य को परामर्श देने के लिए इसके शिक्षण स्टाफ का उचित प्रतिनिधित्व है।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को राज्य सरकारों और संबद्ध विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

फलदार वृक्ष लगाना

352. श्रीमती सरोज दुबे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में फलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु किसी कार्यक्रम के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं, जो मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं, के माध्यम से फल विकास के लिए सहायता दे रही हैं : -

(1) आठवीं योजना के 74.30 करोड़ रुपये के परिव्यय से सभी राज्यों में फलों के विकास हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना चलाई जा रही है जिसमें पौध रोपण सामग्री का उत्पादन, क्षेत्र विस्तार, पुराने बागानों का पुनरुद्धार, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

(2) 250 करोड़ रुपये के परिव्यय से कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें फलों सहित केवल बागवानी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई, पादप घर, प्लास्टिक मल्च के उपयोग हेतु सहायता शामिल है।

(3) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की पौषणिक उद्यान योजना 12.50 करोड़ की लागत पर घरेलू आहातों में फल लगाने के लिए सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

बच्चों का शोषण

353. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के यौन शोषण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विनिदेशों का मूल्यांकन करने हेतु गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए तथा इस प्रकार के शोषण के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) बाल वेश्याओं के शोषण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई है।

(ख) अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 और उसकी पूरक भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बच्चों सहित सभी मानवों का व्यापार निषिद्ध है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, किसी बच्चे अथवा अवयस्क द्वारा वेश्यावृति से संबंधित मामलों में ज्यादा जुर्माना, दण्ड निर्धारित हैं।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में उपेक्षित अथवा अपराधी किशोरों, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, की देखभाल, सुरक्षा, उपचार तथा पुनर्वास का प्रावधान है।

अधिनियमों को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए हैं। इस बारे में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठकें भी की गई हैं।

बहुत-सी राज्य सरकारों ने अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में राज्य सरकार समितियां बनाई हैं, जो वेश्यावृति के शिकार युवा लोगों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार तथा पुनर्वास के लिए उपायों के सुझाव देंगी।

वेश्यावृति के शिकार लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए सरकार का अल्पावास गृहों तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित गृहों का एक व्यापक नेटवर्क है। अल्पावास गृहों में योग्य डॉक्टरों, मनश्चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हैं। किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत गृहों में इस प्रकार की सेवाएं अंशकालिक आधार पर उपलब्ध हैं।

बालिका दक्षेस दशक (1991-2000) के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें बालिका की उत्तरजीविता, सुरक्षा और विकास पर बल दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवा ढांचे के जरिए किशोर लड़कियों के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। लड़कियों की सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने के लिए कार्रवाई और समर्थन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, ताकि उनके प्रति सामाजिक रवैये में परिवर्तन लाया जा सके।

खाद्यान्नों को नुकसान

354. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में और विशेषतौर पर मध्य प्रदेश में वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण की सुविधा के अभाव में वर्षा और नमी के कारण प्रतिवर्ष कितने खाद्यान्नों को नुकसान पहुंचा है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) समस्त देशो में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के स्टाक का भण्डारण निगम द्वारा वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। वैज्ञानिक भण्डारण प्रणाली के अभाव में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षा/नमी के कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारित खाद्यान्नों को कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं पहुंची है।

मणिपुरी भाषा

355. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुरी भाषी लोगों के दो गुटों के बीच उनकी भाषाओं के मुद्दे पर कोई विवाद है ;

(ख) क्या विष्णुप्रिया मणिपुरियों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखा गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस समस्या का समाधान ढूंढने का है ; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) भारत सरकार के पास उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, मणिपुर सरकार ने संबंधित भाषाई समूहों के स्कूली बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर तक शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रमुख भारतीय भाषाएं सामान्यतः हिन्दी, बंगाली और मणिपुरी और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टंगखुल, ह्मर पैते, लुशाई और

थाडू कुकी जैसी उप-भाषाओं की व्यवस्था की है। राज्य सरकार ने मणिपुरी भाषा की विभिन्न उप-भाषाओं के बीच कोई भेद नहीं रखा है। स्कूलों में भाषा विषयों के शिक्षण और शिक्षा के माध्यम के मामलों में राज्य सरकारों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है और भारत सरकार ऐंसे मामलों में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी नहीं करती है।

मैसूर और हुबली कार्यशाला

356. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर कार्यशाला को बड़ी लाइन की कार्यशाला में परिवर्तित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कार्यशाला को कब तक बड़ी लाइन की कार्यशाला में परिवर्तित कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) मैसूर कारखाने को बड़ी लाइन के कारखाने में बदलने का कार्य प्रगति पर है।

(ख) मैसूर कारखाने को बड़ी लाइन के कारखाने में बदलने का कार्य 11.50 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत पर 1993-94 के रेलवे बजट में अनुमोदित किया गया था। 1994-95 के रेलवे बजट में इसके लिए 2.48 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कारखाने को बड़ी लाइन के कारखाने में बदलने का कार्य मार्च, 1996 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

अंडों का उत्पादन

357. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान, राज्यवार, अंडों का अनुमानित उत्पादन कितना रहा ;

(ख) चालू वर्ष के लिये अंडों के उत्पादन के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं और इस समय अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है ; और

(ग) सरकार ने अंडों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान अण्डों का प्रत्याशित उत्पादन तथा 1994-95 के दौरान अण्डों के राज्यवार उतपादन के लक्ष्य अनुबंध में दिए गए हैं। 1993-94 के दौरान देश में अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 27 रही हैं।

(ग) अण्डों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपायों पर बल दिया गया है : -

1. कुक्कुट पालकों को गुणवत्ता वाले चूजों की उपलब्धता में वृद्धि करना।
2. कुक्कुट के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक शीर्ष निकाय की स्थापना।

3. सहकारी आधार पर कुक्कुट इकाइयों के संगठन से छोटे किसानों के लाभ को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4. प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि किसानों तथा कामगारों के मध्य व्यापक आधार पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा सके।

5. अपेक्षित प्रोत्साहनों तथा आवश्यक साज-सामान की सहायता प्रदान करने के द्वारा कुक्कुट उत्पादों के निर्यात की संभावना पर पूरा-पूरा विचार

6. मण्डी हस्तक्षेप कार्यों को विस्तारित किया जाएगा।

विवरण

राज्यवार अण्डा उत्पादन

(लाख संख्या में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 (प्रत्याशित उपलब्धि)	1994-95 (लक्ष्य)
1	2	3	4
राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	41000	43000
2.	अरूणाचल प्रदेश	320	325
3.	असम	5790	6090
4.	बिहार	14500	15000
5.	गोवा	920	940
6.	गुजरात	4750	5000
7.	हरियाणा	5278	5460
8.	हिमाचल प्रदेश	620	700
9.	जम्मू और कश्मीर	3170	3200
10.	कर्नाटक	14450	16510
11.	केरल	18450	19500
12.	मध्य प्रदेश	10900	11200
13.	महाराष्ट्र	24400	25700

1	2	3	4
14.	मणिपुर	940	1080
15.	मेघालय	720	740
16.	मिजोरम	25	28
17.	नागालैण्ड	430	480
18.	उड़ीसा	5300	5600
19.	पंजाब	23000	24000
20.	राजस्थान	3400	3500
21.	सिक्किम	135	145
22.	तमिलनाडु	29200	30660
23.	त्रिपुरा	400	420
24.	उत्तर प्रदेश	9000	13090
25.	पश्चिम बंगाल	25500	27000
	कुल राज्य	**242598**	**259368**
संघ राज्य क्षेत्र			
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	510	4570
27.	चण्डीगढ़	370	370
28.	दादरा और नगर हवेली	70	75
29.	दमण और दीव	30	35
30.	दिल्ली	650	700
31.	लक्षद्वीप	45	50
32.	पाण्डिचेरी	130	135
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1805	1935
	सकल योग	244403	261303

केन्द्रीय विद्यालयों में उत्तीर्णता प्रतिशत

358. डा. सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 1994 में आयोजित परीक्षा में केन्द्रीय विद्यालय के

विद्यार्थियों का उत्तीर्णता प्रतिशत वर्ष 1993 की परीक्षा और गैर-केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में कम रहा है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) के.मा.शि. बोर्ड के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली क्षेत्र को छोड़कर जहां पास प्रतिशतता गैर-केंद्रीय विद्यालय स्कूलों की तुलना में, वर्ष 1993 में 87.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1994 में 81.1 प्रतिशत रह गई है, केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 1994 में कक्षा XII में, उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रतिशतता में वर्ष 1993 के परिणामों की तुलना में वृद्धि हुई है। कं.मा.शि.बां. के अन्य क्षेत्रों में इलाहाबाद क्षेत्र में, 82.4 प्रतिशत से घटकर 81.4 प्रतिशत आ जाने की 1 प्रतिशत की मामूली कमी को छोड़कर, केंद्रीय विद्यालयों ने गैर केंद्रीय विद्यालयों की तुलना में बेहतर परिणाम हासिल किए हैं।

कक्षा X के परिणामों के संबंध में यह देखा गया है कि दिल्ली क्षेत्र के स्कूलों में 89.4 प्रतिशत से बढ़कर 89.9 प्रतिशत होने की मामूली वृद्धि को छोड़कर कं.मा.शि.बां. क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रतिशतता में वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में समान्यतः कमी आई है। गैर-केंद्रीय विद्यालय स्कूलों की तुलना में, मद्रास क्षेत्र के कंद्रीय विद्यालयों ने वर्ष 1994 में गैर केंद्रीय विद्यालयों के 87.8 प्रतिशत की तुलना में 91.9 प्रतिशत दर्शाते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं।

तथापि चूंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन और सी.बी.एस.ई. क्षेत्रों में स्कूलों का क्षेत्रीय सामूहीकरण एक समान नहीं है, अतः उक्त से केवल सामान्य प्रवृत्ति का पता चलता है।

(ग) से (ङ) दिल्ली के स्कूलों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशतता में आई महत्वपूर्ण कमी के कारणों की केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जांच की जा रही है। ताकि उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

वीरप्पा मोइली समिति

359. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के सम्बन्ध में गठित वीरप्पा मोइली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इन सिफारिशों पर कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा और अब तक किन-किन सिफारिशों को लागू किया गया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ) चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के सम्बन्ध में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई थी। तथापि, 4.11.1993 को आबकारी मंत्रियों के सम्मेलन में शीरे और अल्कोहल से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिए एक कार्यकारी ग्रुप का गठन किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के आबकारी मंत्री शामिल थे और श्री वीरप्पा मोइली, मुख्य मंत्री कर्नाटक इसके अध्यक्ष थे। कार्यकारी ग्रुप ने 11 जून, 1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और इसकी सिफारिशों की रसायन और उर्वरक मंत्रालय में जांच की जा रही है।

इजरायली कृषि तकनीकें

360. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री मंजय लाल :

श्री राम प्रसाद सिंह :

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किसी भारतीय शिष्टमंडल ने इजराइल में अपनाई जा रही कृषि तकनीकों का अध्ययन करने के लिए वहां का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और दौरों का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या ये तकनीक भारत के लिए उपयुक्त पाई गई है ;

(घ) यदि हां, तो किसानों को इन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में कोई समझौता हुआ है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) भारत में इजरायली तकनीकों को अपनाए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (च) कुछ सरकारी भारतीय शिष्ट-मंडलों ने इजरायल में कृषि क्षेत्र का अध्ययन करने के लिये हाल ही में इजरायल का दौरा किया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : -

(1) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रयोजित पांच सदस्यीय शिष्टमंडल का 6 जुलाई से 12 जुलाई 1992 तक का दौरा।

(2) इजरायल सरकार द्वारा मई, 1993 में आयोजित कृषि तकनीकी प्रदर्शनी का दौरा करने के लिये महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री शरद पवार की अध्यक्षता में गया शिष्ट मंडल, और

(3) जुलाई, 1993 में कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गया शिष्टमंडल।

जल प्रबन्धन, शुष्क-भूमि खेती, ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में, इजरायल द्वारा की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुये जो कि भारतीय परिवेश में प्रासंगिक है, शिष्ट मण्डलों ने इजरायल के साथ सहयोग के बहुत से क्षेत्रों का पता लगाया तथा उनकी सिफारिश की।

दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिये एक समझौते पर दिसम्बर, 1993 में हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग की व्यवस्था की गई है जिसमें जल तथा मृदा-प्रबन्ध, शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क सस्य उत्पादन, पादप तथा जन्तु विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, सस्य-वानिकी आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार, प्रशिक्षण विकासात्मक परियोजनाएं और संयुक्त प्रयास शामिल है। समझौते के तहत समन्वय का कार्य द्विवर्षीय कार्य योजनाओं के माध्यम से किया जायेगा। 1994-95 की अवधि के लिये मसौदा कार्य योजना पर जिसमें सहयोग के विशिष्ट प्रस्ताव निहित हैं, इजरायली पक्षकार द्वारा फिलहाल विचार किया जा रहा है।

भारतीय और इजरायली विशेषज्ञों के एक शिष्ट-मण्डल ने अन्य बातों के साथ-साथ शुष्क अंचल, बागवानी, जलप्रबन्धन, पशुधन, वनरोपण आदि के क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिये मार्गदर्शी (पायलट) परियोजनाओं का पता लगाने के लिये राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया।

आन्ध्र प्रदेश में चीनी मिलें

361. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में गन्ने के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का आन्ध्र प्रदेश में चीनी की कतिपय और मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये मिलें कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार देश के किसी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती है। तथापि, यह नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए उस समय लागू लाइसेंस नीति संबंधी मार्ग निर्देशों के अनुसार आशय-पत्र/औद्योगिक लाईसेंस प्रदान करती है। चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 15 आशय पत्र जारी किए गए हैं। इन मिलों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों का स्थानवार विवरण।

क्रम सं.	आवेदक का नाम	स्थान
1	2	3
1.	कॉस्टल पेपर्स लि.	कोर्सवादा, जि. श्रीकाकुलम
2.	श्री वास्वी जूट वाइन मिल्स लि.	वीरगाथम, जि. श्रीकाकुलम
3.	श्री एन.वी.बी. चल्लामेह	कोठाकोटा, जिला विशाखापट्नम
4.	आन्ध्र सुगर्स लि.	बुट्टागुडम, जि. पश्चिम गोदावरी
5.	श्री वी. शोभान्द्री	कांचीकचेरला, जिला कृष्णा
6.	श्रीमती जी.एस. रामनी	अदुरपल्ली, जिला नेल्लौर
7.	श्री डी. रामाकृष्णा रेड्डी	एस.आर. पुरम्, जिला चित्तूर
8.	श्री एस. जयाराम चौधरी	बुचीनायडूखान्द्रीगा जि. चित्तूर
9.	श्री बी. संजीवा राव	थंगल्लपले, जिला करीमनगर
10.	श्री वशिष्ट सुगर्स एंड कैमीकल्स लि.	हुजूराबाद, जि. करीमनगर
11.	तिरूमाला सुगर्स लि.	काडम, जि. आदिलाबाद
12.	एनसीएस एस्टेट प्रा.लि.	भूमपल्ली, जि. निजामाबाद
13.	श्रीमती के. ज्योति रेड्डी	बिछकोन्डा, जिला निजामाबाद
14.	अम्माना सुगर्स लि.	परगनापुर, जिला मेडक
15.	गणपती डवलपर्स प्रा. लि.	दौलताबाद, जिला मेडक

मत्स्य विपणन

362. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई केन्द्र प्रायोजित योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1992-93 और 1993-94 के दौरान इस योजना के तहत राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की शर्तों के अनुसार 1993-94 तक राज्यों को, अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिये 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। मत्स्य परिवहन के लिये उष्मरोधी गाड़ियों तथा उष्मरोधी डिब्बों वाली साइकिलों के अलावा शीतागार, बर्फ संयंत्र, मत्स्य रख-रखाव शेड़ों, खुदरा विक्री केन्द्रों आदि से संबंधित सुविधाओं को मंजूरी दी गई है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त की गई राशि (लाख रुपये में)	
		1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.50	-
2.	बिहार	10.00	-
3.	गुजरात	10.00	-
4.	हरियाणा	24.00	65.00
5.	हिमाचल प्रदेश	10.00	-
6.	जम्मू व कश्मीर	10.00	20.00
7.	कर्नाटक	-	40.00
8.	केरल	-	60.00
9.	मध्य प्रदेश	27.50	70.00
10.	मणिपुर	10.00	-
11.	मिजोरम	24.50	-
12.	नागालैण्ड	23.00	-
13.	उड़ीसा	44.50	55.00
14.	पंजाब	30.00	-
15.	राजस्थान	15.00	20.00

1	2	3	4
16.	तमिलनाडु	-	20.00
17.	उत्तर प्रदेश	50.00	60.00
18.	पश्चिम बंगाल	22.00	90.00
	योग :	355.00	500.00

[हिन्दी]

बाघ परियोजनाएं, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य

363. श्री ललित उरांव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाघ परियोंजनाओं, राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के राज्य-वार नाम क्या हैं ; और ये कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा इन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) बाघ परियोजनाओं, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के नामों और स्थानों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-। में दी गई है।

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और सुरक्षित क्षेत्रों तथा उनके आस-पास पारिविकास की स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है : -

(रुपये लाखों में)

	1991-92	1992-93	1993-94
1. राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य	915.66	946.00	1129.51
2. बाघ परियोजना	549.82	642.05	760.80
3. हाथी परियोजना	234.61	200.00	558.60
4. पारि-विकास	109.40	296.43	243.48
	1809.49	2084.48	2692.39

विवरण

राष्ट्रीय उद्यान

क्र. सं. नाम

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

1. मैरीना
2. हाइडल बटन
3. माउण्ट हैरीएट
4. नॉर्थ बटन
5. सैडल पीक
6. साउथ बटन

आन्ध्र प्रदेश

1. श्री वेंकटेश्वर

अरुणाचल प्रदेश

1. माउलिंग
2. नामदफा (रिजर्व)

असम

1. काजीरंगा
2. मनास (बाघ रिजर्व)

बिहार

1. बेतला (बाघ रिज़र्व)
2. बाल्मीकी (बाघ रिज़र्व)

गोआ

1. भगवान महावीर

गुजरात

1. गिर
2. मैरीन
3. वनसदा
4. बोलवादार

हरियाणा

1. सुल्तानपुर

हिमाचल प्रदेश

1. ग्रेट हिमालियन
2. पिन वैली

जम्मू और कश्मीर

1. सिटी फॉरेस्ट
2. दाचिंगम
3. हेमीस एण्ड हाई एल्टींट्यूड
4. किश्तवार

कर्नाटक

1. अन्शी
2. बांदी पुर (बाघ रिज़र्व)
3. बन्नारघाट
4. कुद्रेमुख
5. नागरहोल

केरल

1. इरावीकुलम्
2. पेरियार (बाघ रिज़र्व)
3. साइलेंट वैली

मध्य प्रदेश

1. बांधवगढ़
2. फॉसिल

3. इन्द्राबती (बाघ रिज़र्व)
4. कांगेर
5. कान्हा (बाघ रिज़र्व)
6. माधव
7. पन्ना
8. पॅच
9. संजय
10. सतपुड़ा
11. वन बिहार

महाराष्ट्र

1. गुमाल
2. नौगांव
3. पेंच
4. संजय गांधी
5. टाडोबा

मेघालय

1. बालफाकरम
2. नोक्रेक

मिजोरम

1. ब्लू माउण्टेन
2. मुरलेन

उड़ीसा

1. नॉर्थ सिमलीपाल (बाघ रिज़र्व)
2. भीतरा कनिका

राजस्थान

1. केवलदेव घाना
2. रण्थम्भौर (बाघ रिज़र्व)
3. सरिस्का (बाघ रिज़र्व)
4. डैज़र्ट एन.पी.

सिक्किम

1. खानचेंदजोंगा

तमिलनाडु

1. गुइंडी
2. इंदिरागांधी
3. मरीना
4. मुददुमलई

उत्तर प्रदेश

1. कार्बेट (बाघ रिज़र्व)
2. दुधवा (बाघ रिज़र्व)
3. गंगोत्री
4. नंदा देवी
5. वैली ऑफ फलावर्स
6. राजाजी
7. गोविन्द पशु विहार

पश्चिम बंगाल

1. नेरोरा वैली
2. सिंगालीला
3. सुन्दरबन

मणिपुर

1. कोइबुल लामजाओ
2. सिमोली

वन्य जीव अभ्यारण्य

1.	अरियाल	27.	इलेट
2.	बाम्बू	28.	गादेर
3.	बैरेन	29.	गूस
4.	बाटीमालवे	30.	गुरजान
5.	बेल्ले	31.	हम्प
6.	बेनेट	32.	इण्टरव्यू
7.	बिंघाम	33.	जेम्स
8.	ब्लीटर	34.	जंगल
9.	ब्लुफ	35.	क्वान्टंग
10.	बान्डाविले	36.	काइड
11.	ब्रुश	37.	डानाफाल
12.	बचाना	38.	डाटोचे
13.	चैनल	39.	लोहाबैरक
14.	चिंक्य	40.	मैंग्रोव
15.	क्लाइड	41.	मास्क
16.	कोन	42.	मायो
17.	क्यूरेल	43.	मैगापोड
18.	क्यूरेल (बी.पी.)	44.	मांटोगैमरी
19.	डिफेंस	45.	नारकोंडा
20.	डॉट	46.	नॉर्थ
21.	डॉटरेल	47.	नॉर्थ ब्रदर
22.	डनकेन	48.	नॉर्थ रीफ
23.	ईस्ट	49.	ऑलीवर
24.	ईस्ट ऑफ इंगलिस	50.	आर्चिड
25.	एग	51.	आएस्टर
26.	एण्टरेंस	52.	आएस्टर

53. ऑक्स
54. पैगेट
55. मार्किन्सन
56. पैसेंज
57. मैट्रिक
58. मोकॉक
59. पिटमैन
60. पाइंट
61. पोटानमा
62. रेंजर
63. रीफ
64. रोपर
65. रोज
66. रोवें
67. सैण्डे
68. सी-मरपेंट
69. शार्क
70. शेअरमं
71. सर ह्यूज रोज
72. सिस्टर
73. स्नेक
74. स्नेक
75. साउथ रीफ
76. साउथ सेंटिनाल
77. साउथ ब्रदर
78. स्पाइक
79. स्पाइक
80. स्टॉट
81. सूरत
82. स्वैम्प
83. टेबल (डेलोरानो)
84. टेबल (एक्सलसियर)
85. तालाबाइचा
86. टैम्पल्स
87. तेल्लीन्चांग
88. ट्री
89. ट्रीलबाई
90. टर्फ
91. टर्टल
92. वेस्ट
93. वर्फ
94. व्हाइट क्लिफ

आन्ध्र प्रदेश

1. कोरिंगार
2. इट्टूनगरम्
3. कोडिन्या
4. कोवल
5. किन्नरसानी
6. कृष्णा
7. कोल्लेरू
8. लेजमाडुगु (सिवराम)
9. मंबीरा
10. नागार्जुनसागर (बाघ रिज़र्व)
11. नेलापट्टू

12. पाखल
13. पापीकोंडा
14. पोचरम्
15. –
16. पुल्लीकैट
17. रोलापाड्डु
18. श्री वेंकटेश्वर
19. श्री दांकामालेश्वर
20. गुंडला ब्रह्मेश्वरम्

अरूणाचल प्रदेश

1. ईगल नेस्ट
2. इटा नगर
3. कामलेंग
4. लाली
5. मेहाओ
6. पाखुली
7. सेसा आर्चिड

असम

1. बारांडी
2. डिब्रु साइकोवा (बाघ रिज़र्व)
3. डिपोर बील
4. गारमपानी
5. लाओकोवा
6. मानस (बाघ रिज़र्व)
7. नामेरी
8. ओरांग
9. पोबीतारा

बिहार

1. बिम्बांध
2. बेताल
3. डाल्मा
4. गौतम बुद्ध
5. हजीराबाग
6. कायमपुर
7. कोडरमा
8. काबार
9. दावालोंग
10. महुआदंड
11. नॉगी डैम
12. नाक्सी डैम
13. परसनाथ
14. राजगीर
15. टोपाचांची
16. उदयपुर
17. बाल्मीकि नगर (बाघ रिज़र्व)
18. विक्रमशिला डाल्फिन सेंक्चुअरी

चण्डीगढ़

1. सुखनालेक

दमन और दीव

1. फूदम

दिल्ली

1. इंदिरा प्रियदर्शिनी

गोआ

1. भगवान महावीर

2. बोंदला
3. कोरिओ
4. कोरिया

गुजरात

1. बलराम अम्बाजी
2. बारदा
3. धुमखल (झूलोंनेश्वर)
4. गागा
5. गिर
6. हिंगोलाधन
7. जाम्बूगोडा
8. जेसोरा
9. कच्छ डैजर्ट
10. खिजादिया
11. मरीना
12. नालसरोवर
13. नरयन सरोवर
14. पानिया
15. पोरबन्दर
16. रामपुर
17. रतनमहल
18. थोल
19. वाइल्ड एस़
20. पुरना डब्ल्यूएलएस
21. कूंच बास्टर्ड सेंक्चुअरी

हरियाणा

1. भिण्डवास
2. चिल्लचिल्ला
3. नाहर
4. सुल्तानपुर
5. वीर बिकारगढ़
6. चौटाला
7. सरस्वती

हिमाचल प्रदेश

1. बांदली
2. चाइल
3. चौरघर
4. दारंगघाटी I और II
5. गामगुल सिया-बेही
6. गोविन्द सागर
7. कालाटोप और खाज्जर
8. कानवार
9. खोखन
10. क्यास
11. कुगटी
12. लिप्पा एसरेंग
13. माजाथाल हैसारंग
14. मनाली
15. नारगु
16. नैनादेवी
17. प्रोंग डैम
18. रक्षम चिटकुल
19. रेनुका
20. रूपी भाबा

21. सेच तरन नाला
22. शिकारी देवी
23. शिल्ली
24. शिमला वाटर कैचमेंट एरिया
25. सिम्बालबारा
26. तालारा
27. तिरूथान
28. टुण्डा

जम्मू और कश्मीर

1. बालदल
2. चांगथांग
3. गुलमर्ग
4. हिरपांरा
5. होकेरसार
6. जसरांटा
7. कराकोरम
8. दाचीपांरा
9. लिम्बेर
10. नन्दनी
11. ओवेरा
12. ओवेरा अरू
13. रामनगर रक्खा
14. सुरीन्सर मानसर
15. तिलकुट

कर्नाटक

1. अदिचौंचनगिरि
2. अराबीथिट्टू
3. भद्रा
4. बिलगिरि रंगास्वामी
5. ब्रहमगिरि
6. कावेरी
7. दांडेली
8. चट्टाप्रभा
9. गुदावी
10. मेलकोटा टैम्पल
11. मोकाम्बीका
12. नुगु
13. पुष्पागिरि
14. रंगानथिट्टू
15. रानेबेन्नूर
16. शैट्टीहाली
17. सरस्वती वैली
18. सोमेश्वर
19. तालाकावेरी

केरल

1. ऐरलम
2. चिम्मोनी
3. चिन्नार
4. इडुकी
5. नेय्यार
6. पेरम्बीकुलम्
7. पेच्ची बाजानी
8. रेप्पोरा
9. पेरियार

10. सेंदुरुनी
11. थाट्टीकाड
12. व्यांडा

महाराष्ट्र

1. अंधेरी
2. अनेर डैम
3. भीमशंकर
4. बीर
5. चंदौली
6. छपराला
7. गोटाला
8. ग्रेट इण्डियन ब्रास्टर्ड
9. जाइकावाड़ी
10. कालसुबाई हरिश चंद्रागढ़
11. करनाला
12. काटोपुरा
13. कोयनी
14. मालवान (मरीना)
15. मेलघाट (बाघ रिज़र्व)
16. पेनगंगा
17. नांदूर मदमेश्वर
18. पेनगंगा
19. फनसाद
20. राधानगरी
21. रेहेकारी
22. सागरेश्वर
23. तान्सा
24. सावल

मध्य प्रदेश

1. अचानक मार
2. बादलखोल
3. बागडोरा
4. बाराबापना
5. भाईरामगढ़
6. बोरी
7. गांधी सागर
8. घाटीगांव ग्रेट इण्डियन बसटर्ड
9. गोमारदा
10. कारेरा गेट इंडियन बस्टर्ड
11. केन घड़ियाल
12. खेओनी
13. नरसिंहगढ़
14. नेशनल चम्बल
15. नेओराधी
16. पंचमढ़ी
17. पामंद
18. पेनपोथा
19. पालपुर (कुनो)
20. पेंच
21. फेना
22. रातपानी
23. सालामण्डल
24. सैलाना
25. संजय (डबरी)

26. सरदारपुर
27. समरसोट
28. सिंघोरी
29. सीतानाडी
30. सन घड़ियाल
31. तामोर पिंगाल
32. उदांती वाइल्ड बफैलो

मणिपुर

1. योगोपोंकपाई लोंकचाओ

मिजोरम

1. हाम्पा
2. मुरलेन
3. खावालंग
4. नगेनपुई

मेघालय

1. बाघमारा
2. नौंगक्येम
3. सिज्जू

नागालैण्ड

1. फाकिम
2. ईटांकी
3. पुल्लचांदजं
4. रंगापहाड़

उड़ीसा

1. बालुखण्ड कोणार्क
2. भीतरकनिका
3. चांदका-दामपारा
4. चिल्का
5. डिब्रीगढ़
6. हदगढ़
7. खालासुनी
8. कोटगढ़
9. कुलदिया
10. लखारी वैली
11. महानदी बाइसियापाल्ली
12. नन्दनकानन
13. सतकोसिया गोर्ग
14. सिमलीपाल
15. सनबेडा
16. उषाकोथी
17. करलापाट

पंजाब

1. अबोहर एरिया
2. बीर बनेरहेरी
3. बीर गुरदयाल पुरा
4. बीर मोतीबाग
5. हरिके लेक
6. गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ विलेज रेहमपुर

राजस्थान

1. बंधा-भारथा
2. तसई
3. भानेसरौंदगढ़
4. दाराह

5. डैजर्ट

6. जायसानन्द

7. जामवा रामगढ़

8. जवाहर सागर

9. केलादेवी

10. कम्भलागढ़

11. माउंट आबू

12. नाहरगढ़

13. नेशनल चम्बल

14. फुलवालकीनल

15. रामगढ़ विषधरी

16. सारिका

17. सज्जनगढ़

18. शेरगढ़

19. सीतामाता

20. सवाई मानसिंह

21. ताल चापर

22. टोडगढ़ रावली

23. वन विहार

सिक्किम

1. फामबंग एलएचओं

2. कायोनघांसला

3. माएनाम

4. सिंगबा

त्रिपुरा

1. गुमाटी

2. तृष्णा

3. सिपाहीजाला

4. रोआ

तमिलनाडु

1. अन्नामलाई (इंदिरागांधी)

2. नालकुड (बाघ रिज़र्व)

3. मुड्डमलई

4. मुकुरती

5. मुन्नाथुरई

6. प्वाइंट कैलीमर

7. पुलीकैट

8. वेदानथंगल

9. वेट्टनगुडीपट्टी

10. सिवलीपुथुर

उत्तर प्रदेश

1. अस्कोट

2. बाखीरा

3. बिनसर

4. चन्द्रप्रभा

5. सोहागितेरबा

6. गोबिन्द पशुविहार

7. हस्तिनापुर

8. कायमपुर

9. काटेरानिआघाट

10. केदारनाथ

11. किशनपुर

12. लेक बोसई

13. महावीर स्वामी

14.	नेशनल बम्ब्रल	4.	चाम्परामेरी
15.	नवाबगंज	5.	गोरमेरा
16.	रानीपुर	6.	हालीडे
17.	समासपुर	7.	जलादपारा
18.	सोहिलवा	8.	जोरे पोखरी
19.	सांननदी	9.	लुथाइन आइलैण्ड
20.	वनांग हिल	10.	महानन्दा
21.	पटना	11.	नरेन्द्रपुर
22.	समन	12.	(परमादन) बिभूति भूषण
23.	सूरसरोवर	13.	रायगंज
पश्चिम बंगाल		14.	रामनाबागान
1.	बल्लवपुर	15.	सुंजाखली
2.	बेथुण्डहरी	16.	सिंचल
3.	बुक्सा (बाघ रिज़र्व)		

भारत में बाघ रिजर्व

क्र.सं.	बाघ रिज़र्व का नाम	अवस्थिति
1	2	3
1.	बांदीपुर	कर्नाटक
2.	बुक्सा	पश्चिम बंगाल
3.	कार्बेट	उत्तर प्रदेश
4.	दुधवा	उत्तर प्रदेश
5.	इन्द्रावती	मध्य प्रदेश
6.	कालाकड़ मंदनथुरई	तमिलनाडु
7.	कान्हा	मध्य प्रदेश
8.	मनास	असम
9.	मेलाघाट	महाराष्ट्र

1	2	3
10.	नागार्जुन सागर	आन्ध्र प्रदेश
11.	नामदफा	अरूणाचल प्रदेश
12.	पाल्लामाऊ	बिहार
13.	पेरियार	केरल
14.	रणथम्भौर	राजस्थान
15.	सरिस्का	राजस्थान
16.	सिमलीपाल	उड़ीसा
17.	सुन्दरबन	पश्चिम बंगाल
18.	बाल्मीकी	बिहार
19.	पेंच	मध्य प्रदेश

[अनुवाद]

आदि गंगा

364. श्री चित्त बसु : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कार्य योजना में आदि गंगा को शामिल करने को सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) आदि गंगा से होने वाले प्रदूषण के कुछ भाग के दिशा-परिवर्तन को गंगा कार्य योजना के चल रहे पहले चरण की स्कीमों के अन्तर्गत शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार शेष कार्य को गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण में हाथ में लिए जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल पास

365. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जोन में विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को कितने रेल पास दिए गये ;

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या हैं जिन्हें ये पास दिए गये थे ; और

(ग) इन पासों को देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) संभवतः, आशय अलग-अलग व्यक्तियों/संगठनों को मानार्थ कार्ड पास प्रदान करने से है। ये पास सभी क्षेत्रीय रेलों पर वैध हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये ऐसे पासों की संख्या इस प्रकार हैं : -

	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
1991-92	80	12
1992-93	213	13
1993-94	230	21

बहरहाल, यह उल्लेख करना उचित होगा कि जारी किये गये सभी पास अब रद्द कर दिये गये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक खेल-कूद और शैक्षणिक कार्यकलापों के प्रति समर्पित प्रतिष्ठि व्यक्तियों, संगठनों को प्रत्येक मामले के औचित्य/गुण-दोष के आधार पर ऐसे पास प्रदान किये जाते हैं।

विवरण

क्र. सं.	व्यक्तियों का ब्यौरा जिन्हें 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान मानार्थ कार्ड पास जारी किए गए हैं अथवा जिनके पासों का नवीरकण किया गया है।
	I. पहला दर्जा मानार्थ कार्ड पास
1.	श्री रत्नेश कुमार श्रीवास्तव
2.	श्री सुरेश यादव
3.	आर.के.मिशन, ग्वालियर
4.	श्रीमती चम्पा लिमये
5.	श्री मधु लिमये
6.	पं. शमता प्रसाद मिश्र
7.	श्री जगदीश जोशी
8.	श्रीमती निर्मला देशपांडे
9.	श्री भागे गोवर्धन
10.	श्री एस.पी. तारे
11.	श्रीमती सरला कुमारी

12. श्री ब्रहमचारी सुबुधानन्द
13. श्री भारत भूषण
14. श्री टी.आर. रामकृष्ण
15. श्री जे.एस. मुंदरे
16. श्री शंकर सहेल
17. श्रीमती कामेश्वरी मिश्रा
18. सिस्टर मेरी मसकरेंहस
19. श्री दुर्गाविजय पांडेय
20. श्री बाल विजय
21. श्रीमती विमला फारूकी
22. श्रीमती निर्मला राम दास गांधी
23. दीवान सैयद जैनुल एबेदीन अली खां
24. स्वामी हरिनारायणा नन्द
25. आल इंडिया फेडरेशन आफ डेफ, नयी दिल्ली
26. कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर
27. स्वामी स्वतमनन्द
28. स्वामी आत्मविधानंद
29. नेशनल सोसाइटी फार प्रीवेंशन आफ ब्लांइडनेस, नयी दिल्ली
30. श्री एस.एन.सुब्बा राव
31. श्री एस. निर्जालिंगपा
32. श्रीमती सुभासिनी अली
33. श्री काला बाबा
34. कुमारी अवन्ती माकन
35. भाई रवीन्द्र जैन
36. श्री अशोक भारती
37. श्री वी.आर.गौरी शंकर
38. महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, वर्धा

39. स्वामी अमृतरूपानंद
40. भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स
41. फकीर हाज़ी पीर सैयद फाज़िल अली निज़ामी
42. श्रीमती मसर्रत शहीद
43. श्रीमती आभा गांधी
44. इण्डियन कांउसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, नयी दिल्ली
45. सुश्री सबा नकवी
46. श्री प्रकाश भूमिक
47. श्री के.जी. चन्ना वीरप्पा
48. श्री एस.एम. गावस्कर
49. डा. गोलम यज़दानी
50. श्री केदार प्रसाद मण्डल
51. श्रीमती एल.बी.शास्त्री
52. डा. चरणजीत चानना
53. कांची कामकोटी मठ, कांचीपुरम
54. श्री जैल सिंह
55. स्वामी विजयानंद
56. नेशनल कमीशनर, भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स
57. श्री रामआसरे पाण्डेय
58. श्री रामेश्वर नीखरा
59. इण्डियन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन, नयी दिल्ली।
60. श्री आर.अरोड़ा
61. श्रीमती अशरफ इमाम
62. श्री निमाई भट्टाचार्य
63. श्री नानाजी देशमुख
64. श्री शमीन जयपुरी
65. श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह

66. श्री विजय नारायण

67. श्री लल्लन प्रसाद व्यास

68. श्री सैफुद्दीन हुसैनधाए भाल

69. डा. सुशीला नैय्यर

70. कु. सरस्वती अम्माल

71. कु. अलामेलु अम्माल

72. श्री जगन्नाथ कश्यप

73. श्री एस.ए. जगन्नाथ

74. स्वामी तपानंद

75. श्री जनेश्वर मिश्र

76. श्री हरिशंकर महाले

77. श्री सैयद अहमद ज़मीन

78. श्री एस.के. बन्दोपाध्याय

79. श्री श्याम बिहारी मिश्रा

80. श्री सीता शरण झा

81. श्री सुंदर लाल बहुगुणा

82. श्री अवध बिहारी बर्धनेय

83. मेजर ए.के. सिंह

84. श्री बंसी लाल

85. श्री राम चंद्र मेहरोत्रा

86. कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी, वर्धा

87. प्रो. भीम सिंह

88. श्रीमती मोहसीना किदवई

89. ब्रह्मचारी सुबुधानंद

90. प्रो. मधु दण्डवते

91. श्री एन.एस. मनकलाव

92. श्री राजेन्द्र चौधरी

93. श्री मदन राज भण्डारी
94. श्री के.एच. कुलकर्णी
95. श्री वीरेन्द्र कुमार गौड
96. श्री राजीव कुमार
97. श्री एम.जी. तपस्वी
98. श्री एस.एम. आसिफ
99. साधु अमृत दास
100. डा. शिव जतन ठाकुर
101. श्री राजेन्द्र प्रसाद
102. श्री रघु ठाकुर
103. डा. एम.सी. मांदी
104. श्री हाफ़िज सैयद मो. मजहर अली
105. श्री के.जी. अग्रवाल
106. श्री राजेन्द्र सिंह बिसमाइल
107. श्री उदय सिंह
108. श्री मोहम्मद शफी कुरेशी
109. सुश्री उषा सिन्हा
110. श्री आर.के. नायक
111. श्री बी.वी रमण
112. श्री राम सिंह जी भनावत
113. श्री ओ.एन. दुरैबाबू
114. श्री रामाकृष्णनन्
115. स्वामी विजयानंद
116. श्री मुफ्ती अब्दुल रज़ाक
117. श्री जनार्दन त्रिवेदी
118. श्री महाबीर प्रसाद
119. श्री मोहम्मद नासिर फकीर

120. श्रीमती शोबा राजु

121. श्री मुरेश्वर घासिया

122. श्री अहमद अली कासमी

123. श्री खान अब्दुल वदूद

124. श्री यात्री

125. श्री सत्यपाल बागी

126. आल इण्डिया माइनोरिटीज़ फ्रण्ट

127. श्री अमर सिंह

128. श्री हरीश चन्द्र

129. सुश्री मनोरमा

130. डा. (कु.) आलिया

131. बाबा अब्दुल हमीद

132. श्री मो.रफीक

133. श्रीमती मनु हरि पाठक

134. श्री मौलाना फुजैल अहमद

135. श्री मौलाना सदरूधीन अंसारी

136. श्री एम.एम. उमर

137. श्री जमील अहमद

138. श्री जोसेफ वजक्कन

139. श्री हर्षवर्धन

140. श्रीमती ज़हीरून निसार

141. श्री के.आर. कृष्णास्वामी

142. श्री डी. मुनुस्वामी

143. श्री उपेन्द्र नारायण विद्यार्थी

144. श्री एल.बी.चौबे

145. श्री टी.जी.के.मेनन

146. श्री बी.आर. नायडू

147. प्रो. एच.एन. शर्मा

148. डा. संतोष गोंदी

149. श्री भक्त चरण दास

150. चौ. मोहम्मद आरिफ

151. श्री बी. लक्की गोडा

152. श्री सादत मोहम्मद आरिफ

153. श्री शक्ति किनकर

154. श्री जगदीश सिंह

155. श्री एस.डी. आर्य

156. श्री एस.पी. राणा

157. श्री एम.एस. इजागुला

158. कु. मुजमिल सिद्दकी

159. श्री प्रमोद तिवारी

160. श्री एस.के. सिंह

161. श्री ए.क. सिंह

162. श्री बिश्न कुमार यादव

163. श्री दिनेश शर्मा

164. श्री कमल कांत घोष

165. श्री एच.एम. जोशी

166. श्री एस. रवि

167. श्री बी. कृष्णनन्

168. जस्टिस आर.के. शुक्ला

169. श्रीमती वीना दुग्गल

170. श्री सैयद फिदा अली

171. श्रीमती मनोरमा सिंह

172. श्री वी.वी. ईश्वरन

173. श्री अजय सिंह

174. श्री सत्यपाल

175. श्री मोहम्मद हामिद

176. श्री जी.मुनिरतनम

177. श्रीमती वर्षा सांधी

178. श्री माधव कुलकर्णी

179. श्री मोहम्मद आलम

180. श्री श्यामेन्द्र त्यागी

181. श्री जे.एन. मिश्रा

182. श्री वी.के. माधवन कुट्टी

183. श्री प्रसून भौमिक

184. श्री एस.एस. पाण्डेय

185. श्री एम.ए. मासूम

186. स्वामी नारायन्दा भारती

187. श्री सी.जंगा रेड्डी

188. प्रो. मुमताज अली

189. श्री एच.एन. प्रसाद

190. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, दिल्ली

191. श्री सैयद नजीर आलम

192. श्री रिशद कमल किदवई

193. री एस.एम. आसिफ

194. श्री काजी इफ्फुर रहमान

195. श्री जाफर अलतादी

196. श्री अशोक चन्द्र

197. श्री योगी रंजीत

198. श्रीमती चानाम्मा

199. श्री जी.रामास्वामी

200. श्री ए. गोपालराव

201. श्रीमती लीला देवी आर. प्रसाद

202. श्री मौलाना एच.आर. नोमानी

203. श्री एस. शहाबुद्दीन फौजदार

204. श्री अदय प्रसाद उनमाता

205. श्री राजन तिवारी

206. श्री मोती लाल बोहरा

207. श्री जे.पी. गडकारी

208. श्री मुकेश चंद्र

209. श्री एम. बशीर

210. श्री डी.के. पाठक

211. श्री नैयर राब्बानी

212. श्री जगदीश नारायण देशपाण्डेय

213. सिस्टरस ऑफ मिशनरीज चैरिटी दिल्लो (श्री कार्ड पास)

214. कु. शिक्का त्रिवेदी

215. श्री गणेश शंकर पाण्डेय

216. श्री बी. बाबू प्रसाद

217. श्री जय प्रकाश सिंह

218. श्री मोहम्म्द वाही सिद्दकी

219. श्री हसन मोहम्मद वरसी

220. डा. एम.एच.खान

221. सुश्री हरविंदर कौर

222. श्री गुलाब सेहरा

223. श्री सरदार मनमोहन सिंह

224. रीमती कानिज फातीमा

225. श्री गोपीनाथ दीक्षित

226. सुश्री सुधा बी. रेड्डी

227. श्री बनारसी दास

228. श्री बी. प्रसाद
229. श्री नसीब पाठन
230. श्रीमती शशि शर्मा
231. श्री सैयदभाई
232. श्री बी.जी. भगत
233. श्री हरीश भारद्वाज
234. श्री आर.एम.सलम
235. श्री वीरेन्द्र नाथ राय
236. श्री विक्रम राय
237. श्री रायोगेन्द्र वीर शास्त्री
238. श्री के.एम. खान
239. श्री रमेश भाई
240. श्री शमशाद अहमद अंसारी
241. श्री दुलब बेरवा
242. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजूकेशन
243. श्री अब्दुल सत्तार
244. श्री के. नटराजन
245. श्रीमती ज्ञानवती
246. श्री पी.एस. कृष्णन
247. श्री सर्वशक्ति कुमार सिंह
248. श्री मेहर सिंह राठी
249. श्री सुनील शास्त्री
250. श्री एस.एन.राणा
251. नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी, द्वारकापीठ
252. श्री सुनील व्यास
253. श्री अमरनाथ दुबे
254. श्री मौलाना वहीद उज़मान

255. श्री शिव कुमार
256. श्री संजय कुलकर्णी
257. श्री हुसैन वहीद
258. श्री काशी नाथ
259. श्री जनारधन द्विवेदी
260. श्री काज़ी अब्दुल हमीद
261. श्री उसमान एम. अधमी
262. डा. पेंचलैइया
263. श्री एच.एस. मेहता
264. डा. कुबेर मिश्रा
265. श्री जी. वैधानाथन
266. श्री ए.सी. पाण्डेय
267. श्री प्रदुत गुहा
268. श्री माधव राव सिंधिया
269. श्री जॉर्ज फर्नांडीस
270. श्री ही. सैमुल इस्लाम सिद्दिकी
271. श्री सफी बाबा मलंग
272. श्री नवीन भाई शाह
273. श्री राधा रमन शर्मा
274. श्री जी. वेंकटेश्वर राव
275. श्री सुनील डांग
276. श्री राम रतन सिंह
277. श्री मनमोहन चौधरी
278. श्री अथुत जमाल लारी
279. श्री जमशद अली
280. श्री हुसैन दलवई
281. श्री नव बहादुर थापा

282. श्री गंगा प्रसाद

283. सन्यासी योगश्रुती

284. श्री इलायाश खान

285. श्री मोह. फुरकान

286. श्री अल्फाक अहमद

287. पं. राम प्रसार मिश्रा

288. श्री भीम सिंह

289. श्री एम. रंगा रेड्डी

290. श्री जी. ईश्वर

291. श्री ए.एम. तॉसीफ

292. वैद ओमप्रकाश अग्रवाल

293. श्री खान गुलफ्रान जाहिदी

294. मधु शीतल

295. श्री हफीज़ अब्दुल

296. श्री हफीज़ जनार्दि

297. डा कृष्ण वीर चौधरी

298. श्री शकील चन्द्रा

299. श्री शहाबज़ादा अब्दुल रशीद

300. श्री वीरेन्द्र नाथ

301. श्री पंचानाज़

302. श्री मोहम्मद कासिम अंसारी

303. श्रीमती प्रिया रैना

304. ए.पी.टेम्पल शाहीबाग, अहमदाबाद

305. श्री डी.एन. बैनर्जी

306. श्री नज़ीर अहमद सिद्दिकी

307. श्री हाज़ी मोहम्मद हरूम

308. श्री ए. गोपाल राव

309. श्री अविनाश पांडे
310. श्री मनिन्दरजीत सिंह बिट्टा
311. श्री गजेन्द्र सिंह
312. श्री एस.के. चतुर्वेदी
313. श्री सलामत उल्लाह
314. मास्टर फराजुद्दीन शरियत
315. श्री कपिल देव
316. श्री हरी कृष्ण गोस्वामी
317. श्री लोकपति त्रिपाठी
318. श्री पी.एन. रेड्डी
319. श्रीमती कमला त्यागी
320. श्री जीवानंद झा
321. श्री इन्दु भूषण गोस्वामी
322. श्री राधिका रमन बालन
323. श्री रमेश कालिया
324. श्री हरूम रशीद
325. श्री रेहन आसिफ सिद्दिकी
326. श्री डी. सुन्दरानी
327. निश्चलनंदा सरस्वती स्वामी जी
328. श्रीमती निर्मला भाग्य
329. श्रीमती दीपा कौल
330. श्री दरशन सिंह यादव
331. श्री मांगी लाल आर्य
332. श्री सुरेश बहादुर सिंह
333. श्री शीश कुमार
334. श्री ताजा मूर्ति
335. श्रीदेवेन्द्र पांडे

336. श्री अवदेश सिंह

337. श्री रमेश शर्मा

338. श्री शरद कुमार साधक

339. श्री विमल मेहरोत्रा

340. श्री जफ़र इकबाल

341. श्री जे.एम. चिंचल

342. श्री आर्यभूषण

343. श्री मोहम्मद जामन अरीफ

344. श्री बुटा सिंह

345. श्री अजय सिंह

346. श्री पी.सी. सेठी

347. श्री के.सी.लेंका

II. दूसरे दर्जे के मानार्थ कार्ड पास

1. श्रीमती सुधा सिंह

2. श्री वेद प्रकाश पालीवाली

3. मो. शहीद खां

4. श्री जय प्रकाश गुप्ता

5. मिशनरीज आफ चेरिटी, कलकत्ता के दो ब्रदर्स

6. श्री प्रताप नारायण सिंह

7. श्री जटा शंकर

8. श्री उमेश शर्मा

9. श्री बनारसी दास

10. श्री रमेश भाई

11. कांची कामकोटी मठ, तमिलनाडु का एक प्रतिनिधि

12. -यथोक्त-

13. श्री हबीब खां

14. श्री मंजूर अहमद सिद्दीकी

15. श्री दिनेश सिंह

16. डा. राम सिंह परमार

17. मिशनरी आफ चेरिटी, दिल्ली की दो सिस्टर

18. श्री वी.वी.एस. अवधानी

19. श्रीमती सुनीता दास

20. श्री प्रद्यम कुमार

21. श्री आर. लक्षमणन यादव

22. श्री ईश्वर जोइस

23. श्री केदार नाथ मिश्रा

24. श्री आर.सी. गुप्ता

25. डा. (श्रीमती) लूसी भरूचा

26. आल इंडिया तहरीक खाकसारानी हक, फीरोजाबाद का एक पदाधिकारी

27. श्री डी.एन. बनर्जी

28. श्री सैयद बाखर हुसैन नक्शबंदी

29. श्री एम.एस. भटनागर

30. श्री मनोज त्यागी

31. श्री पी. खलाल

32. श्री आरूल

33. श्री के.एन. वेंकेटश

34. श्री सेखर

[अनुवाद]

नगरों में प्रदूषण

366. श्री हरिन पाठक :

श्री राजवीर सिंह :

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री राम पूजन पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सबसे अधिक प्रदूषित पहले दस नगर कौन-कौन से हैं, तथा इनमें प्रदूषण का वर्तमान अनुपात क्या है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में बिना प्रदूषण के दस शहर कौन-कौन से हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विभिन्न प्रदूषण पैरामीटरों के लिए कोई सर्वमान्य पारस्परिक वेटेज नहीं है जिससे कि देश में विभिन्न नम्बरों के लिए प्रदूषण की रैंकिग बताई जाएं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश के 92 शहरों में स्थिति 290 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है जो निलंबित धूलकणों, नाइट्रोजन के आक्साइडस और सल्फरडायआक्साइड जैसे वायु गुणवत्ता पैरामीटरों से संबंधित है। जिन दस शहरों में इनमें से प्रत्येक पैरामीटर के स्तर उच्चतम वार्षिक औसत संकेन्द्रण प्रदर्शित कर रहे हैं उनके नाम संलग्न विवरण - । में दिए गए हैं।

(ख) औद्योगिकरण और वाहनों के यातायात में वृद्धि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। घरों में खाना पकाने के लिए कोयले और इंधन की लकड़ी के प्रयोग से भी वायु प्रदूषण होता है।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए इसी सर्वेक्षण के अनुसार, जिन दस शहरों में परिवेशी वायु में निलंबित धूलकण, नाईट्रोजन के आक्साइडस और सल्फरडाइआक्साइड का वार्षिक औसत संकेन्द्रण सबसे कम हैं, उनके नाम संलग्न विवरण-।। में दिए गए हैं।

विवरण - I

विभिन्न शहरों में महत्वपूर्ण परिवेशी वायु गुणवत्ता पैरामीटरों के माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर में वार्षिक औसत संकेन्द्रण

क्रम संख्या	पैरामीटर					
	निलंबित धूल कण		सल्फर डाइआक्साइड		नाइट्रोजन के आक्साइड	
	शहर का नाम	वार्षिक औसत संकेन्द्रण	शहर का नाम	वार्षिक औसत संकेन्द्रण	शहर का नाम	वार्षिक औसत संकेन्द्रण
1	2	3	4	5	6	7
1.	देहरादून	596.0	गजरौला	130.6	गजरौला	106.8
2.	दिल्ली	498.0	हावड़ा	57.8	हावड़ा	81.4
3.	कानपुर	491.0	कलकत्ता	47.2	जबलपुर	74.8
4.	अलवर	488.0	फरीदाबाद	38.2	अलवर	71.9
5.	गजरौला	481.0	झरिया	36.9	गुवाहाटी	68.3

1	2	3	4	5	6	7
6.	आगरा	438.0	धनबाद	35.3	कोटा	66.2
7.	कोरबा	417.0	अहमदाबाद	35.0	जालंधर	61.6
8.	इन्दौर	409.0	सिंदरी	30.9	सूरत	57.7
9.	सतना	399.0	दिल्ली	29.6	हैदराबाद	50.2
10.	जबलपुर	394.0	सूरत	29.4	अहमदाबाद	45.5

विवरण - II

उन शहरों के नाम जिनमें माइकोग्राम प्रति घनमीटर में अधिकतम रिकार्ड किए आंकड़ों के लिए महत्वपूर्ण परिवेशी वायु गुणवत्ता पैरामीटरों का न्यूनतम वार्षिक औसत संकेन्द्रण पाया गया।

क्रम संख्या	पैरामीटर					
	निलंबित धूल कण		सल्फर डाइआक्साइड		नाइट्रोजन के आक्साइड	
	शहर का नाम	वार्षिक औसत संकेन्द्रण	शहर का नाम	वार्षिक औसत संकेन्द्रण	शहर का नाम	वार्षिक औसत संकेन्द्रण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मद्रास	53.0	कोजीकोड	3.3	यमुना नगर	4.0
2.	गुवाहाटी	59.0	कोट्टायम्	3.5	अहमदाबाद .	5.1
3.	वास्को	59.0	जबलपुर	4.4	कोचीन	5.2
4.	कोचीन	72.0	दमन	4.6	दमन	5.8
5.	त्रिवेन्द्रम	72.0	कानपुर	5.1	कोरबा	7.4
6.	हलदिया	80.0	अहमदाबाद	5.6	पोंटा साहिब	7.5
7.	शिमला	87.0	जयपुर	6.0	सिलवासा	7.7
8.	दमन	91.0	मद्रास	6.3	अंगुल	7.9
9.	नागदा	94.0	नागपुर	7.0	हैदराबाद	8.4
10.	पांडिचेरी	97.0	सिलवासा	8.1	नागपुर	8.5

[हिन्दी]

दिल्ली में नया विश्वविद्यालय

367. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली के छात्रों की उच्च कक्षाओं में प्रवेश सम्बन्धी समस्या का समाधान करने हेतु दिल्ली सरकार के एक नये विश्वविद्यालय/कॉलेज की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और नया विश्वविद्यालय/कॉलेज कब से कार्य करना शुरू कर देगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा पर पुल

368. श्री लाल बाबू राय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा पर दीघाघाट से सोनपुर तक पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष बहुत समय से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त परियोजना को अब तक स्वीकृति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पटना के पास गंगा नदी पर रेल पुल के लिए फरवरी, 91 में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि पुल की निर्माण लागत 468 करोड़ रुपये होगी और इससे ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त होगा। यह देखते हुए कि इस परियोजना का स्वरूप ऋणात्मक है और इसमें भारी निवेश अन्तर्ग्रस्त है, जबकि रेलें संसाधनों की तंगी का सामना कर रही हैं, पुल का निर्माण आस्थगित रखा गया।

विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा

369. डा. साक्षी जी :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांग बच्चों की वर्तमान संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि और अधिक विकलांग बच्चे स्कूल जाएं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्तमान समय में देश में विकलांग बच्चों की संख्या 10.39 मिलियन है। स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की सुनिश्चित प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है।

(ग) 8वीं योजना के अन्त तक विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 50,000 बच्चों को शामिल किए जाने की आशा है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए अनिवार्य सुविधाओं का सृजन करने तथा विकलांग बच्चों को विभिन्न भत्ते प्रदान करने, पुस्तकों एवं पठन सामग्रियों, परिवहन, यूनिफार्म, उपस्कर आदि के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों/स्वैच्छिक संगठनों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षकों के सेवा-पूर्व प्रशिक्षण में एक घटक के रूप में विशेष शिक्षा शुरू की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत भी सामान्य बच्चों के साथ-साथ विकलांग बच्चों को दाखिला देने का प्रावधान है। कल्याण मंत्रालय विकलांग बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए 320 संगठनों को सहायता अनुदान दे रहा है। राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश भी विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल चला रहे हैं।

[अनुवाद]

नई चीनी मिलें

370. श्री एन.जे.राठवा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए कितने आवेदन-पत्र इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) उनमें से गुजरात सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की संख्या कितनी है और ये कब से लंबित हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार 82 आवेदन-पत्र खाद्य मंत्रालय के पास विचारार्थ लंबित हैं।

(ख) गुजरात में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए कोई आवेदन-पत्र खाद्य मंत्रालय में लंबित नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

371. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के अधिक संख्या में होस्टलों का निर्माण करने संबंधी कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनकी क्षमता कितनी-कितनी होगी और उनका निर्माण कब तक कर लिया जाएगा ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न शहरों और कस्बों में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों की आवश्यकता और वांछनीयता के बारे में कोई नीति निर्धारित की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास) में राज्यमंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली/नई दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए 4 अतिरिक्त होस्टल भवनों का निर्माण करने की योजना है। भारत सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) संघ सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों की आवश्यकता तथा वांछनीयता का आकलन, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय से रोजगार के संबंध में प्राप्त आवधिक आंकड़ों, तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों की सिफारिशों के आधार पर करती है।

[हिन्दी]

कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

372. श्री महेश कनोडिया :

श्री सोमजीभाई डामोर :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री रमेश चन्द तोमर :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्रीमती सरोज दुबे :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में इस समय कार्यरत कंप्यूटरीकृत आरक्षण तथा बुकिंग कार्यालयों का डिवीजन-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इनका कार्य समय क्या है ;

(ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान खोले जाने वाले कंप्यूटरीकृत आरक्षण व बुकिंग कार्यालयों का स्थान-वार/राज्य वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन पर कितनी अनुमानित धनराशि खर्च होगी ; और

(घ) उन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है ; जहां वापसी और आगे की यात्रा के लिए आरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) देश के विभिन्न भागों में इस समय कार्य कर रहे कंप्यूटरीकृत आरक्षण एवं बुकिंग कार्यालयों का ब्यौरा स्थान-वार और मंडल वार नीचे दिया गया है : -

मध्य रेलवे

मंडल	स्थान
बंबई	पुणे
	बंबई (वी.टी.)
	थाणे
	कल्याण
	कुर्ला
	बेलापुर
भोपाल	भोपाल
	हबीबगंज
झांसी	ग्वालियर
	आगरा कैंट
नागपुर	नागपुर
सोलापुर	सोलापुर

पूर्व रेलवे

सियालदह/कलकत्ता क्षेत्र	सियालदह
	ओल्ड कोयलाघाट
	रवीन्द्र सदन
	टालीगंज
	माजर हाट
	दम दम जं.
	विधान नगर
	बालीगंज

हावड़ा/कलकत्ता क्षेत्र	हावड़ा
	न्यू कोयलाघाट
	फेयरली प्लेस
	बाली
दानापुर	पटना
	महेन्द्रू घाट
आसनसोल	आसनसोल
धनबाद	धनबाद

उत्तर रेलवे

लखनऊ (उत्तर रेलवे)	वाराणसी
	लखनऊ
फिरोजपुर	लुधियाना
	अमृतसर
	जम्मूतवी
जोधपुर	जोधपुर
इलाहाबाद	कानपुर
बीकानेर	बीकानेर
	दिल्ली कैंट
अम्बाला	कालका
	शिमला
	चंडीगढ़
	अम्बाला
दिल्ली/मंडल/क्षेत्र	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो
	बड़ौदा हाउस
	रेलवे बोर्ड
	कड़कड़ डूमा
	गाजियाबाद

	आई.आर.सी./नई दिल्ली
	संसद भवन
	दिल्ली मेन
	निजामुद्दीन
	सरोजनी नगर
	कीर्तिनगर
	दिल्ली शाहदरा
	नोएडा
	न्यू आजादपुर
मुरादाबाद	देहरादून
पूर्वोत्तर रेलवे	
गोरखपुर	गोरखपुर
लखनऊ	बादशाहनगर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
लमडिंग	गुवाहाटी
दक्षिण रेलवे	
मद्रास	मद्रास सेंट्रल (मूरेमार्किट)
	एग्मोर
	माम्बलम
	मद्रास बीच
	ताम्बरम
बेंगलूरू	बेंगलूरू सिटी
	बेगलूरू कैंट
तिरूवनन्तपुरम	त्रिचूर
	एर्णाकुलम्
	तिरूवनन्तपुरम सेंट्रल

पालघाट	कालीकट
	पालघाट
	इरोड
	सेलम
	कण्णोर
	मंगलोर
	कोयम्बतूर ज.
	कोयम्बतूर नार्थ
तिरूच्चरापल्ली	तिरूच्चरापल्ली
मदुरै	मदुरै
मैसूर	मैसूर

दक्षिण मध्य रेलवे

हैदराबाद	काचीगुड़ा
सिंकदराबाद	सिंकदराबाद
	हैदराबाद
	दारूल-सफा
	अमीरपेट
विजयवाड़ा	विजयवाड़ा
गुतंकल	तिरूपति

दक्षिण पूर्व रेलवे

आद्रा	रांची
बिलासपुर	बिलासपुर
खोरधा रोड़	पुरी
	कटक
	भुवनेश्वर
वाल्तेरू	विशाखापत्तनम

चक्रधरपुर	टाटानगर
पश्चिम रेलवे	
बंबई	सूरत
	चर्चगेट
	बंबई सेंट्रल
	अंधेरी
	बोरीविल्ली
बड़ोदरा	बड़ोदरा
	अहमदाबाद
	पदमावती
	प्रतापनगर
	गांधीनगर
	मनीनगर
जयपुर (प.रे.)	जयपुर
कोटा	आगरा फोर्ट
रतलाम	इंदौर
राजकोट	राजकोट
भावनगर	गांधीग्राम
अजमेर	अजमेर (एक संदेश टर्मिनल)

सामान्यतः भारतीय रेलों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय सोमवार से शनिवार तक प्रातः 8 बजे से रात्रि में 8 बजे तक और रविवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्य कर रहे हैं। तथापि कुछ स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों को उपयुक्त बनाने के लिए समय में संशोधन किया गया है।

(ख) और (ग) 1994-95 और 1995-96 के दौरान और उसके बाद खोले जाने वाले प्रस्तावित कंप्यूटरीकृत आरक्षण एवं बुकिंग कार्यालयों का ब्यौरा इस प्रकार है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो : -

रेलवे	राज्य	स्थान	अनुमानित खर्च (लाखों रुपये में)
दमरे	कर्नाटक	हुबली	30.0

	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	30.0
	गोवा	वास्को	35.0
	आंध्र प्रदेश	काकिनाड़ा	30.0
		गुंटूर	30.0
द.रे.	केरल	कोल्लम	19.97
	कर्नाटक	बेंगलूरु कैंट	18.00
	तमिलनाडु	कोयम्बटूर नार्थ	
		तूतीकोरिन	
		तिरूनेलवेली	19.61
उ.रे.	उत्तर प्रदेश	हरिद्वार	35.00
	पंजाब	जालंधर	30.00
		पठानकोट	35.00
	बिहार	मुजफ्फरपुर	20.0
		गया	30.0
		राऊरकेला	20.0
	पश्चिम बंगाल	मालदा टाऊन	19.0
		न्यू जलपाईगुड़ी	20.0
	मध्य प्रदेश	रायपुर	25.0
म.रे.और प.रे.	म.प्र.	जबलपुर	260.00
	महाराष्ट्र	भुसावल	30.0
	महाराष्ट्र	नासिक	30.0
	कर्नाटक	गुलबर्गा	27.0
	उ.प्र.	झांसी	35.0
		मेरठ	35.00
	हरियाणा	फरीदाबाद	22.0
	राजस्थान	अजमेर	20.00
		उदयपुर	30.0

राजस्थान	कोटा	35.0
गुजरात	गांधीधाम	35.0
म.प्र.	रतलाम	30.0

(घ) निम्नलिखित आरक्षण केन्द्रों पर कम्प्यूटर टर्मिनल और आटोमेक्स के माध्यम से वापसी और आगे की यात्रा के लिए आरक्षण की सुविधा मौजूद है।

स्थान/स्टेशन	प्रणाली जहां कुछ कम्प्यूटर टर्मिनलों पर सुविधा उपलब्ध है।
मद्रास सेंट्रल	बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सिंकदराबाद
बेंगलूरू	-वही-
तिरूवनन्तपुरम	-वही-
एर्णाकुलम्	बंबई
मदुरै	बी.पी.टी. पर बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सिकंदराबाद
तिरूच्चरापल्ली	-वही-
कालीकट	-वही-
कण्णूर	-वही-
कोयम्बतूर	-वही-
मैसूर	-वही-
त्रिचूर	-वही-
न्यू कोयलाघाट	दिल्ली, बंबई, मद्रास
ओल्ड कोयलाधाट	-वही-
पटना	मद्रास
विशाखापत्तनम	मद्रास
भुवनेश्वर	मद्रास, बंबई, दिल्ली
बंबई सेंट्रल	दिल्ली, मद्रास, सिंकदराबाद
चर्चगेट	-वही-
पुणे	-वही-
बंबई वी.टी.	हावड़ा, दिल्ली, मद्रास और सिंकदराबाद

अहमदाबाद	-वही-
गुवाहाटी	बंबई, मद्रास
सिंकदराबाद	मद्रास, बंबई
हैदराबाद	-वही-
काचीगुड़ा	बंबई, मद्रास
भा.रे.स.	बंबई, कलकत्ता और मद्रास
दिल्ली मेन	-वही-
सरोजिनी नगर	-वही-
लखनऊ	-वही-
वाराणसी	-वही-
जम्मूतवी	कलकत्ता और मद्रास
जयपुर	बंबई
भोपाल	बंबई

स्टेशनों की सूची जहां भारतीय रेलों पर ऑटोमेक्स सुविधा उपलब्ध है।

सहारनपुर	गुंतकल
बरेली	काजीपेट
भटिंडा	तिरूपति
देहरादून	गुंटूर
फैजाबाद	मिरज
फिरोजपुर	वास्को
ज़ालंधर •	आसनसोल
मेरठ सिटी	धनबाद
हरिद्वार	दानापुर
मुरादाबाद	सियालदह
पठानकोट	हावड़ा
कपूरथला	मालदा टाऊन
बड़ौदा हाऊस	खोरधा रोड़

	खड़गपुर
	आद्रा
पालघाट	नागपुर
	विशाखापत्तनम
मदुरै	चक्रधरपुर
बेंगलूर	बिलासपुर
मैसूर	भुसावल
तिरूच्चरापल्ली	झांसी
एर्णाकुलम्	सोलापुर
मंगलौर	मनमाड
कोयम्बतूर	जबलपुर
तिरूवनन्तपुरम	–
कोटा	देवताली
मद्रास सेंट्रल	नासिक
रतलाम	विल्लुपुरम
राजकोट	सिंकदराबाद
विजयवाड़ा	भावनगर
हुबली	गोधरा
	इंदौर
नागपुर (म.रे.)	
राजामुंद्री	औरंगाबाद
नेल्लोर	पोरबंदर
अजमेर	जयपुर
भरूच	

बिहार में ऊपरि पुलों का निर्माण

373. श्री प्रेम चन्द राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में गोमो-बरकाकाना सेक्शन के अंतर्गत नवादा रेलवे फाटक और चेनपुर स्टेशन पर ऊपरि पुल का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलें व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण पर तभी विचार करती हैं जब संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार अपने हिस्से की लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ प्रस्ताव प्रायोजित किये जाएं, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

चीनी का मूल्य

374. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री मंजय लाल :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि पर रोक लगाई है ;

(ख) यदि हां, तो उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जून तथा जुलाई, 1994 के महीनों में मुक्त क्रय कोटे की चीनी कितनी मात्रा में जारी की गयी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 19 मई, 1994 को देश के पांच प्रमुख बाजारों में एस-30 ग्रेड की चीनी का थोक मूल्य जो 1483 रुपये से 1620 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था उसमें कमी आनी शुरू हो गयी तथा 1 जुलाई, 1994 तक की अवधि के दौरान घटकर यह 1303 रुपये से 1570 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। चीनी का खुदरा मूल्य जो मई, 1994 में 14.00 रुपये से 17.30 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था उसमें कमी आनी शुरू हो गयी थी तथा 1 से 19 जुलाई, 1994 तक की अवधि के दौरान घट कर यह 13.50 रुपये से 16.40 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया।

(ग) जून, 1994 और जुलाई, 1994 के लिए खुली बिक्री की चीनी का क्रमशः 5.6 लाख टन और 6.0 लाख टन कोटा रिलीज किया गया था।

महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन

375. **कुमारी सुशीला तिरिया : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक की उस रिपोर्ट की जानकारी है जिससे भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में कई नई बातें उभर कर आयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

खाद्यान्न के व्यापार पर रोक

376. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**

श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्न भांडागारों का निर्माण करने तथा खाद्यान्न व्यापार से रोक हटाने की मांग की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) फिलहाल खाद्यान्नों के व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। भारतीय खाद्य निगम एक मुख्य एजेन्सी है जोकि खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए गोदामों का निर्माण करने के कार्य में जुटा हुआ है। विभिन्न स्थानों पर गोदामों का निर्माण करने के संबंध में भारतीय खाद्य निगम के पास राज्य सरकारों, निजी पार्टियों, संसद सदस्यों, स्टाफ यूनियनों सहित विभिन्न एसोसिएशनों और यूनियनों आदि से समय-समय पर मांगे प्राप्त हो रही हैं। ऐसे सभी प्रस्तावों की उनके गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती हैं और तद्नुसार उन पर विचार किया जाता है।

मुफ्त रेल पास

377. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को श्रेणी-वार कितने मुफ्त रेल पास जारी किए हैं ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में इन पास धारकों और संगठनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन व्यक्तियों को पास जारी करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) संभवतः, आशय अलग-अलग व्यक्तियों/संगठनों को मानार्थ कार्ड पास प्रदान करने से है। 1.1.1994 से 20.7.1994 तक जारी किये गए पासों की संख्या इस प्रकार है : -

पहला दर्जा	**दूसरा दर्जा**
106	07

बहरहाल, यह उल्लेख करना उचित होगा कि जारी किये गये सभी पास अब रद्द कर दिये गये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेल-कूद और शैक्षणिक कार्यकलापों के प्रति समर्पित प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संगठनों को प्रत्येक मामले के औचित्य/गुण-दोष के आधार पर मानार्थ कार्ड पास प्रदान किये जाते हैं।

विवरण

क्र. सं.	**उन व्यक्तियों/संगठनों का ब्यौरा जिन्हें 1.1.1994 से 20.7.1994 तक मानार्थ कार्ड पास जारी किए गए हैं।**
	1. पहला दर्जा मानार्थ कार्ड पास
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार गौड़
2.	श्री सैयद नजीर आलम
3.	श्री एस.एस. पांडे
4.	श्री सबा नकवी
5.	श्री केदार प्रसाद मंडल
6.	श्री प्रसून भामिक
7.	श्री जी. मुनी रतनम
8.	श्रीमती लीला देवी आर. प्रसाद
9.	श्री कुरई हिफजुर रहमान
10.	श्री नजीर अहमद सिद्दकी
11.	श्री हाजी मोहम्मद हरूम

12.	श्री शाहबुद्दीन फौज़दार
13.	श्रीमती आशा देवी राठौर
14.	प्रो. एच.एन. शर्मा
15.	श्री ए. गोपाल राय
16.	श्री जे.एन. कश्यम
17.	श्री शंकर सुहेल
18.	श्री जे.पी. गडकरी
19.	कुमारी सरस्वती अम्माल
20.	कुमारी अलेमेलू अम्माल
21.	ब्रदर रविन्द्र जैन
22.	श्री अविनाष पांडे
23.	श्री मनीन्द्रजीत सिंह बिट्टा
24.	श्री रामलाल जावा
25.	श्री वी.ए. चांगरे
26.	श्री गजेन्द्र सिंह
27.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी की दो सिस्टर्स, दिल्ली
28.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी की दो सिस्टर्स, दिल्ली
29.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी की दो सिस्टर्स, दिल्ली
30.	श्री एस.के. चतुर्वेदी
31.	डा. बनारसी दास
32.	श्री सलामत उल्लाह
33.	श्री सैयद अहमद जामीन
34.	मास्टर फरजूद्दीन शैरत
35.	श्री रमेश भाई
36.	श्रीमती चन्नम्मा हल्लीकेरी
37.	श्री राजेन्द्र प्रसाद

38. श्री नसीब पठान

39. श्री बी.बाबू प्रसाद

40. श्री कपिल देव

41. श्री हरि कृष्णन गोस्वामी बनाम मनोज कुमार

42. श्रीमती कनीज फातीमा

43. श्री हरिश भारद्वाज

44. कांची कामकोटी मठ, तमिलनाडु का एक प्रतिनिधि

45. कांची कामकोटी मठ, तमिलनाडु का एक प्रतिनिधि

46. कांची कामकोटी मठ, तमिलनाडु का एक प्रतिनिधि

47. श्री राजेन्द्र तिवारी

48. श्री केशव एच. कुलकर्णी

49. श्रीमती निर्मला देशपांडे

50. डा. सुशीला नायर

51. श्री लोकपति त्रिपाठी

52. श्री पी.एन. रेड्डी

53. श्रीमती कमला त्यागी

54. श्री जगदीश नारायण देशपांडे

55. श्री एम.जी. सैयद भाई

56. श्री बी.बी. रमन

57. श्री जीवा नंद झा

58. श्री इंदु भूषण गोस्वामी

59. श्री राधिका रमन बालन

60. श्री रमेश कालिया

61. श्री आर.डी. सलाम

62. श्री हरूम रशीद

63. श्री रेहान आशिफ

64. श्री डी. सुन्दरानी
65. श्री सुन्दरलाल बहुगुणा
66. श्री राजयोगिन्द्र वीरय्या
67. श्री ब्रह्मचारी सुबुधानंद
68. श्री विजय नारायण
69. श्री डी.के. पाठक
70. श्री राजीव कुमार
71. श्री वी.आर. गौरी शंकर
72. श्री एच.एच. निश्चलानंद सरस्वती स्वामीजी, शंकाराचार्य, पुरी
73. श्री भारत कुमार मकवाना
74. श्री हीरालाल पीपल
75. श्रीमती निर्मला भाग्ये
76. श्री रशिद कमाल किदवई
77. श्रीमती दीपा कौल
78. श्री एच.एच. स्वामी नारायणा नंदा भारती
79. श्रीमती शशि शर्मा
80. श्री ललन प्रसाद व्यास
81. श्री हफिज सैयद मोहम्मद मजार अली
82. श्री दर्शन सिंह यादव
83. श्री मांगी लाल आर्य
84. श्री आर.एस. बिसमाईल
85. श्री सुरेश बहादुर सिंह
86. श्री शिरा कुमार
87. श्री ताज मूर्ति
88. श्री हरेन्द्र नाथ प्रसाद
89. श्रीमती सरला कुमारी

90.	श्री देवेन्द्र पांडे
91.	श्री अवदेश सिंह
92.	श्री रमेश शर्मा
93.	श्री शरद कुमार तादक
94.	श्री विमल मेहरोत्रा
95.	श्री जाफर इकबाल, हाकी ओलम्पियन
96.	श्री जे.एम. चिंचल
97.	श्रीमती कामेश्वरी मिश्रा
98.	श्री जैल सिंह
99.	श्री जनेश्वर मिश्रा
100.	श्रीमती मोहसीना किदवई
101.	प्रो. मधु दंडवते
102.	श्री पी.सी. सेठी
103.	श्री जार्ज फर्नांडिज
104.	श्री के.सी. लेंका
105.	श्री आर्यभूषण
106.	श्री मोहम्मद जमान आरिफ

II. दूसरे दर्जे के मानार्थ कार्ड पास

1.	डा. उमेश शर्मा
2.	श्री एम.एस. भटनागर
3.	श्री मनोज त्यागी
4.	श्री अरूल
5.	श्री के.एन. वेंकटेश
6.	श्री शेखर
7.	श्री ईश्वर जोसे

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण में अनियमितताएं

378. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने भारतीय खेल प्राधिकरण के वित्तीय प्रबंध में बड़ी संख्या में अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दण्डात्मक तथा सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने एशियाड 1982 के लिए निर्मित अधूरी इमारतों का अधिग्रहण कर लिया था ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ङ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण इन इमारतों का कोई भी उपभोग नहीं कर पाया है और उसने इन इमारतों अथवा उनके कुछ भागों को वापस करने का प्रस्ताव भेजा है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ;

(छ) क्या सरकार ने उन इमारतों का अधिग्रहण किए जाने के कारणों की जांच की है तथा जवाबदेही निर्धारित की है ; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं का कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षण किया है। सी.ए.जी. ने भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कमियों का उल्लेख किया है। इन्होंने विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए भी सुझाव दिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को नोट किया है और बताए गए सुधारों को क्रम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली के निकट का खिलाड़ी भवन एशियाड 82 के कार्य का एक हिस्सा था जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूरा नहीं किया जा सका। 1987 में यह भवन दिल्ली प्रशासन ने इन्द्रप्रस्थ मेडिकल निगम (आई.एम.सी.) द्वारा एक बहु-विशेषज्ञता युक्त अस्पताल चलाने के लिए खरीद लिया था। 1989 में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण दिल्ली प्रशासन से यह भवन वापिस ले लेगा और दिल्ली प्रशासन को इस प्रयोजनार्थ 14.83 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। तथापि भवन का कब्जा नहीं लिया जा सका चूंकि आई.एम.सी. द्वारा लगाए गए कान्ट्रेक्टरों को आगे का बकाया भुगतान करने का मामला उठाया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भवन के उत्तम प्रयोग के लिए विभिन्न उपायों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

मुरीनगुर में रेलगाड़ी का ठहराव

379. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम डिवीजन के अर्णाकुलम त्रिचूर सेक्शन पर चाल्कुडी और कारूकुल्टी के बीच मुरीनगुर में 65/3-8 किलोमीटर पर रेलगाड़ी के ठहराव हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव सहित सभी ऐसे प्रस्तावों की जांच की जाती है और इस संबंध में निर्धारित विभिन्न मानदंडो को ध्यान में रखकर विनिश्चय किया जाता है।

पर्यावरण नियंत्रण पर समिति

380. श्री मोहन रावले : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पर्यावरण नियंत्रण हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समिति की संरचना और विचारार्थ विषय क्या हैं ; और

(घ) यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास आयुक्त एवं सचिव (पर्यावरण) हैं।

(ग) इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना निम्नवत् है : -

1.	सचिव (पर्यावरण एवं वन)	-	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक, गंगा परियोजना निदेशालय	-	सदस्य

3.	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-	सदस्य
4.	आयुक्त, दिल्ली पुलिस	-	सदस्य
5.	आयुक्त, परिवहन, दिल्ली	-	सदस्य
6.	सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	-	सदस्य
7.	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	-	सदस्य
8.	अपर आयुकत, दिल्ली नगर निगम	-	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार।	-	सदस्य
11.	उप वन महानिरीक्षक (एफ.सी.), पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
12.	विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	-	सदस्य सचिव

इस समिति के विचारार्थ विषयों में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यापक कार्य योजना बनाना है।

(घ) समिति अपनी रिपोर्ट संभवतः अगस्त, 1994 के अंत तक प्रस्तुत करेगी।

उड़ीसा में झींगा मत्स्य बीज हैचरियां

381. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विदेशी सहायता से झींगा मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन झींगा मत्स्य बीज हैचरियों में कितना पूंजी निवेश किया गया है ;

(ग) क्या उड़ीसा में विदेशी सहायता से नये और बेहतर झींगा मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त झींगा एवं मत्स्य पालन परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा में विभिन्न आकार वाली 21 झींगा बीज हैचरियों की स्थापना की जानी है। इन हैचरियों की डिजाइन क्षमता प्रति वर्ष 132 मिलियन झींगा बीज के उत्पादन की है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनें

382. श्री धर्मण्ण मोंडय्या सादुल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने-अपने राज्यों में नई रेल लाइनें बिछाने का नुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 1 जुलाई 1994 तक प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार 1994-95 के दौरान किन-किन प्रस्तावों को स्वीकृति देने पर विचार कर रही हैं ; और

(घ) इन्हें कब तक निपटा दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है : -

आंध्र प्रदेश

1. पेद्दपल्ली-पट्टानचेरू
2. नंदयाल-येरागुंटला
3. कोटापल्ली-काकीनाडा
4. निजामाबाद-रामगुंडम

असम

1. लंका-सिलचर
2. बोगी भील पर रेल - एवं सड़क पुल

अरूणाचल प्रदेश

1. मुरकोंगसलेक-पासीघाट
2. लेखापानी-खारसंग

बिहार

1. राजगीर-गया
2. देहरी-ऑन-सोन-भारथपुर
3. मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी

गुजरात

1. भावनगर-तारापुर
2. अम्बानी-खेड ब्रम्हा
3. पीपावाव पोर्ट को रेल द्वारा जोड़ना
4. बेदी पोर्ट को रेल द्वारा जोड़ना
5. रोजी पीयर को रेल द्वारा जोड़ना
6. आलंग शिप ब्रिकिंग यार्ड को रेल द्वारा जोड़ना
7. गांधी नगर को सीधे बड़ी लाइन मार्ग से जोड़ना
8. खम्बात की खाड़ी पर भावनगर और भरूच के बीच रेल एवं सड़क पुल

हरियाणा

1. गुड़गांवा-अलवर बाया बादशाहपुर

हिमाचल प्रदेश

1. सोहना-नूह-नगीना-फिरोजपुर-झीरका और रंगुरली

कर्नाटक

1. कोट्टुर-हरिहार
2. चिकमंगलूर-साकलेश्वर
3. हासपेट-अंकोला

केरल

मध्य प्रदेश

1. रामगंज मंडी-भोपाल
2. दल्लीराजहरा-जगदलपुर

महाराष्ट्र

1. वर्धा-यवतमाल-पुसद-नांदेड़
2. अहमदनगर-बीड-पार्ली वैजनाथ
3. खामगांव-जालना
4. पंधारपुर-कोनार्ड
5. सोलपुर-बीड-वारंगल-चार्लीगांव
6. पुणे-नासिक
7. कालेहागांव-रत्नागिरी

मणिपुर

1. दीफु-कारॉग-इम्फाल

उड़ीसा

1. हरिदासपुर-प्रदीप
2. तालचेर-गोपालपुर

राजस्थान

1. कोलायात-फालोड़ी
2. रामगंज मंडी-भोपाल
3. संगनेर-टोडाराय सिंह - नाथवाड़ा

त्रिपुरा

1. कुमारघाट-अगरतला

उत्तर प्रदेश

1. फर्रूखाबाद-हरदोई/संदीला

पश्चिम बंगाल

(ग) राज्य सरकारों के लिए संस्तुत प्रस्तावों की समय समय पर जांच की जाती है। इस बारे में अब तक निम्नलिखित निर्णय लिए गये है : -

(i) बोघीबिल पुल को जोगीधोपा पुल के पूरा होने के पश्चात् 9वीं योजना प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के लिए चुना गया है।

(ii) कोट्टुर-हरिहर, दल्लीराजहरा-जगदलपुर के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेज दिया है।

(iii) कुमारघाट-अगरतला, कोलायत-फलोरी, चिकमंगलूर-सकलेशपुर के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति

पर हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही इन परियोजनाओं पर आगे विचार करना सीाव हो सकेगा।

(घ) उपरोक्त पैरा (ग) में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती हैं।

वस्तुओं की गुणवत्ता

383. **श्रीमती सरोज दुबे :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विज्ञापनों में अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले उत्पादकों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए तथा उनमें से कितने मामलों में दंड दिया गया ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) यह मंत्रालय इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं करता है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

यू.पी.ओ.वी. सम्मेलन

384. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 में यू.पी.ओ.वी. सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के क्या निहितार्थ हैं ; और

(ख) ये निर्णय कब से लागू होंगे ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) 1991 का यू.पी.ओ.वी. सम्मेलन कृषकों को दी जाने वाली छूट को वैकल्पिक छूट मानता है जबकि 1978 का यू.पी.ओ.वी. सम्मेलन इसे एक स्पष्ट छूट मानता है। 1991 का सम्मेलन बहुत से उन क्रियाकलापों जिनके लिये प्रजनकों को प्राधिकृत करना आवश्यक है, उन मदों जिनके लिये प्रजनकों को सुरक्षा दी जाती है, सुरक्षित रखे जाने वाले वंशों की संख्या, सुरक्षा की अवधि तथा प्रजनकों के लिये पेटेंटों तथा सुरक्षा के अन्य रुपों, दोनों को प्राप्त करने के लिये निषेध समाप्त करने के रूप में प्रजनकों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाता है।

(ख) 1991 सम्मेलन का प्रवर्तन यू.पी.ओ.वी. के अपेक्षित संख्या में सदस्य देशों द्वारा इसके अनुसमर्थन पर निर्भर करता है।

आन्ध्र प्रदेश में दोहरी रेल लाइन संपर्क

385. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने जिले राज्य की राजधानी से दोहरी रेल लाइन से जुड़े हैं ;

(ख) कौन-कौन से जिले राज्य की राजधानी से रेल सेवा से नहीं जुड़े हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन जिलों को रेल सेवा से राज्य की राजधानी से जोड़ने का है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) 13.

(ख) करीमनगर और मेडक।

(ग) पेड्डापल्लि-निजामाबाद रेल सम्पर्क के पूरा होने पर करीमनगर जिला जुड़ जायेगा। फिलहाल मेडक को जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 1999-2000 तक।

पशु-चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करना

386. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में केन्द्रीय सहायता से पशु-चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रमजीवी एक्सप्रेस

387. श्री ललित उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और दिल्ली के बीच चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस गत एक वर्ष से काफी विलम्ब से चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1993 से 30 जून, 1994 के दौरान अत्यधिक विलम्ब के कारण यह रेलगाड़ी कितनी बार रद्द की गई थी ; और

(ग) इस रेलगाड़ी के संचालन में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) श्रमजीवी एक्सप्रेस का समयपालन संतोषजनक नहीं रहा है।

(ख) प्रत्येक दिशा में 23 बार।

(ग) बात ब्रेक स्टाक शुरू करके चालन में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

388. श्री लाल बाबू राय :

श्री राम टहल चौधरी :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री सत्यनारायण जटिया :

श्री छेदी पासवान :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य को गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल की वस्तुवार कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(ख) क्या बिहार और मध्य प्रदेश सरकारों ने वर्ष 1994 के लिए कुछ और कोटा आबंटित करने का अनुरोध किया है ;

(ग) क्या इन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी रखी जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो चालू वर्ष के दौरान इनकी कितनी मात्रा सप्लाई करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) प्रत्येक राज्य को पिछले चार महीनों (मार्च से जून, 1994 तक) के दौरान मासवार किए गए आबंटनों और उनके उठान की स्थिति संलग्न विवरण- I, II, III और IV में दी गई है। विभिन्न राज्यों को मार्च से जून, 1994 तक लेवी चीनी (त्यौहार कोटा सहित) के मासवार किए गए आबंटनों को ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है।

(ख) बिहार को मार्च से जून, 1994 तक 4000 मीटरी टन चावल और 10000 मीटरी टन गेहूं का अतिरिक्त मासिक आबंटन किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित) के लिए बिहार और मध्य प्रदेश का चावल और गेहूं का मासिक कोटा भी जुलाई, 1994 से निम्नानुसार बढ़ा दिया गया है : -

(मीटरी टन में)

	चावल		गेहूं	
	सामान्य कोटा	बढ़ाया गया कोटा	सामान्य कोटा कोटा	बढ़ाया गया कोटा
बिहार	24600	31,800	51,600	58,800
मध्य प्रदेश	40,900	48,560	41,000	48,660

1994 की जनसंख्या पर आधारित लेवी चीनी के कोटे में वृद्धि करने के लिए मध्य प्रदेश का अनुरोध जुलाई, 1994 में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, बिहार सरकार ने भी हाल ही में 1991 की जनगणना के आधार पर राज्य के लिए लेवी चीनी के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

खाद्य तेल के आबंटन में वृद्धि करने के लिए बिहार और मध्य प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) गेहूं और चावल के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ये आबंटन मांगे, मौसमी उपलब्धता, सापेक्ष आवश्यकताओं, उठान की प्रवृत्ति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के मासिक आबंटन 1.10.86 को परियोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक समान मानदण्ड के आधार पर किए जा रहे हैं। ये मानदण्ड 1.2.1987 से लागू हैं। तदनुसार, समस्त देश के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए लगभग 3.35 लाख मीटरी टन चीनी प्रति मास आबंटित की जा रही है। इसके अलावा सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मासिक लेवी आबंटनों के अनुपात में त्यौहार कोटे के रूप में लगभग एक लाख मीटरी टन चीनी प्रति वर्ष निर्मुक्त करती है।

वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों को सप्लाई किए जाने वाले खाद्य तेल की मात्रा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकता, आयातित खाद्य तेल (पामोलीन) की उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों पर निर्भर करेगी। 1994-95 के लिए मिट्टी के तेल का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण - I

मार्च से जून, 1994 के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल (सा.वि.प्र.) के आबंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 94		अप्रैल, 94		मई, 94		जून, 94	
		ए आबंटन	ओ उठान	ए आबंटन	ओ उठान	ए आबंटन	ओ उठान	ए आबंटन	ओ उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	190.00	183.30	125.00	136.40	165.00	157.50	190.00	190.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.60	9.80	8.60	10.00	5.40	8.30	5.40	5.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	38.40	27.60	38.40	24.50	38.40	24.10	38.40	25.7
4.	बिहार	28.60	5.20	28.60	7.00	28.60	3.80	28.60	5.8
5.	दिल्ली	20.00	6.60	20.00	7.00	20.00	6.20	20.00	4.1
6.	गोवा	4.50	2.30	4.50	4.10	4.50	4.60	4.50	0.3
7.	गुजरात	34.50	15.90	34.50	16.20	34.50	8.60	34.50	12.4
8.	हरियाणा	3.30	0.40	3.00	0.50	3.00	0.60	3.00	0.8
9.	हिमाचल प्रदेश	7.50	6.00	7.50	3.00	7.50	2.90	7.50	3.0
10.	जम्मू और कश्मीर	36.20	11.60	36.20	9.50	44.00	8.30	44.00	10.9
11.	कर्नाटक	75.00	33.30	75.00	43.80	75.00	44.70	75.00	45.5
12.	केरल	150.00	71.50	150.00	59.70	150.00	72.40	150.00	97.2
13.	मध्य प्रदेश	40.90	9.50	40.90	11.90	40.90	16.70	40.90	21.1
14.	महाराष्ट्र	71.50	23.30	71.50	10.80	71.50	24.90	71.50	32.1
15.	मणिपुर	10.00	3.20	10.00	3.60	10.00	3.90	10.00	5.2
16.	मेघालय	10.50	11.80	10.50	10.30	10.50	11.20	10.50	11.4
17.	मिजोरम	7.60	10.00	7.60	11.30	7.60	6.60	8.35	8.8
18.	नागालैण्ड	7.50	10.50	7.50	9.40	7.50	6.90	7.50	6.4
19.	उड़ीसा	38.70	3.80	38.70	5.00	38.70	11.90	38.70	12.0
20.	पंजाब	1.50	0.20	1.50	0.20	1.50	0.20	1.50	नग.
21.	राजस्थान	3.00	1.20	3.00	0.60	3.00	0.80	3.00	5.9
22.	सिक्किम	4.50	2.30	4.50	1.80	4.50	1.10	4.50	1.4
23.	तमिलनाडु	100.00	129.70	100.00	93.90	100.00	79.20	100.00	95.2
24.	त्रिपुरा	16.20	10.80	16.20	9.00	16.20	13.10	16.20	13.6
25.	उत्तर प्रदेश	45.80	12.20	45.80	12.40	45.80	18.40	45.80	16.1
26.	पश्चिम बंगाल	80.60	30.50	80.60	33.20	80.60	33.30	80.60	32.2
27.	अ. और नि. द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	चण्डीगढ़	0.30	0.10	0.30	0.10	0.30	0.10	0.30	3.1
29.	दादर तथा नगर हवेली	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	-
30.	दमन और दीव	0.50	0.50	0.50	1.10	0.50	0.30	0.50	-
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.20	0.00	0.50	0.00	0.10	0.00	-
32.	पाण्डिचेरी	2.00	0.30	2.00	0.20	2.00	0.20	2.00	0.3
	जोड़	1037.90	664.10	972.90	537.00	1019.75	528.90	1043.25	666.7

विवरण - II

मार्च से जून, 1994 के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के आबंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 94		अप्रैल, 94		मई, 94		जून, 94	
		ए आबंटन	ओ उठान	ए आबंटन	ओ उठान	ए आबंटन	ओ उठान	ए आबंटन	ओ उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.00	9.30	15.00	5.50	15.00	4.50	15.00	4.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.60	0.70	0.60	0.50	0.60	0.50	0.60	0.4
3.	असम	20.00	29.10	20.00	25.80	20.00	15.90	20.00	18.8
4.	बिहार	61.60	42.70	61.60	17.20	61.60	10.30	61.60	7.5
5.	दिल्ली	72.00	39.50	72.00	27.70	72.00	10.20	72.00	6.1
6.	गोवा	3.10	1.50	3.10	1.50	3.10	2.20	3.10	0.4
7.	गुजरात	53.50	34.10	53.50	29.10	53.50	24.30	53.50	24.9
8.	हरियाणा	18.20	9.10	10.20	0.30	10.20	0.30	10.20	0.6
9.	हिमाचल प्रदेश	11.00	12.50	11.00	10.90	11.00	11.00	11.00	10.5
10.	जम्मू और कश्मीर	20.00	13.00	20.00	12.00	30.00	8.30	30.00	11.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	कर्नाटक	30.00	19.00	30.00	20.20	30.00	19.20	30.00	19.9
12.	केरल	30.00	24.40	30.00	22.90	35.00	28.50	35.00	29.9
13.	मध्य प्रदेश	41.00	18.00	41.00	11.20	41.00	11.80	41.00	10.8
14.	महाराष्ट्र	80.00	41.50	80.00	32.90	80.00	25.90	80.00	19.2
15.	मणिपुर	2.70	1.00	2.70	1.20	2.70	0.80	2.70	1.4
16.	मेघालय	2.00	4.80	2.00	1.20	2.00	2.00	2.00	2.0
17.	मिजोरम	1.10	1.70	1.10	1.10	1.10	1.00	1.10	1.3
18.	नागालैण्ड	1.20	3.50	4.00	9.10	4.00	6.20	4.00	4.2
19.	उड़ीसा	30.00	20.00	30.00	14.70	35.00	10.80	35.00	12.2
20.	पंजाब	20.00	0.40	20.00	0.10	20.00	0.00	20.00	नगण्य
21.	राजस्थान	146.50	65.40	146.50	33.60	76.50	40.90	66.50	44.6
22.	सिक्किम	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.50	0.60	नगण्य
23.	तमिलनाडु	25.00	48.40	25.00	14.70	25.00	12.80	25.00	11.0
24.	त्रिपुरा	1.80	0.30	1.80	0.90	1.80	0.60	1.60	0.5
25.	उत्तर प्रदेश	98.80	29.00	98.80	12.80	98.80	14.50	98.80	9.9
26.	पश्चिम बंगाल	90.00	75.80	90.00	50.30	90.00	47.20	80.00	47.0
27.	अ. तथा नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
28.	चण्डीगढ़	1.80	0.00	1.80	नगण्य	1.80	0.00	1.80	0.2
29.	दादर और नगर हवेली	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	-
30.	दमन और दीव	0.15	नगण्य	0.15	नगण्य	0.15	नगण्य	0.15	-
31.	लक्षद्वीप	0.00	नगण्य	0.00	नगण्य	0.00	नगण्य	0.00	नगण्य
32.	पांडिचेरी	0.75	नगण्य	0.75	नगण्य	0.75	नगण्य	0.75	नगण्य
	जोड़	878.60	546.00	873.40	357.90	823.40	310.20	803.40	298.9

विवरण - III

तेल वर्ष 1993-94 के दौरान मार्च, 1994 से जून, 1994 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आयातित खाद्य तेलों के राज्यवार/मासवार आबंटन और उठान को बताने वाला विवरण।

		मार्च, 94		अप्रैल, 94		मई, 94		जून, 94	
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1500	1040	-	1057	3500	652	-	1344
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	-		-	-	-	-	-	-
5.	गोवा	-	128	250	212	250	264	-	-
6.	गुजरात	-	-	800	1751	1500	544	-	920
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	8	-	120
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	73	-	48	-	-
10.	कर्नाटक	-	95	-	215	-	1137	-	772
11.	केरल	-	2028	1500	1001	-	73	-	36
12.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	16
13.	महाराष्ट्र	-	80	-	2	-	58	-	-
14.	मणिपुर	-	-	400	-	400	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	100	-	100	-	-	20
16.	मिजोरम	-	20	-	-	100	-	100	50
17.	नागालैंड	-	-	200	191	200	90	200	170
18.	उड़ीसा	-	-	800	-	1000	800	-	90

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-
20. राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
21. सिक्किम	-	-	200	-	200	85	-	60
22. तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-
23. त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-
24. उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
25. पश्चिम बंगाल	-	88	2500	167	-	879	-	186
26. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-
27. चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
28. दादर और नगर हवेली	-	-	50	30	50	30	-	40
29. दिल्ली	-	145	-	228	-	201	85	142
30. दमन	50	-	100	-	100	80	-	-
31. दीव	-	-	30	-	20	50	-	-
32. लक्षद्वीप	-	90	-	-	-	-	-	-
33. पांडिचेरी	-	-	450	-	450	340	-	403
जोड़	1550	3714	7380	4927	7870	5339	385	4369

विवरण - IV

1994 के दौरान मिट्टी के तेल के आबंटन के प्रति निर्मुक्तियां

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 94		अप्रैल, 94		मई, 94		जून, 94	
	राज्य आबंटन	बिक्री	राज्य आबंटन	बिक्री	राज्य आबंटन	बिक्री	राज्य आबंटन	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	12233	12255	12233	12224	12233	12355	12271	11566

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	3318	3453	3318	3166	3318	3180	3366	3075
जम्मू और कश्मीर	4729	4628	4729	5063	4729	48953	5152	5161
पंजाब	25702	25749	25702	25751	25702	25031	25782	25591
राजस्थान	23459	23152	23459	23259	23459	23061	23981	23478
उत्तर प्रदेश	80242	82834	80242	81036	80242	80425	81621	80422
चण्डीगढ़	1744	1530	1744	1402	1744	1382	1744	1254
दिल्ली	18260	18272	18260	18138	18260	18401	18260	18578
उत्तरी क्षेत्र	169687	171873	169687	170039	170187	168788	172177	169125
असम	20913	21295	20913	21207	20913	21034	20976	20810
बिहार	44375	44634	44375	44326	44375	44363	45525	44883
मणिपुर	2251	2237	2101	2119	2101	2119	1756	1729
मेघालय	1205	1276	1205	1213	1205	1248	1211	1228
नागालैंड	857	859	857	896	857	896	861	830
उड़ीसा	15596	15573	15596	15589	15596	15604	16065	15940
सिक्किम	628	621	628	602	628	625	630	628
त्रिपुरा	1834	1796	1834	1847	1834	1839	1852	1829
पश्चिम बंगाल	62194	63517	62194	61525	62194	62200	62380	62065
अरूणाचल प्रदेश	788	837	788	784	788	781	790	747
मिजोरम	517	511	517	517	517	517	519	514
अंडमान और निकोबार	264	316	264	247	264	408	382	380
पूर्वी क्षेत्र	151422	153472	151272	150872	151272	151634	152947	151588
गुजरात	63717	64235	63717	63848	63717	63756	63916	63056
महाराष्ट्र	117365	120737	117365	118478	117365	117474	117312	118034
गोवा	2261	2270	2261	2263	2261	2249	2261	2230

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दीव	121	121	121	129	121	1276	121	110
दमन	122	122	122	122	122	121	122	121
दादर और नगर हवेली	259	261	259	261	259	260	259	261
मध्य प्रदेश	34105	34051	34105	33860	34105	33551	34923	34963
पश्चिमी क्षेत्र	217950	221803	217950	218961	217950	217538	218914	218775
आन्ध्र प्रदेश	50039	49499	50039	49904	50039	49738	50261	49630
कर्नाटक	37628	37829	37628	37634	37628	37383	37744	37786
केरल	22461	22454	22461	[illegible]	22481	22457	22528	22575
तमिलनाडु	55549	55756	55549	54559	55549	55104	55716	55393
पांडिचेरी	1235	1193	1235	1203	1235	1193	1239	1225
लक्षद्वीप	81	70	81	56	81	23	81	0
दक्षिणी क्षेत्र	166993	166801	166993	165823	166993	165898	187569	186808
अखिल भारत जोड़ :	706052	713949	705902	705695	706402	703858	711607	706097

विवरण –V

त्योहार कोटे सहित लेवी चीनी के राज्यवार आवंटन को बताने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

		1994			
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च	अप्रैल *	मई	जून
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26545	25281	25281	25281
2.	अंडमान और निकोबार	259	247	247	247
3.	अरूणाचल प्रदेश	330	314	314	314

1	2	3	4	5	6
4.	असम	10098	10341	9617	9617
5.	बिहार	38132	33459	33459	34459
6.	चण्डीगढ़	391	372	372	372
7.	दादर और नगर हवेली	54	51	51	51
8.	दिल्ली	10357	9921	9921	9921
9.	गोवा	525	500	500	500
10.	दमन	41	39	39	39
11.	दीव				
12.	गुजरात	17004	16194	16194	16194
13.	हरियाणा	6705	6386	6386	6386
14.	हिमाचल प्रदेश	2120	2019	2019	2019
15.	जम्मू और कश्मीर	3280	3136	3136	3136
16.	कर्नाटक	18657	17769	17769	17769
17.	केरल	12551	11953	11953	11953
18.	लक्षद्वीप	107	71	71	71
19.	मध्यप्रदेश	26283	25031	25031	25031
20.	महाराष्ट्र	31435	29938	29938	29938
21.	मणिपुर	729	694	694	694
22.	मेघालय	695	662	662	662
23.	मिजोरम	274	261	261	261
24.	नागालैण्ड	447	426	426	426
25.	उड़ीसा	10313	12393	12393	12393
26.	पाण्डिचेरी	320.2	305	305	305
27.	कराइकल	76.6	73	73	73
28.	यनम	7.4	7	7	7
29.	पंजाब	8342	7945	7945	7945

1	2	3	4	5	6
30.	राजस्थान	17760	16914	16914	16914
31.	सिक्किम	173	165	165	165
32.	तमिलनाडु	23674	22547	22547	22547
33.	त्रिपुरा	1051	1001	1001	1001
34.	उत्तर प्रदेश	55572	52926	52926	52926
35.	पश्चिम बंगाल	27182	25888	25888	25888
36.	माहे	15.7	15	15	15
	कुल जोड़	354206	335244	334520	335520

नोट : मार्च, 1994

1. सामान्य मासिक कोटा + 5 प्रतिशत तदर्थ अतिरिक्त वृद्धि **अप्रैल, 94 से जून, 94 तक सामान्य मासिक कोटा**

2. इसमें अर्ध-सैनिक बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल आदि को लेवी चीनी का किया गया आबंटन शामिल नहीं हैं।

* अप्रैल, 1994 से 5 प्रतिशत की तदर्थ अतिरिक्त वृद्धि समाप्त कर दी गई थी।

विवरण - VI

(आंकड़े मीटरी टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95 के दौरान मिट्टी के तेल का आबंटन राज्य : राष्ट्रीय स्तर से कम
1	2
उड़ीसा	192784
बिहार	560735
मध्य प्रदेश	446055
राजस्थान	306660
उत्तर प्रदेश	1016836
हिमाचल प्रदेश	40390
त्रिपुरा	22228

1	2
नागालैंड	10327
मेघालय	15705
जम्मू और कश्मीर	68741
मिजोरम	6234
आन्ध्र प्रदेश	603132
केरल	270336
हरियाणा	154073
कर्नाटक	452929
उप जोड़	4167164
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**1994-95 के दौरान मिट्टी के तेल का आबंटन**
राज्य : राष्ट्रीय स्तर से अधिक	
अरूणाचल प्रदेश	9484
पश्चिम बंगाल	748563
अण्डमान और निकोबार	3128
असम	251713
मणिपुर	21074
तमिलनाडु	668587
पंजाब	325678
लक्षद्वीप	876
पांडिचेरी	14863
सिक्किम	7559
महाराष्ट्र	1512524
गुजरात	798295
दादर तथा नगर हवेली	3108
गोवा	27132
दिल्ली	238540
दीव/दमन	2944
चण्डीगढ़	20928
उपजोड़ :	4654996
जोड़	8822160

[अनुवाद]

उचित दर की दुकानों के माध्यम से कॉफी

389. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दक्षिण राज्यों के कॉफी उत्पादकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव पर सहमति जताई है ;

(घ) क्या इस प्रकार कोई अन्य उपभोक्ता वस्तु प्रस्तुत की जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां। एक कॉफी उत्पादक एसोसिएशन ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु शुद्ध कॉफी बीजों की 2000 मी.टन मात्रा उचित मूल्य पर मुहैया करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, एसोसिएशन ने यह इंगित करते हुए कि मूल्य निर्धारण प्रणाली के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाया जाना है, यह सुझाव दिया है कि तत्काल वितरण के लिए कॉफी बोर्ड के पास जमा कॉफी में से कॉफी प्राप्त की जाए।

(ग) कॉफी बोर्ड से प्राप्त कॉफी को प्रतिस्थापित करने का तंत्र तथा साथ ही वह मूल्य, जिस पर ऐसी कॉफी वितरित की जानी है तथा उपभोक्ताओं को कॉफी सुपुर्द करने के अन्य तौर-तरीके तय नहीं किए गए हैं; क्योंकि एसोसिएशन ने यह नहीं बताया है कि वे कॉफी की प्रतिशत (प्रोमिस्ड) मात्रा को कब तक निर्मुक्त करेंगे और उसका प्रस्तावित मूल्य क्या होगा।

(घ) और (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार, केंद्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल, गेहूं, लेवी चीनी, सुपीरियर मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल और साफ्ट कोक आबंटित करती है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाय, आयोडीन युक्त नमक, दालों और साबुन जैसी आम उपभोग की वस्तुओं को स्थानीय आवश्यकताओं और उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के जरिए वितरण हेतु सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के जरिए कॉफी का वितरण करने पर विचार कर सकती है।

रेलवे की भूमि

390. श्री एन.जे.राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में रेलवे की कुल कितनी भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है ;

(ख) यदि हां, तो पट्टे पर दी गई और अप्रयुक्त भूमि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस भूमि का किस प्रकार उपयोग करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) 59.33 हेक्टेयर (लगभग)।

(ख) 17.89 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर दी गयी है और इसका पूरा उपयोग हो रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का आयात

391. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री अन्ना जोशी :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री शादर दिघे :

श्री पी.सी. थामस :

प्रो. के.पी. थामस :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एजेंसियों के माध्यम से चीनी का आयात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे केन्द्रीय सरकार को कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या चीनी के आयात के लिए भारतीय खाद्य निगम के आदेश वापस लिये जाने के परिणामस्वरूप भी हानि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी ;

(ङ) चीनी कितनी मात्रा में आयात की जायेगी और अब तक कितनी चीनी देश के विभिन्न पतनों में पहुंच चुकी है; और

(च) इसका आयात किन-किन देशों से, कितनी मात्रा में और कितने मूल्य पर किया गया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। इस योजना के तहत निजी एजेंसियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् एस.टी.सी. तथा एम.एम.टी.सी. द्वारा चीनी का आयात किया जा रहा है।

(ख) निजी एजेंसियों द्वारा किए गए चीनी के आयात से केन्द्र सरकार को कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार 20.7.1994 तक भारत में आयात के लिए कुल लगभग 17.37 लाख टन चीनी का अनुबंध किया गया है जिसमें से लगभग 6.24 लाख टन चीनी विभिन्न पत्तनों पर पहुंच चुकी है।

(च) क्योंकि चीनी का आयात ओ.जी.एल. के तहत किया जाता है इसलिए निजी एजेंसियों के संबंध में उद्गम देश और मूल्य का विवरण सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

रेल सम्पत्ति को हुई क्षति

392. श्री प्रेम चन्द राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक नाकेबंदी से रेल संपत्ति को क्षति पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप संपत्ति को पहुंची क्षति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में रेल सम्पत्ति को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

वर्ष	रेल संपत्ति को क्षति-रुपये (अनुमानित)
1992-93	18.00 लाख
1993-94	8.40 लाख
1994-95 (जून तक)	-

(ग) चूंकि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है, इसलिए समस्या पर काबू पाने और रेल संपत्ति को क्षति की रोकथाम करने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। रात-दिन भेदय स्थलों तथा महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की चौकसी की जाती है रेलपथ पर गश्त लगायी जाती है, रेलवे लाइनों के साथ वाले दो स्टेशनों के बीच सशस्त्र पहरेदारी की जाती है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण गाड़ियों के आगे सशस्त्र गार्डों की निगरानी में पायलेट इंजन भेजे जाते है। ट्रालियों, मोटर ट्रालियों, टावर माल डिब्बों के जरिए भी व्यापक रूप से गश्त लगायी जाती है।

[अनुवाद]

मिट्टी तेल के डिपुओं पर छापे

393. श्री मोहन रावले : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान मिट्टी तेल के डिपुओं पर छापे मारे गए,

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य-क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों/मिट्टी के तेल के डिपुओं के जरिए मिट्टी के तेल के वास्तविक वितरण की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, जिन्हें वितरण में व्याप्त कदाचारों को रोकने और ऐसे कदाचारों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रवर्तन कर्मचारी मिट्टी के तेल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य वस्तुएं वितरित कर रही उचित दर दुकानों/मिट्टी तेल के डिपुओं का आवधिक निरीक्षण, जिसमें छापे मारना शामिल है, कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा मिट्टी तेल के डिपुओं पर मारे गए छापों का संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे नहीं रखती है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने, सूचित किया है कि पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली में मिट्टी तेल के डिपुओं पर 181 छापे मारे गए। 25 मिट्टी के तेल के डिपुओं के प्राधिकार निलम्बित कर दिए गए तथा 70 मिट्टी के तेल के डिपुओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। मिट्टी तेल के डिपुओं के मालिकों के विरुद्ध 9 मामलों में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

[हिन्दी]

धान की खरीद

394. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यवार कितनी मात्रा में गेहूं और धान की खरीद की गई ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में इनकी गुणवत्ता पर नियंत्रण लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) और (ग) एक समान विनिर्दिष्टियों के अधीन विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित सहन सीमा के अनुसार धान की वसूली की जाती है। तथापि, चावल की वसूली के मामले में आन्ध्र प्रदेश सहित समस्त देश में एक-समान विनिर्दिष्टियों के अधीन यथा निर्धारित गुणवत्ता संबंधी कसौतियां की जाती है।

विवरण

विपणन मौसम 1993-94 के दौरान 18.7.1994 तक भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों और उनकी वसूली एजेन्सियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए वसूल की गई गेहूं और धान की राज्यवार मात्रा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(मात्रा लाख मीटरी टन में)	
	गेहूं	धान
आन्ध्र प्रदेश	-	0.21
बिहार	=	0.05
हरियाणा	34.54	1.45
कर्नाटक	-	0.01
मध्य प्रदेश	2.42	2.57
महाराष्ट्र	-	0.25
उड़ीसा	-	0.37
पंजाब	64.95	55.30
राजस्थान	4.96	-
उत्तर प्रदेश	21.27	नगण्य
पांडिचेरी	-	0.3
दिल्ली	0.20	-
हिमाचल प्रदेश	0.01	-
जोड :	128.35	60.24

[अनुवाद]

लघु मत्स्य बन्दरगाह

395. श्री रामकृष्ण कोंडाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में अन्य राज्यों की तुलना में क्षेत्रवार मंजूर किये लघु मत्स्य बन्दरगाहों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान ऐसी प्रत्येक परियोजना पर कितनी-कितनी मूल लागत, संशोधित लागत और वास्तविक लागत आई ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि करने वाले कारकों पर गौर करने के लिए कोई समिति का गठित करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केरल में छोटे मत्स्य बन्दरगाहों के निर्माण की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए एक केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति का गठन पहले ही कर दिया गया है। जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं। इस प्रगति की समीक्षा करने के लिए समिति केरल में पहले ही दो बैठकें आयोजित कर चुकी है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1991-92 से 1993-94 के दौरान स्वीकृत किए गए छोटे मत्स्य बन्दरगाह और 31-3-94 तक उनकी स्थिति.

(लाख रुपये)

क्र.सं.	बन्दरगाह	राज्य	मूल लागत	संशोधित लागत	स्थिति
1.	चोम्बल	केरल	556.00		निर्माण कार्य चल रहा है।
2.	मोप्ला	केरल	564.00		निर्माण कार्य चल रहा है।
3.	थंगासेसे चरण-II	केरल	569.50		निर्माण कार्य 1994-95 के दौरान शुरु किया जाना है।
4.	जखाऊ	गुजरात	1143.60		निर्माण कार्य चल रहा है।
5.	मंगरोल चरण-II	गुजरात	701		निर्माण कार्य 1994-95 के दौरान शुरू किया जाना है।

[हिन्दी]

छपरा शाहगंज रेल लाइन

396. श्री लाल बाबू राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छपरा-माउबलिया-शाहगंज रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस लाइन पर यातायात की मात्रा को देखते हुए इसके दोहरीकरण का औचित्य नहीं है।

रेलवे क्वार्टरों के आबंटन में कथित अनियमितताएं

397. श्री ललित उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर जोन में रेलवे क्वार्टरों के आबंटन में कथित अनियमितताओं और उन क्वार्टरों के अनधिकृत उपयोग के बारे में संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और 30 जून 1994 तक प्रत्येक मामले में आबंटियों तथा अवैध आबंटन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) ये मामले सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना क्वार्टरों के अनियमित आबंटन से संबंधित है। अनियमतिताओं के लिए जिम्मेवार चार अधिकारियों और एक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उन कर्मचारियों को उनके मौजूदा क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस दिए गए हैं जो आबंटन के पात्र नहीं हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में केन्द्र-नियंत्रित राज्य फार्म

398. श्री एन.जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने क्षेत्रफल भूमि पर केन्द्र-नियंत्रित राज्य फार्म हैं ;

(ख) विभिन्न खाद्यान्नों के बीजों के उत्पादन के लिए कुल कितने क्षेत्रफल भूमि का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) 1993-94 के दौरान इस फार्म में कुल कितना उत्पादन हुआ ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) इस समय इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन एक सार्वजनिक उपक्रम भारतीय राज्य फार्म निगम का गुजरात में कोई केन्द्रीय राज्य फार्म नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

|हिन्दी|

रेलवे कार्यशाला

399. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रेलवे कार्यशालाओं की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक कार्यशाला की क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान उक्त कार्यशालाओं का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) तीन।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(i) समस्तीपुर कारखाना :

1. मी.ला. मालडिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग-25 चौपहियां इकाइयां प्रतिमाह।
2. ब.ला. माल डिब्बों का विनिर्माण (बाक्स "एन") - 10 मालडिब्बे प्रतिमाह

(ii) जमालपुर कारखाना :

ब.ला. के डीजल रेल इंजनों की आवधिक ओवरहालिंग - 6 रेल इंजन प्रतिमाह

बाक्स मालडिब्बों का पुनर्निर्माण - 50 माल डिब्बे प्रतिमाह

डीजल रेल इंजन पुर्जों, सवारी और माल डिब्बा पुर्जों का विनिर्माण, टावर माल डिब्बों और डीजल क्रेनों का विनिर्माण, ब्रेक ब्लाकों का विनिर्माण, सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत, पहियों, बोगियों को सब-एसेम्बल करना आदि।

(iii) सीनी कारखाना : (आंकड़े टन/मास में)

1	2
1. (क) पुल गर्डर, ऊपरि पैदल पुल, प्लेटफार्म सायबान आदि।	42
(ख) इस्पात चैनल स्लीपर	25
2. इस्पात स्लीपरों की पैड प्लेटिंग	2.5
3. टाई बार	4

	1	2
4.	फाउंड्री और स्मिथी	4
5.	ग्लूड ज्वाइंट	100
6.	रेलपथ, कांटे और पारण और एस.ई.जे.	26
7.	मशीन और संयंत्र की अन्य मरम्मत, पुश ट्राली/मोटर ट्राली, रेल डॉलियों आदि का निर्माण	25
	जोड़ :	228.5

[अनुवाद]

मेट्रो रेल परियोजना

400. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री इम्रान मोल्लाह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कलकत्ता में मेट्रो रेल मरियोजना के कारण वहां कुछ मकान ढह गए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) मेट्रो रेलवे के निर्माण स्थल के आस-पास की कुछ इमारतों की हालत ठीक नहीं है। ऐसी 7 इमारतों का मेट्रो रेलवे द्वारा निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रो. एन. सोम की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है।

(ग) मेट्रो रेलवे ने इन इमारतों का पुनर्निर्माण हो जाने तक प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दम दम में क्वार्टर देने और विकल्प के रूप में मकान किराये के लिए प्रतिमाह 1200 रुपये का भुगतान करने की पेशकश की हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की खरीद

401. श्री मोहन रावले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सहकारी समितियों और प्राइवेट पार्टियों से प्रतिदिन औसत कितने दूध की और किस दर से खरीद की जा रही है ; और

(ख) जनता की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सहकारी समितियों से अधिकतम

दूध न खरीदे जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) सहकारी समितियां दिल्ली दुग्ध योजना को 30,500 कि.ग्रा. प्रति दिन की स्वीकृति मात्रा की तुलना में 8.22 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से औसतन 17,168 कि.ग्रा. दूध प्रतिदिन (जून, 1994) की आपूर्ति कर रही हैं। निजी ठेकेदार 8.40 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से औसतन 81,720 कि.ग्रा. दूध प्रतिदिन (जून, 1994) की आपूर्ति कर रहे हैं। दिल्ली दुग्ध योजना सहकारी समितियों से और अधिक दूध खरीदने में असमर्थ है क्योंकि वे अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहे हैं।

रेल लाइन का विस्तार

402. श्री पी.सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुवत्तुदुझा, थोडुपुझा और पाला होकर अंगामाली एरूमली के लिए कोट्टायम से पुनाकुर तक रेल लाइन का विस्तार करने हेतु सर्वेक्षण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण के लिए क्षेत्र कार्य शीघ्र ही शुरू किया जायेगा।

प्रौढ़ शिक्षा मिशन

403. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा मिशन का मूल्यांकन करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति अथवा दल का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समिति ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा मिशन के संबंध में कोई अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) पूर्ण साक्षरता अभियानों के स्तर तथा प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रो. अरूण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है तथा प्रो. वीना मजूमदार, प्रो. आन्द्रे बैतिले, प्रो. यू.आर. अनन्तमूर्ति तथा श्री अचिन वनायक इस दल के सदस्य हैं।

(ग) और (घ) विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बेलापुर-पनवेल लाइन का निर्माण

404. श्री राम कापसे : क्या रेल मंत्री 3 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6005 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलापुर-पनवेल रेलवे लाइन के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के बारे में महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार से अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला है। इस पर आगे विचार करना उनके उत्तर पर निर्भर करेगा।

केरल में रेलवे स्टेशन

405. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्नानार कालीकट, तेल्लिचेरी और बदागरा रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) और (ख). इन स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाएं पहले ही मुहैया कर दी गई हैं।

इनसे और सुधार किए जाने के उपाय के रूप में कण्णनोर में भुगतान करके उपयोग किया जा सकने वाले प्रतीक्षालय की व्यवस्था, प्लेटफार्म सं. 2/3 पर प्लेटाफार्म सायबान का विस्तार और शाकाहारी तथा मांसाहारी रसोइघरों में सुधार; तेल्लिचेरी में प्लेटफार्म सं. 2 पर सायबान की व्यवस्था और पेयजल के नलों की व्यवस्था ; कालीकट में परिचलन क्षेत्र और शाकाहारी तथा मांसाहारी रसोईघरों में सुधार और इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्श प्रणाली, बैठने के स्थान के अतिरिक्त प्रबंध तथा अतिरिक्त शौचालयों की व्यवस्था, और बडगरा में पेयजल के अतिरिक्त नलों की व्यवस्था से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

नई चीनी मिलें

406. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लगायी गयी नयी चीनी मिलों ने उत्पादन शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी चीनी मिलों के राज्य-वार नाम क्या हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) उन चीनी मिलों के नाम, जिन्होंने अपना उत्पादन हाल ही में, अर्थात् चालू चीनी मौसम 1993-94 (अक्तूबर से सितम्बर) के दौरान शुरू किया है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मौसम 1993-94 के दौरान पहली बार पेराई शुरू करने वाली चीनी मिलों के नाम

क्र.सं.	मिल का नाम	स्थान
1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
1.	मै. विनस सुगर्स लि.	मझावली (भरत्रा) तह. सम्भल, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
2.	मै. विल्लर्ड इंडिया लि.	अगोसा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
	पंजाब	
3.	मै. राणा सुगर्स लि.	बाबा-बकाला, जिला अमृतसर, पंजाब
	महाराष्ट्र	
4.	श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना लि.	शेलगांव-भालवानी, डा. ज्यूर, तालुका करमाला, जि. शोलापुर महाराष्ट्र
5.	मै. जय किसान एसएसके लि.	बोरबादी, तह. दरवाह, जि. यवतमाल, महाराष्ट्र।
6.	मै. चोपड़ा शेतकारी एसएसके लि.	माचले, जिला जलगांव, महाराष्ट्र
	उड़ीसा	
7.	मै. शक्ति शुगर्स लि.	हरीपुर गांव, तह. धेनेकनाल सदर जिला धेनकनाल, उड़ीसा
8.	मै. पोत्री सुगर्स एंड कैमिकल्स लि.	बोलनगीर, उड़ीसा
9.	मै. वैस्टर्न सुगर्स एंड कैमीकल लि.	धर्मगढ़, तह. धर्मगढ़, जिला कालाहांडी, उड़ीसा

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादक क्षेत्र का विभाजन

407. श्री राम नाईक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में गन्ना उत्पादक क्षेत्र को गन्ने में चीनी की मात्रा के आधार पर तीन क्षेत्रों में विभाजित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, खाद्य मंत्रालय ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर चीनी के बाह्य-फैक्टरी उगाही मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य को 3 अंचलों में बांटा है।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन

408. श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी के उत्पादन में पृथक-पृथक कितनी गिरावट आई है, इसके क्या कारण हैं और इस समस्या का समाधान क्या है ;

(ख) बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलें कौन-कौन सी हैं जिनको बंद करने या उनका आधुनिकीकरण करने या उनकी यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) इन मिलों को किसानों और श्रमिकों को अभी कितनी धनराशि का भुगतान करना है और इसका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान 15 जून को निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में चीनी का उत्पादन तथा 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान चीनी के उत्पादन में आई कमी का विवरण निम्न प्रकार है : -

क्षेत्र	1992-93	1993-94	कमी
		(आंकड़े लाख टन में)	
सार्वजनिक	8.77	7.29	1.48
सहकारी	62.73	54.83	7.90
निजी	33.25	32.26	0.99
कुल	104.75	94.38	10.37

सभी क्षेत्रों में चीनी के उत्पादन में कमी गुड़ तथा खांडसारी क्षेत्रों की ओर गन्ने के अत्यधिक विपथन के कारण आई है तथा मुख्य चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में गन्ना/चीनी के उत्पादन में गिरावट के कारण भी यह कमी आई है।

(ख) बिहार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की 15 चीनी मिलें हैं जो बिहार राज्य चीनी निगम लि. से संबंधित हैं। इन चीनी मिलों को बंद करने या इनका आधुनिकीकरण करने या इनकी यथास्थिति बनाए रखने के बारे में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है।

(ग) इन मिलों द्वारा श्रमिकों को किये जाने वाले भुगतान के बकाया की सूचना नहीं रखी जाती है। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों की ओर 15.5.1994 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों की ओर 15.5.1994 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	फैक्ट्री का नाम	गन्ना मूल्य का बकाया (रुपये/लाख)		
		चालू मौसम (1993-94) से संबंधित	पिछले तथा पूर्ववर्ती मौसमों से संबंधित	कुल
1	2	3	4	5
	उत्तर बिहार			
1.	गरौल	3.16	123.87	127.03
2.	रयाम	14.58	शून्य	14.58
3.	लोहाट	42.74	शून्य	42.74
4.	सकरी	19.16	105.78	124.94
5.	समस्तीपुर	3.47	शून्य	शून्य
6.	बनमंखी	30.92	204.10	235.02
7.	लौरिया	62.60	298.87	361.47
8.	सुगौली	53.98	275.16	329.14
9.	मोतीपुर	22.81	255.61	278.42

1	2	3	4	5
10.	मीरगंज	14.39	344.35	358.74
11.	सिवान	शून्य	शून्य	शून्य
12.	न्यू सावन	शून्य	शून्य	शून्य
	दक्षिण बिहार			
1.	बिहटा	शून्य	शून्य	शून्य
2.	वरसालीगंज	0.43	72.95	73.38
3.	गुरारू	शून्य	1.80	1.80
	कुल	268.24	1558.62	1826.86

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

409. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1991, 1992, 1993 और 1994 को विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं विशेषरूप से गेहूं, चावल, अनाज, दालें, चीनी, खाद्य तेलों, मसालों, मिट्टी के तेल के तुलनात्मक खुदरा और थोक मूल्य क्या थे ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इनके मूल्य में हो रही तीव्र वृद्धि की ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जून, 1991, 1992, 1993 और 1994 को विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की थोक और खुदरा कीमतें प्रदर्शित करने वाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(ग) ऊंची मांग, उत्पादन में लगभग स्थिरता, प्रशासित कीमतों में वृद्धि, मांग और पूर्ति में भारी खाई और कुछ मौसमी कारकों की वजह से कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। समुचित सीमाओं के भीतर सरकार ने कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण के लिए उच्च प्राथमिकता दी है। कीमतों पर निगरानी संबंधी अंतः मंत्रालय समन्वय समिति कीमतों की समीक्षा करती है और संबंधित अधिकारियों को समुचित एवं सामयिक कार्यवाही करने की सलाह देती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। बाजार में जिन वस्तुओं की कमी है उनकी सुगम उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात किया जा रहा है। चीनी, खाद्य तेल, पामोलिन और कपास के आयात को ओपेन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त और सुचारू बनाया जा रहा है ताकि इसका लाभ दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच सकें। आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी तरह के अन्य विधानों के अन्तर्गत जमाखोरों, कालाबाजारियों और ऐसे ही समाज विरोधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के थोक और खुदरा तुलनात्मक मूल्य

वस्तु	जून 1991				जून 1992				जून 1993				जून 1994			
	बम्बई		दिल्ली		बम्बई		दिल्ली		बम्बई		दिल्ली		बम्बई		दिल्ली	
	थो. मू.	खु. मू.	थो. मू.	खु. मू.	थो. मू.	खु. मू.	थो. मू.	खु. मू.	थो. मू.	खु. मू.	थो. मू.	खु. मू.	थो. मू.	खु. मू.	थो. मू.	खु. मू.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
चावल	500	5.50	400	6.00	655	7.40	525	7.00	625	7.50	580	7.00	691	8.50	625	8.50
गेहूं	295	4.50	275	3.50	625	7.20	360	4.50	500	7.50	360	4.50	675	8.00	396	5.00
चना	875	10.00	775	10.50	1000	12.00	735	10.00	1125	15.00	1060	13.00	1441	17.00	1280	16.00
तुर	1500	16.00	1350	16.00	1500	17.00	1150	16.00	1301	16.00	1100	14.00	1425	17.00	1370	17.00
चीनी	892	9.30	945	10.00	950	9.80	950	10.00	1035	11.00	1065	11.50	1450	15.50	1475	16.50
मूंगफली का तेल	3640	38.00	3867	44.00	3300	38.00	3633	42.00	3100	34.00	3050	36.00	3680	40.00	3833	46.00
सरसों का तेल	2953	34.00	2900	30.00	2900	36.00	2800	30.00	2900	34.00	2840	30.00	3587	38.00	2967	32.00
वनस्पति	3847	41.00	3577	36.00	3667	44.00	3633	38.00	3437	36.00	3330	35.00	3693	40.00	3787	39.50
मिर्च **	2500	4.00	3000	3.50	3900	5.50	4700	7.50	1900	4.50	2800	4.50	1700	5.00	1850	5.00
मिट्टी का तेल *	-	2.66	-	2.77	-	2.43	-	2.52	-	2.44	-	2.52	-	2.53	-	2.58

(एम.पी.) अ.मू. 22.7

ख. मू. = खुदरा मूल्य (प्रति किलो रुपयों में)

* = रुपयां प्रति लीटर

नोट : थो.मू. = थोक मूल्य (प्रति क्विंटल रुपयों में)

** = खुदरा मूल्य प्रति 100 ग्राम रुपयों में

[अनुवाद]

चीनी मिलें

410. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी चीनी मिलों की स्थापना हेतु गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार कितने आशय-पत्र जारी किये गये ;

(ख) क्या ये सभी आशय-पत्र छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति द्वारा देख लिये गये हैं ;

(ग) क्या इन नयी मिलों द्वारा सुगमता पूर्वक कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) पिछले तीन चीनी वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान देश में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 17 आशय-पत्र जारी किए गए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है : -

I. क्रम संख्या	राज्य	जारी किये गये आशय-पत्रों की संख्या
1.	पंजाब	6
2.	हरियाणा	1
3.	उत्तर प्रदेश	3
4.	मध्य प्रदेश	1
5.	महाराष्ट्र	2
6.	गुजरात	1
7.	आन्ध्र प्रदेश	1
8.	उड़ीसा	2
	कुल :	17

II. क्रम संख्या	वर्ष	जारी किये गये आशय-पत्रों की संख्या
1.	1990-91	16
2.	1991-92	1 (मध्य प्रदेश के लिए)
3.	1992-93	-
	कुल :	17

(ख) जी, नहीं। ग्यारह आशय-पत्र स्क्रीनिंग समिति द्वारा पास नहीं किए गये थे। क्योंकि उस समय यह अस्तित्व में नहीं थी।

(ग) और (घ) सामान्यतया एक नई चीनी मिल की स्थापना में 3-4 वर्ष लगते हैं। तथापि, बटर-सेवियां, जिला अमृतसर (पंजाब) स्थित एक चीनी मिल अर्थात् मै. राणा शुगर्स लि. ने 1993-94 चीनी मौसम (अक्तूबर-सितंबर) से उत्पादन शुरू कर दिया है।

गुड़ उत्पादन

411. श्री अमरपाल सिंह :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री तारा सिंह :

श्री वी.श्रीनिवास प्रसाद :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री नीतीश कुमार :

श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल :

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास गुड़ उत्पादन पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ; और

(ङ) ईसका किसानों तथा उपभोक्ताओं पर क्या प्रभव पड़ेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

जनता की भागीदारी

412. श्री रामटहल चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चलाई जा रही है प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम सहित अल्प व्यय वाली पर्यावरणीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें जनता की भागीदारी भी है ; और

(ख) इन परियोजनाओं के अंतर्गत गत् तीन वर्षों के दौरान क्या उपलब्धि मिली है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार ने जून, 1990 में राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें वनोपज में भागीदारी के आधार पर अवक्रमित वनों की सुरक्षा और विकास में ग्राम समुदायों तथा स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को उजागर किया गया है तब से इस बारे में 14 राज्यों ने अपने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस योजना में मुख्य जोर अवक्रमित वन भूमि पर वनरोपण के लिए कम लागत की स्कीमों में स्थानीय लोगों को शामिल करने पर दिया गया है।

सरकार 1986 से प्रति वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान भी आयोजित कर रहा है जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के तहत गैर-सरकारी संगठनों, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं आदि को कार्यशालाएं, सेमीनार, पदयात्राएं, सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शनियां, निबंध/वाद-विवाद/पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस अभियान के लिए लगभग 1500 ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई।

जिला स्तर पर कालेज के विधार्थियों, ग्रामीण युवाओं एवं स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए सरकार ने पर्यावरण वाहिनियां स्थापित करने की एक स्कीम शुरु की है। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में स्कूल के बच्चों के लिए पारि-क्लब भी आरम्भ किए हैं।

[अनुवाद]

चीनी की मांग और आपूर्ति

413. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

श्री नीतीश कुमार :

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री सत्य नारायण जटिया :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना-पेराई वर्ष 1993-94 में चीनी की खपत का कोई आकलन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो चीनी की अनुमानित मांग कितनी है ;

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान खपत हेतु चीनी की कितनी मांग थी ;

(घ) अक्तूबर, 1993 से जुलाई, 1994 तक खुले बाजार में तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री हेतु कितनी चीनी जारी की गई ; और

(ङ) देश में अप्रैल, 1994 के अंत तक चीनी का कुल कितना बफर स्टाक था ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) चालू चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान स्वदेशी चीनी की अनुमानित खपत लगभग 110-111 लाख मीटरी टन होगी।

(ग) पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान देश में चीनी की खपत निम्नानुसार थी : -

चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितंबर)	**मात्रा (लाख मीटरी टन)**
1990-91	107.15
1991-92	112.25
1992-93	120.05

(घ) रिलीज की गई चीनी की मात्रा (अक्तूबर, 1993 से जुलाई, 1994 तक) निम्नानुसार थी : -

(1) लेवी चीनी का आबंटन : 35.05 लाख मीटरी टन

(2) खुली बिक्री की चीनी का आबंटन 60.15 लाख मीटरी टन

(ङ) चीनी वर्ष 1993-94 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान सरकार ने चीनी का कोई बफर स्टाक नहीं रखा है और इसलिए अप्रैल, 1994 के अंत तक देश में चीनी का बफर स्टाक शून्य था।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

414. श्री भगवान शंकर रावत : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की कितनी जनसंख्या को पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिल रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है; और

(घ) इस प्रणाली के अंतर्गत इन राज्यों को वितरण के लिए 1993-94 के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध करायी गयी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में जैसा कि उक्त राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, 1990 में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों के तहत क्रमशः 136.05 लाख, 123.49 लाख व 121.67 लाख आबादी थी।

(ख) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में इन राज्य सरकारों से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण के लिए खाद्यान के आबंटन में वृद्धि करने की मांग की थी। आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में कुछ अन्य क्षेत्रों में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत और क्षेत्र को लाने का सुझाव दिया था।

(ग) केंद्रीय सरकार ने संपुष्टि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों के लिए खाद्यात्र के आबंटन में उत्तर प्रदेश के लिए पहली जुलाई, 1993 से प्रति महीना 24000 मी. टन और मध्य प्रदेश के लिए पहली जुलाई, 1994 से प्रति महीने 15320 मी.टन की वृद्धि की है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सरकारों को मोबाइल उचित दर की दुकानों के रूप में अथवा दरवाजे तक सुपुदर्गी करने के वाहनों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वाहन खरीदने हेतु 1993-94 में क्रमशः 80 लाख रुपये व 100 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार को राज्य में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में छः गोदामों का निर्माण करने के लिए 98.04 लाख रुपए की भी सहायता दी गई है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में किसी अन्य क्षेत्र में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में 1993-94 के दौरान जैसा कि सूचित किया गया है, क्रमशः 5.02 लाख मी.टन, 2.41 लाख मी.टन व 3.80 लाख मी.टन खाद्यात्र की मात्रा वितरित की गई।

गुजरात में माडल रेलवे स्टेशन

415. **श्री महेश कनोडिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में कुछ रेलवे स्टेशनों का माडल रेलवे स्टेशनों के रूप में विकास करने के लिए चयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है ;

(घ) इन रेलवे स्टेशनों पर किए जा रहे विकास कार्यों में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इन रेलवे स्टेशनों पर कितनी यात्री गाड़ियां रूकेंगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) से (घ) 1986 में गुजरात राज्य में तीन स्टेशनों यथा अहमदाबाद, राजकोट और जूनागढ़ को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था और 41.23 लाख रुपये की लागत से इन निर्माण कार्यों को पूरा किया गया। इस योजना के अंतर्गत सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप सभी अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था की गयी थी।

(ङ) सम्बद्ध खंडों पर चल रही सभी गाड़ियां इन स्टेशनों पर रूकती हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में रेल फाटक

417. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने रेल फाटक हैं और उनमें से कितने रेल फाटक बिना चौकीदार के हैं ;

(ख) क्या अत्यधिक व्यस्त रेल फाटकों पर ऊपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुमानित लागत और खर्च की इस धनराशि में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार कितना-कितना भाग वहन करेंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) गुजरात में 4455 समपार हैं जिनमें से 3040 समपार बिना चौकीदार वाले हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो इस प्रकार हैं : -

1. समपार संख्या 146 के बदले सूरत और बड़ोदरा के बीच (किलो मीटर 268/8-10 पर) ऊपरी सड़क पुल।
2. राजकोट में महिला कालेज/आम्रपाली सिनेमा के निकट किलो मीटर 4/6-7 पर समपार संख्या 7 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

सूरत में ऊपरी सड़क पुल की अनुमानित लागत 4.64 करोड़ रुपये है। रेलवे और राज्य सरकार दोनों अर्थात् प्रत्येक का हिस्सा 2.32 करोड़ रुपये हैं।

राजकोट में ऊपरी सड़क पुल का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

चीनी मिलों के लिए लाइसेंस

418. श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के कुरूक्षेत्र तथा यमुनानगर जिलों में चीनी मिलों के लिये लाइसेंस उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रिमंडलीय जांच समिति की सिफारिशों की अनदेखी करके दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन चीनी मिलों के क्या नाम हैं जिन्हें उक्त समिति की सिफारिशों की अनदेखी करके लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) हरियाणा में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों, कुरूक्षेत्र और यमुनानगर जिलों के लिए प्राप्त प्रस्तावों सहित, पर 22.6.1993 को जांच समिति द्वारा विचार किया गया था। विचार-विमर्श के बाद समिति ने यमुनानगर जिले में एक

आशय-पत्र प्रदान करने की सिफारिश की थी। तथापि, समिति ने कुरूक्षेत्र जिले में कोई आशय-पत्र जारी करने की सिफारिश नहीं की थी।

मैं. सरस्वती इंडस्ट्रीयल सिंडीकेट लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने दिनांक 10.7.1993 के अभ्यावेदन के तहत कुरूक्षेत्र जिले में चीनी मिल का स्थान पिपली गांव से बदलकर कामोदा गांव करने का अनुरोध किया था। मामले की समीक्षा की गयी थी तथा खाद्य मंत्रालय द्वारा कामोदा के बदले हुए स्थान पर नई चीनी मिल की स्थापना के लिए आशय-पत्र/लाइसेंस प्रदान करने की सिफारिश की गयी थी। उद्योग मंत्रालय में लाइसेंस समिति द्वारा मामले पर विचार किया गया था तथा वह खाद्य मंत्रालय की सिफारिश से सहमत हो गयी थी।

उद्योग मंत्रालय द्वारा कुरूक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में निम्नलिखित आशय-पत्र जारी किये गये हैं : -

क्रम.सं.	आवेदक का नाम	स्थान
1.	मै. ईसजैक कोवेम प्लास्टिकस लि.	कामोदा, तहसील थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र
2.	मै. हॉरिजन एग्रो कैमीकल्स लि. मार्फत यमुना गैसिज एंड कैमीकल लि.	कोट, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर

चीनी का अयात

419. श्री अन्ना जोशी :

श्री शरद दिघे :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के आयात के संबंध में मंत्रालय में कोई विवाद पैदा हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विवाद को सुलझाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। इस योजना के तहत निजी पार्टियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् एस.टी.सी. तथा एम.एम.टी.सी. द्वारा चीनी का आयात किया जा रहा है। इस समय चीनी के आयात पर खाद्य मंत्रालय में कोई विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

420. श्री सत्य देव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान प्रत्येक जोन में छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ; और

(ख) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर गोंदिया-चांदाफोट लाइन का 23 किलो मीटर लंबा अर्जुनी-वडासा छोटी लाइन खंड।

(ख) 18 करोड़ रुपये।

[अनुवाद]

कलकत्ता में सर्क्यूलर रेलवे

421. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि उपलब्ध न होने के कारण कलकत्ता में सर्क्यूलर रेलवे का काम पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने कलकत्ता पत्तन-न्यास के अधिकारियों तथा जल भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका अब तक क्या परिणाम निकला ; और

(घ) परियोजना को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) कलकत्ता पत्तनन्यास के प्राधिकारी उस भूमि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं जिससे होकर प्रस्तावित संरेखण गुजरता है।

(घ) इन परिस्थितियों में विकल्प के रूप में, अब सीमा शुल्क वाले क्षेत्र तथा साथ ही गार्डन रीच रोड और सर्कूलर गार्डन रोड से होकर उत्थापित रेलपथ पर विचार किया गया है। इसके लिए व्यावहारिकता अध्ययन शुरू किया गया है और आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

रेल वैगन

422. प्रो. रीता वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोंकिंग कोल लिमिटेड को गत तीन वर्षों के दौरान कितने रेल वैगनों की सप्लाई की गई ;

(ख) इन वर्षों के दौरान कोयले की ढुलाई के लिए कितने वैगनों का उपयोग किया गया और कोयले की ढुलाई के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई ;

(ग) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पर रेलवे का कोई विलम्ब शुल्क बकाया है ;

(घ) यदि हां, तो 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इसकी वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलों ने 1991-92, 1992-93 और 1993-94

के दौरान वी सी सी एल को क्रमशः प्रतिदिन औसतन 2367 माल डिब्बे, 2611 माल डिब्बे तथा 2814 माल डिब्बे सप्लाई किए हैं। इनमें से 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान क्रमशः प्रतिदिन औसतन 848 माल डिब्बों, 968 माल डिब्बों तथा 1170 माल डिब्बों का लदान निर्धारित लदान समय के भीतर नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के अंत तक भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के पास विलम्ब शुल्क की बकाया राशि इस प्रकार है : -

1991-92	:	1,46,302.00 रुपये
1992-93	:	34,12,453.00 रुपये
1993-94	:	8,72,400.00 रुपये

(ङ) बकाया राशि की वसूली के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

धान की खेती के अन्तर्गत भूमि

423. डा. परशुराम गंगवार : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कुल कितने एकड़ भूमि पर धान की खेती की गई और बासमती और गैर-बासमती किस्मों की खेती कितनी एकड़ भूमि पर की गई ;

(ख) कुल कितने चावल का उत्पादन हुआ ; और

(ग) गत वर्ष की तुलना में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेतांम) : (क) चालू वर्ष के दौरान अनुमानतः 42 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर धान की खेती की गई है जो कि सामान्य होने की संभावना है। फसल के किस्म-वार क्षेत्र अनुमान तैयार नहीं किए जाते हैं।

(ख) 1993-94 के दौरान उत्पादित चावल की कुल मात्रा लगभग 78 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) 1993-94 के दौरान, चावल का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

[अनुवाद]

पीपुल्स आफ इंडिया परियोजना

424. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा शुरू की गई "पीपुल्स आफ इंडिया" परियोजना पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन और प्रकाशन कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस समय यह परियोजना किस चरण में है ;

(घ) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया ; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। परियोजना का क्षेत्र-कार्य पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण की सलाहकार समिति द्वारा तथा नियंत्रक व महालेखा परिक्षक द्वारा भी शैक्षिक और वित्तीय, दोनों पहलुओं की दृष्टि से विशेष लेखा-परीक्षा करके कार्य का मूल्यांकन किया गया है। परियोजना पर एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और इन्हें प्रकाशित किए जाने के संबंध में कार्रवाई चल रही है। प्रकाशित किए जाने वाले 43 खण्डों में से बारह खण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं।

(घ) अब तक कुल 2.26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इस राशि में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के इस कार्य पर नियुक्त नियमित स्टाफ का वेतन शामिल नहीं है।

(ङ) आशा है कि समस्त प्रकाशन कार्य अगले तीन वर्षों में पूरा हो जाएगा।

मध्य प्रदेश में रेल फाटक

425. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने रेल फाटक हैं और उनमें कितने रेल फाटक चौकीदार रहित हैं ;

(ख) क्या व्यस्त रेल फाटकों पर नए उपरि पुलों के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और उस खर्च में से कितना-कितना हिस्सा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) मध्य प्रदेश में 3003 समपार हैं जिनमें से 1842 समपार बिना चौकीदार वाले हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरा इस प्रकार है : -

	कार्य का ब्यौरा	स्थान	अनुमानित लागत	
			रेलवे का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा
			(लाख रुपये में)	
1.	समपार सं. 23-ए के बदले ऊपरि सड़क पुल	सागर	48.40	152.4
2.	समपार सं. 175 के बदले ऊपरि सड़क पुल	निम्बोला	110.00	71.00

(पहले स्वीकृत किये गए कार्यों को शामिल नहीं किया गया है।)

[हिन्दी]

नई रेल लाइन

426. श्री पंकज चौधरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेल के घुघली और महाराज गंज के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वानिकी योजना

427. श्री राजेश कुमार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत रेल लाइन के दोनों ओर बख्तियारपुर से बिहार शरीफ तक लगे पूर्ण विकसित वृक्ष आस-पास के गांवों के लोगों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, 10-12 वर्ष पुराने लगभग 1800 पेड़ काटकर चुराये गये हैं। चूंकि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है, इसलिए पुलिस प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा दी गयी है। इस बारे में आगे की कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है। रेलों ने भी सतकर्ता बढ़ा दी है।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन अनुसंधान केन्द्र

428. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार आठवीं योजनावधि के दौरान कुछ नये अनुसंधान केन्द्र आरंभ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र कहां-कहां, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) यह नये केन्द्र कृषकों की क्या सहायता करेंगे ; और

(घ) ऐसे नये केन्द्रों का लागत-लाभ क्या होगा ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में खोले जा रहे 9 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों (एन.आर.सी.) में से तेल ताड़ पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र आंध्र -प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पेड़ावेगि गांव में स्थित है। अनुसंधान केन्द्र आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पेड़ावेगि में स्थित है।

(ग) चूंकि तेल ताड़ एक महत्वपूर्ण वनस्पति तेल वाला पौधा है, इसलिए केन्द्र अधिक तेल की मात्रा वाली उसकी सुधरी किस्मों के चयन, उनके संवर्धन और उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) विकसित करेगा।

(घ) चूंकि अभी केन्द्र को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है इसलिए अभी इसकी लागत और इससे होने वाले लाभ का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात में रेल परियोजनाएं

429. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों से मीटर गेज लाइन का आमान परिवर्तन और नई रेल लाइनें बिछाने और अहमदाबाद/गांधीनगर इत्यादि में नया रेल डिवीजन बनाने के संबंध में प्राप्त कुल कितने अनुरोध उनके मंत्रालय के पास लंबित हैं ;

(ख) वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उनको पूर्ण करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) से (ग) नई रेल लाइनें बिछाने, मीटर लाइनों का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन और नए रेलवे मंडल के सृजन के संबंध में गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा इस प्रकार है : -

प्रस्ताव	स्थिति	लक्ष्य
दिल्ली राजहरा-जगदलपुर नई रेल लाइन	योजना आयोग के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है।	
जबलपुर-गोंदिया छा.ला. का ब.ला. में आमान परिवर्तन	एक आमान प्रणाली परियोजना की कार्य योजना के पहले चरण में शामिल कर लिया गया है। आगामी वर्षों में कार्य शुरू किया जाएगा।	

बरास्ता देवास-मकसी गोधरा से इंदौरा तक नई लाइन	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण से पता चला है कि परियोजना लागत ऋणात्मक प्रतिफल दर सहित 600 करोड़ रुपए होगी। परियोजना की दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग के आमान परिवर्तन के फलस्वरूप यातायात के बदले हुए स्वरूप के अनुसार समीक्षा की जा रही है।
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई लाइन	सर्वेक्षण रिपोर्ट (1992) से पता चला है कि 262 कि.मी. लंबी प्रस्तावित लाइन की लागत 249.77 करोड़ रुपये होगी जबकि प्रतिफल ऋणात्मक होगा। यह कार्य अलाभप्रद प्रकृति का होने और संसाधनों की तंगी के कारण शुरू नहीं किया जा सका।
कपड़वंज से मोडासा तक नई लाइन	निम्न प्राथमिकता के कारण कार्य रोक दिया गया है।
राजकोट-वेरावल मी.ला. का ब.ला. में आमान परिवर्तन	कार्य को 1994-95 के बजट में शामिल कर लिया गया है। इसको शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।
गांधीधाम-भुज मी.ला. का ब.ला. में आमान परिवर्तन	सर्वेक्षण से पता चला है कि परियोजना पूर्णतया अलाभप्रद होगी। बहरहाल, इस के बारे में यातायात की संभावना और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शेष लाइनों के साथ विचार किया जाएगा जब कार्य योजना के अगले चरण में शुरू की जाने वाली लाइनों के संबंध में निर्णय किया जाएगा।
वांकानेर-नवलाखी-मलिया मियाना मी.ला. खंड का ब.ला. में आमान परिवर्तन	रेलवे से प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा गया है।
अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड तक रेल संपर्क की व्यवस्था	रेलवे से प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा गया है।

खंबात की खाड़ी पर भावनगर और भरूच के बीच एक रेल एवं सड़क पुल का निर्माण	रेलवे को गुजरात सरकार के परामर्श से प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा गया है।
गांधीनगर और दिल्ली के बीच सीधे ब.ला. रेल संपर्क की व्यवस्था	रेलवे को गुजरात सरकार के परामर्श से प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा गया है।
अहमदाबाद में एक नए मंडल का सृजन	मंडलों के सृजन/पुनर्गठन से संबंधित मामले का अध्ययन और जांच की जा रही है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

430. श्री एस.बी. सिदनाल :

प्रो. के.बी. थामस :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम बजट पेश किए जाने के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है :

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, मई और जून, 1994 के दौरान इस संबंध में महावार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) अप्रैल 1994, मई 1994 और जून, 1994 के महीनों के दौरान चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में माहवार उतार-चढ़ाव के प्रतिशत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का कारण उनकी अधिक मांग, लगभग स्थिर उत्पादन, निर्देशित मूल्यों में वृद्धि, मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता हुआ अंतर तथा साथ ही मौसमजन्य कारकों को ठहराया जा सकता है। सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को रोकने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मूल्यों की परिवीक्षा के बारे में गठित अंतर्मंत्रालयिक समन्वय समिति मूल्य परिदृष्य की समीक्षा करती है तथा संबंधित प्राधिकारियों को उचित और समय से कार्रवाई करने की सलाह देती है। उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं की बाजार में आसान उपलब्धता की अनुपूर्ति के लिए उनका आयात किया जा रहा है। चीनी, खाने योग्य तेलों, पामोलीन और कपास का आयात खुले आम लाइसेंस के तहत रखा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाया जा रहा है ताकि इसके लाभ दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंच सकें। जमाखोरों, चोरबाजारियों तथा ऐसे अन्य असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी तरह के अन्य कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

अप्रैल, 1994, मई, 1994 और जून, 1994 के दौरान चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत।

वस्तु	उतार-चढ़ाव का प्रतिशत		
	अप्रैल, 1994	मई, 1994	जून, 1994
चावल	स्थिर	-0.9	+0.9
गेहूं	-4.1	-3.0	+0.3
चना	-7.7	+1.2	-0.3
अरहर	-1.6	-1.6	+0.2
आलू	-2.1	-1.7	+16.9
प्याज	-13.1	-2.7	-0.7
चाय	-6.8	+14.0	+2.7
नमक	-0.1	-0.3	स्थिर
चीनी	+1.8	+4.8	+0.8
वनस्पति	+2.6	+5.0	-0.1
मूंगफली का तेल	+6.6	+3.1	+1.5
सरसों का तेल	+2.1	+1.4	+1.3
समग्र वस्तुएं	+1.8	+0.3	+0.5

माल-भाड़े में कमी

431. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को 1 अप्रैल, 1993 से 30 जून, 1994 तक माल-भाड़े, यात्री यातायात में कमी, आंदोलन के कारण देश के विभिन्न-भागों में रेलवे संपत्ति को हुई हानि, मुद्रा स्फीति और संचालन संबंधी व्ययों में वृद्धि के कारण कितना नुकसान हुआ : और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1993-94 के संशोधित बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष के दौरान यात्री यातायात से हुई हानि आमदनी में कोई कमी नहीं आई थी। तथापि, संशोधित बजट अनुमानों की तुलना में 1993-94 में माल यातायात से हुई आमदनी में 272.64 करोड़ रुपए (अनंतिम) की कमी आई थी। वर्ष 1993-94 के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसी प्रकार, बजट अनुपात की तुलना में वर्ष 1994-95 में अप्रैल, 94 से जून, 94 तक यात्री यातायात से आमदनी में कोई कमी नहीं आई है। तथापि, इस अवधि में बजट अनुपात की तुलना में माल यातायात से आमदनी में कमी आई है। आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 93-94 के दौरान, सामान्य कार्य व्यय में सीमांत वृद्धि हुई है। अप्रैल 94 से जून 1994 की अवधि के दौरान आनुपातिक बजट अनुदान की तुलना में वास्तव में बचत हुई है।

व्यय पर मुद्रास्फीति के नियत प्रभाव को निर्धारित करना कठिन है। आन्दोलनों के कारण रेलवे संपत्ति को हुई हानि का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) नवीन विपणन द्वारा और व्यवस्था/प्रणाली की सर्वांग/सर्वतोमुखी संचालन क्षमता को प्रभावी करने हेतु सुनियोजित नीतियों को सफलतापूर्वक आरम्भ करके रेलवे द्वारा इस अंतर को बांटने की कोशिश की जा रही है।

विवरण

वर्ष अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 के लिए यात्री और माल यातायात से आमदनी के अनंतिम आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

	संशोधित अनुमान	**वास्तविक (अनंतिम)**	**कमी-बेशी**
यात्री यातायात से आमदनी	4865.00	4895.21	(+) 30.21
माल यातायात से आमदनी	12830.00	12557.36	(-)272.64

अप्रैल, 1994 से जून, 1994 की अवधि के लिए यात्री और माल यातायात से आमदनी के अनंतिम आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

	बजट अनुपात	**वास्तविक (अनंतिम)**	**कमी-बेशी**
यात्री यातायात से आमदनी	1296.27	1379.41	(+) 83.14
माल यातायात से आमदनी	3321.37	3207.82	(-) 113.55

माल भाड़ा यातायात में वृद्धि

432. **श्री शांताराम पोतदुखे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मालभाड़ा यातायात में वृद्धि के बारे में कोई सुचारु अध्ययन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब कराया गया था ; और

(ग) यात्री किराए और मालभाड़ा यातायात के संबंध में प्रायोजना किस प्रकार से बनाई जाती है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) से (ग) पंचवर्षीय योजनाओं के लिए माल तथा यात्री यातायात के लिए यातायात में बढ़ोतरी का आकलन करने के वास्ते अध्ययन दल गठित किये जाते हैं। ये दल

उन गतिविधियों को जो हो रही हैं, जिनके होने की संभावना है, जनसंख्या में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, उद्योगों में विकास आदि को ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार हर 5 वर्षों में सुनियोजित अध्ययन किया जाता है। और यह एक सतत प्रक्रिया है। वार्षिक योजनाओं को तैयार करते समय इनकी समीक्षा की जाती है। यात्री किरायों के संबंध में, ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

433. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के बजट में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) प्रत्येक रेलवे जोन के लिए अलग-अलग कितनी राशि निर्धारित की गयी है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान मध्य रेलवे के कितने किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) और (ख) योजनाशीर्ष ''यात्री और अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं'' के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण शुरू किया जाता है। इसके लिए वर्ष 1994-95 में 6000.25 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में रेलवेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	रेलवे	**आबंटन**
1.	मध्य	807.45
2.	पूर्व	803.76
3.	उत्तर	637.94
4.	पूर्वोत्तर	136.10
5.	पूर्वोत्तर सीमा	251.39
6.	दक्षिण	799.55
7.	दक्षिण मध्य	423.11
8.	दक्षिण पूर्व	1618.70
9.	पश्चिम	522.25

(ग) मनमाड, इटारसी, मथुरा, पुणे, कामशेत, भुसावल, ग्वालियर, इगतपुरी, देहु रोड, बल्लभगढ़, पठारिया, भायखला, अम्बिली, तालेगांव, हार्दा, भोपाल, बानपुरा, कलवा और सतना पर आधुनिकीकरण/सुधार संबंधी बड़े निर्माण कार्य शुरू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर बहुत से छोटे निर्माण कार्य शुरू किये गये हैं।

भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

434. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इन संस्थानों के माध्यम से क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.वी.आर.आई.) के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा एक समिति द्वारा की गयी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1993 में प्रस्तुत कर दी थी, जबकि केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, (सी.ए.आर.आई.) की वार्षिक योजना के प्रस्तावों पर विचार करते हुए उसके कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा समय-समय पर की जाती है।

(ख) भा.प.चि.अनु.संस्थान सम्बन्धी समिति ने इसके क्षेत्रीय केन्द्रों/सब स्टेशनों सहित भा. पशु चिकित्सा अनुसंधान की अनुसंधान-उपलब्धियों और उनकी प्रासंगिकता की विस्तृत सूची बनाई है। इस समिति ने संस्थान को सौंपे गये कार्यों; उसके संगठनात्मक ढांचे ; संस्थान के कार्य एवं प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली समस्यायें/अवरोधों, भा.प.चि.अनु. संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्चा और आई.वी. आर.आई. के शैक्षणिक विषयों के बारे में सिफारिशें की हैं सी.ए.आर.आई. ने मांस के लिए और अण्डा देने वाली व्यावसायिक मुर्गियों और बटेरों का विकास किया है। इसने मांस के लिए गिनी मुर्गियों में भी सुधार किया है।

(ग) चूंकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अथवा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के साथ कोई सहयोगी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत इंजन

435. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री अजय मुखोपाध्याय:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक 6000 अश्वशक्ति के तीन फेज वाले कुल कितने विद्युत इंजनों की खरीद की गई ;

(ख) देश में अब तक ऐसे कितने इंजन प्राप्त किये जा चुके हैं ;

(ग) क्या चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने में इस प्रौद्योगिकी वाले इंजनों का निर्माण करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) 6000 अश्व शक्ति के 3 फेज वाले 30 बिजली रेल इंजनों की खरीद के लिए क्रय आदेश दे दिए गए हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में 3 फेज रेल इंजनों के निर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण का कार्य रेल इंजनों की सप्लाई के साथ ही शुरू होगा। प्रौद्योगिकी के इस हस्तान्तरण से देश में निर्मित पहले रेलइंजन का उत्पादन 1996-97 तक होने की संभावना है।

[हिन्दी]

शिक्षा का प्रसार

436. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1994 के राष्ट्रीय सहारा में "मध्य प्रदेश के उन्नीस जिलों में शिक्षा प्रसार के लिए 32 करोड़ रुपये" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के उन्नीस जिलों में शुरू की जाने वाली शैक्षिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस बात की निगरानी करती है कि राज्य सरकारों द्वारा आबंटित की गई धनराशि का सही उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसकी कार्य योजना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सहभागिता के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा विकास के लिए जिला एवं जनसंख्या विशेष योजनाएं विकसित करने के लिए विकेन्द्रीकृत आयोजना की नीति को कार्यान्वित करने के लिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नामक एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में स्त्री पुरूष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य सुविधाहीन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षणा के न्यूनतम स्तरों का निर्धारण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुधार तथा स्कूल सुविधाओं में सुधार जैसे निवेशों के माध्यम से इस कार्यक्रम से स्कूल प्रभाव में वृद्धि हुई है।

यूरोपियन समुदाय (ई.सी.) ने इस कार्यक्रम के लिए 150 मिलियन ई.सी.यू (लगभग 585 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस कार्यक्रम को, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश राज्य के 19 जिलों में आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत सरकार का यह प्रस्ताव है कि वह

द्विवार्षिक समीक्षाओं तथा मध्यावधि मूल्यांकन के माध्यम से प्रगति तथा निधियों के उपयोग का अनुवीक्षण करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए उन्हें आबंटित किया गया था।

गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान

437. श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या **खाद्य** मंत्री 5 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7066 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना उत्पादकों को कब तक बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (कल्प नाथ राय) : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए गन्ना (नियंत्रण) आदेश के अनुसार सभी चीनी मिलों के लिए गन्ना उत्पादकों को गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) का भुगतान करना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा सुझाए गये गन्ना मूल्यों, जो एस.एम.पी. से काफी अधिक होते हैं, के मामले में गन्ना मूल्य के बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान को बाध्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां तथा क्षेत्रीय संगठन हैं। तदनुसार, चूककर्ता चीनी मिलों के विरुद्ध कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा करनी होती है।

गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान को इकट्ठा होने से रोकने के लिए राज्य सरकारों को भार्गव फार्मूला के अनुरूप गन्ने के लिए और अधिक तर्कसंगत मूल्य नीति अपनाने की सलाह दी गयी है। राज्य द्वारा सुझाये गये गन्ना मूल्यों के लिए अपनायी जाने वाली मूल्य नीति के बारे में सिफारिश करने के लिए राज्य सरकारों के 5 मंत्रियों की एक समिति गठित की गयी है।

1992-93 चीनी मौसम के लिए अद्यतन सांख्यिकीय संकलनों के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर 1992-93 मौसम के दौरान 31.3.1993 को गन्ना मूल्य का बकाया जो कुल देय गन्ना मूल्य का 16.9 प्रतिशत था वह 31.7.1993 को घट कर 3.4 प्रतिशत रह गया और इसके बाद 15.11.1993 को और घटकर 1.5 प्रतिशत रह गया था। चालू चीनी मौसम 1993-94 के दौरान 15.5.1994 को गन्ना मूल्य का बकाया 166.34 करोड़ रुपये था जो कुल देय गन्ना मूल्य का 3.6 प्रतिशत है।

(ख) गन्ना मूल्य के भुगतान में विलंब के कई कारण हैं जैसे चीनी मिलों की कमजोर वित्तीय स्थिति, ऊंची उत्पादन लागत, राज्य द्वारा सुझाया गया अत्यधिक गन्ना मूल्य, अपर्याप्त बिक्री वसूली, आदि।

पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम

438. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विकास से संबंधित विभिन्न देशों के मंच ने भारत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का

सर्वसम्मति से समर्थन किया है ;

(ख) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों के दौरान विकास संघ द्वारा पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी ; और

(ग) पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पेरिस में 29 जून, 1994 को इंडिया डेवलपमेंट फोरम के सदस्यों को भारत की पर्यावरणीय प्राथमिकताओं की एक झलक दिखाई गई। इन प्राथमिकताओं में जैव विविधता का संरक्षण और सतत् उपयोग, परती भूमि विकास और वनीकरण, मृदा और नमी संरक्षण, अपशिषट कम करना, प्रदूषण नियंत्रण स्वच्छ प्रौद्योगिकीयों की प्राप्ति में सुधार वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियां आदि का विकास शामिल हैं।

(ख) और (ग) पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की जाने वाली राशि के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, उम्मीद की जाती है कि ऊपर वर्णित विशिष्ट प्राथमिकता क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुरक्षा कार्यक्रमों पर आवश्यक जोर दिया जाएगा। सरकार का राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य कार्यक्रम जिसको दिसम्बर, 1993 में रिलीज किया गया था हमारी प्राथमिकताओं का एक विस्तृत विवरण है और उसमें अनेक कार्यक्रम शामिल हैं जिनको शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य कार्यक्रम की प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में रखी गई हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों/बागवानी फसलों की खेती का भू-क्षेत्र

439. श्री दत्ता मेघे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में खाद्यान्नों तथा बागवानी फसलों की खेती पृथक-पृथक कुल कितने भू-क्षेत्र में की जाती है ; और

(ख) खाद्यान्नों तथा बागवानी फसलों के उत्पादन में लगे किसानों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भू-उपयोग सांख्यिकी (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार, 1988-89 के दौरान महाराष्ट्र में खाद्यान्न और बागवानी फसलों की खेती के तहत आने वाला कुल क्षेत्र क्रमशः 143.63 और 4.56 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है।

(ख) चूंकि किसान आमतौर पर विभिन्न प्रकार की मिली-जुली फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए खाद्यान्नों और बागवानी फसलों के उत्पादन में लगे किसानों की संख्या के अलग-अलग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, 1990-91 की कृषि संगणना के अनुसार महाराष्ट्र में प्रचलनात्मक जोतों की कुल संख्या अनन्तिम तौर पर 94.7 मिलियन आंकी गई है।

|हिन्दी|

खाद्यान्नों का आयात

440. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को कितना आयातित चावल और गेहूं वितरित किया गया ;

(ख) आयातित खाद्यान्नों की प्रति किलोग्राम औसत लागत कितनी है और विभिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं के लिए इन खाद्यान्नों की किस दर से सप्लाई की गई ; और

(ग) इसके फलस्वरूप सरकार को कितना घाटा हुआ ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए गए आयातित चावल और गेहूं की मात्रा निम्नानुसार है : -

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
1991-92	23.93	80.09
1992-93	23.03	1325.60
1993-94	संकलित किए जा रहे हैं।	

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान आयात किए गए गेहूं और चावल की उतरान लागत निम्नानुसार है : -

दर : रुपये प्रति किलोग्राम

वर्ष	उतरान लागत	
	गेहूं	चावल
1992-93	4.82	6.23
1993-94 (सं.अ.)	5.32	6.71

सभी राज्यों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी करने के लिए दोनों ही आयातित और स्वदेशी, गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य एक-समान होते हैं जैसाकि नीचे दिया गया है : -

दर : रुपये प्रति किलोग्राम

वर्ष	गेहूं	चावल		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
1	2	3	4	5
1991-92 (12/91 से)	2.80	3.77	4.37	4.58

1	2	3	4	5
1992-93	3.30	4.37	4.97	5.18
(11.1.1993 से)				
1993-94	4.02	5.37	6.17	6.48
(1.2.1994)				

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें परिवहन लागत और अन्य प्रासंगिक खर्चों आदि को ध्यान में रखने के बाद उनके द्वारा निर्धारित किए गए खुदरा मूल्यों पर उचित मूल्य की दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सप्लाई करती हैं।

(ग) चूंकि उपभोगकर्ता जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न जारी किए जा रहे हैं। इसलिए हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूयमकुट्टी पन विद्युत परियोजना

441. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पूयमकुट्टी पन विद्युत परियोजना को पर्यावरण और वानिकी की दृष्टि से इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ;

(ख) क्या इस परियोजना के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले पारिस्थितिकी असंतुलन के संबंध में कोई गहन अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस परियोजना के परिणामस्वरूप कुल कितना हेक्टेयर वन-क्षेत्र डूब जाएगा/ विनिष्ट हो जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केरल की पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना को जून, 1985 में सुरक्षात्मक और उपशामक उपाय सुझाते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। इस स्कीम के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत औपचारिक अनुमोदन अभी तक नहीं दिया गया है। क्योंकि राज्य सरकार से मांगे गए कुछ स्पष्टीकरण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची ने केरल के पश्चिमी घाटों में पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना के दीर्घकालिक पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय पक्षों का गहन अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पानी को रोके जाने और परियोजना से संबंधित गतिविधियों के कारण होने वाले संभावित पर्यावरणीय परिवर्तनों को शामिल किया गया है। गठित की गई एक बहु-पक्षीय समिति ने भी उक्त परियोजना की पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विवक्षाओं का विश्लेषण किया है।

(घ) डूब के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र और परियोजना से संबद्ध गतिविधियों के लिए केरल राज्य सरकार ने 3001.8 हेक्टेयर वन भूमि के अंतरण का एक प्रस्ताव भेजा है।

रेलवे लाइन का दोहरीकरण

442. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रेलवे लाइन के दोहरीकरण के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के लिए इस हेतु कितनी राशि आबंटित की गयी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) केरल में दोहरी लाइन बिछाने के तीन कार्य प्रगति पर हैं। उनकी स्थिति इस प्रकार है : -

1. **कायनकुलम-कोल्लम**

   कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। करुनागपल्ली तक का खंड पहले ही खोल दिया गया है। करुनागपल्ली और कोल्लम के बीच कार्य चल रहा है। और तीन में से दो और ब्लाक खंडों के 1994-95 में पूरा होने की आशा है, पूरे खंड पर 1995-96 में दोहरी लाइन बिछा दी जाएगी।

2. **कायनकुलम-तिरुवनन्तपुरम के बीच दोहरी लाइन बिछाना**

   भूमि अधिग्रहण का काम प्रगति पर है। इसके लिए केरल सरकार द्वारा मांगी गई राशि उनके पास जमा करा दी गई है। तिरुवनन्तपुरम सिटी में ऊपरी सड़क पुल, सख्त ज़मीन में गहरी कटाई को चौड़ा करने जैसे अधिक समय लेने वाले कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इस कार्य को शुरू करके 8वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जाएगा।

3. **कुट्टिपुरम और कालीकट के बीच दोहरीकरण**

   इस कार्य को 1994-95 के बजट में शामिल कर लिया गया है। वास्तविक कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त कार्य के लिए चालू वर्ष में 14 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

पूर्व रेलवे सतर्कता विभाग

443. श्री मंजय लाल :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा निवारक जांच, शिकायतों की जांच-पड़ताल तथा अन्य तहकीकात किए जाने की कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो की गई तहकीकात/जांच पड़ताल का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों ने कितने मामले खोज निकाले हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) की गई जांच और उनके परिणामस्वरूप दण्डित किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	की गई निवारक जांचों की संख्या	उन शिकायतों की संख्या जिनकी जांच की गई	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें दण्डित किया गया	
			राजपत्रित	अराजपत्रित
1990	1973	793	14	363
1991	2235	704	14	472
1992	2669	696	13	456
1993	3030	584	संकलन किया जा रहा है।	

[अनुवाद]

रेल लाइन का दोहरीकरण

444. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-मैसूर रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य पर कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ग) क्या 1994-95 के दौरान उक्त कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बेंगलूर और मैसूर के बीच यातायात का मौजूदा स्तर इसके दोहरीकरण के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्लेटफार्मों का पुनर्निर्माण

445. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गाड़ियों और प्लेटफार्मों की ऊंचाई में अन्तर होने के कारण बंगलौर और मैसूर के बीच चलने वाली गाड़ियों में चढ़ने अथवा उतरने में यात्रियों को कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बाद भी बंगलौर और मैसूर के बीच विभिन्न रेलवे स्टेशनो के प्लेटफार्मों में परिवर्तन नही किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मार्ग पर यात्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरिफ़) : (क) बेंगलूर सिटी मैसूर खंड, में गाड़ी में चढ़ने तथा उनसे उतरने में पेश आने वाले किसी कठिनाई के बारे में किसी व्यक्ति या एसोसिएशन से अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बेंगलूर-मैसूर खंड के आमान परिवर्तन के दौरान, अधिकांश मौजूदा प्लेटफार्म बनाए रखे गये है और नये प्लेटफार्म भी निर्मित किए गए हैं और इस प्रकार बेंगलूर-मैसूर खंड में सभी तीनो किस्म के प्लेटफार्म यथा पटरी सतह, निचली सतह और ऊंची सतह के प्लेटफार्म मौजूद हैं।

(ख) आमान परिवर्तन के बाद बेंगलूर-मैसूर खंड में मौजूद प्लेटफार्मों की किस्म के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है:

i) नयाण्डहल्ली -ऊंची सतह का एक प्लेटफार्म

ii) केंगरी -ऊंची सतह के दो प्लेटफार्म और एक निचली सतह का द्वीप प्लेटफार्म

iii) हेजाला पटरी सतह का एक प्लेटफार्म

iv) बिडदी -निचली सतह का प्लेटफार्म और पटरी सतह का एक प्लेटफार्म

v) रामनगर-निचली सतह का एक द्वीप प्लेटफार्म और पटरी सतह का एक प्लेटफार्म

vi) चेन्नापटणा-निचली सतह का एक द्वीप प्लेटफार्म और पटरी सतह का एक प्लेटफार्म

vii) सेट्टिसल्ली-निचली सतह का एक प्लेटफार्म और पटरी सतह का एक प्लेटफार्म

viii) मद्दुर-ऊंची सतह का एक द्वीप प्लेटफार्म और निचली सतह का एक प्लेटफार्म

ix) हन्नकेरे-ऊंची-सतह का एक प्लेटफार्म

x) मंडया-ऊंची सतह का एक द्वीप प्लेटफार्म और ऊंची सतह का एक प्लेटफार्म

xi) येलियूर-ऊंची सतह का एक प्लेटफार्म और निचली सतह का एक प्लेटफार्म

xii) ब्यादरहल्ली-निचली सतह का एक प्लेटफार्म

xiii) बांडवपुरा-ऊंची सतह का एक प्लेटफार्म और निचली सतह का एक प्लेटफार्म

xiv) श्रीरंगापट्टनम-निचली सतह का एक प्लेटफार्म

xv) नागनाल्ली-निचली सतह के दो प्लेटफार्म

xvi) मैसूर ज.-निचली सतह का एक द्वीप प्लेटफार्म और निचली सतह का एक प्लेटफार्म

xvii) 4 हाल्ट स्टेशन-सभी हाल्ट स्टेशनों पर निचली सतह के प्लेटफार्म बनाए गए हैं।

(ग) जी हां।

(ख) इन मार्गों पर सम्हाले जाने वाले यातायात तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आने वाले वर्षों में यात्री सुविधा कार्यों के अन्तर्गत भारतीय रेलों के सभी अन्य खण्डों पर स्थित प्लेटफार्मों के साथ-साथ इस मार्ग पर पड़ने वाले प्लेटफार्मों को ऊंचा करने पर विचार किया जाएगा।

पामोलीन का आयात

446. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्यों को पामोलीन के आयात की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से पामोलीन के आयात के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (घ) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेल का सीधा आयात करने की अनुमति नहीं है।

(ग) जी नहीं।

केन्द्रीय पूल हेतु गेहूं

448. श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में केन्द्रीय पूल हेतु गेहूं और धान की खरीद पर बोनस की घोषणा करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसकी घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार का पंजाब अथवा अन्य किसी राज्य में गेहूं और धान की वसूली पर बोनस घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

12.00 म.

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मंडल बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैंने बाढ़ से संबंधित मुद्दा उठाने हेतु सूचना दी है। **(व्यवधान)**

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : बाढ़ के संबंध में हम कल एक वक्तव्य देंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम बाढ़ के मुद्दे पर कल चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

|हिन्दी|

श्री सूरज मण्डल (गौड्डा) : अध्यक्ष महोदय, बोकारो स्टील प्लान्ट में 23 तारीख को स्टीम पाइप फट गई, जिससे पांच आदमी मर चुके हैं, और 22 आदमी अभी अस्पताल में हैं, जो कर्मचारी थे। तीन महीने पहले गैस पाइप फटा था, जिसमें तीन आदमी मारे गए थे। इस के बाद एक जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जो वहां आफिसर हैं, वे बोकारो स्टील प्लान्ट के मैंटिनेंस को नहीं देखते हैं, बल्कि सिर्फ लीपा-पोती करते हैं। सेफटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस कारखाने में काफी उत्पादन होता है और इस साल 320 करोड़ रुपये का प्रोफिट हुआ है, लेकिन मजदूरों के वैलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। यह एक बड़ी घटना हुई, तो लोगों की जानकारी में आई, लेकिन छोटी-छोटी घटनायें हर दसवें दिन बोकारो स्टील प्लान्ट में होती रहती हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, मजदूरों की सुरक्षा के उपाय करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बना कर एक एन्क्वायरी कराई जाए ? आज कल जो वहां आफिसर हैं, उन की कोई जिम्मेदारी नहीं हैं। गैस पाइप के बारे में एक रिटायर्ड जस्टिस को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो कार्मिक निदेशक के रिश्तेदार हैं। आप सोच सकते हैं कि इस तरह से रिश्तेदारों को जांच समिति का चेयरमैन बनाने से क्या एन्क्वायरी होगी। चाहे गैस पाईप फट जाए, स्टीम पाइप फट जाए, लेकिन बड़े अधिकारियों को नीचे स्तर के मजदूरों के बारे में कोई चिन्ता नहीं होती है। बोकारो स्टील प्लान्ट के सभी मजदूर असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। जब तक वहां पर सेफटी के पूरे इन्तजाम न हों, सरकार वहां सेफटी के इन्तजाम करे, मजदूरों को मुआवजा दे और उन के परिवार के लिए नौकरी की व्यवस्था करे। मैं इस संबंध में सरकार से एक स्टेटमेंट देने की भी मांग करता हूं। **(व्यवधान)**

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री कृपया इस मुद्दे पर मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहें।

अब श्री राम नगीना मिश्र किसानों को देय करोड़ों रुपए की अदायगी न किए जाने के संबंध में बोलेंगे।

|हिन्दी|

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं आपको गन्ना किसानों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत बहुत ही भयावह हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही आठ चीनी मिलें निजीकरण में भेज दी। बीस चीनी मिलों के लिए एक हफ्ता हुआ है, एनाउन्समेंट हुआ है और किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। इन चीनी मिलों में रिपयेरिंग का काम बंद हो चुका है। अक्तूबर के आखिरी हफ्ते से नवम्बर के शुरू तक काम होता है और किसानों में हा-हाकार मचा हुआ है कि हमारे गन्ने के मूल्य का क्या होगा। इसमें सबसे ज्यादा देविरया जनपद सफर कर रहा है। देविरया में 14 चीनी मिलें हैं। - चार प्राइवेट सैक्टर में और सात निगम की है तथा

तीन कानपुर शुगर वर्क्स की हैं, जो भारत सरकार की हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कानपुर शुगर वर्क्स की भी सारी मिलें बिक रही हैं और किसानों में हा-हाकार मचा हुआ है कि किसानों के गन्ने का मूल्य क्या होगा। ये सारी की सारी फैक्ट्रियां बिक रही हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं, मेरी पहली मांग यह है कि गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान कर दिया जाये। दूसरी मेरी मांग यह है कि भारत सरकार यह एश्योर करे कि अक्तूबर के आखिर में और नवम्बर के पहले हफ्ते में जो शुगर फैक्ट्रियां चलती थीं वे अब भी चलेंगी और गन्ना किसानों का अहित नहीं होगा, यह मैं आपके द्वारा सरकार से मांग कर रहा हूं इस पर सरकार ध्यान दें।

|अनुवाद|

श्री पी.जी. नारायणन (गोविचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, हम तमिलनाडु की मुख्य मंत्री और जनता की ओर से राष्ट्रपति के आभारी हैं कि उन्होंने 69 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के लिए तमिलनाडु आरक्षण विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान की। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त के लिए किए गये सभी प्रयासों के लिए हम अपने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के भी आभारी हैं।

पहला कार्य पूरा हो गया है। कानूनी संरक्षण प्राप्त करने के लिए नए आरक्षण अधिनियम को संविधान की नौंवी अनुसूचि में सम्मिलित करना होगा। ताकि संविधान के अनुच्छेद 31-ख के अंतर्गत संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि यह एक अति आवश्यक मुद्दा है इसलिये मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूचि में शामिल करने के लिए शीघ्र कदम उठायें।

इसके अतिरिक्त, राज्य की जनसंख्या और अन्य स्थानीय तथ्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न आरक्षण कोटा निर्धारित करने के लिए राज्यों को शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान संशोधन अत्यावश्यक हो गया है। इस संबंध में तमिलनाडु की मुख्य मंत्री पुरतचितलवी डा. जयललिता ने उक्त संविधान संशोधन के लिए प्रधानमंत्री और विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं की सहायता प्राप्त करने के लिए पहले ही उन्हें पत्र लिख दिए हैं।

आरक्षण नीति जो समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सहायक है, एक सामाजिक विषय है। पिछड़ी जातियों की जनसंख्या तथा उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास की स्थिति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। अतः, सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान आरक्षण नीति संभव नहीं है। अतः, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि जनसंख्या और अन्य स्थानीय कारकों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की सीमा निर्धारित करने हेतु राज्यों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करने के लिए एक सरकारी विधेयक लाये। मैं सभी राजनैतिक दलों से भी अनुरोध करता हूँ कि वे दलगत भावना से उपर उठकर हमारी मांग का समर्थन करें।

|हिन्दी|

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : महोदय, विगत 12 जुलाई के भीषण बाढ़ एवं भारी वर्षा के कारण नागपुर के करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 11 व्यक्तियों की बाढ़ में बह जाने से और घर ढह कर गिरने से मृत्यु हुई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस पर मंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं इसलिये आप इसके ऊपर कल बोलिए।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि अमरनाथ की यात्रा पर जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए कुछ सुविधा नहीं है। वे अच्छी तरह जा नहीं सकते हैं, यह घाटी में आतंकवादियों के खौफ का एक और बदसूरत सबूत है। अमरनाथ यात्रा पर पाबंदी लगाने को कुछ आतंकवादी संगठनों की घोषणा, राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों का यात्रा प्रबंधों में शामिल होने से इनकार करना और प्रशासन द्वारा एक बैठक में यात्रा रद्द करने संबंधी प्रस्ताव रखना कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस बात की चुगली करते हैं कि जम्मू-कश्मीर में शासन भले ही भारतीयों का हो लेकिन विदेशी और कश्मीरी आतंकवादियों का चल रहा है।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अमरनाथ यात्री बहुत ही अच्छी तरह से यात्रा करें और वहां पर जो भी आतंकवादी हैं उनको रोका जाये। वहां के अधिकारी जो यात्रियों को सुविधा या सुरक्षा देने के लिये मना कर रहे हैं उनको भी सूचित किया जाये, क्योंकि वे लोग मना कर रहे हैं कि हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अमरनाथ की यात्रा करने वाले यात्रियों को अच्छी तरह से सुविधा और सुरक्षा प्रदान करे। . . . **(व्यवधान)** . . . मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्री जी इस पर स्टेटमेंट दें और जो सुरक्षा देने के लिए मना कर रहे हैं उन पर कार्यवाही करें। धन्यवाद। . . . **(व्यवधान)** . . . .

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, प्राचीन काल से यह महत्वपूर्ण यात्रा चल रही है, इसकी ओर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। . . . **(व्यवधान)** . . .

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने आदेश मानने से इन्कार कर दिया, यह बहुत निंदनीय बात है और डिस-ओबीडिएंस ऑफ आर्डर्स का मामला है। गवर्नर ने कहा है कि हम इस मामले को छेड़ना नहीं चाहते हैं। इस तरह की जो बातें आ रही हैं कि अधिकारियों ने आदेश मानने से इन्कार कर दिया है, यह बहुत गंभीर बात है और तथ्य क्या हैं इसकी जानकारी यहां पर सरकार द्वारा दी जानी चाहिए और एक वक्तव्य यहां पर दिया जाना चाहिए। . . . . **(व्यवधान)**

12.11 म.प.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मजनूं का टीला स्थित गुरुद्वारा परिसर के ढांचे को पहुंचाई गई क्षति के बारे में

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में मजनूं का टीला गुरुद्वारा 480 साल पुराना है और इसका रकबा 150 एकड़ जमीन में है। यहां पर गुरु नानक जी और हर गोविंद जी स्वयं आकर के रहे थे। 23 जून, 1994 को गुरुद्वारे के सारे परिसर को बुलडोजर लगा कर पुलिस, और डीडीए की सांठ-गांठ से तोड़ दिया गया। यदि लोगों ने धरना नहीं दिया होता तो उस गुरुद्वारे को ही तोड़ दिया गया होता।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, इस मामले को क्या दिल्ली लेजिसलेटिव असेंबली में नहीं उठाया जाना चाहिए ?

श्री राम विलास पासवान : यह मामला डीडीए से भी जुड़ा हुआ है, पुलिस भारत सरकार की है, इसलिए भारत सरकार का जिम्मा है। जमीन दिल्ली सरकार की है, डीडीए दिल्ली सरकार का है, इसलिए दिल्ली की सरकार का भी जिम्मा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पार्टी के लोग वहां पर गए, वी पी सिंह भी गए, मैं स्वयं भी वहां पर गया। वहां पर लाठी चार्ज भी किया गया, जिसमें प्रो यशपाल सिंह जी का पांव टूट गया, जो प्रबंधक कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट हैं, वे अभी तक घायल हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में मूक दर्शक बन कर नहीं रहना चाहिए। आप वहां जाकर देखें कि वहां पर ब्लू आपरेशन की तरह से कार्रवाई की गई है, जिससे लोगों के मन में बहुत गुस्सा है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसी सदन में कहा था कि धार्मिक स्थलों को 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में रहने दिया जाएगा, लेकिन इसकी वहां पर खुल कर अवहेलना की गई है। लेफ्टीनेंट गवर्नर ने वहां पर जाकर माफी मांगी। यदि कोई गलत काम नहीं किया गया था तो इस तरह से माफी क्यों मांगी गई ? किसके आदेश से गुरुद्वारा परिसर को तोड़ा गया ? अभी भी वहां पर पुलिस बैठी हुई है। मेरी मांग है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और परिसर के पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जाए तथा तथ्यों के बारे में सरकार इस सदन में एक वक्तव्य दे। माइनारटीज के साथ यह खिलवाड़ किया गया है, जो कि एक जघन्य अपराध है। इस तरह की कार्रवाईयों से ही लोगों में गुस्सा बढ़ता है, अराजकता फैलती है और उग्रवाद फैलता है।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, रामविलास पासवान जी ने जो मजनू का टीला गुरुद्वारे का मुद्दा यहां पर उठाया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह मामला कोई साधारण मामला नहीं है, इसकी सारे विश्व में चर्चा हुई है, क्योंकि यह देश की राजधानी दिल्ली का 1000 साल पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। किसके आदेश से बुलडोजर ले जाकर इसके परिसर को तोड़ा गया ? किसकी साजिश से यह काम किया गया ? किसके आदेश से वहां पर एसजीपीसी अथारिटीज और गुरुद्वारे पर कंट्रोल करने वालों पर लाठीचार्ज किया गया। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यह गुरुद्वारा मजनू फकीर से जुड़ा हुआ है, जो कि भक्ति मूवमेंट और फकर मूवमेंट के साथ जुड़े हुए है और बहुत बड़े संत रहे हैं। उस गुरुद्वारे में सैलानी और ट्रकों के ड्राईवर्स आदि को लंगर मिलता है। सारे सिख समुदाय को ब्लु आपरेशन स्टार के बाद यह ऐसा मुद्दा है जिस पर भारी चोट लगी है। में एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या ये आदेश भारत सरकार ने या उपराज्यपाल ने दिए ? क्या ये आदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए ? क्या इसकी जांच करवाई गई ? अगर जांच नहीं कराई गई तो भारत सरकार दोषियों को सजा देने के लिए कोई हाई लेवल इंक्वायरी करायेगी ? यह जांच नहीं होती है तो मैं सदन में अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि सारे पंजाब के गांव-गांव में इश्तहार लगे हैं कि गुरुद्वारे को गिराया गया। मैं चाहूंगा कि इस मिस-अंडरस्टेडिंग को जल्दी क्लीयर किया जाए। होम मिनिस्टर साहब इसकी इंक्वायरी के आदेश दें और दोषी लोगों को इसकी तुरंत सजा दी जाए। सारे सदन को इस बात का सपोर्ट करना चाहिए।

'इकबाल महरमं अपना नहीं कोई जहां में,

क्या किसी को सुनाए दर्दे नहा हमारा।'

|अनुवाद|

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें यह जानना चाहिए कि तथ्य क्या हैं। इस संबंध में मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस संबंध में निश्चय ही एक वक्तव्य दिया जाएगा लेकिन गलतफहमी को दूर करना आवश्यक है। हम निश्चय ही इस बात पर ध्यान देंगे। एक बात तो स्पष्ट कर दी गयी है कि गुरुद्वारा को क्षति पहुंचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। **(व्यवधान)**

जहां पर लंगर आयोजित किया जाता है या जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा कोई अन्य कार्य किए जाते थे। वहां कुछ कार्यवाही की गई थी। यह कार्यवाही रोक दी गयी है। कार्य मंत्रणा समिति में हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है तथा हमने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वे तत्काल इस मामले की जांच करें। जैसे ही उन्हें तथ्यों की जानकारी होगी, वह संभवतः सभा में आकर स्थिति स्पष्ट करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पाटी की ओर से यह स्पष्ट करना चाहता हूं और स्पष्टीकरण के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ी कि श्री बरार ने मेरी पार्टी का नाम जोड़ दिया है।

श्री जगमीत सिंह बरार : दिल्ली में आपकी सरकार है इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। . . . **(व्यवधान)** ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली में हमारी सरकार है। लेकिन वहां जो कार्यवाही की गई तो वह कार्यवाही उपराज्यपाल और डी डी ए ने की। उसको पुलिस का समर्थन प्राप्त था। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत नहीं हैं। हमारे मुख्य मंत्री विरोध प्रकट करने के लिए गए और भी मंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने खेद प्रकट किया। जांच करने के आदेश किसने दिए ? इसमें भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने की कृपा मत कीजिए।

श्री जगमीत सिंह बरार : यह पता नहीं लगा कि आदेश किसने दिए ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आपकी सरकार का मामला है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : किसने आदेश दिए ? . . . **(व्यवधान)**

|अनुवाद|

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि गृह मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है, गुरुद्वारे को नुकसान नहीं पहुंचा है और जैसे ही सूचना एकत्र होगी, सदन को भेज दी जायेगी।

|हिन्दी|

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह अमरनाथ यात्रा का मामला स्वयं में महत्वपूर्ण है। लेकिन काश्मीर के संदर्भ में लगातार सरकार की ओर से ब्यान होते रहे हैं कि वहां स्थिति काफी नियंत्रण में है और स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसी स्थिति में यह समाचार छपता है कि वहां के प्रमुख अधिकारियों ने कहा है कि हम अमरनाथ यात्रा के मामले में सहयोग नहीं देंगे क्योंकि आतंकवादियों ने इसे रोका है और इस पर पाबंदी लगाई है। इस पर जो खबर मिलती है तो वह चिंताजनक है। इसीलिए दोनों पहलुओं पर, एक अमरनाथ यात्रा के बारे में और दूसरा इस सरकारी अधिकारियों के वक्तव्य के ऊपर, सरकार ब्यान दे, यह उचित होगा।

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना मत दो भागों में व्यक्त करूंगा। पहले श्री पासवान द्वारा उठाये गए मामले पर दूसरे उस मामले पर जिसकी ओर श्री आडवाणी और उनके सहयोगियों ने संकेत किया है।

जहां तक पहले भाग का संबंध है माननीय मंत्री ने कहा ही है कि गृह मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे और सदन को इस संबंध में जानकारी देंगे।

ये बहुत ही संवेदनशील मामले हैं। हमें इन्हें सही परिपेक्ष्य में देखना चाहिये। हमें ऐसी भाषा या शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए जिनसे समस्याओं का समाधान होने के बजाय समस्यायें उत्पन्न हों, हमें दोष बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें इसे सही परिपेक्ष्य में लेना चाहिए। जहां तक अमरनाथ यात्रा का संबंध है इसके भी दो भाग हैं। पहला यात्रा का आयोजन करना और दूसरा यात्रियों को संरक्षण देना।

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : सरकार द्वारा इनकार करना भी।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : माफ करना।

अध्यक्ष महोदय : यात्रा आयोजित करना एक बात है और यात्रियों को संरक्षण देना दूसरी बात यदि कोई यात्रियों को संरक्षण नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर रहा है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शुक्ल जी आप सूचना एकत्र करें और सदन को इसकी जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी हां।

|हिन्दी|

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मध्य प्रदेश में नागदा में ग्रासिम कारखाने ने उत्पादन करना बंद कर दिया है। उसके कारण हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं, क्योंकि उनके बोनस और वेजेज़ का मामला था। उस

कारखाने के बंद होने से उस पर निर्भर जितनी भी टैक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं उनके भी बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह आदेश दे जिससे वह ग्रासिम इंडस्ट्री पुनः चालू हो सके और मजदूरों के बोनस और वेजेज का मामला हल हो सके तथा वहां औद्योगिक शांति बनी रहे और उत्पादन भी चालू रहे।

|अनुवाद|

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं मानव त्रासदी के एक गम्भीर मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में स्कूली बच्चों के अपहरण की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें आसानी से पैसा बनाने के लिए गुंडों द्वारा स्कूली बच्चों का अपहरण किया गया और बाद में इन बच्चों की हत्या भी कर दी गई।

क्या आप जानते हैं कि घर-परिवार और समाज में किस प्रकार की त्रासदी हो रही है ? इसे कैसे रोकेंगे? मैं नहीं जानता कि उन इलाकों में स्कूली बच्चें की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं, जहां वे रह रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है जिसने हमारा दिल दहला दिया है।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस पर विचार किया है। यदि छोटे बच्चों की इस प्रकार हत्या की जाती रही तो हम समाज में कैसे रहेंगे ? महोदय, मैं इस आशा के साथ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : सरकार को इस संबंध में कुछ कहना चाहिए।

|हिन्दी|

श्री फूलचंद वर्मा (शाजापुर) : मध्य प्रदेश में रायगढ़ के छजरिया गांव में मां-बेटी को नंगा करके गांव में घुमाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके आदमी को पीट-पीट कर मार डाला गया।

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : आप न्यायालय में क्यों नहीं जाते ? आप न्यायालय में उनकी मदद क्यों नहीं करते ?

|हिन्दी|

श्री फूलचंद वर्मा : पूरे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, चाहे जलगांव हो या मध्य प्रदेश हो। **(व्यवधान)**

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है, अन्यथा न्यायालय का प्रत्येक मामला सदन में लाया जायेगा।

|हिन्दी|

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : जब उसने पानी मांगा तो उसके मुंह में पेशाब डाला गया, उसके पति को वहीं मार डाला, यह बहुत ही शर्मनाक घटना है।

श्री फूलचंद वर्मा : इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारे मामले के अंदर केन्द्र सरकार दखल दे और इसका फैसला करे।

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऐसे मामले सभा पटल पर नहीं उठाये जाने चाहिए।

(व्यवधान)

|हिन्दी|

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये। आप कोर्ट में जाकर उनकी मदद कर सकते हैं।

|अनुवाद|

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : दुर्भाग्यवश, मैं कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग नहीं ले सका। क्या सरकार ने यह सूचना दे दी है कि प्रतिभूति और बैंकिग संव्यवहार में अनियमितताओं की जांच संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन कब तक सदन को मिल जायेगा ? आपने कहा कि इस पद चर्चा की जायेगी। मैं नहीं जानता कि किस नियम के अधीन इस पर चर्चा की जायेगी। यह प्रतिवेदन सभा पटल पर कब रखा जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आज

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगले सप्ताह हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय हम कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में लेंगें।

|हिन्दी|

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पंजाब के एफसीआई में ट्रेन में अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले मजदूरों की ओर दिलाना चाहता हूं। पंजाब के मजदूर इस देश के अंदर काम करते हैं और तकरीबन हर सैशन के अंदर उस बात का उल्लेख होता है। इन मजदूरों की बहुत बड़े पैमाने पर एक रैली चार स्टेट्स के इलैक्शन्स होने के पहले लखनऊ में हुई थी जिसे देश के फूड मिनिस्टर्स ने संबोधित किया जिसमें यह ऐलान किया गया कि जनवरी, 1994 से पंजाब के इन मजदूरों को डिपार्टमैंटलाइज कर दिया जायेगा लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। तब मजबूर होकर पंजाब के एफसीआई के मजदूरों ने 20 जून से 12 खम्बा रोड पर धरना दिया हुआ है। अब पैडी का सीज़न आने वाला है। यदि उनकी समस्या का फौरी हल नहीं किया गया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा।

अतः हमारी सरकार से मांग है कि जो वायदा किया हुआ है, उसे तुरन्त पूरा किया जाये और जल्दी ही मजदूरों को डिपार्टमैंटलाइज़ करे।

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : महिलाओं के अपमान का मामला कोई मामला ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : किसके बारे में ?

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : जलगांव कांड के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : वहां पर असेम्बली है, कोर्ट हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष जी, मैं एक ही प्यावंट रखना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बोल लीजिये, क्या बोलना चाहती हैं ? इस प्रकार से आप करेंगी तो आपको अहम मैटर डिसकस करने के लिये टाइम नहीं मिलेगा। यदि कोर्ट में जाने वाला मैटर आप यहां पर लेकर आयेगी तो अच्छा नहीं होगा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : मैं आपको यह बताना चाहती हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बताना चाहती है ?

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : यह कोर्ट में जाने का मामला नहीं है। जिस ढंग से कांड हुआ है, यह केवल 4 महिलाओं पर अत्याचार का मामला नहीं है, यह एक प्रकार से षड्यंत्र है . . .

।अनुवाद।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मंच का इस प्रकार उपयोग न करें। आप इस मंच का उपयोग उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं।

।हिन्दी।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : (इन्दौर) अध्यक्ष जी, मेरी समझ में नहीं आता कि यह फोरम क्यों नहीं है ऐसे मामलों के लिये ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत दे दी है, आप क्या बोलना चाहती हैं, आप बोलियेगा। यदि हर स्टेट का मैटर यहां पर आ जायेगा तो इसे रोकना नहीं पड़ेगा . . . .

श्रीमती सुमित्रा महाजन : नहीं, यदि हर स्टेट का इस प्रकार का मामला हो तो चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि यह मामला जिस ढंग से शुरू किया गया है . . .

अध्यक्ष महोदय : तो क्या हर कोर्ट में ले जाने वाला मामला यहां आ जायेगा ?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह कोर्ट का मामला नहीं है। यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय रैकेट से संबंधित है और उसमें युवक-युवतियों और महिलाओं का गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया है। यह ठीक है कि एक कैसेट उतारी गयी है और वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक रही है। अध्यक्ष जी, हम ग्लोबलाईजेशन की बात करते हैं और इस ग्लोबलाइजेशन में हम नेशनल फ्लड गेट्स खोल रहे हैं और इसमें अनेकानेक प्रकार के किस्से हो सकते हैं। यह पूरे देश के चरित्र पर हमला है और यह केवल जलगांव का मामला ही नहीं है। उसमें सत्ता और राजनीति और गुनाहगारी-इन तीनों का तालमेल बैठ रहा है और इस कारण से सारे देश के चरित्र पर आंच आ रही है। यह ठीक है कि जो नयी बात आयी है, उसके लिये कोई कमेटी स्थापित कर दी गयी है और कमेटी द्वारा उस मामले की जांच हो रही है। इसलिए हम यहां पर चर्चा नहीं करे। लेकिन यह भी हो रहा है और आज वहां पर यह चर्चा है कि वहां उन लोगों पर जिन पर आरोप लगाया गया है, उनको मानसिक रूप से असंतुलित बताकर

छुड़ाने की कोशिश हो रही है क्योंकि पूरा सत्ता पक्ष साथ में हैं। एक बात पर चर्चा होना भी आवश्यक है कि इस ढंग से यह मामले जो चलते हैं, हम यह चाहते हैं कि जो राजनैतिक गुनाहगारी बढ़ रही है तो क्या इस प्रकार का नंगा नाचें हम नाचे और क्या उसको एक जलगांव का मामला बताकर छोड़ दें। पूरे जलगांव में वातावरण ऐसा है जैसे मध्य युगीन काल में जब विदेशियों का आक्रमण होता था तब हम औरतों को घर में छिपाकर रखते थे। आज वहां लड़कियों को स्कूल और कालेज भेजने से माता-पिता डर रहे हैं। उनके मन में यह भय है कि कल हमारी बहन-बेटियों की शादी कैसे होगी। कोई चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि जो इस मामले में लिप्त है कोई नगर-सेवक है, कोई नगर के अध्यक्ष हैं, कोई किसी एम.एल.ए. का बेटा है।

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र में उसके लिए असेम्बली भी है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : असेम्बली में मामला है लेकिन यह जलगांव का मामला है। यह पूरी राजनैतिक प्रक्रिया से जुड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा हुआ मामला है और हम हमेशा उसको इस प्रकार लाइटली लेते हैं . . . **(व्यवधान)**

|अनुवाद|

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर महाराष्ट्र विधान सभा में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं इस मामले पर विस्तृत रूप में चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। परन्तु आपको इसे विस्तृत परिप्रेक्ष्य में लाना होगा। यदि आप प्रत्येक ऐसा मामला, जो या तो अदालत में ले जाया जा सकता है अथवा विधान सभा में उठाया जा सकता है, उठाना चाहते हैं तो उसके लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें है - और यदि ऐसा मामला इस सदन में उठायेंगे तो आप ही स्वयं उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि यह मामला यहां नहीं लाया जा सकता। आप इसे कार्य मंत्रणा समिति में लाइए। हम इस पर उचित ढंग से चर्चा करेंगे परंतु यह केवल एक ही घटना से संबंधित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, हम इस पर एक चर्चा की मांग करते हैं। **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस पर इस बार एक सामान्य चर्चा होगी। **(व्यवधान)**

|हिन्दी|

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : इस पर एक घंटे की चर्चा करा दीजिए ।

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, मैं संसद का ध्यान एक बहुत अहम मसले की तरफ से ले जाना चाहता हूं। टाडा 1987 जो एक खास मकसद के लिए बनाया गया था, धीरे-धीरे इसका हिन्दुस्तान में मिसयूज हो रहा है। पहले तो टैररिस्ट के खिलाफ इसका इस्तेमाल होता था लेकिन धीरे धीरे इसको सियासी तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज पूरे हिन्दुस्तान में हज़ारों लोग जेल में बंद हैं जिनको न तो जस्टिस मिल पा रहा है और मैं यह समझता हूं कि यह ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अध्यक्ष जी, खास तौर से जब बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ, उसके बाद से हजारों लोगों को हिन्दुस्तान के अंदर खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विशेष रूप से महाराष्ट्र के अंदर जेलों में बंदी बनाकर रखा गया है और उनको यहां तक हक नहीं है कि वह अपनी बात सही तरीके से रख सकें। आज हमारे देश में बात यहां तक पहुंच गई है कि लोगों को जस्टिस और जजैज़ और जजैज में यकीन नहीं रह गया है। कोई भी अपनी बात सही तरीके से नहीं रख सकता। किस तरह से उनके ऊपर जुर्म आयद किये जाते हैं और उनको कस्टडी में लेकर जबर्दस्ती उन पर प्रैशर डालकर दस तरह के बुरे ऐक्ट करके उनको मजबूर किया जाता है कि वह उस गुनाह को मान लें और उन पर झूठे मुकदमें हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ कचहरियों में चल रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि टाडा इनहयूमन है, अनडेमोक्रेटिक है और इसको विदड्रा किया जाए और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर खास तौर से बयान दे कि आखिर कितने हजार लोग हिन्दुस्तान में गलत तरीके से जेलों में बंद हैं जिनके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आधा घंटा समाप्त हो गया है। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी है। उसका क्या हुआ ? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह चीनी मामले के बारे में है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की थी।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, अध्यक्षपीठ द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर ध्यान दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, शुगर के मामले में जब आपके यहां चर्चा हुई, मैं माफी चाहता हूं कि पांव में तकलीफ होने के कारण चल कर नहीं आ पाया।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी को भेज सकते थे।

श्री शरद यादव : मैंने भिजवाया था लेकिन यह मामला गम्भीर है। मैं चाहता हूं कि इस पर आपके यहां जो कुछ तय हुआ है, एडजर्नमेंट मोशन के रूप में इसे चर्चा के लिये लेना तय हुआ था ;

अध्यक्ष महोदय : लीगली आप मुझे बता दीजिये, मैं ले सकता हूं। अगर लीगली नहीं बताते हैं तो आप सब लोग ठहराव कर लीजिये, मैं इसे ले लूंगा। लीगली नहीं बताते हैं तो मैं नहीं कर सकता हूं।

श्री शरद यादव : मैं आपके सामने इसलिये कह रहा हूं क्योंकि लीगली इस मामले को नहीं उठाया जा सकता। सदन के अंदर मैं इसलिये इसे रखना चाहता हूं कि इस मामले को चर्चा के लिये लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : फिर क्यों कह रहे हैं जब लीगली चर्चा नहीं हो सकती। फिर भी चर्चा के लिये मैं इसे ले लूंगा। हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन वह चर्चा किस प में हो, इसे हम डिसाइड करेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह तय हुआ था कि शुगर स्कैंडल वाले मामले को चर्चा के लिये आज लिया जायेगा लेकिन लिस्ट ऑफ बिजिनैस में कहीं कुछ नहीं है।

श्री शरद यादव : मेरी जानकारी भी यह थी कि आज आप स्कैंडल वाले मामले को लेने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप वहां पर नहीं थे।

|अनुवाद|

यह निर्णय किया जाता है कि इस मामले पर चर्चा होगी। परन्तु वहां हमने निर्णय किया था कि आप उस पर यहां भी चर्चा नहीं करेंगे। मैंने कहा है इस पर चर्चा की जाएगी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम नहीं जानते कि कल क्या निर्णय हुआ है।हमें जानने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझसे जानने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हमने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। हम अपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना के बारे में अध्यक्षपीठ से उत्तर चाहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि कोई निर्णय लिया गया है तथा हमें उसे जानने का अधिकार नहीं है। हम अपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना के बारे में उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव सूचना पर मेरा उत्तर तथा स्थगन प्रस्ताव सूचना पर मेरी व्यवस्था यह है कि इस मामले पर सदन में स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा की गई थी। दूसरे, कार्य मंत्रणा समिति में इस मामले पर सदन में चर्चा कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में कोई जल्दी नहीं है, इस पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। नियमानुसार, केवल तात्कालिक लोक महत्व के मामले ही लिए जाएंगे। मेरे विचार से इसमें कोई तात्कालिकता नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परंतु मैं आशा करता हूं कि इस पर चर्चा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : इस पर सदन में चर्चा होगी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम आपके विवेक अथवा निर्णय पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक चर्चा क्यों कर रहे हैं ? मैंने कहा है कि इस पर चर्चा की जाएगी। बात समाप्त किस रूप में की जाएगी इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। मैं सदन में आपमें से प्रत्येक के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं।

श्री अमलदत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं नशीले पदार्थों के गंभीर संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं . . .**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कल विचार करेंगे इस प्रकार से नहीं। एक ही दिन सभी मामले नहीं लिए जा सकते। आज आखिरी दिन नहीं है।

अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

12.40 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ : -

(1) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष, 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 6096/94)

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1994

नागरिक पूर्ति, उपभोक्त मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1994, जो 22 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6097/94)

दसवीं लोकसभा के आठवें स्तर, 1993 के दौरान प्रतिभूति तथा बैंकिंग संव्यवहार में हुई अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शानेवाला विवरण संख्या V

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं दसवीं लोक सभा के आठवें सत्र, 1993 के दौरान प्रतिभूति तथा बैंकिंग संव्यवहार में हुई अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण संख्या V की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6098/94)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985, के अन्तर्गत अधिसूचनायें

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा, आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं : -

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क संबंधी अध्यादेश, जो 26 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 595 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) परीक्षाओं/उपाधियों को मान्यता देने संबंधी अध्यादेश, जो 26 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 596 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों संबंधी अध्यादेश, जो 26 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) सा.का.नि. 211, जो 24 अप्रैल, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता संबंधी परिनियम 17 के खंड (9) के उपखंड (क) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पांच) सा.का.नि. 545, जो 6 नवंबर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा परिनियम 23 की अंशदायी भविष्य निधि तथा उपदान स्कीम के नियम 6.1.2 और 8.2 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6099/94)

(2) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 6100/94)

12.40½ म.प.

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) यान हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1994

(2) सिविल विभाजन सुरक्षा, विधि विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक, 1994

12.41 म.प.

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री शिवचरण माथुर (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1994 के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.41½ म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि यह सभा 25 जुलाई, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

''कि यह सभा 25 जुलाई, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.42 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

***(एक) छात्राओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर कम करने हेतु एक सक्षम नीति बनाने की आवश्यकता**

श्री पी.पी. कालियापेरूमल (कुड्डालौर) : महोदय, महिलाओं के विकास संबंधी जकार्ता घोषणा महिलाओं के स्तर में सुधार की दिशा में एशियाई और प्रशान्त क्षेत्रों के देशों की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा को एक प्रमुख साधन पाया गया है।

किन्तु शिक्षा बीच में ही छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या में कमी नहीं आयी है। इसका एक कारण यह है कि बालिकाएं तथा उनके माता-पिता अभी तक भय मुक्त नहीं हो पाये हैं। समाज विरोधी तत्वों द्वारा छात्राओं के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचारों के कारण वे दहशत की स्थिति में हैं।

इन परिस्थितियों में माता-पिता क्योंकि दहशत की जकड़ में हैं इसलिए वे लड़कियों की शिक्षा के हक में नहीं हैं।

महिलाओं की तरक्की के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लड़कियों को शिक्षा संस्थानों मे सुरक्षित और सुगम रूप से पहुंचाना आवश्यक है। केवल विद्यालय परिसर के भीतर सुरक्षा उपायों का होना भी पर्याप्त नहीं है। बालिकाओं को स्कूल तथा वहां से वापस तक सुरक्षा तथा परिवहन उपलब्ध कराना भी अनिवार्य है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि छात्राओं को भय से मुक्ति दिलाकर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली छात्राओं की दर को कम करने के लिए सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए।

[हिन्दी]

(दो) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में हैल्थ गाइडों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

देश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में छठवीं पंचवर्षीय योजना से ग्रामीण इलाके में हर एक हजार जनसंख्या के अन्तर्गत एक स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति आनरेरी वेतन 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से रखा गया है। पहले उन्हें कुछ दवाई के मिनीकिट दिए जाते थे। इससे अल्प दवाई और वेतन से गांवों में बड़ी लगन से काम

कर के उन्होंने इस योजना को लोकप्रिय बनाया है। इन क्षेत्रों में आंत्रशोध की बीमारी की रोकथाम में उनका बहुत बड़ा सहयोग ग्रामवासियों को मिल रहा है।

इस तरह आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में और लगन से काम करके इस अभियान को और तेज करना चाहते हैं, लेकिन वर्ष 1986-87 से मिनी किट बाक्स देने बंद कर दिए गए हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश के सभी ग्राम स्वास्थ्य रक्षकों ने संगठित होकर शासन के समक्ष मांग रखी है कि पहले जो मिनी किट बाक्स दिए जाते थे, उनको देना पुनः चालू किया जाए और हमारी सेवा का जो आनरेरियम 50 रुपए मिल रहा है उसे कम से कम 500 रुपए कर दिया जाए और इस सेवा को चतुर्थ श्रेणी सेवा में शामिल किया जाए।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र की इस स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए गंभीरता से विचार कर स्वास्थ्य रक्षकों के वेतन के 500 रुपए और इनकी सेवा को चतुर्थ श्रेणी की सेवा का दर्जा देने का निर्णय लिया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) उड़ीसा को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किये जाने की आवश्यकता।

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्भलपुर) : महोदय, भारत सरकार ने देश में पिछड़े वन और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनायें आरम्भ की हैं। उड़ीसा का दो तिहाई क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। उड़ीसा में पहाड़ी क्षेत्रों की कुछ स्थायी समस्यायें हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित जिलों का मैदानी और तटवर्ती क्षेत्रों के समान विकास नहीं हुआ है। सड़क संचार जाल, स्वास्थ्य देखभाल सेवायें पीने का पानी और शिक्षा आदि के मामले में ये क्षेत्र राज्य के शेष क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े हुये हैं। जब तक केन्द्रीय सरकार इन क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान नही देगी तब तक लोग कष्ट सहते रहेंगे। और क्षेत्रीय असंतुलन बना रहेगा। उड़ीसा को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने पर ही राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को विकास के संबंध में उसका उचित हिस्सा मिलेगा। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उड़ीसा को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाये।

(चार) नकदी फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के कार्यान्वयन हेतु केरल सरकार द्वारा लगाई जाने वाली 50 प्रतिशत कार्य पूंजी की शर्त हटाने की आवश्यकता।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकन्दपुरम) : महोदय, केरल सरकार ने काली मिर्च, अदरक, हल्दी, जायफल, दालचीनी, लौंग और कोका जैसी नगदी फसलों के लिए एक बाजार हस्ताक्षेप योजना तैयार की है जो केन्द्रीय सरकार को मार्च, 1993 में भेजी गयी थी। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना को इस शर्त के साथ मंजूरी दी थी कि राज्य सरकार कार्यकारी पूंजी का 50 प्रतिश्ता हिस्सा दे और यदि कोई हानि होती है तो उसका भी 50 प्रतिशत वहन करे। किन्तु राज्य सरकार घाटे का 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए सहमत हो गई है किन्तु साथ ही केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि कार्यकारी पूंजी संबंधी दूसरी शर्त से छूट दी जाये।

मसाला फसलें अत्यधिक मूल्यवान फसलें होती हैं जिनके लिए भारी कार्यकारी पूंजी की जरूरत होती है जो वर्तमान परिस्थिति में राज्य की क्षमता से बाहर है।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और ऐसी व्यवस्था करें जिससे कार्यकारी पूंजी संबंधी शर्त को हटाया जा सके।

[हिन्दी]

(पांच) उत्तर प्रदेश में मेरठ में उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ स्थापित करने की आवश्यकता।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मेरठ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ बनाये जाने के लिये पिछले समय से संघर्ष किया जा रहा है। इस बारे में जसवंत सिंह आयोग का गठन 1981 में किया गया था। उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास 1985 में जा चुकी है, परन्तु इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को अपने केस की पैरवी के लिये इलाहाबाद जाना पड़ता है जिससे धन तथा समय की हानि के साथ-साथ परेशानी भी उठानी पड़ती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ महानगर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की मांग की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1980 में मेरठ में खंडपीठ संस्तुति की थी। मेरठ का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम एवं महाभारत काल से विशेष ऐतिहासिक महत्व है। 21.7.1986 को लोक सभा में भारत सरकार ने भी खंडपीठ की स्वीकृति का आश्वासन दिया था।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरठ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही की जाये।

(छह) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र को स्वायत्त पर्वतीय परिषद का दर्जा देने और इसके समग्र विकास के लिए अन्य सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों लेह गया था। जम्मू-कश्मीर राज्य में रहने के बावजूद लेह क्षेत्र बिल्कुल शान्त है। केन्द्र सरकार ने 9 अक्तूबर 1993 को घोषणा की थी कि लेह-लद्दाख को अटॉनोमस हिल काउन्सिल का दर्जा दिया जायेगा लेकिन अभी तक लद्दाख का अटॉनोमस हिल काउंसिल का दर्जा नहीं दिया गया है जिससे वहां के लोगों में काफी असन्तोष है। लेह-लद्दाख में रहने वाले लोग आयकर से पहले मुक्त थे लेकिन वर्ष 1989 से उन पर आयकर अधिनियम लागू कर दिया गया।

लेह-लद्दाख के लोगों का जीवकोपार्जन का मुख्य साधन पर्यटन है। पहले 1992-93 में सप्ताह में 16 वायुयान की सेवायें थीं लेकिन अब घटकर सप्ताह में सिर्फ चार वायुयान सेवायें चल रही हैं। सम्पूर्ण लेह-लद्दाख को सरकार ने 1989 में अनुसूचित जन जाति का दर्जा दिया था लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह लद्दाख को अविलम्ब एटॉनोमस हिल काउंसिल का दर्जा दे, लेह लद्दाख के निवासियों को मुक्त करे, वायुयान की सेवा में वृद्धि करे और वायुयान भाड़ा की वृद्धि को वापस ले और सम्पूर्ण लेह-लद्दाख को अनुसूचित जन जाति का दर्जा दे और लद्दाख के अरगोन जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल करे।

(सात) आन्ध्र प्रदेश सरकार को राज्य में बुनकरों की शिकायतें दूर करने हेतु और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

|अनुवाद|

श्री डी.वेंकटेश्वर राव (बापतला) : महोदय, बुनकरों के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश के बुनकरों में काफी क्षोभ है। आंध्रप्रदेश बुनकर संयुक्त मोर्चा और पिछड़ा वर्ग कार्रवाई परिषद ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए पिछड़े वर्गों का एक सम्मेलन बुलाने और बंद का आयोजन करने का निर्णय किया है।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह आंध्र प्रदेश के बुनकरों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तथा उनकी शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराये।

|हिन्दी|

(आठ) कृषि की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रसार करने के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई कस्बे में एक केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता।

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्नों की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का कृषि के क्षेत्र में उपयोग बहुत ही आवश्यक हो गया है। उत्तरप्रदेश के हरदोई व खीरी जिलों की इस सम्बन्ध में बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि वहां अभी भी परम्परागत तरीकों से ही खेती की जा रही है।

इस क्षेत्र में सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में इस क्षेत्र की समस्या यह है कि यहां ऐसी कोई सरकारी, गैर-सरकारी या स्वैच्छिक संस्था नहीं है जो कि सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करे और उसके परिणामों को स्थानीय भाषा में किसानों तक पहुंचाये। यही कारण है कि यहां के कृषक अभी भी प्राचीन तकनीकी को ही अपनाते हैं और उनके लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी और फिर उनका उपयोग दिवास्वपन जैसा है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई नगर में एक ऐसे केन्द्र की स्थापना की जाय, जो सुदूर संवेदन प्राकृतिक संसाधन प्रणाली का उपयोग करके स्थानीय किसानों को उनकी अपनी भाषा में नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराये ताकि हरदोई तथा समीपवर्ती लखीमपुर-खीरी जिलों के किसान इन नवीनतम तकनीकों से लाभान्वित हो सकें और अपनी कृषि उपज बढ़ा सकें।

|अनुवाद|

12.51 म.प.

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक
संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित – जारी

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और

दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक पर काफी वाद-विवाद हो चुका है और अभी तक इस विधेयक का कोई विरोध नहीं हुआ है। अत:, यह विवाद से परे है और सभी को स्वीकार्य है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे 1991 में पुर:स्थापित किया गया था और 1994 की दूसरी छमाही में सभा में इस विधेयक पर विचार किया जा रहा है।

महोदय, हमारे मन में एक ही बात आती है, कि यह एक सामाजिक विधान है और ऐसा होने के नाते इसकी भी स्थिति कहीं ऐसे अन्य विधानों जैसी नहीं हो जिन्हें अधिनियमित करने के पश्चात् भी लागू नहीं किया गया।

दूसरे, यह पहला अवसर नहीं है जब ऐसा विधेयक पारित किया जा रहा हो। संसद में हम पहली बार ऐसा विधेयक पारित कर रहे हैं। लेकिन कुछ राज्यों में ऐसे उपबंध पहले से ही विद्यमान हैं। यह महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, जैसा कि राजस्थान के माननीय सदस्य भी कल कह रहे थे, राज्यों में भी विद्यमान है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछ चिकित्सकों द्वारा कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं को दिए गए अपने साक्षात्कार के दौरान की गई टिप्पणियों की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन उनकी टिप्पणियों का सार यह है कि इस प्रकार के मामले में यदि लिंग अवधारण परीक्षण पर पाबंदी भी लगायी जाती है तो इससे लिंग अवधारण परीक्षणों में मात्र 20 प्रतिशत की ही कमी आयेगी। इसका तात्पर्य यह है कि मादा भ्रूण हत्या के अनेक तरीके हैं तथा जो लोग लिंग अवधारण परीक्षण करते हैं, उनके लिए यह प्रतिबंध विशेष असुविधाजनक नहीं होगा। अत:, सरकार को इस संबंध में, इस पुरुष बहुल समाज में विशेषकर इसके क्रियान्वयन के मामले में बहुत सावधान रहना होगा। इसके सामाजिक और आर्थिक, दोनों महत्व हैं। संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। परन्तु सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है।

विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों के मामले में तो हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को श्राद्ध आदि करने की अनुमति नहीं है। निर्धन लोग दहेज प्रथा के कारण लड़कियां नहीं चाहते। अत: हमें समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा और समाज को सुधारना होगा। हमें समाज में ऐसा सुधार लाना होगा जिससे सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से महिलाओं को पुरूषों के बराबर माना जाए। निश्चय ही, कानूनी रूप से महिला तथा पुरुष एक समान हैं। लेकिन कानूनी उपबंधों के बावजूद भी, मजदूरी के मामले में महिला मजदूरों को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। अनेक भिन्नताएं हैं। समाज में उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज सुधारकों और राजनैतिक लोगों को इसके लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और समाज में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। ऐसे विधान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए जन जागरण बहुत जरूरी है। नौकरशाह अकेले ही सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन नहीं कर सकते। इसमें स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सक्रिय और प्रभावी ढंग से शामिल किए जाने की आवश्यकता है। सरकार को इस पहलु पर ध्यान देना चाहिए। कतिपय उन राज्यों में भी, जहां ये कानून पहले से हैं, इनमें अनेक खामियां हैं। मैं भारत सरकार को उन कानूनों में सुधार करने का प्रयास करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अभी भी यह नहीं कहा जा सकता है कि अब कोई खामी नहीं है।

इस विधेयक के उपबंधों के अध्यधीन चिकित्सकों को उनके द्वारा पहली बार अपराध किए जाने पर जुर्माना करने तथा दूसरी बार अपराध करने पर क्लिनिक आदि का पंजीकरण रद्द करने के साथ-साथ जेल भेजने जैसे कठोर उपवंध भी हैं। लेकिन, प्राधिकरण के समक्ष उल्लंघन की शिकायतें लेकर कौन जाएगा ? इसके संबंध में मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या, प्रभावित व्यक्तियों के अतिरिक्त, अन्य लोग जैसे स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ता भी समुचित प्राधिकरण के पास ऐसी शिकायतें लेकर जाएंगें ? अधिनियम में ऐसे समुचित प्राधिकरण का उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि नियमों में इसका उपबंध होगा। नियम बनाते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

लगभग तीन दशक पहले के जनगणना प्रतिवेदन से पता चलता है कि पुरुष-महिला अनुपात 1000 : 1002 या 1000 : 1005 था। महिलाओं की संख्या पुरूषों की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा थी। अब यह काफी कम हो गई है। इस समय पुरूष और महिला अनुपात 1000 : 921 है। हरियाण जैसे कुछ राज्यों में 1000 पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 869 है। सम्पूर्ण असन्तुलन है। ऐसा इसलिये है कि लड़कियों के संबंध में दहेज देना पड़ता है। क्या यह गर्व की बात है कि लड़कियों की भारी पैमाने पर भ्रूण हत्या की जा रही है ? इसका पता इस बात से चलता है कि दिल्ली के समीप हरियाणा के सिरसा शहर में प्रतिबन्ध के बावजूद प्रतिदिन 100 लिंग निर्धारण परीक्षण तथा 20 से 25 गर्भपात किये जाते हैं। यह सब कुछ हरियाणा द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के बावजूद चल रहा है।

01.00 म.प.

इस विषय पर मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। जबकि यह चिन्ता का विषय है। हमारे देश भर में चल रही भ्रूण हत्या नारीत्व का अपमान है और यह एक सामाजिक बुराई है। यह आर्थिक कारण से भी हो सकता है तथा इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं।

भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य सदन में मौजूद हैं पर अच्छा होता अगर उनके नेता भी उपस्थित रहते। मैं अनुरोध करूंगा कि अब समय आ गया है कि आर्थिक, धार्मिक और कानूनी दृष्टि से एक नया वातावरण तैयार करना होगा। हम जानते हैं कि सुधारों की जरूरत है। मैं कहता हूं कि महिलाओं को श्राद्ध करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती, शमशान घाट पर जाने और मुखाग्नि आदि की अनुमति क्यों नहीं दी जाती ? हम लड़कों को ही प्राथमिकता क्यों देते हैं ? ऐसा कई कारणों से है। आखिरकार हमारा समाज एक धार्मिक समाज है। हम कितने ही प्रगतिशील क्यों न हो जाएं पर यह बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि मृत्यु के बाद हमारा श्राद्ध कौन करेगा और घाट पर हमारी चिता को अग्नि कौन देगा। इस तरह से पुरूष और महिलाएं सभी क्षेत्रों में बराबरी की हकदार हैं।

इस विधेयक को लाने के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक को काफी पहले लाना चाहिये था। सरकार को इस विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये कदम उठाने चाहिये तथा इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं तथा जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सभा दो बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

01.01 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.09 म.प.

मध्यान्ह भोज के पश्चात् लोकसभा 2.09 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक -

संयुक्त समिति यथाप्रतिवेदित - जारी

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्रीमती सरोज दुबे।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : माननीय सभापतिजी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस विधेयक को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था क्योंकि इस विधेयक की तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था क्योंकि इस विधेयक पर संयुक्त समिति ने बहुत पहले ही रिपोर्ट पेश कर दी थी लेकिन उसके बावजूद विधेयक को यहां तक आने में बड़ा विलम्ब हुआ। इस दरमियान पता नहीं कितनी बालिकाओं की गर्भावस्था में ही भ्रूण हत्या हो चुकी होगी। इसका हिसाब लगाना बहुत कठिन काम है। आज भी हर पल, हर क्षण गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की हत्या करने की साजिश चल रही है। ये जो आधुनिक उपकरण हैं और उच्च तकनीक वाली प्रजनन पद्धति है, इनका अंधाधुंध प्रयोग महिलाओं के लिए एक आफत बन गया है। पहले बच्चियों की हत्या करना एक पीड़ादायक काम था, लेकिन अब आधुनिक तकनीक से यह काम बहुत आसान बन गया है। आजकल खुलेआम अखबारों में और पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर ये संस्थायें दम्पतियों को आमंत्रित करती हैं कि हमारे यहां परीक्षण के लिए आओ और यदि गर्भ में बालिका हो तो उसकी हत्या कर दो। इस तरह से बालिकाओं की गर्भावस्था में ही हत्या करने की साजिश चल रही है। तमाम बालिकाओं को इस दुनिया में आने से पहले ही रोक दिया जाता है। लिंग परीक्षण को रोकने के लिए जो यह विधेयक लाया गया है, यह एक अच्छा विधेयक है। इसको कड़ाई से लागू कराने पर ही भ्रूण हत्याओं पर रोक लग सकेगी।

आज जो इन हत्याओं का सिलसिला चल रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि यह चिकित्सा अधिकारी और अभिभावकों के बीच गुप्त करार हो गया है और वे किसी भी कीमत पर भावी मादा संतान को इस पवित्र भूमि पर नहीं आने देना चाहते हैं। आज हर छोटे और बड़े शहर में जिस तरह से ये निजी संस्थान मशरूम ग्रोथ की तरह हो रहे हैं। और वहां के डाक्टर इस तरह का दुष्कृत कर रहे हैं। उससे यह लगता है कि वर्तमान में

सामाजिक, आर्थिक परिवेश में परम्परागत धर्मभीरू भारतीय समाज में दया, संवेदना, ममता और करूणा की बिल्कुल समाप्ति हो गई है।

डाक्टर चिकित्सा प्रारम्भ करने से पहले मानव जीवन बचाने की तथा उसको पीड़ा रहित रखने के लिए अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग करने के लिए एक शपथ लेता है। लेकिन डाक्टर भी अपने पेशे से बगावत और विश्वासघात करके इस दुष्कर्म में लगे हुए हैं, यह बेहद अफसोस की बात है। यही बजह है कि आज बालिकाओं के प्रति जो क्रूर भाव हमारे समाज का है उससे हमारे समाज का संतुलन बिगड़ रहा है। इससे महिलाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। 1901 में एक हजार लड़कों के पीछे नौ सौ बहत्तर महिलायें थीं। 1981 में उनकी संख्या नौ सौ चौतीस हो गई और 1991 में यह संख्या घटकर नौ सौ सत्ताइस हो गई। हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में एक हजार पुरुषों के पीछे केवल आठ सौ उनहत्तर लड़कियों का अस्तित्व है। यदि इसी प्रकार से बालिकाओं की जन्म दर घटती रही तो असंतुलन तो होगा ही, साथ ही साथ उनके जन्म लेने के बाद उन पर जो ज्यादतियां हो रही हैं उनकी संख्या कम होने पर उनके उत्पीड़न में और इजाफा होगा और बलात्कार, हिंसा तथा अपहरण के मामले और बढ़ जायेंगे। गर्भावस्था में जो भ्रूण परीक्षण करने के बाद चुन-चुनकर बालिकाओं की हत्या की जा रही थी उसके सम्बन्ध में महिला संगठनों द्वारा बहुत जोरशोर से हल्ला मचाया गया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगाने का एक अच्छा कदम उठाया। हरियाणा सरकार ने भी इस पर रोक लगाई। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर सबसे पहले इसे रोकने के लिए कदम उठाकर नियम बनाया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र के दौरे पर जब हमारी संयुक्त समिति गई तो हमें पता चला कि वहां कानून तो विधिवत है, एप्रोप्रिएट अथोरिटी भी है, उसके बावजूद भी वहां पर कई सालों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्थान को सजा नहीं मिली जो इस तरह के दुष्कृत में शामिल हुआ हो। वहां भी इस तरह के दुष्कृत लगातार हो रहे हैं। महाराष्ट्र ने तो कानून पास कर दिया, लेकिन उसके बगल में गुजरात में यह अमानवीय काम धड़ल्ले से हो रहा है। केवल कानून बना देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका कड़ाई से पालन करना पड़ेगा और हमें इसे राज्य सरकार की कृपा पर नहीं छोड़ना चाहिए।

इसके लिए एक कड़ा राष्ट्रीय कानून होना चाहिये जिसके अंदर कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिये। इससे यह होगा जो दुष्कर्म करना चाहेगा, वह भयवश नहीं कर सकेगा। हम लोगों ने जब महाराष्ट्र का भ्रमण किया तो हमें बताया गया कि इस बात के लिये जो अप्रोप्रियेट अथारिटी लगाई गई है, उसमें भी उन संस्थाओं के लोगों को सदस्य बनाया जाता है जो इस प्रकार की संस्थाओं का संचालन करते हैं। इस तरह नित्यप्रति भ्रूण हत्यायें होती रहती हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस विधेयक का भी यही हश्र हो। जिस मंशा को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वह पूरी नहीं हो पाती है। महिलाओं के अस्तित्व को बचाने के लिये हमारी लड़ाई व्यर्थ चली जाएगी। चूंकि नियमित रूप से काम नहीं हो रहा है, इसलिये यह आवश्यक है कि हर राज्य में इस कानून का पालन होना चाहिये।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य है। पिछले दिनों ''पायनिर'' अखबार में एक विज्ञापन निकला कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिये जांच कराईये और फिर लड़के को जन्म

दीजिये। तो इस प्रकार का विज्ञापन देकर महिलाओं को प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह अनुचित कार्य हो रहा है।

हमारे देश में एक तरफ औरत को देवी का रूप कहा जाता है और दूसरी ओर प्रकृति के नियम को तोड़कर बालिका को जन्म लेने के लिए पुरुषों की इजाजत लेनी होती है। क्योंकि बिना आदमी की मर्जी के बच्चा नहीं हो सकता है और यदि लड़की जन्म लेगी तो उसे नहीं होना दिया जायेगा। आपको मालूम ही है कि जब यह तकनीक नहीं निकली थी तो राजस्थान में लड़की के पैदा होने पर ही उसे मार दिया जाता था और यहां पर जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। यह बड़े ही अफसोस की बात है। हम लोगों की समिति ने राजस्थान के एक गांव का दौरा किया तो हमें बताया कि इस गांव में आज तक कोई बारात नहीं आयी है। क्योंकि लड़की पैदा होते ही मार दी जाती है। आज हमारे देश को 47 साल हो गये हैं आजाद हुये लेकिन एक कठोर कानून के अभाव में ऐसा हो रहा है कि हमारे संविधान में पुरुष और स्त्री को समान अधिकार दिया हुआ है लेकिन आज उस अधिकार की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। आज इस कानून की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है और अल्ट्रा साउंड और सोनोग्राफी मशीनों के माध्यम से छोटी-बड़ी निजी संस्थायें पैसा कमाने में लगी हुई हैं। परीक्षण के नाम पर झूठी रिपोर्ट देती हैं कि लड़की होगी और गर्भपात करवा दिया जाता है और इसमें महिलाओं को दोष दिया जाता है कि वे इस काम में आगे हैं। आज भी महिलायें इस देश में अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं क्योंकि परिवार में सास, ननद, पति का दबाव रहता है कि वह उनकी मर्जी से जाकर गर्भपात करवा ले। क्योंकि उसको निर्देश होता है कि उसको केवल लड़का ही पैदा करना है। इस तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिये इस तरह के कानून की निहायत ही जरूरत थी और यह देर से आया है लेकिन फिर भी यह स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, हम लोग जब यह सोचते हैं कि महिलायें सफलतापूर्वक पुरूषों के साथ काम करने के लिये आगे बढ़ें लेकिन वे आगे इसलिये नहीं बढ़ पाती हैं कि एक तरफ तो कानून बनाते हैं और दूसरी ओर इनके विकास के लिये कोई कानून नहीं बनाते हैं। तमिलनाडु में एक जगह ऐसी है जहां पर यह परम्परा है कि वहां पर लड़की पैदा नहीं होने दी जाती है और इस बात की रिपोर्ट बीबीसी ने की कि किस बर्बरतापूर्ण ढंग से यह काम किया जा रहा है तो सरकार की आंख खुली लेकिन अंधविश्वास और परम्पराओं के डर से उस जगह पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि इस हरकत पर रोक लगाई जा सके। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बालिका या महिला के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है ? इसके पीछे एक सामाजिक सोच है, एक मानसिकता है जिस पर हमें चोट करनी पड़ेगी। आज बालिकाओं को एक बोझ समझा जाता है। दहेज प्रथा के कारण हमारे समाज में उस लड़की के जन्म लेने पर परिवार में एक मायूसी सी छा जाती है और और अस्पतालों में दाई और नर्स भी लड़की पैदा होने पर बख्शीश नहीं मांगती हैं। आज गांवों में लड़का पैदा होने पर बन्दूक चलायी जाती है जबकि लड़की पैदा होने पर फूटी थाली बजायी जाती है। इस सब को दूर करने के लिये कुछ सोचना होगा। वेदशास्त्रों में कहा गया है - ''यत्र नारी पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' हमारे समाज में नारी को देवी, लक्ष्मी और अन्नपूर्णा कहा जाता है, लेकिन दूसरी ओर जन्म से पहले गर्भावस्था में ही मार दिया जाता है। और हमारे समाज में नारी को उपभोग की वस्तु समझा जाता है। यह गलत है उसको भी इनसान बनाकर पुरूष के समान जीने का अधिकार दिया जाये।

वास्क मुनि ने कहा – दुहिता दुहिता दुरे हिता भवति। महिलाओं से दूर ही रहना चाहिये क्योंकि वह मुसीबत की जड़ होती हैं। इस सोच को बदलने के लिये हमें समाज में क्रान्तिकारी कदम उठाना होगा। इनमें सभी सामाजिक संगठनों को लाना होगा। समाज में नारी के सम्मान को बरकरार रखने के लिये अच्छा साहित्य बांटना होगा, गोष्ठियां करनी होंगी। जब तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर सुधार नहीं होगा तब तक इस कानून के बना देने से कोई लाभ नहीं होगा। कभी कभी डर लगता है कि अन्य कानूनों की तरह यह कानून भी फाईलों में दबकर न रह जाये। इसलिये सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिये और कड़े कदम उठाने चाहिये तथा इस मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिये महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से निर्भर रहने देने के लिये कठोर कदम उठाने होंगे तभी यह कानून सही रूप से सफल होगा।

सभापति महोदय, मुझे उम्मीद है कि यह कानून जो महिलाओं के लिये एक नयी रोशनी लेकर आया है, सरकार स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से और लोगों की सामाजिक सोच को बदलकर इस दुष्कर्म में लगे लोगों के विरुद्ध कठोर कारावास का और कठोर जुर्माना का प्रावधान करेगी ताकि दुष्कर्म करने वालों पर रोक लग सके और जिस उद्देश्य को लेकर यह बिल आया है, उसमें सरकार को सफलता प्राप्त हो सके।

मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करते हुये कहूंगी कि इस बिल के जरिये हम बालिका को इस देश में जन्म दे पाने में सफल हो सकेंगे।

|अनुवाद|

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसुकुरा) : सभापति महोदय, अपने दो सहयोगियों की दुःखद मृत्यु के कारण, मैं अपने संशोधन पेश नहीं कर सकी। मैं ऐसा करने की स्थिति में नहीं थी। परन्तु श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने वे संशोधन पेश किए हैं जो हम दोनों के एकसमान संशोधन थे।

पहला प्रश्न जो यहां कई लोगों ने उठाया है, वह 1991 से 1994 तक की देरी के बारे में है। अब मेरा अनुरोध यही है कि भगवान के लिए कृपया राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने में देरी न की जाए। आज विधेयक पारित किया जाएगा तथा उस पर शीघ्र ही राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की जाए।

दूसरे, जैसा कि श्रीमती मालिनी जी पहले ही कह चुकी हैं, हम चाहते हैं कि लिंग निर्धारण का कार्य सरकारी संस्थानों के हाथों में होना चाहिए। अन्यथा हमें डर हैं कि हम ऐसी संस्थाओं जो पहले ही काफी संख्या में हैं, के प्रसार को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

तीसरे, हम यह भी चाहते हैं कि अल्ट्रासोनिक उपकरणों का पंजीकरण किया जाए। अल्ट्रासोनिक उपकरणों का उपयोग बहुत से कारणों, जैसे भ्रूण का पता लगाना आदि, के लिए होता है अतः हम यह नहीं कह सकते कि आप अल्ट्रासोनिक परीक्षणों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दें। परंतु हम कहते हैं कि अल्ट्रासोनिक उपकरणों का पंजीकरण किया जाना चाहिए ताकि इन बातों की जांच करने वाली समितियां उन संस्थानों पर नज़र रख सकें तथा उनकी निगरानी कर सकें।

दूसरा मुद्दा यह है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम में यह अनुमति दी गई है कि गर्भ निरोधक की ासफलता की दशा में, प्रभावित व्यक्ति गर्भ का समापन करवा सकता है। मुझे डर है कि इस उपबंध के बहाने

बहुत सी मादा भ्रूण हत्याएं होंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि गर्भ निरोधक की असफलता की दशा में गर्भ का समापन, जिसकी विधेयक में अनुमति दी गई है, के प्रावधान को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए अन्यथा इसके कारण निगरानी करने की एक और बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी।

मैं अधिक समय तक बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। इस प्रकार मेरा अंतिम मुद्दा जागरूकता के बारे में है जैसा कि यहां हम सभी ने उचित ही कहा है। मुझे वर्तमान स्थिति के बारे में यह कहते हुए बहुत दुःख है। मुझे कल की स्थिति मालूम नहीं है। आज जब इस विधेयक को चर्चा हेतु लिया गया है तो गणपूर्ति में ही काफी समय लगा रहा है। अब भी आप बैंचों की ओर देख सकते हैं। कितने लोग उपस्थित हैं ? हम स्वयं से ही किस जागरूकता की अपेक्षा करते हैं ? क्या हम इस सम्बन्ध में जागरूक हैं ? क्या सभी संसद सदस्य इससे अवगत हैं ? क्या वे इस बारे में अगुवाई कर सकते हैं ?

इसलिए मैं कहूंगी कि केवल विधेयक पारित करने से ही कोई लाभ नहीं होगा यद्यपि हम विधेयक पारित किए जाने का स्वागत करते हैं क्योंकि 'कुछ न होने से कुछ होना अच्छा है'। परन्तु यह जटिल कार्य है। इसके लिये अत्यधिक जागरूकता एवं उचित निगरानी की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि संसद इस ओर स्वयं ध्यान देगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा. जी. एल. कनोजिया (खीरी) : सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस बिल की वजह से हमें काफी बातों के विषय में मालूम होगा। इस बिल की वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में काफी उत्तेजना है और खासकर हमारे महिला संगठन भी इसमें शामिल हैं। यह बिल काफी देर से लाया गया है और इसे पहले लाना चाहिए था।

कानून द्वारा जो बिल हम ला रहे हैं इसके विषय में बहुत कुछ शंकाएं हैं। इसमें स्त्री और पुरुष के रेशियों के इम्बैलेन्स होने का तो डर है ही, साथ ही साथ इस बिल को हम किस तरह से पूरी तरह से लागू करेंगे इसके विषय में सामाजिक तौर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं और जो इनफेण्टिसाइड हो रहा है उसके बारे में मैं अपने 37 साल के अनुभव के अनुसार कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान में लड़कों को लड़कियों के मुकाबले अधिक प्रैफरेन्स दिया जाता है और कहते हैं कि लड़का होता है तो खानदान चलता है और लड़की होती है तो हमें दूसरे के दरवाजे पर जाकर पैर छूने पड़ते हैं। इसी वजह से मैंने अपने उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से में देखा है कि समाज में कुछ बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था क्योंकि उन्हें दूसरों के घरों में न जाना पड़े। मैंने हजारों बच्चियों को जन्म दिलाया है और बच्चियों को जिन्दा पैदा करता था और पैदा करने के बाद सुबह जब राउंड लगाता था तो मालूम होता था कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई। यह बात आज की नहीं है, सदियों से चल रही है। मैं अपने पूर्ववक्ता से सहमत हूं।

लेकिन यह एक विडम्बना है कि हमारे यहां एक सास ही अपनी बहू को इस टैस्ट के लिये प्रेरित करती है, ले जाती है। जब एक स्त्री ही, षडयंत्र रचकर किसी दूसरी स्त्री को टैस्ट के लिये ले जाती है और उसके बाद

गर्भपात करा देती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब ऐसा करना एक स्त्री पर अत्याचार माना जाता है तो स्त्रियां ही इस काम में अग्रणी क्यों हैं।

इसलिये मैं सदन को बताना चाहता हूं कि खाली बिल बनाने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जब यह बिल नहीं था तब भी गर्भ गिरवाये जाते रहे लेकिन उस समय गर्भ गिरवाने की जड़ में कारण दूसरे थे। उस समय मजबूरी में गर्भ गिरवाये जाते थे, कहीं किसी के धोखे से बच्चा रह गया या कुछ और कांड हो गया तो मां-बाप को मजबूर होकर गर्भ गिरवाने का काम करना पड़ता था लेकिन आज तो यह एक धंधा बन गया है जिसके बारे में यहां काफी कहा जा चुका है।

जिन दिनों मैं फैमिली प्लानिंग का काम कराता था तो मैंने देखा था कि जिसके परिवार में लड़कियां ही होती थी वह उस समय तक फैमिली प्लानिंग नहीं कराता था जब तक कि उसके एक लड़का न हो जाये। मैंने यह भी देखा कि किसी परिवार में 5-6 लड़कियां हुआ करती थी लेकिन एक लड़का होने का वह इंतजार करता था और जब लड़का पैदा हो जाता था तो फैमिली प्लानिंग करा लेता था। मैं समझता हूं कि हमारे समाज में यह एक सामाजिक बुराई है जिसे इस बिल के जरिये खत्म करने की हम चेष्टा कर रहे हैं। मेरा मत है कि जब तक जनता को हम जागरूक नहीं करेंगे, उसको इसका महत्व नहीं समझायेंगे, उसके ध्यान में सारी बातें नहीं आयेगी, फिर जो बिल हम लाये हैं, मैं आपको यहां पढ़कर सुना सकता हूं कि कई मामलों में यह अधूरा है। इस बिल में आधी चीजों को कवर किया गया है। इसमें प्युनिटिव पनिशमेंट के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, वह बहुत कम है। पहले स्थिति दूसरी होती थी। जब किसी को गर्भ गिरवाने की जरूरत पड़ती थी तो उसके कुछ कारण होते थे, कोई मां किसी भयंकर बीमारी से पीडित हो और बच्चे पैदा करने की स्थिति में न हो, मां हार्ट की मरीज हो और बच्चे के होने से उसे तकलीफ पैदा होती हो, मां मैंटली फिट न हो या उसका फीटस डीफार्म हो, उस समय भी दो डाक्टरों की राय लेकर गर्भपात कराना मुनासिब समझा जाता था। यद्यपि उस समय भी यह लीगल था और आज भी लीगल है लेकिन आज दरवाजे दरवाजे पर जिस तरह फीटस टैस्ट हो रहे हैं, यदि किसी अच्छी चीज के लिये हों तो समझ में आता है, किसी साइंटिफिक एडवांटेज के लिये, किसी आदमी का मर्ज, बीमारी, तकलीफ, दुख दर्द को दूर करने के लिये ऐसे टैस्ट कराये जायें तो समझ में आता है लेकिन जिस तरह से आज मिसयूज हो रहा है, उसके लिये दोषी डाक्टर का लाईसेंस समाप्त कर देना चाहिये। इसके लिये एक कमेटी बननी चाहिये। वह कमेटी सैन्ट्रेलाईज्ड न हो, बल्कि जगह बेजगह हो और जहां कहीं ऐसे केस पाये जायें, फौरन दोषी व्यक्ति को सजा मिले ताकि दूसरे डाक्टर भी उससे सबक ले सकें।

इस बिल में वैसे तो कई बाते कहीं गयी हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक स्टेट के लॉज नहीं बदले जाते हैं, हमारे समाज में जो भावना विद्यमान है कि जब किसी के लड़का पैदा होता है तो उसका खानदान चलता है और लड़के को कानूनी रूप से जायदाद में हिस्सा मिलता है, जब तक हम कानूनी पहलू को नहीं बदलेंगे, लड़कियों को जायदाद में लड़के के बराबर हिस्सा नहीं दिलायेंगे, उसे भी खानदान चलाने का अवसर नहीं देंगे तब तक सही ढंग से हम इस पर अमल नहीं करा पायेंगे। यद्यपि यह बिल बहुत अच्छा है लेकिन इन्कम्पलीट है। मैं सदन को अपनी इस भावना से अवगत कराना चाहता हूं कि इस बिल में पनिशमेंट डिटरेंट होना चाहिये।

इस बिल में इस डायगनास्टिक को रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन करेगा, यह लिखा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार का कार्य मैडीकल डिपार्टमेंट में चलता है, जब से मैं मैम्बर बनकर यहां आया हूं, तब से ही मैं बहुत दुखी हूं। जब से मैम्बर बना हूं, तब से ही मैं इस विभाग को नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं 37 साल तक डायरेक्टर जनरल हैल्थ सर्विसेज, उत्तर प्रदेश, जहां 12-14 हजार डाक्टर्स काम करते हैं वहां रहा हूं, मुझे मालूम हैं कि इसमें इतने स्ट्रक्चरल डिफैक्टस हैं जिनके बारे में हमने कमेटी में भी कहा, आई.सी.एम.आर. में भी कहा और एच.आर. डी. में भी कहा, लेकिन मुझे आज तक उसमें सुधार की कोई संभावना नजर नहीं आई है। इनके सुधार करने की नीयत पर मुझे शक है क्योंकि जब तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव चंगुल से नहीं निकलेंगे, तब तक इसमें सुधार की कोई संभावना कम से कम मुझे तो नजर नहीं आती।

हमारे माननीय मंत्री शंकरानन्द जी हैं वे काफी तजुर्बेकार हैं और अरसे से मंत्री रहे हैं लेकिन ये एक ऐसे चंगुल में फंसे हैं जिससे निकलना मुश्किल है। अभी डायगनौस्टिक का मामला आया, मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। ये तो वहीं करेंगे, जो इनके आई.ए.एस. बताएंगे। मैं इन से पूछना चाहता हूँ कि उनके हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट, जो हिन्दुस्तान के डायरैक्टर जनरल, मैडीकल हैल्थ सर्विस के हैं, वे साल-साल भर एक्टिंग के रूप में काम करते हैं। इसका क्या कारण है ? मैं इनसे इस फ्लोर पर पूछना चाहता हूं कि कौन चीफ सेक्रेटरी या सैक्रेटरी आज तक एक्टिंग रहा है ? डायरैक्टर जनरल, आई.सी.एम.आर., जिसका सिलैक्शन विधिवत हुआ और आज 6 महीने से, डा. सत्यवती एक्टिंग हैं, यह क्या है ? यह सिर्फ आई.ए.एस. के चंगुल की वजह से है। इसी तरह यह बिल भी कहीं इसी चंगुल में न फंस जाए। इस पर सिलैक्ट कमेटी की रिक्मेंडेशन कब से आई है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। जब तक इसको प्यूनिटिव नहीं बनाया जाएगा और ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा कि जो डाक्टर इसको करेगा उसको सजा मिलेगी और उसकी एम.बी.बी.एस. की डिग्री, एम.एस. की डिग्री, या एफ.आर.सी.एस. की डिग्री ले ली जाएगी, तब तक यह बिल कोई मान्यता नहीं रखता है।

सभापति जी, दूसरी बात अवेयरनैस की है। हम पब्लिक अवेयरनैस पर काफी पैसा खर्च करते हैं। यहां लड़की को लड़के के अधिकार दिलाने की बात है। मैं अपनी महिला सांसदों से भी अनुरोध करूंगा कि इस को भी वे देखें। मेरी एक बात यह समझ में नहीं आती कि महिला ही महिला पर क्यों अत्याचार करती है। यह हिन्दुस्तान है, विदेश नहीं है। मैंने दुनिया का वर्ल्ड टूर बाई रोड किया है। मैंने एम.बी.बी.एस. किया है। मैंनें एम. एस. किया है। मैंने एफ.आर.सी.एस. भी किया है। मैं 14 साल विदेश में रहा हूं। मैं जानता हूं कि भारत की नारी जितनी सहशील और संवेदनशील है, उतनी दुनिया के किसी देश की नारी नहीं है। हर तरह के अत्याचार भारत की नारी बर्दाशत करने को तैयार है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो बहु आज जलाई जाती है वही सास बनने पर अपनी बहू को जलाती है और अत्याचार करती है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मैडीकल डिपार्टमेंट में सुधार लाने के लिए मिल-बैठ कर सब चीजों को सोच-समझ कर सुधारने का काम जब तक आप नीयत साफ नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। यह नहीं कि शंकर जी मंत्री बन कर आए हैं, तो सब पी जाएंगे। कड़वा भी पी लेंगे और मीठा भी पी लेंगे। आप शंकर हैं, तो शंकर जी की तरह बनने की कोशिश कीजिए। जो हमारे मंत्री महोदय आए हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को जो आप लाए हैं, उसके लिए हम आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।

आपको धन्यवाद देते हैं और इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। मुझे आशा है कि यह बिल पूर्ण और सर्वसम्मति से पारित होगा और पूरा सदन इसकी सराहना करता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसको थोड़ा प्यूनिटिव करने के लिए थोड़ा सोचने का कष्ट करें अन्यथा जो यह बिल आज यहां लाया गया है यह वैसे ही रह जाएगा। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे मैडीकल के प्रोफ़ैशन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करें और जहां-जहां रिकगनाइज्ड सेंटर हों वहां-वहां ही यह काम हो, इसको सुनिश्चित करवाएं।

सभापति महोदय, बहुत समय से नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है कि उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। आज तक कितने हुए हैं ? वहां कौन लोग जाते हैं ? सरकारी अस्पतालों में लोग इसलिये नहीं जाते हैं कि वहां स्टाफ, नर्स, डाक्टर, कंसलटैंट, कम्पाउंडर और सुपरिटेंडेट आदि सब को पूजना पड़ता है। लोग प्राइवेट नर्सिग होम्स में इसलिये जाते हैं कि वहां केवल एक को ही पूजना पड़ता है। इस पर शांति से बैठकर सोचना चाहिये। आप जब तक इसके कैडर को नहीं सम्भालेंगे तब तक इसमें सुधार नहीं ला पायेंगे। आज यह पूरी तरह से स्पॉयल्ड है। जब तक आप इसको सुधारने की नीयत नहीं रखेंगे तब तक इसमें सुधार नहीं हो पायेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, राम मनोहर लोहिया, जी.बी. पंत और सफदरजंग अस्पताल की हालत बहुत ही दयनीय है। इनको देखने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

|अनुवाद|

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : सभापति महोदय, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित प्रसवपूर्ण निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख है कि सरकार ने प्रस्तावित विधायी नीति के समर्थन और संपोषण हेतु सामाजिक ढांचे की पृष्ठभूमि का पर्याप्त रूप से निर्माण किए बिना ही विधायी नीति प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। केन्द्र में निरन्तर कांग्रेस का शासन होने के बावजूद देश में अभी भी निर्धनता व्याप्त है। केन्द्र में उत्तरोत्तर कांग्रेसी सरकारों का हित इस बात में निहित है कि गरीबों को गरीब बनाए रखा जाए तथा निरक्षरों विशेषकर महिलाओं को निरक्षर रखा जाए। इन असफलताओं के कारण देश में एक ऐसा सामाजिक ढांचा निर्मित हो गया है जिसमें महिलाओं को दुष्प्रभावित करने वाली बुराइयों का प्रभुत्व है।

महोदय, विधेयक में तीन बातें हैं। एक लिंग निर्धारण परीक्षणों पर प्रतिबंध के बारे में है। इसका वर्णन विधेयक के खंड 6 में है। दूसरी लिंग निर्धारण हेतु उपयोग से भिन्न प्रसव-पूर्व निदान तकनीक के प्रयोग के विनियमन के बारे में है। विधेयक के खंड 4 और 5 में इन उपबंधों का उल्लेख है। तीसरा उपबंध विनियमनकारी उपबंधों के पालन हेतु प्रशासनिक ढांचा बनाए जाने के बारे में है। विधेयक के शेष उपबंध इस तीसरे क्षेत्र के बारे में हैं।

महोदय, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधेयक का केवल एक उपबंध तथा तदनुरूपी दांडिक उपबंध ही नीति के मुख्य उद्देश्य से संबंधित हैं। शेष उपबंध इस विषय के केन्द्र बिन्दु से हट गए हैं। मादा भ्रूण हत्या,

बालिकाओं, की उपेक्षा, समाज द्वारा महिलाओं पर थोपी गई लैंगिक हीनता तथा उसके पारिणामिक दुष्प्रभावों पर विधेयक में पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।

दूसरी ओर विधेयक में आनुवंशिक केन्द्रों के पंजीकरण आदि और ऐसे ही अन्य मामलों पर बल दिया गया है जिनका लिंग निर्धारण परीक्षणों पर प्रतिबंध से केवल दूर का ही संबंध है। देश की महिलाओं को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि सरकार प्रसव पूर्ण निदान तकनीक की सुविधा प्रदान करने वाले केन्द्रों के कार्यकरण को किस प्रकार विनियमित करती है। चिकित्सा परिषद को, उपयुक्त विनियम जारी करके, इन मामलों का उपबंध करने के लिए शक्ति प्रदान की जा सकती है। जिस चिन्ता के साथ सरकार ने इन मामलों के लिए उपबंध करने की कोशिश की है। वह भी स्त्री भ्रूण हत्या रोकने में सरकार की ईमानदारी प्रमाणित नहीं करती है।

सरकार द्वारा इस आधारभूत तथ्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है कि स्त्री भ्रूण हत्या मात्र लिंग अवधारण परीक्षणों के कारण ही नहीं होती है। भारत के कितने गांवों में लिंग अवधारण की सुविधा उपलब्ध है ? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। जब तक ये सुविधायें गांवों तक पहुंचती है तब गांवों में स्त्री भ्रूण हत्या की घटनायें नहीं होंगी क्योंकि इन सुविधाओं का गांवों तक पहुंचने का तात्पर्य विकास हैं और जिन गांवों में ये सुविधायें पहुंच गई हैं वहां गरीबी और महिलाओं का सामाजिक दमन नहीं होगा।

महोदय, स्त्री भ्रूण हत्या की समस्या का हल करने के संबंध में मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की उपलब्धियों का वर्णन गर्व से करना चाहता हूँ। वह देश में समतावादी समाज की स्थापना करने की अग्रदूत हैं जो स्त्री भ्रूण हत्या की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए मूलभूत आधार प्रदान करता है।

सभापति महोदय : कृपया पत्रों से न पढ़ें। आपको अपने विचार रखने चाहिए। आप निर्धारित समय सीमा से इन पत्रों को नहीं पढ़ पायेंगे।

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी : तमिलनाडु की माननीया मुख्यमंत्री ने कैंडल बेबीज स्कीम प्रारम्भ की थी, यदि मातायें अपनी बालिकाओं का लालन-पालन नहीं कर सकती थी तो राज्य सरकार उन बालिकाओं को सभी सुविधायें देकर गोद ले लेती है।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने केवल महिलाओं द्वारा चलाये जा रहे पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है। भारत में केवल तमिलनाडु में ही यह प्रारम्भ किया गया है।

महोदय, इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार ऐसी सामाजिक संरचना स्थापित करने का प्रयास करे जो स्त्री भ्रूण हत्या के विरुद्ध सरकार की नतियों का समर्थन करती हो। मात्र लिंग अवधारण परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना ही इसमें सहायक नहीं होगा। स्त्री भ्रूण हत्या को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए आवश्यक सामाजिक संरचना की स्थापना के साथ-साथ सरकार उन लोगों को कठोर दंड दे जो स्त्री या पुरुष भ्रूण हत्या करते हैं या इसमें मदद करते हैं।

महोदय, आधुनिक चिकित्सा केन्द्र ही लिंग अवधारण के केन्द्र नहीं हैं। घरों में महिलायें गर्भवती माताओं के व्यवहार से बच्चे के लिंग निर्धारण करने में कुशल होती है, अधिकतर ऐसी महिलायें ग्रामीण भारत में रहती हैं, इसलिए सरकार को जानना चाहिए कि जब तक दोषी व्यक्तियों की ठीक-ठीक पहचान नहीं की जाती तब तक ग्रामीण भारत में इस प्रस्तावित कानून का महत्व नहीं रहेगा।

इन सब के बावजूद, मैं इन उपायों का सैद्धान्तिक रूप से स्वागत करता हूं किंतु मेरी मांग है कि मंत्री महोदय को कानून के विस्तार के लिए मेरे सभी तर्कों पर ध्यान देना चाहिए और इस कानून के अनावश्यक उपबंधों समाप्त करना चाहिए जिससे इस प्रस्तावित कानून को स्त्री भ्रूण हत्या की सामाजिक बुराई को हल करने के लिए प्रभावी बनाया जा सके।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह विषय बूढ़ों के बोलने का थोड़े ही है, यह तो जवानों के बोलने का विषय है।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति जी, मैं इस बिल के समर्थन के लिए आया हूं। बहुत सारी चर्चाएं जो हो रही हैं कि पुरुष में और महिला में भेद की परम्परा चली आ रही है, यह कोई नई बात नहीं हैं। किसी जमाने में जब आदिम समाज था और मातृसत्तात्मक युग था, उसके बाद जैसे-जैसे कोर्स आफ डवलपमेंट स्त्रीसत्तात्मक समाज में आया तो निश्चित रूप से उस समय से स्त्री और पुरुष में भेद की भावना बनती गई और यह जातियों को लेकर, धर्मों को लेकर, रस्म रिवाजों को लेकर, विभिन्न इलाकों में चली हुई प्रथाओं को लेकर बढ़ती गई। आपके देश में भी यह सारी प्रथाऐं रही हैं, जिनमें पुरुष से महिलाओं को हीन भावना से देखा गया है।

यह भारत में इतिहास की लम्बी कहानी है। यह ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बिल बना दीजिए तो उससे काम चल जाने वाला है। बहुत से मित्रों ने कहा है कि बिल काफी नहीं है, लेकिन जो कुछ है, वह तो अच्छी बात है कि पहले बिल नहीं था तो कुछ काम की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हम जानते हैं, हमारे गांव में रहने वाले ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं, जिसके 11 लड़कियां हुईं। लड़कियां होती गईं लेकिन उसने फैमिली प्लानिंग नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि बच्चा होगा, तभी कुछ होगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, जो धार्मिक थे, बिहार में एक स्थान है, वह आजीवन वहां शिव की पूजा करने के लिए जाते रहे, जहां लोग बड़ी भारी कांवर लेकर चलते थे। वह कांवर ढोते-ढोते मर गये लेकिन उनके बेटा नहीं हुआ। वह आजीवन कांवर ढोतं रहे, शिव की पूजा करते रहे। तो यह परम्पराऐं हैं। हम नहीं कहते कि इन परम्पराओं पर चोट करने का काम, कांग्रेस की सरकार है, सारा आरोप उसी पर है, यह मैं नहीं मानता हूं। सरकार उनकी है इसलिए उनकी जिम्मेदारी प्रथम होती है। लेकिन समाज में जो कुरीतियां हैं, चाहे वह किसी प्रान्त में हों, राज्य में हों, यह सामाजिक दायित्व तमाम प्रगतिशील ताकतों का होता है, तमाम ऐसी ताकतों को होता है, जो मानवीय मूल्यों पर, मनुष्य को बराबर समझने के लिए प्रयत्नशील हैं और लड़ रही हैं।

अब तो सोवियत यूनियन नहीं है लेकिन मैं जानता हूं कि सोवियत यूनियन में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार न केवल कानून में था, बल्कि अमल में लाया जाता था, तो पूंजीवादी समाज में अब महिलाओं के अधिकार और पुरुषों के अधिकार सम्मान लाने का है या लूटने का है। यह डॉक्टर लोग भी आज विज्ञान की उपलब्धि से, जहां विज्ञान की उपलब्धि मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिये होती है वहीं मनुष्य को विज्ञान की उपलब्धि से सर्वनाश की बात भी होती है। आज परम्परा ऐसी हो गई है कि जो नये विज्ञान की उपलब्धि मैडीकल सांइस में हुई है उसके चलते नारियों के, लड़कियों के विषय में डिटरमाइन करके एक तरह से पैसा कमाने का धंधा हो गया है यह बहुत ही घृणित बात है। इसके लिये जहां कानून बनाया जा रहा है सामाजिक

संस्थाओं को सरकार प्रोत्साहित करे, ऐसी संस्थाएं जो नारी मुक्ति आंन्दोलन के लिये लगी हुई हैं और आगे बढ़ रही हैं उनको पूरी सफलता नहीं मिली है मैं जानता हूं लेकिन उसमें सरकार आगे बढ़ कर नहीं आ रही है।

अभी हमारे शंकरानंद जी बोले हैं कि इस मामले में आप क्या करने जा रहे हैं। क्या कानून बना कर चुपचाप बैठने वाले हैं या इसके जरिये कुछ करने वाले भी हैं। यह स्पष्ट बात है कि इसके लिये समाज में ऐसी चेतना पुरुषों में जगानी पड़ेगी, क्योंकि पुरुष चाहते हैं कि बेटा होगा तो उसको अधिकार मिलेगा, वह संपत्ति का मालिक बनेगा। इसलिये अलग-अलग जातियों में अलग-अलग रिवाज़ हैं। मेरा कहना यह है कि जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि पूरे सिरे से पूरे समाज में एक आन्दोलन के रूप में इसको उन संस्थानों के जरिये, उन व्यक्तियों के जरिये आन्दोलन चलाया जाये, ताकि यह चेतना हर इंसान में पैदा हो, हम गर्भावस्था में लड़कियों को मरवा दें ऐसा नहीं होना चाहिये। लेकिन अगर इसके लिये चेतना नहीं होगी तो हजार कानून बनते हैं, बहुत सारे कानून हमारे हिन्दुस्तान में बने हैं हमने देखा है उनका अमल नहीं होता है तो उस ढंग की चेतना नहीं है। उस चेतना को जगाने के लिये सरकार भी दोषी है और यह सरकार वह चेतना नहीं जगा पायेगी। इसलिये सामाजिक शक्तियों को जगा कर एक आन्दोलन के रूप में विकसित करके सरकार के इस कानून को अमल करने के लिये कमेटियों को हमारी मित्र गीता मुखर्जी जी ने सुझाव दिया है और अन्य लोगों ने भी दिया है उस तरह से लिया जाये और ग्राम स्तर तक, नीचे स्तर तक भी इसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके यह भी बहुत जरूरी है। आपके कानून में सजा तो बहुत सारी है लेकिन अमल में कहां आती है। अभी पार्लियामेंट में चीनी घोटाले पर बहस होने जा रही है तो कानून बहुत बने हुए हैं लेकिन फिर भी घोटाले होते रहते हैं। इस सरकार में बहुत से घोटाले हो रहे हैं। सिर्फ कानून पास कर के संतोष करने से कुछ नहीं होगा, इसको सामाजिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इन कानूनों पर अमल करना भी आवश्यक है। सामाजिक चेतना जगाने के लिए एक मूवमेंट की आवश्यकता है। मैंने जो सुझाव दिए हैं और अभी बीजेपी के माननीय सदस्य जो कि डाक्टर हैं और इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और इन सुझावों पर अमल करना चाहिए। सजा की अवधि बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इन सारी बातों पर अमल करने से ही इस बिल का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, इस बिल के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं इस बिल का तहे-दिल से स्वागत करता हूं। इस बिल से प्रतीत होता है कि विज्ञान के साधन कितने ही उपयोगी क्यों न हो, इनका आविष्कार गर्भवती महिलाओं की अंदर की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया गया था, परंतु आज किस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए संत विनोबा जी ने कहा था कि विज्ञान हमारे पांव हैं तो आत्म ज्ञान हमारी आंखे हैं। पैर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए भी उनको आंखों की आवश्यकता है। वैज्ञानिक यंत्र बहुत लाभकारी हैं, परंतु उनका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, बालिकाओं की पहचान करके उनकी भ्रूण हत्या की जा रही है। इस तरह से समाज के लिए यह एक अभिषाप बन गया है, इससे यही सिद्ध होता है। इसीलिए विनोबा जी ने कहा था कि आत्म ज्ञान हमारी आंखे हैं और वह हमकों चेताता है। हमारे यहां वेदों में कहा गया है ''यत्र नारी पूज्यंते-तत्र वसंती देवता'' अर्थात् जहां पर नारी

का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। इसी तरह से कहा गया है - ''मातृ देवो भव'' अर्थात् माता देवता के समान है। माता ही संतान का चरित्र निर्माण करती है। एक माता अपने संस्कारों के द्वारा सैकड़ों बच्चों के चरित्र का निर्माण कर सकती है। लेकिन आज सामाजिक अंध-विश्वासों के कारण बालिकाओं को मौत के घाट उतार दिया जाए तो इससे पूरा समाज पाप का भागीदार बनता है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक अंध-विश्वास को हटाना होगा। आज जिस तरह से डाक्टरी के व्यवसाय का क्लीनिकों में दुरुपयोग हो रहा है, पैसा कमाने के लिए लोगों के अंध-विश्वास का लाभ उठाया जा रहा है, और पूरे समाज में एक दुराचरण फैल रहा है।

सभापति महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि संयुक्त समिति ने यह जो बिल प्रस्तुत किया है, इसको पास करने के बाद इसका कार्यान्वयन सही परिप्रेक्ष्य में कराना चाहिए। इसकी परिपालना और समाज में चेतना जगाने की आवश्यकता है। हमारे इलेक्ट्रानिक मीडिया और समाचार-पत्रों का उपयोग लंबे-लंबे विज्ञापन देने के लिए तो किया जाता है, परंतु जो महिलाओं के स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना और महिलाओं के हितों से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनका प्रचार-प्रसार ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। विमन कांशसनेस, विमन अवेअरनेस, महिला-जागृति, महिला-चेतना पैदा करने के लिए बहुत प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आधुनिक भारत के महा नायक महर्षि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने महान दूरदर्शिता का परिचय दिया था और समाज का ध्यान आकर्षित किया था कि वेदों में स्त्री और पुरुष को बराबरी का स्थान दिया गया है, उन्होंने कहा - ''वेदों का है यह ऐलान-नर नारी सब एक समान।'' इसी तरह से हमारे समाज में पुरातन-काल से नारी को अधिक सम्मान दिया गया है। हमारे यहां ''राधे-श्याम'' ''गौरी-शंकर'' ''सीताराम'' अर्थात् श्याम से पहले राधा, शंकर से पहले गौरी और राम से पहले सीता को स्थान दिया गया है। इसी तरह से जगत-जननी जगदंबा के स्थान-स्थान पर मंदिर बनाए गए हैं और उसको सम्मान दिया गया है, मातृत्व को सम्मान दिया गया है और उसी मातृत्व की अवहेलना आज जन्म से पहले ही की जा रही है, उनकी भ्रूण हत्या की जा रही हैं।

सभापति महोदय, ये अंध-विश्वास क्यों पैदा हुए। हमारे यहां जो रस्मपगड़ी हैं, मृत्यु-भोज है और पुत्र के बिना नर्क और मुक्ति नहीं की बात कही जाती है, तर्पण और पिंडदान की बात कही जाती है, कौन मुखाग्नि देगा, यह कहा जाता है और इन्हीं बातों से इस तरह के अंध-विश्वास पैदा होते हैं।

3.00 म.प.

मेरे बाद कर्म काण्ड का काम कौन करेगा ? इसके कारण महिलाओं और व्यक्तियों की इच्छा होती है कि हमारे यहां पुत्र पैदा हो। इस धारणा को समाप्त करना आवश्यक है और चेतना पैदा करना आवश्यक है। इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं जो सजा के हैं, वे संज्ञेय हैं। लेकिन अनुपालना सही ढंग से होनी चाहिए। सरकार कानून बनाती है, हम डाल-डाल और वह पात-पात। हम उसका प्रतिरोध करने का प्रयास करते हैं और लेक्युना निकालकर दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। उन सारे रास्तों का अवरोध करने की आवश्यकता है और इसके लिए सामाजिक चेतना पैदा करना आवश्यक है तथा समाज में अंध विश्वास का निराकरण आवश्यक है। डाक्टरी पेशे में काम करने वाले लोग ऐसा क्लीनिक खोलकर समाज के अंदर अभिशापों का परंपरागत पालन

करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का सोशल बायकाट या प्रोफेशनल बायकाट होना चाहिए और उनके लिए आचार संहिता होनी चाहिए ताकि काली भेड़ें जो आ चुकी हैं उनका तिरस्कार हो सके। महिलाओं के बारे में समाज का यह दृष्टिकोण है कि हमेशा पिता को उसके लिए पुत्र की आवश्यकता है। सामाजिक समानता या अधिकारों के समानता की बात करते हैं तो इस प्रकार के कानून बन जाने चाहिए। हमारे दृष्टिकोण के अंदर भी परिवर्तन की आवश्कता है जैसे समाज सुधारक या धर्माचार्यों का सहयोग लेना चाहिए। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ऐसी चीजें हैं जो अच्छे कानूनों को पलिता लगा देती हैं और दूसरा कोई रास्ता निकाल लेती हैं। उनसे इस कानून को बचाया जाये और इस कानून को सही परिप्रेक्ष्य में सख्ती से लागू किया जाये और समाज में जो नारी जाति का अभिशाप है उससे मुक्त हो सकें और स्वस्थ समाज बन सकें।

|अनुवाद|

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : सभापति महोदय, मैं सभी सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। उन्होंने विधेयक की कुछ बातों पर चिंता व्यक्त की है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। हमने उनके सुझावों पर ध्यान दिया है और निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे।

इस विधेयक का संबंध मुख्यतया हाल ही में विकसित भ्रूण के प्रसवपूर्ण लिंग अवधारणा की हाल में ही विकसित वैज्ञानिक तकनीक से है। यह तकनीक भ्रूण के आनुवांशिकी विकारों का पता लगाने में उपयोगी है। समय-समय पर महिला सगठनों और कई अन्य संगठनों ने हमारे देश में इस तकनीकी का दुरूपयोग स्त्री भ्रूण हत्या के लिए किये जाने पर चिंता व्यक्त की है। सदस्यों ने कानून के दण्डात्मक और अन्य उपबंधों पर चिंता व्यक्त की है। इस विधेयक में दंड का उचित उपबन्ध किया गया है। इस विधेयक में उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति अधिकारियों से शिकायत कर सकता है और प्राधिकारी उस शिकायत पर कार्यवाही कर सकते हैं। यदि चिकित्सक दोषी पाया जाता है तो वे इस मामले को संबंधित चिकित्सा परिषद को भेज सकते हैं और चिकित्सा परिषद उस चिकित्सक का पंजीकरण भी रद्द कर सकती हैं।

महोदय, भारत विविधताओं का देश है, मैं देश के पूर्वी भाग का रहने वाला हूं। मैं अपने देश की धार्मिक शिक्षाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखता हूँ। किंतु मैं बचपन से ही जानता हूं कि हमारे क्षेत्र में दुर्गापूजा एक राष्ट्रीय उत्सव की भांति मनाया जाता है। देवी दुर्गा के बारे में यह परम्परा रूप से कहना है कि उस समय संसार में कोई बुरी शक्ति थी और सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की और बुरी शक्ति के विनाश के लिए देवी दुर्गा का सृजन किया। इस बात को विस्तार से इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय भी यह अनुभव किया गया कि अंतिम शक्ति मां हैं जो सभी बुरी शक्तियों का विनाश कर सकती है। हमारी धार्मिक शिक्षाओं में ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता वैदिक युग से आज तक है। किंतु हम अपने देश में स्त्री भ्रूण हत्या के बारे में बहुत चिन्तित हैं। हम इन दो विपरीत स्थितियों में रह रहे हैं।

इस विधेयक द्वारा बनाया गया कोई भी कानून पहला कदम होगा न कि आखिरी कदम। कई सदस्यों ने लोगों में जागरूकता पैदा करने के बारे में ठीक ही कहा है। सदस्यों को इसे अपने चुनाव क्षेत्रों में तथा राज्यों में पूरी निष्ठा से उठाना चाहिये। ताकि हम इस समस्या का कुशलता से सामना कर सकें। हम लोग लड़कियों की

बाल्यवस्था में तथा जन्म के पहले ही उनकी हत्या की सामाजिक बुराई को सिर्फ कानून बनाकर या दण्ड का प्रावधान करके उन्मूलन नहीं कर सकते। यह सामाजिक बुराई हमारे समाज में व्याप्त है।

कई माननीय सदस्यों ने हमारे देश में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात के बारे में चर्चा की है। यह सच है कि सामाजिक जागरूकता के बावजूद अन्तर बढ़ता जा रहा है। यदि आप साक्षरता प्रतिशत को देखें तो यह भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ पुरूषों और महिलाओं का अन्तर बढ़ता जा रहा है। निश्चय ही हमारे लिए यह एक गम्भीर स्थिति है। हमें इसके लिए सामूहिक रूप से कुछ करना होगा।

इस विधेयक में - प्रसवपूर्ण निदान तकनीक (नियमन तथा दुरुपयोग) का निवारण विधेयक, 1991- विस्तृत रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। विधेयक की धारा 7, में केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निरीक्षण बोर्ड का उल्लेख हैं। इसमें महिला सांसदों तथा स्वयं सेवी संगठनों का प्रतिनिधित्व होगा। सरकार का विचार है कि स्वयं सेवी संगठनों और सभी सदस्यों के सक्रिय सहयोग के बिना यह कार्य नहीं किया जा सकता है। हम अपने समाज की एक बहुत बड़ी बुराई का मुकाबला करने जा रहे हैं और प्रत्येक के सहयोग, चाहे उसकी राजनीतिक और संगठनात्मक सम्बद्धता कोई भी हो, के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। इसमें सक्षम प्राधिकरण, सलाहकार समिति आदि के बारे में उपबन्ध किये गए हैं। कुई सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में चर्चा की है। केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का कार्य समाज में जन जागरूकता लाने के लिये कुछ कार्यक्रम तैयार करना है ताकि इस तरह की समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) इसको लागू राज्य ही करायेंगे, जबकि उनके प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है, केवल चार हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : इस बिल में सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड का प्रावधान है। हमने वैकल्पिक तौर पर चार लोग राज्यों के भी रखे हैं।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार, राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिये चार सदस्यों की नियुक्ति करेगी जिसमें दो वर्णमाला चक्रानुक्रम के आधार पर तथा दो उल्टी वर्णमाला के आधार पर किये जायेंगे।

[हिन्दी]

यह सेंट्रल एडवायजारी बोर्ड है उसमें हर स्टेट का प्रोपर अथारिटी होगी। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा। साथ ही वालेंटरी आर्गनाईजेशन के अलावा महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन होगा। साथ ही सैक्शन 17 हैं इसमें भी स्टेट का पार्टिसिपेशन होगा तो इसमें कोई भी डिफकल्टी नहीं होगी।

[अनुवाद]

राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई परेशानी नहीं आयगी। केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड कार्यन्वयन पर निगरानी

रखेगा। इसका कार्यक्षेत्र भी विधेयक में वर्णित है। उपयुक्त प्राधिकरण तथा सलाहकार समिति का कार्य भी विधेयक में उल्लिखित है।

इसलिये, मैं अन्य सदस्यों की बात का समर्थन करता हूँ कि यह एक अच्छी शुरूआत है। कार्यन्वयन न सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है बल्कि हम सभी की जिम्मेवारी है। इसके लिये सबसे पहले हमारे समाज में व्याप्त लड़की भ्रूणहत्या की प्रथा के खिलाफ सामाजिक जाग्रति लाना जरूरी है। एक बात या दूसरी किसी बात को सही साबित करने के लिये आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। पुरूषों और महिलाओं के अनुपात में अभी भी काफी अन्तर है। हमें इसे रोकना होगा। मैं इस संबंध में केरल सरकार को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि सिर्फ केरल में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। यदि आप उन्हें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटें तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। यह भी जीवन का सच है।

महोदय मैं उन सभी सदस्यों को जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है धन्यवाद देता हूँ और मैं संयुक्त समिति के सदस्यों का भी आभारी हूँ जिन्होंने काफी मेहनत की है। समिति ने विभिन्न संगठनों से प्राप्त 304 प्रतिवेदनों पर विचार किया और कई गुटों के मौखिक साक्ष्य भी लिए। समिति ने कई स्थानों का दौरा भी किया है। समिति ने अपनी 18 बैठकों में इस विधेयक पर व्यापक चर्चा की है। अन्ततः मैं सभी सदस्यों को, इस विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर मैंने कल भी चर्चा में भाग लिया था तथा मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। धारा 6 के संबंध में मैंने एक तकनीकी सवाल उठाया था। धारा 6 में दो प्रावधान किये गये हैं। अर्थात् क और ख जो तकरीबन एक से ही हैं। अगर यह दोनों मिला दिये जाते हैं। तो एक ही धारा होगी। मैंने एक और धारा जोड़ने का अनुरोध किया है कि सोनोलोजिस्ट की रिपोर्ट के संबंध में कुछ नियंत्रण होने चाहिये, क्योंकि यदि सोनोलोजिस्ट सामान्य भाषा में अपनी रिपोर्ट देता है कि स्क्रोटम विद्यमान है, तो वह रिपोर्ट वैज्ञानिक हो जाती है और जिसके ऊपर न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। इसलिये मैं कहता हूँ कि धारा 6 में एक और खण्ड जोड़ा जाए कि कोई भी व्यक्ति सोनोग्राफी नहीं कर सकता है जिससे लड़के या लड़की का सही तौर पर पता चल सके। मुझे मालूम नहीं है क्या आपके पास तकनीकी शब्दावली है या नहीं है ? लेकिन, मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप अपने तकनीकी सलाहकारों से परामर्श के पश्चात् इसको शामिल करने का प्रयत्न करें। मैं इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ।

इससे चिकित्सा शब्दावली तथा सोनोलोजिस्ट की रिपोर्टों में व्याप्त खमियों में से एक दूर की जा सकेगी।

श्री पवन सिंह घाटोवार : इसके लिये मैं डा. जेस्वाणी को धन्यवाद देता हूं।

मैं समझता हूं कि धारा 6 की उपधारा (क) और (ख) सभी पहलुओं की व्यवस्था करती हैं। सुपरवाइज़री बोर्ड अधिनियम के प्रभाव की जांच करेगा। जरूरत पड़ने पर सरकार ध्यान देगी और अधिनियम की पुनरीक्षा पर विचार करेगी। अभी मैं इसकी जरूरत नहीं समझता हूँ।

मैं आप सभी को संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को पास करने का अनुरोध करता हूँ।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : मुझे शंका है। यह तकनीकी मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह समझ में आया है ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : मुझे किसी भी प्रावधान के संबंध में आपत्ति नहीं है लेकिन यहां एक तकनीकी कठिनाई है।

सभापति महोदय : आप किस प्रक्रिया के अधीन यह प्रश्न पूछ रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

प्रश्न यह है कि :

"कि आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूची असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग संबंधी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निकदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंग भ्रूणवध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड – 2 परिभाषाएं

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 2, – पंक्ति 7-17 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए –

(ग) "आनुवशिंकी यूनिट" से रोगियों को अनुवंशिकी सलाह देने और इस धारा के खंड (घ) और (ङ) के अधीन यथापरिभाषित अभिहित और विनिर्दिष्ट परीक्षणों के प्रयोजन के लिए स्त्री रोग संबंधी और प्रसूति संबंधी प्रक्रियाओं को करने के लिए किसी सरकारी अस्पताल, अनुसंधान संस्था या मेडीकल कालेज से संलग्न कोई यूनिट, अभिप्रेत है ;

(घ) "अभिहित परीक्षण" से, निम्नलिखित में से कोई भी प्रसवपूर्व निदान परीक्षण, तकनीक, या प्रक्रिया अभिप्रेत है, अर्थात् :

i) उल्ब तरल परीक्षण ;

ii) जरायु-अंकुरिका जीवोतिपरीक्षा ;

iii) भ्रूण दर्शिका ;

iv) कोई भी अन्य परीक्षण, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अभिहित करें ;

(ङ) "विनिर्दिष्ट परीक्षण" से, निम्नलिखित में से कोई भी प्रसव-पूर्व निदान परीक्षण तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है, अर्थात् :

i) इस धारा के खंड (घ) के उपखंड (1) से (3) में उल्लिखित कोई भी अभिहित परीक्षण ;

ii) इस धारा के खंड (घ) के उपखंड (1) के अधीन सरकार द्वारा अभिहित परीक्षण के रूप में अधिसूचित कोई अन्य परीक्षण ;

iv) सोनोग्राफी ; और

vi) कोई अन्य परीक्षण जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।' (3)

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय निम्नलिखित के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

कुछ वर्ष पूर्व तक सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अस्पतालों में ये नैदानिक परीक्षण किये जाते थे तथा वे भ्रूण का लिंग निर्धारण भी करते थे। बाद में जब यह पता चला कि इन नैदानिक परीक्षणों का दुरुपयोग मादा भ्रूण हत्या के लिए किया जाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों ने नैदानिक परीक्षणों के साथ-साथ लिंग निर्धारण भी बंद कर दिया। ऐसा करने से, सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अस्पतालों में लिंग निर्धारण परीक्षण के दुरुपयोग का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। दूसरी ओर, हमने देखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लिंग निर्धारण परीक्षण बंद कर दिये जाने पर ऐसे निजी चिकित्सालयों की बाढ़ अपने आपको आनुवंशिकी चिकित्सालय, आनुवंशिकी एकक और आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं के नाम से पुकारते हैं।

अतः, मेरा निवेदन है कि इन आनुवंशिकी एककों, प्रयोगशाला, जिनकी संख्या में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है तथा जो विशेष रूप से इस नैदानिक परीक्षण के दुरुपयोग के लिए खोले गये हैं, के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये और इनमें से ज्यादातर को बंद किया जाए। सरकार का यही प्रयत्न होना चाहिए जबकि विधेयक में यह उपबंध है कि निजी क्षेत्र के चिकित्सालय उपयुक्त प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त कर ऐसा नैदानिक परीक्षण जारी रख सकते हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसा कि एक महिला सांसद ने कहा, इस विधेयक के अधिनियमित होने के बाद भी महाराष्ट्र के निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में इस तरह के परीक्षण जारी हैं।

इसके बावजूद, इस समस्या के समाधान के लिए मात्र लाइसेंस जारी करना ही काफी नहीं है और इसलिए, विशेष रूप से इन आनुवंशिकी परीक्षण, को, जिसे मैंने अपने संशोधन में अभिहित परीक्षण' कहा है, को भाग सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही जोड़ा जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में इसका परीक्षण बंद किया जाना चाहिए। यही मेरा संशोधन है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ वह इन यूनिटों को, जो विशेष रूप लिंग निर्धारण परीक्षण से लाभ कमाना चाहते हैं, बंद करने से क्यों कतरा रही है। मेरे विचार से यह एक समझौता है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने इस बारे में में अपनी चिंता व्यक्त की है तथा यह मामला संयुक्त समिति के समक्ष भी चर्चा के लिए आया और संयुक्त समिति ने इस पर विचार किया। अब उन्हें पंजीकृत कराना होता है तथा उनका कुछ उत्तरदायित्व है और उन्हें कुछ प्रक्रिया का पालन करना होता है। जब वे निजी क्षेत्र में पंजीकृत हैं और उनके पास ये सुविधायें उपलब्ध हैं तो जो इसके लिए योग्य हैं और ऐसे केन्द्रों को चला सकते हैं, उन्हें अलग रखने के पीछे कोई तर्क नजर नहीं आता। उन्हें अलग रखे जाने के पीछे मुझे कोई तुक नजर नहीं आता। अतः, हमने निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों को भी इसमें शामिल किया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): सभापति महोदय, उस समिति में विमति टिप्पण देने वालों में मैं भी

एक थी। वास्तव में, माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ बताया है वह काफी नहीं है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि यह व्यवस्था विशेष सरकारी संस्थानों तक ही क्यों नहीं सीमित रखी जानी चाहिए, इसका उन्होने कोई जवाब नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : वास्तव में माननीय मंत्री ने कहा है कि विधेयक के प्रत्येक खंड पर समिति द्वारा विचार किया गया। उन्होने उसी के अनुसार उत्तर दिया।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, हम सदस्य हैं और हम लोगों ने विमति टिप्पण दिया था इसलिए हम लोग इसे यहां उठा रहें है।

सभापति महोदय : अब मैं, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत खंड 2 के संशोधन संख्या 3 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड दो विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का विनयमन

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करती हूं:-

पृष्ठ- 3

पंक्ति 11 से 22 **के स्थान पर** निम्नलिखत **प्रतिस्थापित किया जाए**

(1) ''कोई भी चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति, सरकारी अस्पतालों, अनुसंधान संस्थाओं या मेडिकल कालिजों में उपलब्ध आनुवंशिकी यूनिटों के सिवाए किसी अन्य स्थान पर किसी प्रसवपूर्व निदान तकनीक का स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संपादन नहीं करेगा या संपादन नहीं करायेगा या उसके संपादन में सहायता नहीं करेगा।

(2) ऐसे सभी चिकित्सा केन्द्र जिनके पास सोनोग्राफी सहित विनिर्दिष्ट परीक्षणों के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण है या जिन्हे वे प्राप्त कर रहे हैं, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे, और उनके लिए उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए गर्भवती स्त्रियों पर किये गये ऐसे सभी परीक्षणों का रिकार्ड रखना अपेक्षित होगा।''(4)

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा पेश किये गये खंड 3 के संशाधन संख्या 4 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:-

कि खंड 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :-

कि खंड 4 से 16 विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड 17 - समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति

पृष्ठ 8,पंक्ति 27 और 28 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए -**

"(ग) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संबंधित परिवादों पर यथासंभव कम से कम समय के भीतर और 24 घंटे से पहले कार्यवाही करना जिससे अभियुक्त द्वारा साक्ष्य के हटाये जाने और मिटाये जाने को रोका जा सके।(5)"

सभापति महोदय : मैं अब श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा पेश किए गए **खंड** 17 के संशोधन संख्या 5 को मतदान के लिए रखूंगा

संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:-

कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है :-

कि खंड 18 से 22 विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 22 विधेयक में जोड दिए गए।

खंड 23 - अपराध और शास्तियां

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 6

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करती हूं :-

पृष्ठ 11 पंक्ति 35 और 36,-

"(जिसके अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जब तक कि वह ऐसी निदान तकनीकी कराने के लिए विवश न की गई हा) का लोप किया जाए। (6)

यह दंड के बारे में हैं। हम पाते हैं कि इस विधेयक में उन महिलाओं को भी दंड का प्रावधान है जो मां बनने वाली गर्भवती हैं। किंतु महिलायें समाज और अपने परिवार के दबाव में रहती हैं और उनकी शीलता के बारे मे उन के मत को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। यह उन्हें दोहरा दंड देना है इसलिए इस अन्याय को दूर करने के लिए मैने यह संशोधन पेश किया है।

सभापति महोदय :- मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा पेश किए गए खंड 23 के संशोधन 6 को मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है

कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 23 विधेयक में जोड दिया गया।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है :-

खंड 24 से 34 विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 से 34 विधेयक में जोड़ दिए।

खंड 1 - संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया

(2) पृष्ठ 1, पंक्ति 6,-

"1992", के स्थान पर

"1994", प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री पवन सिंह घाटोवार)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है

कि खंड 1, यथासंशोधित विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 यथासंशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

(1)पृष्ठ 1,पंक्ति 1,-

''तैतालीसवें'', **के स्थान पर'**

''पैतालीसवें'', **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(श्री पवन कुमार घाटोवार)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

''कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथा संशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

''कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

|अनुवाद|

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं * :-

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि विमानपत्तनों और सिविल अंतः क्षेत्रों के, जिन पर वायु परिवहन सेवाएं चलाई जाती हैं या चलाई जाने के लिए आशायित हैं, बेहतर प्रशासन और सुगठित प्रबंध के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के गठन का और इस प्रकार गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को और उसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उपक्रमों के अंतरण और निहित हो जाने और सभी वैमानिक संचार केन्द्रों तथा उनसे संबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक संसद में गत वर्ष पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक का मुख्य उद्देश्य विमानपत्तनों के प्रबंध में दोहराकरण को समाप्त करना तथा विमानपत्तनों और वैमानिक संचार सेवाओं के बेहतर प्रशासन एंव सुगठित प्रबंध के लिए हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानपत्तनों को एक प्राधिकरण के अधीन लाना है।

विमान पत्तनों पर एक बडी समस्या संगठनों की बहुयलता का होना है। स्वयं नागर विमानन में ही दो अलग प्राधिकरण अर्थात एन.ए.ए.एवं.आई.ए.ए.आई. बिल्कुल पृथक पृथक विभागों के रूप में कार्यरत हैं जिसके परिणामस्वरूप समन्वय की परिहार्य समस्या में और वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का प्रबंधन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है तथापि वहां भी हवाई यातायात नियंत्रण और वैमानिक संचार संबंधी प्रमुख कार्यों का दायित्व राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर है। इस दाहरे नियंत्रण के कारण विभाजित दायित्व की व्यवहारिक समस्या उत्पन्न होती है और परिणाम स्वरूप सेवा की गुणवत्त और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस समय प्रबंधित पांच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के अलावा 87 घरेलू विमानपत्तन तथा रक्षा विमानपत्तनों में 28 सिविल अंतः क्षेत्र हैं जिनका प्रंबंध राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अधिक से अधिक विमानपत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू किये जाने की मांग बढ़ती जा रही है। इस आकांक्षा को पूरा करने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श विमानपत्तनों की स्थापना की योजना प्रारंभ की गई है। इन आदर्श विमानपत्तनों पर सीमा शुल्क एवं आप्रवासी सुविधाएं उपलब्ध होंगी ताकि वे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय यातायात को संभाल सकें। इस प्रकार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकण द्वारा प्रबंधित विमानपत्तनों और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन आने वाले विमानपत्तनों में विभेद लंबे समय तक विद्यमान नहीं रहेगा।

इस समय दोनों प्राधिकरणों के दायित्तवों एवं स्रोतों में बीच तालमेल नहीं है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तनों के विकास और हवाई यातायात प्रबंध सेवा हेतु अधिक निवेश की आवश्यकता है परन्तु यातायात की कमी के कारण राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की राजस्व क्षमता अपर्याप्त है। दूसरी ओर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तनों पर यातायात अधिक है और इसलिए वे काफी मात्रा में अतिरिक्त धन प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार विलय के द्वारा विमानपत्तनों के समेकित विकास हेतु स्रोतों का संग्रहण एवं उपयोग अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।

इससे विमानपत्तनों, वैमानिक संचार एवं हवाई यातायात प्रबंध सेवाओं का और अधिक एकीकरण, बेहतर प्रशासन एवं सुगठित प्रबंधन हो पाएगा।

दोनों संगठनों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकसित विशेषज्ञता को इकट्ठा करके बेहतर कार्यक्षमता प्राप्त की जा सकती है। -

प्रस्तावित एकीकरण से अतिव्यप्ति से बचा जा सकेगा तथा श्रम शक्ति के बेहतर उपयोग हेतु मानव संसाधनों को इकट्ठा किया जा सकेगा। एक एकीकृत प्राधिकरण सुविधाओं के विस्तार एंव आधुनिकीकरण हेतु अपनी संयुक्त शक्ति द्वारा स्रोत ढूंढने के नए तरीके विकसित करके देश में विमानपत्तनों के संतुलित विकास हेतु साहसपूर्ण कार्यक्रम शुरू करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा।

3.32 म.प.

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासन हुई)

महोदया, मैं यह बताना चाहूंगा कि खंड 2 में एक मुद्रण की त्रुटि है। इसके लिए मैं अलग से संशोधन ला रहा हूं। केवल एक शब्द की मुद्रण त्रुटि है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

"विमानपत्तनों और सिविल अंतः क्षेत्रों के जिन पर वायु परिवहन सेवाएं चलाई जाती हैं या चलाई जाने के लिए आशयित हैं, बेहतर प्रशासन और सुगठित प्रबंध के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के गठन का और इस प्रकार गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को और उसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उपक्रमों के अंतरण और निहित हो जाने और सभी वैमानिक संचार केन्द्रों तथा उनसे संबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें विचार - विमर्श के लिए अधिक नहीं है। स्थाई समिति द्वारा विधेयक की पहले गहन जांच की जा चुकी है। यह सही दिशा में एक कदम है। **(व्यवधान)** जव भी आप उचित कार्य करते हैं हम तहेदिल से आपका समर्थन करते हैं। परंन्तु साथ ही साथ जब कभी हम किसी चीज का विरोध करतें हैं, तो आपको भी उसे सहजता से लेना चाहिए।

विषय पर आता हूं। हमारी अर्थव्यवस्था के उन्मुक्तीकरण तथा तथाकथित उदारीकरण के साथ निवेश किए जाने के अवसर पैदा हुए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एक संस्था में विलय मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आय अर्जन क्षमता अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनं प्राधिकरण की तुलना में बहुत कम है। निःसंदेह राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर यातायात प्रबलता कम है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे देश की अखंडता में नागरिक उड्डयन का परिचालन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब हम यह अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक विदेशी हमारे देश आएं तो उससे पर्यटन के विकास के प्रचुर अवसर प्राप्त होते हैं। जब वे हमारे हवाई अड्डों के माध्यम से प्रवेश पाते हैं तो यह स्वाभाविक है कि निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए वे देश की विस्तृत रूप से यात्रा करेंगे तथा पर्यटक के रूप में भी वे हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकतें हैं। परंन्तु हमारा अनुभव यह बताता

है कि हमारे हवाई अड्डों पर दी जा रही सुविधाएं बहुत कम हैं। कई मामलों में तो कुछ टर्मिनल पहले से ही चल रहे विमानों की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं।मैं मंगलौर विमानपत्तन का उदाहरण देना चाहता हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। इस समय मंगलौर और मुंबई के बीच यातायात घनत्व अर्थात् यात्रियों का बहुत आधिक्य है। प्रतिदिन तीन विमान चल रहें हैं। इसके अलावा एक और विमान मंगलौर और मद्रास के बीच बंगलौर होते हुए सप्ताह में तीन बार चल रहा है। टर्मिनल भवन इतना छोटा तथा संकुचित है कि यदि दो या दो से अधिक विमान हवाई अड्डे पर एक साथ आ जाएं तो यात्रियों के लिए बैठने का स्थान ढूंढ पाना भी कठिन होता है। हमने मंत्री महोदय से कई बार निवेदन किया, किंतु हमें वही घिसा- पिटा उत्तर मिला कि सरकार के पास धन की कमी है और विकास कार्यों को अगली पंचवर्षीय योजना में लिया जायेगा, जब तक सरकार टर्मिनलों पर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं कराती और अधिक यात्रियों तथा नए निवेश को आकर्षित नहीं कर सकते हैं और नए हवाई जहाजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिचालन की अपेक्षा नहीं कर सकती हैं।

मैं नहीं जानता कि क्या सरकार नए प्राधिकरण के गठन के बाद धवनपथों, ट्रैफिक वेज और संपूर्ण विमानपत्तन के निर्माण और रख - रखाव में निजी भागीदारी की अनुमति देगी। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस पक्ष पर उचित ध्यान देंगें।

कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि कर्नाटक सरकार ने मंगलौर विमानपत्तन में नए धवनपथ के निर्माण और रख-रखाव के लिए निवेश के लिए किसी अनिवासी भारतीय के साथ पहले ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, मैं नहीं जानता कि इसका कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा सकता है क्योंकि अब तक यह विमानपत्तन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियन्त्राधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि नए प्राधिकरण के अस्तित्व में आने पर क्या राज्य सरकार को किसी ऐसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है।

इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या राज्य सरकारें विमानपत्तनों पर विकास कार्यों में योगदान कर सकती हैं। इन दो प्राधिकरणों,निःसंदेह भारतीय अंन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय से विमानपत्तनों, वैमानिक संचार केन्द्रों और वायु यातायात सेवाओं में निकटस्थ एकीकरण, इनका बेहतर प्रशासन और सुगठित प्रबंधन का प्रावंधान किया जायेगा। विमानपत्तनों पर पर्याप्त स्थान और अन्य विशेष आकर्षण जैसी सुविधाओं को प्रदान करने से कारोबार के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से काफी वृद्धि होगी।

सिंगापुर विमानपत्तन को देखिये। यद्यपि यह छोटा देश है किंतु सिंगापुर अंन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हमारे देश के किसी भी विमानपत्तन से बड़ा है। उस विमानपत्तन पर आने वाले हवाई जहाजों की संख्या, वहां पर किए जाने वाले कारोबार की मात्रा और परिवहन सेवाएं उस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चूंकि हमने खुला आकाश नीति अपनायी है जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। इसी प्रकार भारत में भी ऐसी सुविधाओं की जरूरत हैं। तब ही हम यहां पर कुछ अच्छा व्यापार करने की सोच सकते हैं। इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तेजी से उपाय किये जाने चाहिए।

इस विधेयक को 1993 में तैयार किया गया था। तब यह काफी लंबे समय तक राज्य सभा में पड़ा रहा। उसके बाद स्थायी समिति का गठन किया गया और नियमानुसार स्वाभाविक रूप से विधेयक को स्थायी समिति को सौंपा गया, स्थायी समिति ने भी अपना प्रतिवेदन काफी पहले दे दी थी। किंतु मैं नहीं जानता कि किस कारण

से सरकार ने सोचा कि नए प्राधिकरण का गठन शीघ्रता से न किया जाए। निःसंदेह इन दोनों प्राधिकरणों की संपतियों को नए प्राधिकरण में निहित किए जाने का प्रावधान है और साथ-साथ इन दोनों प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा की होगी। इसके बाद उन्हें नए प्राधिकरण का कर्मचारी माना जाएगा।

विधेयक में नए प्राधिकरण द्वारा इसके बाद कर्मचारियों को भर्ती करने का उपबंध किया गया है। कई बार यात्री हवाई जहाज में सवार होने के बाद सुरक्षित उतरना चाहते हैं किंतु वे पाते हैं कि वायु यातायात नियंत्रण प्रबंध जैसे महत्वपर्ण क्षेत्र द्वारा अप्रत्याशित हड़ताल के कारण हवाई जहाज उतर नहीं पाता है। जिसका कारण वे ही अच्छी तरह जानते है वे अचानक हड़ताल करने का निर्णय लेते हैं और यात्रियों को घंटों तक हवाई जहाज के अन्दर बैठने के लिए बाध्य करते हैं उन्हें ताजी हवा लेने के लिए बाहर आने भी नहीं देते हैं।

हमने इस समस्या का सामना कई बार किया है इसलिए यह सलाह दी जाती है कि कम से कम इस क्षेत्र को आवश्यक सेवा माने जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

सरकार ने इस विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को अच्छा वेतन, बेहतर सेवा शर्तें प्रदान करने के लिए उपबंध किया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दे कि वे भी विमानपत्तनों और नागरिक विमानन सुविधाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को समान और बेहतर सेवाएं प्रदान करें।

यह एक प्रमुख विभाग है। कई बार वे लोग जो इस विभाग के प्रभारी हैं तथा इन सुविधाओं का संचालन तथा नियन्त्रण कर रहे हैं, लोगों की जिन्दगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। माल को गन्तव्य स्थान पर अधिक तेजी से तथा जल्दी भेजने के लिये लोग वायुयान द्वारा भेजना अच्छा समझते हैं. अगर उनको इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो इसका कोई फायदा नहीं है तथा स्वाभावतः लोग दूसरे यातायात के साधनों का प्रयोग करने लगेंगे। इन सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

मैं नहीं जानता कि मंत्री जी ने हमें इन विमानपत्तन प्राधिकरणों की सही स्थिति की सूचना नहीं दी है। लेकिन एक संकेत दिया गया है। कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास काफी साधन उपलब्ध हैं जबकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण साधनों की कमी महसूस कर रहा है। आगामी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित पूंजी निवेश 3000 करोड़ रुपये होगा जबकि सातवीं योजना में सिर्फ 1566 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह उम्मीद करती है कि एक प्राधिकरण बनने के पश्चात् उनकी आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ जायगी ? इसकी कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। इसको सरकार किस प्रकार करने जा रही है ? सरकार एक प्राधिकरण का गठन करने से उसकी आमदनी किस प्रकार बढ़ाने जा रही है ? मैं जानता हूं कि एक प्राधिकरण के गठन के पश्चात् यदि सरकार सभी भारतीय हवाईअड्डों पर तत्काल पूंजी-निवेश करके बेह सुविधाओं की व्यवस्था कर सके तो वह निश्चित रूप से ज्यादा सामान, तथा यात्रियों को आकर्षित के आमदनी बढ़ा सकती है। मेरा विचार है कि पूंजी निवेश किये बिना सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण का विलय करके दोनों प्राधिकरणों के कार्यचालन के लिए एक नया प्राधिकरण गठित कर देने से ऊंचे उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

सरकार को ऐसे किसी स्रोत का पता भी लगाना होगा जहाँ से पूंजी निवेश प्राप्त हो सके। इसलिये म

सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या हवाईअड्डों के विकास हेतु निजी क्षेत्र को सहभागिता के लिये निमन्त्रित करने का कोई प्रस्ताव है। नये प्राधिकरण अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से पूंजी निवेश किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वायु यातायात नियंत्रण तथा माल उठा धराई सुविधाओं की व्यवस्था का कार्य निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ निजी व्यक्ति पर्यटकों को तथा टर्मिनल इमारतों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य बेहतर ढंग से कर सकते हैं ताकि कम से कम टर्मिनल इमारतों में अच्छी चाय व काफी मिल सके। इस समय हम लोगों को काफी महंगी चाय या काफी का कप लेना पड़ता है :- कभी कभी चाय व काफी के एक कप के लिये 10 या 15 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं लेकिन वह भी अच्छी नहीं होती है। वर्तमान सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। इसलिये इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। सरकार अगर बेहतर एयर - टैक्सी सेवाओं का प्रावधान करती है तो यात्रियों का ध्यान भी रखा जाना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में कदम उठायेगी तथा सम्पूर्ण प्रक्रियाएं तेजी लाने के साथ साथ पूंजी निवेश के लिये धन की व्यवस्था करेगी। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब तक नया पूंजी निवेश नहीं किया जाता है तब तक आमदनी नहीं बढ़ सकती है। इसलिये सरकार को नए पूंजी निवेश तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये साधनों की व्यवस्था करनी होगी तभी आमदनी बढ़ेगी तथा प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं।

मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि अधिकाधिक राष्ट्रीय विमानपत्तनों को अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किये जाने की मांग की जाती रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मंगलौर एक बड़े विमानपत्तन के रूप में उभर सकता है। आप मुझे स्वार्थी कह सकते हैं लेकिन आप जानते हैं कि मंगलौर विमानपत्तन एक अच्छे केन्द्र के रूप में उभर सकता है। यदि सरकार मंगलौर और मध्य-पूर्व के देशों के बीच सीधी विमान सेवा उपलब्ध करा दे तो उससे मध्य-पूर्व देशों में कार्य कर रहे काफी लोगों को लाभ होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जब भारत के विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया था। इसका फायदा उठाकर इस क्षेत्र के काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति मध्य-पूर्व के देशों में नौकरियां पा सके थे। मंगलौर से खाड़ी के देशों के लिए उड़ान काफी नजदीक होगी। इससे लोगों को पहले मुंबई और फिर वहां से खाड़ी के देशों के लिए उड़ान लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

मंगलौर में सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। करीब चार या पांच वर्ष पूर्व मंगलौर में एक अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने के उद्देश्य से काफी जमीन अधिग्रहीत की गयी थी। लेकिन अब वह जमीन खाली पड़ी है। बाद में, वह जमीन राष्ट्रीय ताप विधुत निगम को ताप विधुत परियोजना स्थापित करने के लिए दी गयी। राष्ट्रीय ताप विधुत निगम के पास भी कोई पैसा नहीं है। वह भूमि अब भी खाली पड़ी है। अब भी, विमानपत्तन प्राधिकरण - नागर विमान विभाग - मंगलौर में, जहां पर जमीन उपलब्ध है, अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण करने संबंधी संभावना की जांच कर सकती है जिससे कि प्रस्तावित योजना हेतु धन में बढ़ोतरी की जा सके और मंगलौर से खाड़ी के देशों के बीच सीधी सेवा स्थापित की जा सके।

इस सुझाव के साथ ही मैं एक बार फिर संबंध मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह इन सभी सुझावों पर विचार करें। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं एक बार पुनः उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सपने को साकार करने के लिए जल्द कार्यवाही करें।

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम): महोदया, यह एक अनूठा सरकारी विधान है। जिसे पूरे सभा का समर्थन प्राप्त है। यह इस बात का द्योतक है कि इस देश के लोग नागर विमानन विकास में रूचि रखतें हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक ही प्राधिकरण के अन्तगर्त लाएगा। इस विधेयक के सभा में पुरःस्थापित होने के पूर्व सभा के अन्दर और बाहर इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन, जो पांच अंतराष्ट्रीय विमानपत्तनों अर्थात दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम, की देख रेख कर रहा है, के पास अतिरिक्त धन उपलब्ध है जबकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो 87 छोटे और मध्यम विमान पत्तनों और 27 अंतः क्षेत्रों की देख-रेख कर रहा है के पास धन की कमी है। अतः, इन दोनों प्राधिकरणों को एक प्राधिकरण के अन्दर लाने से हम दोनों प्राधिकरणों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा सकेंगे तथा सरकार की नई उदारवादी आर्थिक व्यवस्था तथा खुली आकाश नीति को भी सफलतापूर्वक लागू कर सकतें है।

महोदय, जब यह विधेयक अधिनियमित किया गया तब सरकार ने आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये। इस संबंध में मैं विधेयक के पृष्ठ 3 खंड (3), का उल्लेख करना चाहूंगा जहां प्राधिकरण के गठन का उल्लेख किया गया है। दुर्भाग्यवश, सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम और निगम इसमें बुरी तरह असफल रहे क्योंकि इन संगठनों का नेतृत्व करने वाले लोगों के पास इन संगठनों के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं होता और उन्हें यह पद राजनैतिक दबाव और प्रभाव के कारण प्राप्त होता है। सौभाग्य से, इस प्राधिकरण के लिए, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, और मैं विधेयक के खंड 3, उपखंड (5) का उल्लेख करना चाहता हूं :

''उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा, जिन्हें वायु परिवहन या अन्य परिवहन सेवाओं, उद्योग, वाणिज्यिक या वित्तीय विषयों तथा प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव हो तथा ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा, जो श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हों।

मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इन संगठनों में उपभोक्ताओं तथा प्राधिकरण और विमान सेवा के कर्मचारियों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए विशेष रूचि दिखाई है

महोदया, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। खुला आकाश नीति को लागू करने के पश्चात् हमारा आकाश तथा विमानपत्तन हवाई यातायात के कारण अवरूद्ध हो गया है। सौभाग्यवश, सरकार और नागर विमानन मंत्रालय ने इस बात के लिए अत्यधिक कोशिश की है कि सभी काम सुसंगठित ढंग से हों। सुरक्षा को सर्वोपरी महत्व दिया गया है। लेकिन हमें और भी सावधान रहना होगा। यदि आप देश के पांच अंतराष्ट्रीय विमानपत्तनों को देखें तो आप पाएंगे कि जो भी लोग हवाई अड्डे पर, या तो यात्रियों का स्वागत करने अथवा उन्हें छोड़ने आते हैं उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती और उन्हें तेज धूप में अथवा भारी वर्षा में समय व्यतीत करना पड़ता है। आप जहां कहीं भी जायें, चाहे यह मद्रास हो अथवा दिल्ली, आप पाएंगे कि जो लोग यात्रियों का स्वागत करने अथवा उन्हें विदा करने आते हैं उन्हें बैठने के लिए उचित जगह नहीं मिल पाती। जब कभी भी आप नये विमानपत्तन की योजना बनाते हैं अथवा विद्यमान विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करते हैं तो कृपया आप इस

बात को ध्यान में रखें कि जो लोग यात्रियों का स्वागत करने अथवा उन्हें विदा करने आते हैं उनके लिए बैठने की कुछ व्यवस्था हो।

4.00 म. प.

इसी तरह, आगमन कक्ष और प्रस्थान कक्ष में स्वयं यात्रियों को बैठने की दिक्कत रहती है। यात्री कक्ष में बैठने की जगह पर्याप्त नहीं रहती। अतः यात्रियों के लिए इन सभी सुविधाओं का पर्याप्त आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

जब भी हम हवाई अड्डे पर जाते हैं तो हमें कर देना पड़ता है परन्तु इसके लिए वहां कोई आधुनिक वेंडिग मशीन नहीं होती। कर अदा करने में काफी समय व्यतीत हो जाता है जो लोग हवाई अड्डे पर आते हैं उन्हें आधुनिक संचार और प्रेषण सुविधाओं से लैस व्यावसायिक कन्द्र की आवश्यकता होती है। हमारे पास ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। अतः जब आप नागर विमानन उद्योग का आधुनिकीकरण करें, जब खुला आकाश नीति अपनायें तो आप इन समस्त संरचना का आधुनिकीकरण करें।

संचार पद्धति के लिए भी यही वास्तविकता है। हम देखते हैं कि भारी वर्षा अथवा सर्दी के मौसम में ज्यादातर उड़ानों में विलम्ब होता है। हमारे पास आधुनिक रड़ार प्रणाली का न होना ही इसका मुख्य कारण है। हमारे पास एक ऐसी रड़ार प्रणाली होनी चाहिए जिसकी मदद से हम हर मौसम में समय से उड़ान भर सकें। सुबह 5 से 10 मिनट के विलम्ब से ही शाम को 1 से 2 घंटों का विलम्ब हो जाता है क्योंकि इससे हमारी समस्त प्रणाली प्रभावित होती है। अतः नागर विमानन उद्योग को नियमित करने के लिए हमें आधुनिक उपकरण अपनाने होंगे।

कोची विमानपत्तन के विकास में केरल के लोगों की भागीदारी के संबंध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हम लोगों ने मुख्यतः लोगों की सहायता से एक अंतराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए न तो हमें केन्द्र से और न ही राज्य सरकार से वितीय सहायता प्राप्त हो रही है। हमें नागर विमानन मंत्रालय से केवल तकनीक सहायता प्राप्त हो रही है किन्तु, लोगों ने एक सहकारी समिति बनाकर जिसका सभापति मुख्य मंत्री है,आगे आये और 21 अगस्त को एक आधुनिक हवाई अड्डे के निर्माण हेतु शिलान्यास किया है। इस समारोह में शामिल होने के लिए हम माननीय मंत्री महोदय को आमंत्रित करते हैं।

इसी तरह, कालीकट की हवाई पट्टी को बढ़ाने और मजबूत करने हेतु कालीकट के लोग भी आगे आये और इसके लिए उन्होंने पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराया। यह नागर विमानन उद्योग के विकास में हमारे लोगों की रूचि को दर्शाता है।

महोदया, मैं समझता हूं कि इस विधान को लाने से देश में नागर विमानन उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब भी वह नागर विमानन उद्योग के बारे में सोचें तो वह अगले सौ वर्षों को ध्यान में रखकर सोंचें। जब आप रड़ार प्रणाली के बारे में सोंचे तो आप आगे सौ वर्षों को ध्यान में रखकर सोचें। आपको एक ऐसे उद्योग के बारे में सोचना है जिसमें बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है और आने वाले समय में यह एक ऐसा उद्योग होगा जो हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यटन के विकास में सहायक सिद्ध

होगा। अतः मेरा विचार है कि इस विधेयक को पारित करने से नागर विमानन मंत्रालय को नया बल मिलेगा तथा जिसके फलस्वरूप वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोनों को, आधुनिक और सुदृढ़ किया जा सकेगा जो किसी भी विदेशी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के समतुल्य होंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी(दमदम) : महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे इस विधेयक से कुछ परेशानी है। क्या इस विधेयक के बारे में जो कहा गया है उससे कुछ अधिक इस में है और क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय बताये गए कारणों से ही किया जा रहा है ? पहले मैं बताये गए कारण के बारें में बात करता हूं।

जो कारण बताया गया है वह यह है कि घाटे वाले क्षेत्र का लाभ कमाने वाले क्षेत्र के साथ विलय किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण घाटा उठाने वाला क्षेत्र है। अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण लाभ कमाने वाला क्षेत्र है। हमने उनका विलय इसलिए किया कि कोई हानि उठाने वाला क्षेत्र न रहे। यदि ऐसा है तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अन्य क्षेत्रों में भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी (आई. आई. एस.को) को जैसी घाटा उठाने वाली इकाई को लाभ कमाने वाली इकाई भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड़ के साथ विलय क्यों नहीं किया गया। इसलिए मेरे मन में शंका पैदा होती है कि विलय का कारण यहां बताये गये कारण से अलग है। यदि सरकारी क्षेत्र के लिए यह दृष्टिकोण है अर्थात यदि घाटा उठाने वाली और लाभ कमाने वाली इकाईयां है तो पूरी व्यवस्था को जीवनक्षम बनाने के लिए इनका विलय किया जाना चाहिए। विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में ऐसा कहा गया है किन्तु इस्पात के क्षेत्र में जैसा मैने कहा है ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। मेरे मन में एक शंका है। वह शंका यह है कि इस सब के अलावा घाटा हो क्यों रहा है। इस तथ्य का खुले रूप से सामना करना चाहिये। जनसंख्या के बहुत ही नगण्य भाग, नगण्य दूसरे अर्थ में न कि संख्यात्मक, के लिए हवाई यात्रा एक आवश्यकता है। हवाई यात्रा करने वालों का प्रतिशत एक प्रतिशत से भी कम है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : संसद सदस्यों के अलावा ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जो लोग हवाई यात्रा नहीं करते हैं और आयकर दाता हैं वे सभी आयकर दाता भी हवाई यात्रा नहीं कर पाते वे मात्र एक प्रतिशत हैं। सभी आयकर दाता भी हवाई यात्रा नहीं कर पाते। कुछ क्षेत्रों में जो लोग आयकर नहीं देते है आवश्यकता के कारण उन्हें हवाई यात्रा करनी पड़ती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम के लोगों का उदाहरण ले लीजिये। इसलिए इस एक प्रतिशत में जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा आता है। जहां तक हमारे राष्ट्रीय विमानपत्तनों का संबंध है हम अधिभार क्यों नहीं लगाते ? यदि हम ऐसा करें तो विमानपत्तनों को नुकसान न हो। उन लोगों की खातिर हम नुकसान क्यों उठायें ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से हम जनसंख्या के उस छोटे भाग को आर्थिक सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं, अब सरकार कहती है कि अंतराष्ट्रीय विमानपत्तनों का राष्ट्रीय विमानपत्तनों के साथ विलय करके वह उन लागों को अच्छी तरह से आर्थिक सहायता देने सें सक्षम होगी। इस प्रकार का तर्क यहां दिया जा रहा है। मुझे शंका है कि इसके पीछे कुछ और कारण भी है। मेरे मत में यह प्रश्न दो कारणों से उठा। हाल ही में हवाई यात्रा के किरायों में वृद्धि की गई है। यह बहुत रूचिकर है। लंबी दूरी की यात्रा के किराये में

10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लेह तथा मिजोरम का उदाहरण लीजिये। उन लोगों को आवश्यक रूप से हवाई यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि वहां पर यात्रा का दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है। यहां किराये में सोलह प्रतिशत या बीस प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। धनी लोग समान्यतया हवाई यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में किराये में दस प्रतिशत की वृद्धि अर्थात लंबी दूरी की मात्रा में किराये में दस प्रतिशत की वृद्धि बहुत कम है। मुझे आशंका है कि अब केवल निजी एयर टैक्सियों को इन मार्गों पर चलाये जाने के लिये कहा जा रहा है। अब उन्हें न केवल लंबे मार्गों पर अपितु छोटे मार्गों पर चलाये जाने के लिए भी कहा जा रहा है। और जब तक हवाई यात्रा किराये में वृद्धि नहीं की जाती वे उस दिशा में आकर्षित नहीं होंगे। उसी प्रकार घाटे के नाम पर विमानपत्तनों की लंबे समय से उपेक्षा की जा रही थी, उनका उपयोग निजी क्षेत्र की वायु सेवायें करेंगी। वायुदूत सेवा को समाप्त कर दिया गया है। निजी क्षेत्र की वायु सेवाओं को इन क्षेत्रों में अपने विमान चलाने के लिए कहा जा रहा है। यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र की खातिर ऐसे विमानपत्तनों का सुधार किया जाना चाहिए और इसलिए लंबे मार्गों के लाभ का प्रवाह छोटे मार्गों और राष्ट्रीय विमानपत्तनों की ओर होना चाहिए। ये चिन्ता के विषय हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार और माननीय मंत्री महोदय ने इस स्थिति पर विचार किया है। मंत्री महोदय को इन बातों का उत्तर देना पड़ेगा।

मेरे पास दो प्रस्ताव हैं। पहला यह है कि महानगरीय विमानपत्तनों और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर प्रभारों में वृद्धि की जाए जिससे सरकार इन्हें सब्सिडी न दे। सरकार ने सब्सिडी देने से मना किया है। प्रत्येक वर्ष बजट भाषण में कहा जाता है कि हमें खाद्यान्नों और उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देनी है। किन्तु पर्दे के पीछे सरकार धनी व्यक्तियों को हवाई यात्रा में सब्सिडी देते हैं और इसका कोई उल्लेख नहीं करता, अतः यह एक सुझाव है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

अब मैं विलय की समस्या पर आता हूं। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा है कि विधेयक में उपबंध किया गया है कि बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ऐसे लोग होंगे जो संगठनों कर्मचारियों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हों। बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा। अब मेरे पास मंत्री महोदय विचार करने के लिए कुछ बहुत ठोस सुझाव हैं। उपबंध में कहा गया है कि बोर्ड में सभापति के अलावा प्रतिनिधियों की संख्या आठ से कम नहीं होगी और 14 से अधिक होगी। न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या में छः का अन्तर है। न्यूनतम सदस्य संख्या आठ और अधिकतम 14 है। अब मैं साधारण प्रस्ताव रखता हूं। सबसे अधिक उपभोक्ता संसद सदस्य हैं। सरकार की नई योजना के अन्तर्गत हम में से कुछ संसद सदस्य या अधिकतर संसद सदस्य कई बार हवाई यात्रा कर सकते हैं। . . . . **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : मुफ्त यात्री . . **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : फिर भी वे यात्री हैं। अन्य प्राधिकरणों और बोर्डों की तरह इस बोर्ड में भी दो प्रतिनिधि लोक सभा से और एक प्रतिनिधि राज्य सभा से होने चाहिए। विधेयक में सुस्पष्ट प्रावधान होना चाहिए कि प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी संगठनों का एक प्रतिनिधि बोर्ड में होगा। यहां तक कि प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव भी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आठ से 14 सदस्यों के बीच 6 लोगों को सम्मिलित करने की गुंजाइश है। उनमें से तीन स्थान संसद सदस्यों द्वारा भरे जा सकते हैं और अन्य तीन विमानपत्तन प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जा सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : श्रमिक नेता नहीं . . **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कर्मचारियों के हित में बोर्ड में बिरला के प्रतिनिधि को ले सकते हैं। आपका दृष्टिकोण यह है। मेरे विचार से जो व्यक्ति विमानपत्तनों पर दैनिक क्रियाकलापों को करता है, बोर्ड में कर्मचारियों का होना चाहिए।

मैं बोर्ड के कार्यकलापों और अन्य बातों पर भी कहूंगा, मैं एक अन्य सुझाव भी दूंगा। भारतीय सरकार, रिजर्व बैंक आदि केन्द्रीय संगठनों की तरह क्यों नहीं स्थानीय बोर्डों का गठन करती ? आरंभ करने के लिए ही सही सरकार पूर्व पांच मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के लिए स्थानीय बोर्डों का गठन क्यों नहीं करती ?

स्थानीय बोर्डों में राज्यों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करें। इस बारे में थोड़ी देर बताऊंगा कि यह क्यों आवश्यक है। किंतु मेरा सुझाव है कि सरकार को पांच मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के लिए स्थानीय बोर्डों का गठन करना चाहिए।

मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने केरल में स्वैच्छिक भागीदारी के अनुभव के बारे में बताया, इसलिए प्रत्येक विमानपतन के लिए एक स्थानीय बोर्ड होना चाहिए, चाहे वह परामर्शदात्री हो। उदाहरणार्थ, कलकत्ता विमानपतन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। मुझे इसके बोर्ड में होना चाहिए .... **(व्यवधान)**

सभी विमानपतनों के स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत कुछ विधान सभा सदस्य और कुछ विधान सभा क्षेत्र आते हैं। यह नगरपालिका हो सकती है जिसमें संसद सदस्य हों। किंतु स्थानीय बोर्डों में राज्य के प्रतिनिधि, विधान मंडल के प्रतिनिधि, नगर पालिका के प्रतिनिधि आदि होने चाहिए। देश में 87 विमानपत्तन हैं।बोर्डों में इनके प्रतिनिधि होने चाहिए।मैं इस सुझाव को रचनात्मक भावना से दे रहा हूं और ये सुझाव विमानपत्तनों की कई समस्याओं का हल कर देंगे। उन पर मैं बाद में बोलूंगा।

4.18 म.प.

(श्री पी. सी. चाक्को पीठासन हुए)

मेरे पास एक और सुझाव है। मैंने आपके सामने एक समस्या रखी है, मैं नहीं जानता कि आप इसे किस रूप में लेते हैं। कोई भी विलय-मैंने अपने जीवनकाल में कई विलय देखे हैं। जब मैं कर्मचारी था मैंने कर्मचारियों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता सूची की समस्या उठाई थी।मैं नहीं जानता हूँ कि यह कैसे ठीक किया जायेगा।लेकिन किसी भी स्तर पर पदोन्नति का एक चैनल जरूर होना चाहिये। सरकार को आपसी वरिष्ठता की समस्या को सुलझाना होगा। इसके लिये आपको मजदूर संगठनों से भी परामर्श करना होगा। सभी मजदूर संगठन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्य करते हैं। कलकत्ता में भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विमानपतन प्राधिकरण दोनों हैं। इसलिये सरकार से अनुरोध है कि वह आपसी वरिष्टता की समस्याओं को सुलझाने के लिये परामर्श करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो समस्याएं इंडियन एयरलाइंस के मुकाबले वायुदूत में सामने आई हैं इस मामले में भी वे ही समस्यायें सामने आयेंगीं।

इन विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के संबंध में इन प्राधिकरणों के क्या कृत्य हैं ? कृपया अध्याय तीन को देखें। सम्भवतः आप जानते हों लेकिन मुझे पक्का नहीं है कि आप जानते हैं।इन विमानपत्तन प्राधिकरणों का

कार्य धावनपथों, टैक्सीवे, एपरोन, टर्मिनलों तथा हवाई अड्डों और नागरिक परिक्षेत्र की सहायक इमारतों का रखरखाव है। क्या सरकार जानती है कि टैक्सीवे का रखरखाव सीधे न केवल विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा बल्कि ठेके के मज़दूरों द्वारा भी किया जाता है ? विमान दुर्घटनायें न हों, इसके लिए पक्षियों को भगाने का जटिल कार्य भी सीधे प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाता बल्कि ठेके के मज़दूरों द्वारा किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद कि ठेके के मज़दूरों को उनके समकक्ष कार्य के लिये वही वेतन तथा भत्ते दिये जाने चाहिये जो कि प्राधिकरण के कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठेके के मज़दूर चाहे वे कृषि मज़दूर हों या नगरों में हाथ का करने वाले मज़दूर, उनको राज्य स्तर पर निर्धारित न्यूनतम वेतन ही दिया जा रहा है।

कलकत्ता हवाईअड्डे पर कर्मचारी तथा ठेका मज़दूर के तौर पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं लेकिन उनके मामले में न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ? सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसा कि मैने कहा, टैक्सीवे, टर्मिनल उन सभी सहायक इमारतों के रखरखाव का काम जहां कर्मचारी काम करते हैं सभी ठेका मज़दूरों द्वारा किया जाता है। मैं जानता हूं कि सरकार इसके खिलाफ है। मैं नहीं जानता कि क्या आप मंत्री जी को ठेका मज़दूरों को हटाने के लिये राजी कर पायंगें लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक उनको वही वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिये जो कि प्राधिकरणों के स्थायी कर्मचारियों को मिलती हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि ठेका मज़दूर किसी उदारता के कारण नहीं बल्कि अपने आंदोलनों व कोशिशों की वजह से ही भविष्यनिधि तथा कर्मचारी बीमा सेवा सुविधाएं पा सके हैं।मैं इन सब चीजों की तरफ मंत्री जी का ध्यान इसलिये आकर्षित कर रहा हू क्योंकि मैं उन्हें मज़दरों के खिलाफ नहीं मानता हूं। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं जो मैं पहले देना भूल गया था। मैं चाहता हू कि बोर्ड में आई. टी. डी. सी. का एक प्रतिनिधि होना चाहियं। आई. टी. डी. सी. के किसी वरिष्ठ अधिकारी को बोर्ड में होना चाहियें क्योंकि निजी क्षेत्र को सोंपी गई ट्रेन यात्राओं के अलावा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये हवाई यात्राएं भी महत्वपूर्ण हैं तथा इसलिये आई. टी. डी. सी. के लोगों की सोच बोर्ड के प्रबंधन में अति महत्वपूर्ण रहेगी। आई. टी. डी. सी. का नाम लेने का एक और कारण भी है। पृष्ठ 6 पर कहा गया है कि होटलों तथा रेस्टोरेन्टस आदि को चलाना विमानपत्तन प्राधिकरण का कार्य है। सरकार ने क्यों निर्णय लिया है कि आई. टी. डी. सी. द्वारा अच्छी तरह से चलाये जा रहे रेस्टोरेन्टस को निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिये? मैं जानता हू कि कलकत्ता के नई टर्मिनल इमारत का रेस्टोरेंट जो कि आई. टीं. डी. सी. द्वारा अच्छी तरह से चलाया जा रहा है ओबराय को देने का निर्णय हो गया है। यह इतना सीधा-सच्वा नहीं है तथा उसके पीछे एक कहानी है। शुरू में आई.टी.डी.सी. के रेस्टोरेंटस विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चालू किये गये थे और वहां आई.टी.डी.सी. के लोगों को लगाया गया था लेकिन अब ये लोग निकाले जाने वाले हैं क्योंकि नए अन्तर्देशीय टर्मिनल का ठेका ओबराय को दिया जाने वाला है जबकि पुराना टर्मिनल सिर्फ विदेशी हवाई यात्राओं के लिए प्रयोग किया जायेगा जो कि बहुत कम है।मैं नहीं जानता हूं कि यह कदम जान बूझकर उठाया जा रहा है या अनजाने में। मै आपको सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने का दोषी नहीं ठहराता हूं लेकिन यह सब हो रहा है। हानि उठाने वाले किसी

हवाई अड्डे को लाभ अर्जन वाले हवाई अड्डे में बदलने की कोशिश में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिंकरणों का विलय करके आप आई. टी. डी. सी. को हानि उठाने वाला उपक्रम बना देगें। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि जहां कहीं भी आई. टी. डी. सी. की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां रेस्टोरेन्टस को सिर्फ उनको दिया जायगा तथा बोर्ड में आई. टी. डी. सी. का प्रतिनिधि भी होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे लोग आपका ध्यान उस ओर से हटायें।

एक माननीय सदस्य : वह तो आपका समर्थन कर रहें हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं कई और सवाल उठाना चाहता हूं। मैं कलकत्ता हवाई अड्डे के साथ नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूं। इसलिये, मैं कहना चाहता हूं कि विमानपत्तन प्राधिकरण को स्थानीय लोगों से जुड़ा होना चाहिये। नई टर्मिनल की इमारत का नाम नेताजी के नाम पर रखने के संबंध में पश्चिम बंगाल के शिष्टमंडल ने मंत्री जी से मुलाकात की थी और इस मामले में मैं मंत्रीजी का स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। इस नई इमारत को जून में इस्तेमाल के लिये खोला जांना था लेकिन खोली नहीं जा सकी। मैं जानना चाहता हूं इसका क्या कारण है ? कई महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहें हैं जैसे औद्योगिक विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आदि।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या वहां ऐरोब्रिज बनाएं जायेंगें ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हां, ऐरोब्रिज बनाए जायेंगें।

वे नई इमारत को चालू नहीं कर रहें है। क्या आप जानते हैं इसे किस कारण से नहीं खोला जा रहा है ? वहां पर एक निजी क्षेत्र का बस टर्मिनल है। निदेशक का कहना है कि जब तक इस निजी क्षेत्र के बस टर्मिनल को हटाया नहीं जाता है वे टर्मिनल इमारत को चालू नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले सिर्फ राज्य परिवहन की बसें ही शहर में चलती थीं और हवाई अड्डे तक जाती थीं। निदेशक का कहना है कि उन्होंने राज्य परिवहन को जगह देने का आश्वासन दिया हुआ है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिक परिवहन निजी क्षेत्र को दे दिया गया है निदेशक ने जगह देने से मना कर दिया है तथा इसलिये ही पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कलकत्ता के बीच समस्या उत्पन्न हो गई है।

एक और समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हवाईअड्डे के आसपास काफी खाली जगह है। कुछ जगह का इस्तेमाल कई प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है। अभी हाल में एक विनियमन हुआ है कि एक क्षेत्र विशेष जो विमानपत्तन से कुछ ही दूरी पर है और उस सब के बावजूद वह विमानपत्तन प्राधिकरण की सम्पति है, उसका प्रयोग पिछले 60-70-80 साल से खेल के मैदान के रूप में किया जा रहा है। आप इसे उन्ही को क्यों नहीं दे देते ? जब तक आप स्थानीय लोगों के साथ परस्पर तालमेल नहीं बढ़ाते तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। अगर यह सब नहीं होता है तो स्थानीय लोग और कठिनाईयां पैदा करेगें।

मैं विमानपत्तन प्राधिकारियों की एक और समस्या का उल्लेख करूंगा। मैं हवाई अड्डे के बहुत पास रहता हूं। वहां एक विनयमन लागू है कि हवाई अड्डे की परिधि में अगर कोई मकान और इमारत बनाना चाहता है तो उसे हवाईपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। मैने कुछ ऐसे प्रमाणपत्र देखें हैं। अगर इन प्रावधानों

का पालन नहीं किया जाता है तो हवाईपत्तन प्राधिकरण इन इमारतों को गिरा सकता है लेकिन यह क्यों नहीं हो रहा है ? यह हवाई उड़ानों के लिये खतरनाक है। ऊंची - ऊंची इमारतें अनापत्ति प्रमाणपत्रों के बिना या उनकी प्राप्ति के बाद बन रही है और हवाईपत्तन प्राधिकरण कुछ भी नहीं कर रहा है जिससे हवाई जहाजों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के जीवन को खतरा हो सकता है। ऊंची इमारतों के साथ पक्षी हवाईअड्डों के लिये खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। पक्षीयों के लिये ठेका मज़दूर हैं तथा इमारतों के लिये निदेशक है जो कार्य नहीं करता है।

इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार स्थानीय सहयोग प्राप्त करे। इसीलिये मैने कहा कि स्थानीय बोर्ड इन समस्याओं को आसानी से सुलझा सकता है।

मैं एक या दो आंशकाओं को जाहिर करने के पश्चात् अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उस पक्ष का सुझाव है कि वर्तमान उदारीकरण नाम मात्र का है क्योंकि वो लोग निजी क्षेत्र तथा विदेशी पूंजी का पूर्णतः स्वागत करते हैं। मुझे आशंका है कि प्रथमतः राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक कम्पनी के रूप में प्राधिकरण के स्थान पर बदला जायगा जिसको 49 प्रतिशत शेयर जारी करने तथा 28 प्रतिशत विदेशी पूंजी प्राप्त का अधिकार रहेगा।

[अनुवाद]

आप इसे नकार सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? क्योंकि बंगलौर विमानपत्तन न तो राष्ट्रीय और न ही अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित है, अपितु यह एच. ए. एल. से संबद्ध है। वहां एक नया विमानपत्तन बनाया जा रहा है। वह किससे संबद्ध होगा ? यह निजी क्षेत्र में है अथवा विदेशी क्षेत्र में ?

इस प्रकार आज वैयक्तिक क्षेत्र में जहां अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा संभव है, आप निजी क्षेत्र में एक विमानपत्तन खोल रहे हैं। क्या यह संपूर्ण राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निजी और विदेशी क्षेत्र के हाथों में सौंपने की दिशा में पहला कदम है ? मुझे यह आशंका इसलिए है क्योंकि आपकी मंत्रि-परिषद में श्री प्रणब मुखर्जी और डा. मनमोहन सिंह जैसे मंत्री विद्यमान हैं जो हमारे देश को गैट या आई. एम. एफ. अथवा विश्व बैंक के माध्यम से विदेशियों को सौंपने के लिए पूर्णरूप से तत्पर हैं। मैने अपनी इन आशंकाओं को व्यक्त किया है और मैं चाहता हूं कि विधेयक के प्रस्तावों में आभासी सरलता होते हुए भी आप इनका उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : माननीय सभापति महोदय, यह महकमा तो हवाई जहाज का है लेकिन इसकी रफ्तार बैल-गाड़ी से भी कम है। 29 जुलाई, 92 को केबिनेट ने इस विधेयक की मंजूरी दी है और एक साल के बाद मंत्री जी ने अगस्त, 93 में इसको इस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है और इंट्रोडक्शन के एक साल बाद आज यह विधेयक को पास करने के लिये इस सदन में लाये हैं, यानी मंत्री जी को सदन के सामने आने में केवल दो साल का समय लगा इसलिये इनके विभाग की और इनकी गति, इसकी रक्षा भगवान करे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं।

महोदय, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और राष्ट्रीय हवाई अड्डे में विशेष सुधार की आवश्यकता है इसमें कोई दो राय नहीं हैं, क्योंकि अभी बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या सरकार के हिसाब से एक

करोड़ बीस लाख हो जायेगी और आगे आने वाले पांच वर्ष में यह संख्या दो करोड़ बीस लाख के करीब हो जायगी। जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में पर्यटक, सैलानी आने वाले हैं तो उस हालत में आप हवाई अड्डों को ठीक से न रखें यह दुख और अफसोस की बात है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अथोरिटी की अपनी आमदनी में भी बीस वर्षों में पांच करोड़ से 107 करोड़ की वृद्धि हुई है। उसके नान-ट्रेफिक आमदनी में दो करोड़ से 165 करोड़ की वृद्धि हुई है। आप ज्यों- ज्यों उसमें पूंजी निवेश करते हैं और सुधार करते हैं इसमें घाटे की गुंजाइश नहीं रहती और इसीलिये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अथोरिटी 1990 तक लगातार घाटे में रहीं, लेकिन 90 के बाद तीन वर्षों में 45 करोड़ के मुनाफे में आ गई इसकी आमदनी में भी लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस गति से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रख-रखाव, उनकी सुरक्षा के उपकरण, यात्रियों की सुविधा, इनमें जिस गति से विकास और विस्तार की जरूरत है उसके प्रति विभाग लापरवाह है ऐसा मैं कहना चाहता हूं और उसमें भी क्षेत्रों के हिसाब से भेदभाव हो रहा है। बम्बई और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास, विस्तार के लिये इधर आपने तीन सौ करोड़ की योजना बनाई। और उसके ऊपर आपने 352 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, परंतु आगे जो राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विस्तार की जो योजना है, उसमें मद्रास और कलकत्ता हवाई अड्डे को तीसरे फेज़ में रखा गया है। यह जानकारी हमको विभाग से प्रदान की गई है। बीच में तो कलकत्ता हवाई अड्डे के साथ भेदभाव किया गया था और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय उडानों को रद्द कर दिया गया था, अब कुछ को रेस्टोर किया गया है। कलकत्ता और मद्रास दोनों बहुत महत्वपूर्ण और पुराने हवाई अड्डे हैं, तो इनके विस्तारीकरण को तीसरे फेज में क्यों रखा गया है, यह मैं जानना चाहता हूं। मेरा आग्रह है कि जैसे बंबई और दिल्ली हवाई अड्डों के विस्तार के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उसी तरह से कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों के लिए भी प्रावधान किया जाए और इनके विस्तार की योजनाएं बनाई जाएं।

सभापति महोदय, बंबई हवाईअड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है और सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय उडानें यहां से होती हैं, लेकिन उसके आसपास जो झुग्गियां और आवास हैं, उनको मुआवजा और अन्य स्थानों पर जमीन देने के बावजूद हम उनको वहां से उठा नहीं पाए हैं। इस काम के लिए जिस संकल्पशक्ति की अपेक्षा थी, वह नहीं आ पाई और मुसाफिरों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह मै जानना चाहता हूं।

दूसरी बात राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विस्तार के बारे में है। योजना के दूसरे फेज में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तरह सुविधाएं मुहैय्या कराई जानी चाहिए। पिछले साल कुछ शुरूआत भी इंडियन एअर लाइंस ने की हैं। पिछले साल कालीकट हवाई अड्डे से दुबई के लिए उड़ान के समय देखा गया कि यात्रियों की संख्या क्षमता स आधी है। पूछने पर पता लगा कि पूरी क्षमता के साथ उड़ान के लिए हवाई पट्टी नहीं हैं, इसलिए पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो सकता है। मेरा आग्रह है कि जो हमारे राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उन पर भी अंतर्राष्ट्रीय अड्डों के स्तर की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ हवाई अड्डा बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश से बहुत अधिक लोग, सबसे अधिक नहीं तो किसी प्रदेश से कम भी नहीं, विदेशों में नौकरी और व्यवसाय के लिए जाते आते है, परन्तु उत्तर प्रदेश में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आपने गठन नहीं किया है। मैं आपसे आग्रह

करना चाहता हूँ कि लखनऊ हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए और वहां पर इसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। 3019 करोड़ किया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि इसमें वृद्धि की जानी चाहिए और साथ ही साथ जो नए एअर टैक्सी आपरेटर्स आए हैं, जिनकी संख्या 1990 में 6 थी, अब 17 हो गई है और 45 एअर-क्राफ्ट 1993 में हो गए हैं, जिनमें योजना के अनुसार और वृद्धि होने वाली है तथा 21 प्रतिशत मुसाफिरों को बैठाने की इनकी क्षमता है।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मैने अखबारों में पढ़ा कि इनके ऊपर जो कर निर्धारित है हमारे हवाई अड्डों का, उसको ये जमा नहीं कर रहे हैं। इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आपने विस्तार की योजना जो अपने संसाधनों से बढ़ाई है और प्राईवेट टैक्सी आपरेटर्स के लिए एक निर्धारित मात्रा में जो अनुमति दी है तो उनके लिए जो निर्धारित टैक्स है, उसकी समय से वसूली होनी चाहिए जिससे सरकार के पास राजस्व आ सके और अपने ही संसाधनों से केन्द्र सरकार के वित्तीय समर्थन के बावजूद आप इन हवाई अड्डों के विस्तार के लिए योजनाओं को पूरा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक का आशय दो प्राधिकरणों अर्थात राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रधिकरण और अंतराष्ट्रीय विमापत्तन प्रधिकरण, को एक ही प्रबंध या जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं के अन्तर्गत लाना है। यह विधेयक विभागीय स्थाई समिति को सौंपा गया था। समिति में मैने यह विचार व्यक्त किया था कि इन दोनों के विलय के प्रस्ताव की आलोचनात्मक जांच की जानी चाहिए। दोनों के विलय हेतु उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आय अधिक है और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आय उतनी अधिक नहीं है। उन्होंने बताया है कि यह एक हानि उठाने वाली संस्था है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा आय नहीं हो रही है। और इसलिए यदि इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो विस्तार कार्य और अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग के कुशल निर्माण तथा उसके नियंत्रण हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध होगा।

जब सचिव समिति के सम्मुख उपस्थित हुए थे तो मैने उनसे एक ही प्रश्न पूछा था और वह था कि क्या उसने कोई मूल्यांकन किया है, क्या अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अधिक आय हो रही है, कितनी आय का पुनः प्रयोग हो सकता है तथा उसके इस संबंध में क्या अनुमान हैं? वह कोई भी आंकड़े देने में असमर्थ थे। मुझे नहीं मालूम कि क्या समिति ने इन पूर्वानुमानों की जांच की है। पूर्वानुमानों से मेरा तात्पर्य यह है कि जब आप इन दोनों का विलय कर देंगें तो, आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि कितना धन उपलब्ध होगा ताकि उसका उपयोग विस्तार कार्य हेतु किया जा सके। मेरे विचार से यह स्वाभाविक ही है कि मंत्री महोदय से यह पूछा जाए कि क्या उन्होंने इसका कोई मूल्यांकन किया है तथा इस निर्णय पर पहुंचे है कि इन दोनों के विलय से विस्तार कार्य हेतु आवश्यक पर्याप्त धन उपलब्ध होगा।

मेरा दूसरा प्रश्न गठित किए गए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकरण से संबंधित है। जैसाकि आप जानते हैं राजे समिति, टाटा समिति और दास समिति, जैसी कई समितियां थीं। इन समितियों ने सिफारिश की थी कि दो प्राधिकरण की आय कम है। यह जानने के लिए कि इसकी आय कम क्यों है, कई तथ्यों पर विचार

करना होगा। इसके राजस्व का 65 प्रतिशत विमान संचालन सुविधा शुल्क से प्राप्त होता है तथा इसकी प्रतिवर्ष पुनरीक्षा की जानी है। ये नौ चालन सुविधा प्रभार, आय का 5 प्रतिशत है तथा प्रत्येक वर्ष इसकी पुनरीक्षा की जाती है और उसमें तदनुरूप वृद्धि की जाती है। लेकिन वर्ष 1987 से इसकी पुनरीक्षा नहीं की गई है और इस कारण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थिति अच्छी नहीं रही और इसके परिणामस्वरूप इस प्राधिकरण को कुल 830 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

यदि नौ चालन प्रभार की प्रति वर्ष पुनरीक्षा की जाती तो राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 830 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होती। इसी तरह, राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर पार्किंग इत्यादि संबंधी प्रभार कम है और यदि इस पर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के स्तर से प्रभार लगाया जाता, विशेषकर इन 02 विमानों पर, तो मैं समझता हूँ कि इस प्राधिकरण को 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होती। यह पूरी तरह प्रबन्धकों की अकुशलता है। इसके पीछे क्या कारण है, यह मुझे न हीं पता। इसकी संवीक्षा होनी चाहिए। उनका कहना है कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आय कम है।

मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। साक्ष्य के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बजट समर्थन दिया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहिए कि उन्होंने इन वर्षों में इसे कितना बजट समर्थन दिया है और जैसा कि भूतपूर्व सभापति महोदय ने कहा है कि सरकार द्वारा बजट सहायता के बिना ही पिछले दो अथवा तीन वर्षों से स्थिति में सुधार हो रहा है तथा लाभ अर्जित कर रहा है जबकि विगत में ऐसा नहीं था। अतः, मेरे कहने का तात्पर्य यह है यदि यह अकुशलता विद्यमान थी और उसे सरकार द्वारा छिपाने का प्रयास किया गया है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसका अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ विलय करके एक प्राधिकरण बना देने से क्या फायदा होगा। यह एक कल्पना हो सकती है लेकिन वास्तविकता नहीं। कल्पनाओं को हमेशा मूर्तरूप नहीं दिया जा सकता है। सरकार का ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य है यह स्पष्ट नहीं है। यह मेरा संदेह है। इसीलिए, स्थायी समिति में मैंने इसे मंत्रालय को वापस भेजने और इस पर पुनः विचार करने की बात कही थी और उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि श्री लोकनाथ चौधरी का समर्थन करने वाले लोग कम संख्या में हैं। जबकि दूसरी और हमारे दोस्त स्वयं सरकार से भी अधिक उत्साह में इसे यथाशीघ्र करना चाहते हैं। इसका आशय यह नहीं है कि हम कुछ लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहने का आशय यह है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके संबंध में आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं तथा इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि यह नुकसान किस कारण हुआ तथा आपका क्या अनुमान है। विलय करने से तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक समस्या की सही जानकारी नहीं होगी। **(व्यवधान)** इतिहास बतायेगा कि कि कौन भ्रम पैदा कर रहा है चिन्ता न कीजिए। आज जो कुछ भी हो रहा है कल उसमें परिवर्तन हो जाएगा। कभी-कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अकुशलता और सरकार का यह कह कर कि बजट सहायता न देना यह घाटा उठा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है।

दूसरा, निर्मलदा ने संविधान के बारे में बहुत कुछ कहा है मैं उसे दुहराना नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि उन तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा।

जहाँ तक दो तरह के रोजगार का प्रश्न है तो आप पाएंगे कि कुछ लोग राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यरत हैं तो कुछ लोग अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में। अतः उनमें से कुछ को एक प्रमाग के तहत रखे जाने तथा अन्य को दूसरे प्रमाग में रखे जाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए ऐसा करना जरासंघ का निर्माण करने जैसा है आप दो एकदम भिन्न एवं प्रतिकूल चीजों को मिलाना चाहते हैं। ऐसा करके उन्हें एक कैसे बनाया जा सकता है ? यदि आप वास्तव में उन्हें एक करना चाहते हैं तो मेरे विचार से आपको सम्पूर्ण संगठन को एक करना चाहिए। अतः, घबरायें नहीं। कृपया अनमने ढंग से इस कार्य को न करें अन्यथा ऐसा करके आप इस प्राधिकरण की संभावनाओं को ध्वस्त करेंगे। और इस नुकसान के लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। आप जानते हैं कि दो भिन्न-भिन्न संगठनों के कर्मचारियों को, जिनका अलग-अलग वेतनमान है, दो तरीके से नियंत्रित करना निश्चित रूप से हानिकर तथा इससे असंतोष पैदा होगा। यदि आपका हवाई किले बनाने का विचार है तो यह किला कभी नहीं बन पायेगा।

मेरा तीसरा मुद्दा इसके विस्तार से सम्बन्धित है। स्वाभाविक है कि हम इसका विस्तार चाहते हैं। लेकिन इसके विस्तार से ही काम नहीं चलेगा। हमें लोगों की भागीदारी चाहिए। यह सब ठीक है। लेकिन इसके विस्तार के साथ-साथ हमें यह भी देखना होगा कि आम आदमी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह भी हमारी अवधारणा का अंग होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम इसे भूल गये हैं। एक स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए यदि आप स्वस्थ और अस्वस्थ तत्वों को मिलायेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर देंगे। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रभार जिसे हर वर्ष पुनरीक्षित किया जाता है, के फलस्वरूप 830 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि पार्किंग संबंधी प्रभार, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम है, के फलस्वरूप क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 3000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आय में कमी का कारण उन अधिकारियों की अकुशलता है जिनके पास इसका कार्यभार था। ऐसा किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं किया गया था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे ही लोगों के पास ऐसे प्राधिकरण का प्रभार है। अतः, जहाँ मैं श्री निर्मल कांति चटर्जी के उस सुझाव को कि इसमें अन्य को भी शामिल किया जाये, से सहमत हूँ वहीं मैं सरकार से एक पहलू पर पुनर्विचार करने का भी सुझाव देता हूँ। जब वे तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या अन्ततोगत्वा ऐसा करना उनके लिए लाभदायक होगा ? ऐसा निर्णय, जिसके फलस्वरूप देश और देश की समस्त विमान सेवा प्रभावित होती हो, करके ऐसी स्थिति न आने दें जिससे उन्हें पछताना पड़े।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री को इतना महत्वपूर्ण विधान लाने के लिये बधाई देता हूँ जो कि हमारे विमानन उद्योग और हवाई अड्डों के सर्वोपरि हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मुझे आशा है कि सभी सदस्य इस विधान का स्वागत करेंगे। इसका स्वागत करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह दो प्राधिकरणों का विलय है जिनमें से एक तो मुनाफा कमाने वाला प्राधिकरण है, दूसरा घाटा अर्जित करने वाला-ताकि इन्हें एक लाभ कमाने वाले प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित किया जा सके। यह सच है कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक घाटा अर्जित करने वाली एजेंसी है। पर बजट प्रावधानों

और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तैयार तुलन-पत्र से यह पता चलता है कि इस प्राधिकरण को 1991-92 में 17.27 करोड़ रुपये मुनाफा हुआ है। वर्ष 1992-93 में यह 11.76 करोड़ रुपये और 1993-94 में 17.33 करोड़ रुपये था, इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक मुनाफा कमाने वाली एजेंसी है, लेकिन मंत्रीजी ने विलय का एक और कारण दिया है जिसका हम सभी को स्वागत करना होगा। मंत्रीजी ने यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि विलय से हमारे हवाई अड्डों के समन्वित विकास हेतु संसाधन बेहतर रूप से जुटाये जा सकेंगे और उनका उपयोग किया जा सकेगा। वस्तुतः आज के युग में हमारे इन हवाई अड्डों के लिये ऐसा करना परमावश्यक हो गया है।

दूसरे, इससे हवाई अड्डों वैमानिकी संचार व्यवस्था, वायु परिवहन सेवाओं का निकट समन्वय, बेहतर संचालन और प्रबंधन किया जा सकेगा। विलय के संबंध में इस पहलू पर भी विचार किया जाना है। तदनन्तर मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि इस संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषज्ञता हासिल की गई है उससे इसके प्रबंध में सुधार होगा। अतः ऐसा विधान लाने की जरूरत तो बहुत पहले से महसूस की जा रही थी और सौभाग्य से आज हमें इस पर बहस करने और इसे विधान के रूप में पारित करने का अवसर मिल रहा है, इसलिये यदि इससे इन सेवाओं पर दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तो हमें अति प्रसन्नता होगी।

वर्तमान स्थिति क्या है ? राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ए.टी.सी. पर नियंत्रण रखता है। परन्तु जहां तक दिल्ली हवाई अड्डे का संबंध है हवाई पट्टी पर ए.टी.सी. का कोई नियंत्रण नहीं है। यदि हवाई पट्टी के निकट पहुंचने वाले विमान को हवाई पट्टी पर कोई बाधा आती है तो ए.टी.सी. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जिसके अंतर्गत वह कार्य कर रहा है - सूचना नहीं दे सकता है। उसे हवाई अड्डे के प्रबंधक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों से सम्पर्क करना होगा और उन्हें इस तरह की किसी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिये कई अन्य अनुभागों से सम्पर्क करना पड़ेगा। इसलिये यह बड़ी जटिल प्रक्रिया है। दोनों प्राधिकरणों का विलय करने से हवाई अड्डे पर विमान सेवा का कुशल संचालन किया जा सकेगा।

दूसरा उदाहरण त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का है। वहां एक क्षेत्र तो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंध में है और घरेलू क्षेत्र राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन है। वहां दो जेनरेटर, दो ट्रांसफार्मर हैं। ऐसा क्यों ? इससे अच्छा तो उनका विलय करके उन्हें एक कर दें। इसलिये विलय परमावश्यक और चिर प्रतीक्षित था। हमारे हवाई अड्डों के लिये तो यह स्वागत योग्य कदम है।

मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूँ, हमारे हवाई अड्डों का प्रबंध अभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है जो कि संतोषजनक नहीं है। मानसून के दिनों में दिल्ली के इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाकर देखें वहां क्या हालत है ? वहां पानी टपकता है और आम यात्रियों और अन्य लोगों को यह सब झेलना पड़ता है। मूसलाधार बारिस होने पर तो हवाई अड्डे के भीतर बड़ी बुरी हालत हो जाती है और इसे देखने के लिये वहां कोई मौजूद नहीं होता है। उदाहरण के लिये आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 'ड्यूटी फ्री शाप' की हालत देखें।

5.00 म.प.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में इनका स्तर बड़ा निम्न है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कार्यकरण अपेक्षित स्तर का नहीं है इन दोनों का विलय कर हम उसे बेहतर बना सकेंगे।

मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कार्यकरण भी संतोषजनक नहीं है। मैं जानता हूँ कि दोनों प्राधिकरण वित्तीय अड़चनों का सामना कर रहे हैं, इनका काम केवल बजट प्रावधान से नहीं चल रहा है। हवाई अड्डों और विमान संचालन सेवाओं से प्राप्त राजस्व की सहायता से उनका काम चल रहा है। वैमानिकी और गैर वैमानिकी दो तरह के राजस्व है। यदि विमान-अवतरण सुविधाओं और विमान संचालन सेवाओं में वृद्धि की जाये तो अधिक वैमानिकी राजस्व प्राप्त किया जा सकता है ; गैर वैमानिकी राजस्व कार्गो (माल) और अन्य सेवाओं से प्राप्त होता है। यदि हम कार्गो पर ध्यान दें तो अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत दिल्ली, बम्बई अथवा त्रिवेन्द्रम सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां जो भी जाता है बिचौलिये और एजेंट उसे भ्रम में डालकर अपने जाल में फांस लेते हैं और कार्गो कम्पलैक्स से अपना माल छुड़ाने के इच्छुक लोगों से धूस आदि और दूसरे फायदे भी लेते हैं। अतः जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अथवा दूसरे किसी प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त कार्गो सुविधा का संबंध है, स्थिति बड़ी शोचनीय है इसलिये हमें या तो वैमानिकी सेवाओं से धनराशि जुटानी होगी अथवा गैर-वैमानिकी सेवाओं से। लेकिन इस मामले में हम संयुक्त उद्यम स्थापित करके अथवा संस्थागत वित्त द्वारा संसाधन जुटा सकते हैं।

मेरे मित्र, मंगलौर के माननीय सदस्य ने सिंगापुर हवाई अड्डे का जिक्र किया है। हम, सिंगापुर हवाई अड्डे की ही बात क्यों करें ? यदि हम सिंगापुर हवाई अड्डे का ही जिक्र करें तो फिर एअर इंडिया की स्थिति क्या है। सिंगापुर एयरलाइंस ने चौबीस 747 जम्बो विमानों के आर्डर दिये हैं जबकि हमारी राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर इंडिया ने केवल चार विमानों के आर्डर भेजे। इन चार में से भी हमें दो-या तीन विमान मिले हैं ; उनका प्रबंध दूसरे तरह का है, जहां तक मुझे पता है वे हर सात वर्ष बाद अपने विमान बेच देते हैं। उन्हें सात वर्ष बाद इनकी अच्छी कीमत मिल जाती है और वे उनके स्थान पर नये विमान शामिल कर लेते हैं और हम क्या करते हैं ? केन्द्रीय सरकार कितनी रकम देगी ? चार में से एक विमान के पहुंचने पर यहां इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया। अन्य सभी देश अपने विमान-बेड़े में हमेशा कुछ न कुछ वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन इस विशाल देश में एअर इंडिया के बेड़े में एक 747-विमान का आगमन बहुत बड़ी खबर है। उनका प्रबंध कौशल कैसा है और हमारा प्रबंध कैसा है। असल चीज है धनराशि जुटाना ; हम धनराशि कैसे जुटा सकेंगे। या तो केन्द्रीय सरकार धनराशि दे, लेकिन वह संसाधनों की कमी का सामना कर रही है इसलिये ऐसा संभव नहीं है, अन्यथा हमें वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से धनराशि जुटानी पड़ेगी और वहां भी सरकार को गारंटी देने में मुश्किल होगी। हमारी वित्तीय संस्थाओं की अन्य वचनबद्धताएं भी हैं। अतः मेरे विचार से इसका एकमात्र उपाय संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त उद्यमों से धनराशि जुटाना है। यही उपाय किया जाना चाहिये।

मेरे मित्र श्री के.वी. थायस ने बड़ी प्रासंगिक बात कही है। जहां तक हमारी व्यवस्था का संबंध है कोचीन में सार्वजनिक धन जुटाकर हवाई अड्डे का विकास किया गया है। कालीकट में यही किया जा रहा है। कालीकट में, मंत्री के आश्वासन पर राज्य सरकार ने हमारे मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। समिति ने 10

करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटायी है। सरकार के आश्वासन पर वह अभी भी इस काम में लगी हुई है ताकि वहां हवाई पट्टी का विस्तार किया जा सके।

यह जनता का पैसा है जिसकी एकमात्र गारंटी राज्य सरकार तथा प्राधिकरण हैं। लेकिन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्तमान स्थिति क्या है ? माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार दिसम्बर में इसकी आधारशिला रखी जानी चाहिए थी, लेकिन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभी तक परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता है। जब इस बात को उपयुक्त स्तर पर उठाया गया तो क्या उत्तर मिला ? यह कि उन्हें वहां एक बड़ी चट्टान मिली है जिसे तोड़ना होगा। क्या उन्हें वहां कल-परसों में ही यह चट्टान दिखायी दी ? यह चट्टान कालीकट में पहले से मौजूद थी। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है इसीलिये मैं ऐसा कह रहा हूँ। चट्टान और अन्य चीजों को ध्यान में रखकर ही संविदा तैयार की गयी होगी और अन्य परियोजना कार्य शुरू किये गये होंगे। पर अब उन्हें यह चट्टान मिली है।

यदि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपना कार्य इसी प्रकार करेगा तो हमें पुनः वही अकुशलता, अक्षमता आदि का पुराना अनुभव होगा।

जब लोग आपको धन देने को तैयार हैं तब भी आप परियोजना को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर यह सरकार किस लिए है ? यह प्राधिकरण किस लिए है ? एक ओर तो सरकार कहती है कि विकास के लिए उसके पास धन नहीं है और दूसरी ओर, जब लोग धन देने के लिए तैयार हैं तो आप कहते हैं कि आप परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं कर सके, आपके इंजीनियर ने गलत आकलन किया या आप इस बात का सही आकलन नहीं कर सके कि आपको वास्तव में क्या करना चाहिए था।

मैं कालीकट की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। वहां से खाड़ी के देशों के लिए 19 साप्ताहिक उड़ानें हैं और उन देशों से हमारे देश में आने वाली अनेक उड़ानें हैं। प्रत्येक सप्ताह सात उड़ानें शारजाह के लिए हैं तथा तीन-तीन उड़ाने आबू धाबी, दुबई और मस्कट के लिए हैं। इनके अतिरिक्त दो प्राइवेट एयरलाइन्स भी अपनी सेवाएं चला रही हैं। इतना व्यस्त विमानपत्तन होने पर भी जिसने इंडियन एयरलाइन्स को काफी आगे बढ़ाया है, इसके महत्व, इसकी लाभ-अर्जन क्षमता या विमानपत्तन द्वारा पैदा किए जाने वाले संसाधनों को देखकर भी राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यथोचित महत्व नहीं दिया है।

इसीलिए, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा। कि वह सभा में वही आश्वासन दें जो केरल सरकार को दिया गया था और केरल सरकार के माध्यम से लोगों को दिया गया था कि एकत्र की गयी धनराशि का अविलम्ब उचित प्रकार से उपयोग करेंगे। मैं केवल एक मिनट और लेना चाहगा।

मेरा अगला मुद्दा त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन के बारे में है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत अफसोस है कि नागर विमानन मंत्रालय उक्त विमानपत्तन के प्रति बड़ा उदासीन रुख अपना रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? कारण यह है कुछ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवायें अपने विमानों को वहां उतारना चाहती हैं। वहां अवतारण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। एमिरेट्स एयरलाइन्स, कुवैत एयरलाइन्स, कतार एयरलाइन्स, लुफ्तान्सा एयरलाइन्स, सिंगापुर एयरलाइन्स और मलेशियन एयरलाइन्स अपने विमानों को वहां उतारना चाहती हैं। परन्तु आप उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से एयर इंडिया पर प्रभाव पड़ेगा। एक ओर तो आप उदारीकरण चाहते हैं; और दूसरी

ओर आप कहते हैं कि वे यहां नहीं आएंगी। एयर इंडिया अपनी उड़ानें ठीक प्रकार से नहीं उड़ा रहा है। यदि एयर इंडिया को कोई विमान सेवा रद्द करनी है तो सबसे पहले त्रिवेन्द्रम से कुवैत या अन्य स्थानों को जाने वाली उड़ान रद्द की जाएगी। केवल एयर इंडिया के लिए क्या हमें इस प्रकार कष्ट उठाना है ? यदि अवतारण सुविधा दी जाए तो विमानपत्तन प्राधिकरण कितना धन अर्जित कर सकता है ? यदि इसे इंडियन एयरलाइन्स या एयर इंडिया को सौंपा जाए तो वे स्वयं कितना धन अर्जित कर पाएंगे ? हम इन सब बातों के बारे में अत्यधिक शर्मिले क्यों हैं ? मेरे विचार से यह दृष्टिकोण गलत है। यह इस सरकार की घोषित नीति के अनुरूप नहीं है। प्रायः आप सभी माननीय वित्त मंत्री, माननीय वाणिज्य मंत्री, माननीय विदेश मंत्री प्रत्येक देश में उन्हें यह कहकर आमंत्रित करते हैं कि, "आइए, आप भारत क्यों नहीं आते हैं ? "कोई भारत कैसे आएगा ? क्या आप जानते हैं कि किसी भारतीय को अपने देश लौटने में क्या कठिनाई है ? इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा का शुभारंभ होने तक किसी भी खाड़ी देश से आने वाले व्यक्ति को भारत लौटने हेतु टिकट प्राप्त करने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। एयर इंडिया की एकमात्र सेवा है जो या तो रद्द हो जाएगी या जिसमें कोई सुविधाएं नहीं होंगी या जो निरपवाद रूप से विलम्ब से चलेगी। वास्तव में एयर इंडिया का नाम 'एराइविंग इनडेफिनेट्ली' - ए आई अर्थात् 'आगमन अनिश्चित' है। स्थिति यह है। इसीलिए हमें इस मामले में इतना संकीर्ण दृष्टिकोण क्यों अपनाना चाहिए ? अतः, त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन को सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खोल देना चाहिए। त्रिवेन्द्रम को उकसा देय दिया जाना चाहिए। वही ऐसा विमानपत्तन है जिसने धन कमा कर दिया है और एयर इंडिया को घाटे की स्थिति से बाहर निकाला है। अभी भी एयर इंडिया का यह कहना है कि यह विमानपत्तन उनका एकमात्र खजाना है। देश के हित में आप अपने इस रवैये को बदलें और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमानों को भी वहां उतरने की अनुमति दें।

मैं मूल्यवान समय और अधिक नहीं लेना चाहता हूं। एक बार फिर मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कालीकट विमानपत्तन के बारे में मुझे आश्वस्त करें और प्रशासकीय आदेश जारी करके प्रत्येक विमानपत्तन के बारे में परामर्शदात्री समितियां बनाने की कोई व्यवस्था करें। यदि विधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं हो पाता है तो भी माननीय मंत्री सभा को आश्वस्त करें कि प्रत्येक विमानपत्तन के संबंध में परामर्शदात्री निकाय बनाने का प्रशासकीय आदेश जारी किया जाएगा जिसमें स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होगा। उस स्थिति में मैं भी अपने निर्वाचन क्षेत्र, कालीकट में विमानपत्तन के बारे में कुछ कह पाऊंगा।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1993 पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सभी पूर्व वक्ताओं के भाषण सुनता रहा हूं। यद्यपि, कतिपय खंडों के बारे में कुछ मतभेद व्यक्त किए गए हैं, परन्तु मुझे खुशी है कि यह एक ऐसा निर्विवाद विधेयक है जिसका सभा में सभी ने समर्थन किया है। इस सीमा तक तो त्रिवेन्द्रम का सदस्य होने के नाते मुझे विशेष खुशी है।

ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन हो रहे हैं और हमें प्राइवेट एयरलाइनों से प्रतियोगिता करनी है, हवाई यातायात को सुदृढ़ बनाने और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की बात स्वतः महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि श्री निर्मल कांति चटर्जी और श्री लोकनाथ चौधरी दो प्राधिकरणों को मिलाकर एक करने से पूर्व वास्तविक

आवश्यकता के बारे में कुछ संदेह प्रकट करते रहे हैं। उनके अनुसार मुख्य बल इस बात पर है कि एक अलाभप्रद प्राधिकरण का एक लाभप्रद प्राधिकरण में विलय किया जा रहा है। मेरे विचार से उस विषय विशेष पर आवश्यकता से अधिक बल दे दिया गया है। यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन एक लाभ कमाने वाला प्राधिकरण है तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण घाटा उठाने वाला प्राधिकरण है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इसीलिए इसका विलय किया गया है। यदि एक विशेष पहलू को ध्यान में लाया जाता है, तो मैं कहूंगा कि यह विलय देश के और दोनों प्राधिकरणों के व्यापक हित में है।

आठवीं योजना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ऋण वापसी की दृष्टि से वर्तमान देनदारी लगभग 125 करोड़ रुपए है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आठवीं योजना के दौरान 125 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। आठवीं योजना की उसी अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 120 करोड़ रुपए कर के रूप में प्राप्त किए। अतः, जहां एक इकाई ने 125 करोड़ रुपए कर के रुप में कमाए वहीं दूसरी इकाई ने 125 करोड़ रुपए का घाटा उठाया। इन दोनों का विलय कर दिये जाने पर एक ओर तो एक को कर देने की आवशकता नहीं होगी और दूसरी ओर कोई घाटा नहीं होगा। यह एक लाभ कमाने वाली इकाई का एक घाटा उठाने वाली इकाई में विलय मात्र नहीं है।

मैं इन पहलुओं पर यह बताने के लिए जोर दे रहा हूँ कि उस पक्ष के लोगों के विचार जरा भी तथ्यपरक नहीं हैं।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के विकास के लिए अपेक्षित भारी पूंजी निवेश और परिचालन के मामले में और अधिक लचीलेपन की जरुरत देखते हुए 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया था, उस समय केवल चार अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन थे अर्थातः कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बई और मद्रास। किंतु त्रिवेन्द्रम, जो अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के दर्जे के लिए लम्बे समय से अनुरोध कर रहा था, को भी 1991 में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित कर दिया गया था। किन्तु दुर्भाग्यवश पिछले एक वर्ष को छोड़कर इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान न तो सुविधाओं में सुधार के लिए न ही इसे अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने के लिए पर्याप्त कार्य किया गया। मैं वर्तमान मंत्री महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की कुछ आवश्यकताओं पर उचित रूप से विचार करने में विशेष रुचि दिखाई। और यह कार्य केवल पिछले दस महीने से चल रहा है। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि आप भी उस शिष्टमंडल में थे जब संसद सदस्यों, राज्य विधान मंडल के सदस्यों और त्रिवेन्द्रम के कुछ नेताओं का एक शिष्टमंडल दस माह पूर्व माननीय मंत्री जी से मिला थे। उस समय वे बीमार थे, उसके बावजूद उन्होंने हमारा स्वागत किया और तत्कालीन सचिव को स्पष्ट निर्देश दिये थे। उसके बाद ही पूरा विभाग सक्रिय हुआ। महोदय, मैं त्रिवेन्द्रम का रहने वाला हूँ। वस्तुतः मैं त्रिवेन्द्रम से मात्र चार किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। और मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि अब कार्य वास्तव में समयबद्ध तरीके से चल रहा है। धावनपथ के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका था और भूमि अधिग्रहण 15 वर्ष पूर्व किया गया था जब वर्तमान मुख्यमंत्री श्री के. करुणाकरण श्री अच्युत मेनन सरकार में गृह मंत्री थे, वह बड़ी हलचल का समय था जब स्वर्गीय श्री ए.के. गोपालन ने धमकी दी थी कि यदि उस भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को हटाया गया तो वे धरने पर बैठ

जायेंगे।'' किंतु बहुत ही होशियारी से एक ही रात में कब्जे वालों को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई थी। इसलिए, उनको वहां से हटाया गया और धावनपथ के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। यद्यपि यह कार्य लगभग 15 वर्ष पूर्व पूरा हो चुका था किंतु धावनपथ के विस्तार का वास्तविक कार्य मात्र दस माह पूर्व आरंभ हुआ। अब हमें धावनपथ में भी सुधार करना है जिससे 1997 के अंत तक भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण धावनपथ का कार्य पूरा हो जायेगा और यह संभव है कि उससे बोइंग 747, ए-320 और ए-300 को एक साथ खड़ा करने का स्थान प्राप्त हो जायेगा। इससे संबंधित कार्य आरंभ हो चुका है।

किंतु मुझे यह उल्लेख करते हुए दुःख होता है कि दूसरे टर्मिनल से संबंधित कार्य पर्याप्त रूप से आरंभ नहीं हुआ है। आज भी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि उन्होंने इस संबंध में कुछ निर्देश दिये हैं, मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्य की गति में तेजी लाई जा रही है।

महोदय, इस विलय की आवश्यकता स्वाभाविक है और यह वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। यह घाटा उठाने वाली और लाभ कमाने वाली कम्पनियों के विलय का प्रश्न नहीं है।

एक-दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करके इन कम्पनियों के कृत्यों में भी दोहरापन है और दो प्राधिकरण एक ही प्रकार के कार्य कर रहे हैं।

यहां मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। लगभग दो वर्ष पूर्व एक दिन शाम के समय मैं बंगलौर विमानपत्तन पर दिल्ली की उड़ान की प्रतीक्षा कर रहा था तभी अचानक बिजली गुल हो गई। महोदय, आप जानते हैं कि बंगलौर में जब बिजली न हो और पंखे न चल रहे हों तो वहां पर लाखों की संख्या में मच्छर होने से कोई भी वहां खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए वहां पर बहुत मुश्किल हुई, मैंने वहां चार विदेशी पर्यटकों को खड़ा देखा। हम हर बात सह सकते हैं क्योंकि हम जन प्रतिनिधि हैं। हम बस या रेल से यात्रा कर सकते हैं किंतु वे विदेशी पर्यटक थे जो यह नहीं जानते थे कि इस समस्या का कैसे सामना किया जाय। मैं वहां विमानपत्तन के कर्मचारियों के पास गया। उन्होंने मुझे समुचित प्राधिकारी के पास जाने के लिए कहा। मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा कि यह तकनीकी कर्मचारियों का क्षेत्र है तथा मुझे ग्राउन्ड कर्मचारियों के पास जाना चाहिए। इस प्रकार कम से कम आधे घंटे में मैं प्रत्येक अधिकारी से मिला किंतु मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं संसद सदस्य हूँ क्योंकि यदि मैं उन्हें यह भी बता देता तो मैं उनकी प्रतिक्रिया जानता था। इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें बताने की कोई तुक नहीं हैं और मैंने उन्हें बताया कि मैं एक यात्री हूँ। अन्त में मैंने उन विदेशी पर्यटकों को कहते सुना ''यह गंदी बस्ती से भी बदतर जगह है'', क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई पर्यटक बंगलौर या किसी अन्य विमानपत्तन जा रहा हो और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाय ? इसलिए इसका एक पक्ष यह भी है।

मैं यह महसूस करता हूँ कि यदि इस कार्य के लिए कोई एक प्राधिकारी जिम्मेवार होगा तो एक तरह का दोहरा आश्वासन रहेगा कि प्रत्येक कार्य के लिए कोई न जिम्मेवार है तथा यदि कोई कमी है तो उसे तुरन्त दूर किया जायेगा।

श्री लोकनाथ चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों की दो अलग-अलग श्रेणियाँ जारी रहेंगी और उनकी सेवा शर्तें भी दो प्रकार की होंगी। यह सही नहीं है। उनके भाषण के बाद मैंने विधेयक के विभिन्न खंडों को सरसरी तौर पर पढ़ा। खंड 18 के उप खंड 7 में एक विशिष्ट उपबंध है जिसमें विशेष रूप से यह कहा गया है : -

''जैसा उपधारा (2) में उल्लिखित है एक वर्ष की अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पश्चात्, प्राधिकरण को अंतरित और उसमें नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी, जो उन अधिकारियों या कर्मचारियों से भिन्न हैं जो ऐसी अवधि के भीतर प्राधिकरण के अधिकारी या कर्मचारी होने का विकल्प नहीं करते हैं, उक्त प्राधिकरण के अधिकारियों या कर्मचारी की सेवा शर्तों के बारे में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगें।''

इसलिए, एक साल के संक्रमण काल के दौरान जब तक विलय कार्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक वरिष्ठता सूची और अन्य सेवा शर्तों का समाधान नहीं हो जाता तब तक कोई भी कर्मचारी इसमें रह सकता है या नहीं रह सकता है। और यदि वह इस सेवा का पूर्णकालिक सदस्य बन जाता है तो नया प्राधिकरण ऐसा कानून या नियम बना सकता है तथा वह सब लोगों के लिए बाध्यकारी होगा, इसलिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की निश्चित रूप से रक्षा की जायेगी। उनके हितों की रक्षा करने के लिए विधेयक में पर्याप्त खंड हैं। यदि वे त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति और अन्य लाभ मिलेंगे।

इस संबंध में मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि खुला आकाश नीति जिसकी घोषणा 1991 में की गई थी इस सम्मानीय सदन को उसकी जानकारी नहीं थी। मैं उस लोक सभा का सदस्य था। आपको स्मरण होगा, जब यह मामला असुविधाजनक समय पर सदन में लाया गया था और उस पर वक्तव्य दिया गया तथा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद एयर टैक्सी आपरेटरों ने पूरे आकाश पर कब्जा कर लिया तब हमें पता चला कि इस खुला आकाश नीति की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। इस पर कभी भी चर्चा नहीं की गई। सदन में इस पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस समय घोषित नीति, उसके बाद उसमें किये गए परिवर्तन और वर्तमान स्थिति पर इस सदन में चर्चा की जानी चाहिए जिससे कम से कम हमें वर्तमान स्थिति की सही जानकारी मिल सके।

महोदय, पिछले सप्ताह मुझे एक बहुत कटु अनुभव का सामना करना पड़ा। इस माह की 12 तारीख को मैं त्रिवेन्द्रम के लोगों की कठिनाईयों के बारे में आपसे मिला था। हम देश के सबसे दक्षिणवर्ती भाग में रहते हैं। हमारे लिए कमोबेश यह संभव नहीं है कि हम नियमित रुप से रेल से यात्रा करें। जो मुख्य कठिनाई हमें होती है वह यह है कि हमें त्रिवेन्द्रम से दिल्ली आने में ढाई दिन से अधिक समय लग जाता है इस तरह यदि दिल्ली जाकर त्रिवेन्द्रम वापस आना चाहें तो हमें छः दिन लग जाएंगे। सैशन के दौरान हम मात्र दो दिन के लिए जाते हैं। हमें एकमात्र उपलब्ध सुविधा विमान सेवा दी है। कभी-कभी हम बीच की यात्रा सुविधा का उपयोग कर व्यवस्था कर देते हैं। इस माह की 12 तारीख को मेरे पास त्रिवेन्द्रम से मुम्बई होकर दिल्ली के लिए कनफर्म टिकट थी। उड़ान 12.30 बजे की थी। मैं विमानपत्तन पर सही समय पर आ गया था। मुझे बताया गया कि उड़ान में कुछ विलम्ब है। इसमें विलम्ब होता गया और अन्त में 3.00 बजे उड़ान चली। बम्बई से मिलने वाली

कनैक्टिंग उड़ान आई सी 406 थी। वह 5.00 बजे चलती है। मैं वहां था। राज्य सभा सदस्य श्री चेन्नाला बालाकृष्ण पिल्लई भी वहां थे वहां पर कई सरकारी अधिकारी भी थे जिन्हें किसी चर्चा (बैठक) में भाग लेना था, इस प्रकार वहां लगभग 70 यात्री थे। हमने ड्यूटी मैनेजर से कहा कि वे संदेश भेज दें कि त्रिवेन्द्रम से 70 यात्री आ रहे हैं और उन्हें 5.00 बजे तक आई.सी. 406 पकड़नी है। हमें बताया गया कि संदेश पहले ही भेज दिया गया है। इसलिए हम बिल्कुल चिन्तित नहीं थे 4.50 बजे हम मुम्बई पहुंच गए। वहाँ पर मौसम खराब था। हमें बताया गया था कि विमान थोड़ी देर से उतर पायगा। ठीक पाँच बजे हमने पायलट के माध्यम से सूचना देने की कोशिश की कि हमारा विमान बम्बई हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगा रहा है और हम फंसे हुए हैं तथा हम थोड़ा विलम्ब से उतर पाएंगे। हमें उड़ान आई.सी.-406 पकड़नी है। हमें ड्यूटी अधिकारियों ने सूचित किया कि उन्हें संदेश मिल गया है तथा वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा विमान पाँच बजे उतरा। संयोग से हम बाहर निकले। ड्यूटी अधिकारी वहां उपस्थित थे। वहाँ पर घोषणा हो रही थी कि दिल्ली जाने वाले यात्री बस में बैठें। इसलिये हमने सोचा कि हम समय से पहुँच गए हैं। परन्तु बस में बैठने के बाद जब हम आगमन लांज कक्ष की ओर ले जाए जाने वाले ही थे तो हमें बताया गया कि उड़ान आई.सी.-406 के द्वार बन्द कर दिए गए हैं। विमान उड़ान नहीं भर रहा था। हमने बार-बार अनुरोध किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब हम ड्यूटी प्रबंधक के पास पुनः गए। वह बहुत अक्खड़ था। हम एक पक्के भद्रपुरुष से मिले थे। परन्तु उस समय ड्यूटी प्रबंधक ने संसद सदस्यों से बात तक करने का भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। जब हमने कहा कि हम संसद सदस्य हैं और हम फंस गए थे तो उसने कहा कि उसके पास हमारे बारे में कोई सूचना नहीं है। हमने आधे घन्टे तक बहस की और हमारा गला भी खराब हो गया। हमने वहां प्रतीक्षा करके अपना समय भी बरबाद किया। रात्रि 8.30 बजे की उड़ान विलम्ब से उड़ी और हम देर रात 1 बजे दिल्ली पहुँचे थे। मैं चाहता हूं कि उक्त अधिकारी के इस उदासीन व्यवहार की जाँच की जानी चाहिए। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जब मैं तीन बजे त्रिवेन्द्रम में था तो उससे केवल 25 मिनट पूर्व ईस्ट-वेस्ट के विमान ने उड़ान भरी थी। यदि हमने वह उड़ान पकड़ी होती तो हम 8 बजे दिल्ली पहुंच गए होते।

सभापति महोदय : इस तरह से तो आपको विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में बोलने का समय ही नहीं मिलेगा। आप इंडियन एयरलाइन्स के बारे में बोल रहे हैं। आप विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में बोलें।

श्री ए. चार्ल्स : इंडियन एयरलाइन्स भी इसका हिस्सा है। मैं सारी व्यवस्था के बारे में बोल रहा हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण को इंडियन एयरलाइन्स के बारे में बहुत कुछ करना है। इसलिये मैं कहता हूँ कि इन सब बातों पर विचार करना होगा तथा विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्रियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। पर्यटन को भी प्रोत्साहित करने के लिये हमें यह देखना है कि अधिक से अधिक सुविधाएँ प्रदान की जाएं। यह कार्य केवल नया प्राधिकरण ही सुनिश्चित कर सकता है। यदि अधिक सुविधाएं दी जाएं तो हमारे यहां अधिक से अधिक पर्यटक आएंगे। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि दोनों प्राधिकरणों के विलय से ही अच्छा समन्वय सम्भव है।

किसी ने भी वायुदूत के इंडियन एयरलाइन्स में विलय के बारे में कुछ नहीं कहा है जबकि ऐसा होने से कर्मचारियों के लिए समस्या पैदा हो गई है। वायुदूत के कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के बराबर वेतन नहीं मिलता है।

मेरा आखिरी मुद्दा पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। मेरा अनुरोध है कि सात पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को वायुदूत सेवा, चाहे राजसहायता के आधार पर ही सही, शुरु करनी चाहिये। कुछ जगहों के लिये वायुदूत सेवा कभी-कभी हानि पर भी चलाई जा रही है। मेरे विचार से ऐसे मार्गों पर वायुदूत सेवा चलाने की आवश्यकता नहीं हैं। असली जरुरत पूर्वोत्तर राज्यों के लिये है। चाहे भले ही यह इकाई घाटे वाली है, उक्त क्षेत्र की आवश्यक्ताओं को देखते हुए इसे सुदृढ़ करना होगा। आज भी हमने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की समस्याओं के बारे में लम्बी चर्चा की थी। हमें उनकी भावनाओं का आदर करना है तथा उनकी पहचान की भी रक्षा करनी है। उनकी जरूरतों को भी पूरा करना है। इन सभी पूर्वोतर राज्यों की राजधानियों को यदि नियमित उड़ान द्वारा नहीं तो कम से कम वायुदूत सेवा से इस महान देश की राजधानी से जोड़ना होगा।

मेरे मित्र, श्री ई. अहमद ने कहा है कि त्रिवेन्द्रम की उपेक्षा की जा रही है। महोदय, मैं त्रिवेन्द्रम का सदस्य होने के कारण उनकी बात से इस समय सहमत नहीं हूँ क्योंकि पिछले एक वर्ष के दौरान काफी कार्य हुआ है। हवाई अड्डे का सुधार किया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार 1997 के अन्त तक हवाईपट्टी का सुदृढ़ीकरण और विस्तार तथा दूसरे टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा हो जायगा। लेकिन, मेरा एक ही अनुरोध है। द्वितीय चरण की सारी परियोजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। पिछले तीस वर्षों से हवाईअड्डे के आसपास की भूमि अधिगृहित किए जाने का डर मँडरा रहा है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति भूमि नहीं बेच सकता है, भवन नहीं बना सकता है तथा भूमि नहीं खरीद सकता है। इसलिये वहाँ काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैंने पहले ही प्रस्ताव किया है कि द्वितीय चरण के लिये वास्तव में आवश्यक भूमि चिन्हित करनी होगी और उसे अधिसूचित करना होगा ताकि लोग शेष भूमि को खरीद या बेच सकें या कोई भवन निर्माण कर सकें तथा नियमित जनजीवन और क्रियाकलाप चल सकें। इस समय सारे क्षेत्र में जनजीवन ठहर गया है और लोग अत्यधिक डरे हुए हैं। इसलिये मैं अनुरोध करता हूँ कि एक निश्चित अवधि में द्वितीय चरण की सम्पूर्ण परियोजना को अंतिम रुप दिया जाए तथा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि अधिसूचित की जाए ताकि हमें पता चल जाए कि भावी विकास के लिए आवश्यक भूमि कौन सी है तथा शेष भूमि का भू-स्वामियों द्वारा अपनी इच्छानुसार प्रयोग किया जा सके। यदि ऐसा कर दिया जाए तो त्रिवेन्द्रम की वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

अधिक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये काफी अनुरोध किए गए हैं। जब इस हवाईअड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया जायगा तो अपने-आप अधिक उड़ाने आएंगी। अब तक ऐसा नहीं किया गया है। इसलिये इस पहलू पर ध्यान दिया जाए तथा त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उचित ध्यान दिया जाए और उसका सुधार किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय ने हमारी विमान सेवाओं के सर्वांगीण विकास के लिये सभी पहलुओं पर बड़ी सावधानीपूर्वक विचार करने की कृपा की है।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला (गोधरा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय इंडियन एअर लाइंस के कंपीटीशन के साथ-साथ आईएएआई तथा एनएए, इन दोनों अथारिटीज को मिलाने का जो निर्णय आज कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, कि आज आपने इन अथारिटीज़ को मिलाने का निर्णय लिया। जब इन अथारिटीज को बनाया होगा, तब भी इसके कारण रहे होंगे और आज इनको मिला रहे हैं तो इसके भी कारण

होंगे। मैं समझता हूं कि पावर्स का डीसेंट्रालाइजेशन होना चाहिए, परंतु एक अथारिटी होने पर भी उसके ऊपर भी कोई अथारिटी होगी, तो डुप्लीकेशन फिर भी न हो, इसकी चिंता करनी चाहिए।

माननीय सभापति जी, विदेश से जो भी पहले जहाज से आता है और हवाई जहाज से जैसा ट्रीटमेंट मिलता है तब उसका राष्ट्र के लिए पहला इम्प्रैशन बनता है। मैं समझता हूं कि इंडियन एयर लाईन्स और एयर इंडिया का उस पर ठीक इम्प्रेशन नहीं पड़ता है। लास का जो मामला है कामन मैन का तो हवाई जहाज से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। फाईव स्टार होटल या बहुत से पब्लिक अंडरटेकिंग्स का नुकसान कामन मैन के सिर पर न रखा जाए। हिंदुस्तान की तिजोरी में जो भी रुपया आता है कामन मैन हो जाता है। जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें लास का मामला है। चाहे सरकार किराया बढ़ाए और कोई दूसरा रास्ता निकाले जिससे भागीदार कामन मैन नहीं होना चाहिए उससे कामन मैन का कोई संबंध नहीं होता है। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स एक साल और चेयर परसन के लिए आपने पांच साल की टर्म रखी है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबके लिये तीन साल काफी है। इसमें पोलिटिकल अपाईन्टमेंट नहीं होना चाहिए और जो रिटायर्ड या अपने किसी दोस्त को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में रखना है जिनका कोई मतलब नहीं है तो मैरिट के ऊपर अपाईन्ट करें। जैसे आर्मी आफिसर्स सेन्ट्रल एक्साईज या कस्टम के लिए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है तो एफीशियंट आदमियों को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में रखना चाहिए जिनसे कुछ मतलब हल होगा। अपने रिश्तेदार या पार्टी वकर्स को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में अपाईन्ट नहीं करना चाहिए। आठ से 14 की जो संख्या आपने रखी है तो उसको कम कीजिए। ज्यादा लोगों से बोर्ड अच्छा नहीं चलता है। ज्यादा लोगों की अलग-अलग जिम्मेदारी है तो ठीक है। छह से कम या नौ से ज्यादा नहीं होने चाहिए जिससे प्रशासन में सुविधा हो और कोई दिक्कत न हो। एक्सपर्ट्स हैं तो और संख्या बढ़ा सकत हैं। अकाऊटेंबिलिटी जैसी चीज भी नहीं होती है। जैसे-एयरक्राफ्ट का ऐक्सीडेंट हो गया तो ब्लैक बाक्स लिने पर सब चीजों का पता लगाता है। भाभा का एयरक्रैश हो गया था लेकिन आज तक उसका ब्लैक बाक्स नहीं मिला है। इसमें ब्लैक बाक्स को छुपाकर रखने वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन वह मिलेगा तभी ऐक्सीडेंट का पता चलेगा। उसकी एकाऊंटबिलिटी किसकी है ? कैसे एक्सीडेंट हुआ ?

अब मैं एम्पलाईज के बारे में बोलना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारी कोई भी हो चाहे पब्लिक अंडरटेकिंग का हो या राज्य सरकार का हो, या केन्द्र सरकार का। आप केन्द्र सरकार में बैठे हैं तो एमप्लाईज को जो सुविधा होनी चाहिए तो वह एक ही किस्म की होनी चाहिए। भारत सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी या पब्लिक अंडरटेकिंग्स या बैंक के कर्मचारियों की अलग-अलग तन्खवाह होती है तो इसका सिस्टम एक होना चाहिए। कई कर्मचारी बिना मकान के रह रहे हैं लेकिन बहुत सी जगहों पर यह सुविधा वहाँ अच्छी मिलती है लेकिन भारत सरकार कोई सुविधा नहीं देती है। सुविधाओं के हिसाब से कर्मचारियों का अपना उनीशिएटिव काम करने में रहे। जो आपके कंट्रोल में हैं भारत सरकार के कर्मचारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को एक ही तरह के वेतनमान और सुविधायें दी जायें। अलग-अलग देने से हम देखते हैं कि रोज हड़तालें होती हैं। कर्मचारियों को पता नहीं क्या सिखाया गया है, होना यह चाहिए कि पहले काम फिर दाम, लेकिन हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने उनको सिखाया है कि पहले दाम फिर काम, जैसे एशिया में भट्ठा बैठा ऐसे ही यहां भी हो सकता है। इसलिए आप कम्यूनिस्टों के चक्कर में न आयें।

होटल और रेस्टोरेंट चलाने की भी आपने बात की है। इसको अकेले अपने सिर पर न लें। आप कुछ निजी क्षेत्र में और कुछ जाइंट वेंचर में दें। जिसमें कम नुकसान हो और ज्यादा फायदा हो उसको आप चलायें। अगर उसमें नुकसान ज्यादा होता है तो जाइंट वेंचर में चलायें, फिर भी नुकसान हो तो निजी क्षेत्र में दें, क्योंकि वे लोग लाभ अर्जित कर लेते हैं हानि नहीं। हो सके तो आई.टी.डी.सी. को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।

जहां तक एयरपोर्ट की सुरक्षा का सवाल है और यात्रियों को छोडने-लेने आने वाले लोगों का सवाल है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इतनी सारी सुरक्षा के बावजूद प्लेन हाईजैक होते हैं और हवाईअड्डों पर बम विस्फोट होते हैं। लेकिन जो लोग यात्रियों को छोड़ने आते हैं वे उनके परिचित और रिश्तेदार होते हैं। हमने देखा है कि वे कांच से ही उनको दूर से जाते देखते हैं और काफी महंगी टिकट भी लेते हैं। सर्दी-बरसात में वे लोग बाहर ही खड़े रहते हैं। मेरा अनुरोध है कि उनको भी जहां तक आपको लगे सुरक्षा प्रभावित नहीं होती वहां तक यात्री के साथ जाने दिया जाये। इसमें कोई बुराई नहीं है।

आप दिल्ली के हवाई अड्डे से पूर्वी दिल्ली जायें तो आपको तीन घंटे लग जाते हैं। ऐसे ही बम्बई एयरपोर्ट से शहर जाने में ट्रफिक और बरसात की वजह से कई बार चार घंटे भी लग जाते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जैसे अमरीका में सिस्टम है वह आप यहां अपनायें। आप अपने छोटे एयरक्राफ्ट, राज्यों के छोटे विमान या निजी विमानों को टैरेस पर उतारने की अनुमति दें। अगर धीरू भाई अम्बानी अपने एयरक्राफ्ट से अपनी बिल्डिंग पर जाना चाहते हैं तो उसकी अनुमति दी जाये। क्योंकि जो लोग समय बचाने के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं, उसका आप इस्तेमाल करें। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास जैसे बड़े शहरों में यह व्यवस्था अपनाई जा सकती है। इससे समय की बचत होगी।

जो जाइंट वेंचर की बात है इसमें भी सबको अलाऊ करें।

पेज 10 पर कासम 21 पर टैंडर की बात लिखी है। यह ओपन होना चाहिये क्योंकि क्लोज डोर में करप्शन होता है और यह टैंडर आम पब्लिक के सामने खोलिये ताकि जिसको आफर करना हो सब को पता चल सके कि जिसने ज्यादा बोली है, उसको मिल सके। आप जितना खुला सिस्टम रखेंगे, उतना ही करप्शन कम होगी। तो इसके लिये भी चाहे वह बिल्डिंग्स् हों, होटल का खाना हो या एअर स्ट्रिप हो, उसके लिए सब नागरिकों, कंज्यूमर्स हों या पैसेंजर्स हों, यदि उसमें किसी की मिलीभगत हुई हो तो सीमेंट या रेती का टैस्ट करवा लें, या खाने की चीजों का भी लैबोरेट्री में टैस्ट करवा लें और यह सब खुले रूप से होना चाहिये। अभी हमारे यहां पर चिमनभाई मेहता के नाम से एक ब्रिज बना है। जिस दिन यह खुला, उसी दिन ही टूट गया और सारा ट्रफिक नहीं जा सका। यह किसकी मिलीभगत से हुआ ? इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा ? यह पुल सही बना है या नहीं, कौन एकाऊंटीबिलिटी लेगा ? कभी भी गड़बड़ी होता है, चाहे कोई रिटायर होकर चला गया तो उसकी एकाऊँटेबिलिटी होनी चाहिये। उसमें जो इंजिनियर था, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये। उसको किसने करप्शन करके पास किया ? किस प्राईवेट कम्पनी से मिलीभगत की ? इसलिये कहता हूं कि सब काम खुले रूप से होने चाहिये ताकि जिम्मेदारी उस आदमी पर डाली जा सके जिसने यह सब किया हो।

सभापति महोदय, पेज 11 पर क्लाज 24 में आपने फंड्स के बारे में बताया है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि प्राफिट वाला फण्ड नहीं होना चाहिये। जिस फण्डस में प्राफिट देखते हैं, उसको मत देखिये

क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग्स में नो लास नो प्राफिट होता है। प्राफिट भी आप प्राइस राईज़ से करते हैं मोनोपलीस करते हैं। प्राफिट्स की क्या जरूरत है ? प्राफिट्स एक्सपैंशन करिये और नयी सुविधायें दीजिये। किराये कम कीजिये और कर्मचारियों को खुश रखने के लिये नयी सुविधायें दीजिये और इसके अलावा और भी कई सुविधायें हो सकती हैं। उसमें कंज्यूमर्स के लिये, पैसेंजर्स के लिये सुविधायें दीजिये तो कंपीटीशन में दूसरी एयरलाइन्स में नहीं जायेगा और लोग दूसरी एअर लाईन्स में न जाकर इंडियन एअरलाईन्स पसंद करेंगे।

सभापति महोदय, आज का जमाना कंपीटीशन का है और हम चाहते हैं कि यह हो। हमें खुशी होती है कि हम इंडियन एअरलाईन्स में जाते हैं। दूसरी एअर सर्विसेज में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक बात खटकती है - डेली डिले। जब कोई समय पर एअरक्राफ्ट जाता है तो बड़ा अचम्भा होता है। अभी 21 तारीख को मुझे बम्बई से अहमदाबाद जाना था और वह फ्लाईट 7 बजे की थी। हम लोग सिक्यूरिटी चैकअप में थे। पहले बताया गया कि यह 8 बजे जायेगी लेकिन नहीं गयी। फिर हमें चाय पान के लिये कहा गया कि यह अब रात्रि 11.15 बजे जायेगी लेकिन चलते चलते भी यह 11.45 बजे रवाना हुई। तो मेरा कहना है कि यदि मैं रोड या राजधानी एक्सप्रेस से जाता तो भी इससे जल्दी अहमदाबाद पहुंच जाता मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डियूटी आफिसर को यह मालूम नहीं था कि उस समय तक एअरक्राफ्ट नहीं आया था ? क्या हमें इस प्रकार सिकुरिटी चैक अप में इन्तजार करवाते रहते ? हम एक बार सिकुरिटी से बाहर आये फिर अंदर गये और फिर बाहर आये। सिक्येरिटी के लिए अपनी पुलिस होती तो ठीक रहता है। तो मेरा यह सुझाव है कि इंडियन एअरलाईन्स की जो अथारिटी बनी है, वह अपनी सिकुरिटी रखे। यह सिक्यूरिटी आपके कंट्रोल में नहीं है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और उस छोटी चीज के लिए पेसंजर्स हैरान है। अगर अमेरिका से कोई आता है पास में ट्रन्जिस्टर है, रौल है यह उसकी सुविधा के लिए है, यह किसी ब्लास्ट के लिए नहीं हैं। यह कोमनसेन्स का सवाल है। आपकी फ्लाइट रोज डिले होती है तो रेगुलर होने में अचम्भा लगता है। फोन करने के बाद भी कहते हैं कि आज राइट टाइम है और एंयरपोर्ट पर दो तीन घंटे मंक्खियां मारनी पड़ती हैं। उस समय हमें परेशानी होती है।

हम जब जाते हैं तो सिक्यूरिटी की बड़ी लाईन होती है। हर व्यक्ति को जल्दी होती है कि उसकी फ्लाइट मिस हो रही है। वहां इसके लिए दो लाइन होनी चाहिए। आपके ऐयरक्राफ्ट पर चढ़ने और उतरने के लिए एक ही सीढ़ी होती है। आपको दो सीढ़ियों का प्रावधान करना चाहिए। एंयरक्राफ्ट पर जाने के लिए यात्रियों को बस में जाना पड़ता है। मैं कहता हूं कि ऐयरक्राफ्ट 50-100 फुट की दूरी पर खड़ा किया जाए जिससे लोग पैदल अपना लगेज लेकर जा सकें तो यात्रियों का समय और आपका डीज़ल बच सकेगा। 50 फुट पर नहीं आने-जाने देने की कौन सी सिक्यूरिटी है और सिक्यूरिटी वाले इधर-उधर घूमते रहते हैं। हमने कहा कि हमारा पार्लियामेंट का सैशन 11 बजे शुरू होना है हम बस के बजाय पैदल ही वहां तक चले जाते हैं। फिर भी मना करते हैं। इसलिए ऐयरक्राफ्ट इतना दूर होना चाहिए कि यात्री को उसमें जाने के लिए दो मिनट का समय लगे। बरसात में अलग बात है। यह बात संभव हो सकती है।

एक बात एयर होस्टेस द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी के बारे में है। वह कहती है कि - "आज के हमारे कप्तीन हैं कैप्टन सतीश शर्मा हैं।" यहां "हैं" का प्रयोग दो बार नहीं होना चाहिए। इसे मैंने कई बार कहा है

और इसे सुधारा जा सकता है पर मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों हिन्दी का बार बार खून किया जाता है। हो सके तो आप इसे ठीक कराएं।

आपके अच्छे अच्छे पायलट, ऐयर होस्टेस और ड्यूटी मैनेजर कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनियों में भाग जाते हैं। वह न भागें इसके लिए आपके पास कौन से सख्त नियम हैं ? आपको कहना चाहिए कि अगर भागना है तो हमने आपके ऊपर एक लाख रुपया ट्रेनिंग वगैरह पर खर्च किया है, इतना इनवैस्टमेंट किया है, पहले इतना रुपया दे दो और फिर जाओ। प्राइवेट ऐंटरप्राइज़ वाले लोग अच्छे लोगों को भगाकर ले जाते हैं। आपको कहना चाहिए कि तुम्हें हमने तैयार किया है, ट्रेनिंग दी है और लाभ कोई और कैसे उठा सकता है। ऐसे निजी स्वार्थ का ध्यान रखने वाले लोगों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाए और ऐसी रकम उनसे देने के लिए कहा जाए कि वे आपको छोड़कर न जा सकें। इसके लिए आपको कुछ उचित कदम उठाने चाहिए।

सभापति जी, जब वायुदूत वाला मामला यमदूत बन गया है, उसके दरवाजे चलते चलते खुल जाते हैं, पकड़कर बैठना पड़ता है तो मेरा कहना है कि हिली एरियाज के लिये यदि आप छोटे एयरक्राफ्ट चला सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा पवनहंस की तरह वायुदूत को भी आप बंद कर दीजिये। हिली एरियाज में बड़े हवाई जहाज नहीं जा सकते उसके लिये यह जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि हमारी एयरस्ट्रिप अलग किस्म की हैं। जैसे हमारे रेल मंत्री जी सभी छोटी लाईनों को ब्रौडगेज लाईनों में परिवर्तित कर रहे हैं, उसी तरह आप भी सभी एयरपोर्ट्स की हवाई पट्टी ऐसी बनाईये जिस पर 320, 300 या दूसरे सभी प्रकार के हवाई जहाज उतर सकें। हिन्दुस्तान के हर एयरपोर्ट पर 320, 300 या 474 या हर तरह के जहाज उतरने की परमानेंट व्यवस्था आप कीजिये और उन्हें इस तरह आप लिंक करिये जैसे हमारा गुजरात बोर्डर इलाका है, केशाद हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, वैसे ही सौराष्ट्र का इलाका है, कसूर का एयरपोर्ट तो आपने बंद कर दिया, पोरबंदर नोर्थ गुजरात का डीसा एयरपोर्ट भी आपने बंद कर दिया। आपने कहा कि जितने छोटे एयरपोर्ट हैं उनके लिये ट्रैफिक नहीं मिलता लेकिन ट्रैफिक का इंतजाम भी तो आपको करना पड़ेगा। यदि वास्तव में आपको कोई रूट स्यूट नहीं करता है तो उसे प्राईवेट लोगों को दे दीजिये, वे अपने एयरक्राफ्ट उस पर चलायें लेकिन सभी एयरपोर्ट्स को अच्छा बनाईये ताकि रात में भी वहां हवाई जहाज उतर सकें। आज हालत यह है कि अनेक हवाई पट्टियों पर रात के समय हवाई जहाज़ नहीं उतर सकते क्योंकि उन पर समुचित लाईट का इंतजाम नहीं है। बिजली यदि गुल रहती है तो आप कोई दूसरी व्यवस्था करिये ताकि रात के समय भी हवाई जहाज वहां उतर सकें, हैवी रेन में भी जहाज उतर सकें और किसी तरह के एक्सीडेंट का खतरा न हो। आज के वैज्ञानिक युग में भी यदि आप अंधेरे का बहाना करेंगे तो बात समझ में नहीं आती है, कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। जितने हमारे यहां छोटे एयरस्ट्रिप्स हैं उनको बड़ा करके लोगों को लाभ पहुंचाईये। यदि आपसे नहीं चल सकते हैं तो प्राईवेट लोगों को दे दीजिये।

अहमदाबाद को आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देकर मजाक किया है। क्या बम्बई के लोग इतने मजबूत हो गये कि अहमदाबाद को कोई रिवैन्यू न जाने पाये। आज लंदन, अमेरिका आदि देशों को जाने वाले लोगों में आपको लगभग 80 परसेंट लोग गुजराती मिलेंगे। अहमदाबाद से काफी लोग सीधे लंदन या अमेरिका-जाना चाहते हैं, आप उन्हें सीधी सुविधा उपलब्ध कराईये ताकि वे अहमदाबाद से सीधे अमेरिका, लंदन, न्यू

जर्मी, जर्मनी या कम से कम अफ्रीकी देशों में जा सकें। बंबई से जाने में उन्हें काफी दिक्कत होती है। आप बम्बई के भरोसे मत चलिये बल्कि गुजरात का जो जैन्यूइन मामला है, गुजरात में काफी इंडस्ट्रिलिस्ट लोग हैं, हजारों नहीं लाखों में उनकी संख्या है, आप उनके आने जाने की ऐसी व्यवस्था करिये, बंबई से आप फीगर्स मंगवाकर देख लीजिये, उसके अनुसार अहमदाबाद को प्रियौरिटी देकर, बम्बई के चक्कर में मत रहिये और अहमदाबाद से ही लोगों को सीधे विदेश जाने की सुविधा दीजिये ताकि वहां से लोग सीधे न्यूयार्क, लंदन आदि जा सकें। आपको पूरा ट्रैफिक मिलेगा। यदि बम्बई से होकर आप उन्हें भेजेंगे, अहमदाबाद को कोई एक अलग एयरक्राफ्ट दे देंगे तो उन्हें व्यर्थ में बम्बई जाकर तीन चार घंटे बरबाद करने पड़ते हैं। यदि आप अहमदाबाद को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना चाहते हैं तो रीयल सैंस में उसे इम्पलीमेंट करिये और वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तमाम सुविधायें उपलब्ध कराईये।

अंत में कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में रेलवे के फर्स्ट क्लास एयरकंडीशंड के किराये के बराबर आप एयर का किराया लेते हैं, मेरा निवेदन है कि आप कोई ऐसी क्लास इंट्रोड्यूस कीजिये, उसका नाम भले ही थर्ड क्लास हो, जे क्लास या, एक्स वाई जैड क्लास या क्लब क्लास मत रखिये लेकिन कौमन मैन भी हवाई जहाज से यात्रा कर सके, लॉस में तो आप चलते ही हैं, बचपन में हर आदमी अपने ऊपर जाते हवाई जहाज को देखकर सोचता है कि बड़ा होकर वह भी उसमें सैर करे। उस बेचारे को भी आप सुविधा दीजिये। थोड़ा किराया कम कर दीजिये भले ही उसे कहीं भी जगह मिले ताकि अपने सामान के साथ वह यात्रा कर सके। आप कोई भी रास्ता ऐसा निकाल सकते हैं ताकि कम किराये वाली एक क्लास इंट्रोड्यूस की जा सके और कम इंकम वाला आदमी भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। अहमदाबाद एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सभी सुविधायें देने की आप जरुर व्यवस्था करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है ताकि वहां के लोगों को विदेश जाने के लिये सीधी सर्विस मिल सके। इन शब्दों के साथ, सभापति जी, समय देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : 6 बजे गये हैं अब क्या करें ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : आज सत्र का दूसरा दिन है। इसलिए मैं सदन से देर तक बैठने का अनुरोध नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : 13 और सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, सभा की कार्यवाही एक घंटे बढ़ा दी जाये।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, छः बज गए हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया अब सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, नहीं अब सदन की कार्यवाही मत बढ़ाइए। आज तो सदन की कार्यवाही यहीं समाप्त करिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हम कल चर्चा जारी रखेंगे **(व्यवधान)** •

सभापति महोदय : आज की कार्यवाही स्थगित करने से पहले क्यों न कुछ और सदस्यों को मौका दिया जाय।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, नहीं, हम कल चर्चा जारी रखेंगे।

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही 27 जुलाई, 1994 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

06.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 जुलाई, 1994/5 श्रावण, 1916 (शक)

के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

6/2003

© 2003 By Lok Sabha Secretariat

under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Tenth Edition) and Printed by The Indian Press, G.T. Karnal Road, Delhi-110033.